राजभाषा भारती

1989

রাজভাষা ভারতী

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

पर्यटन राज्य मंत्री श्री शिवराज पाटिल से पुस्तक लेखन पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री प्रेमलाल भट्ट, निदेशक (रा.भा.)

हिंदी अकादमी, दिल्ली के 'सम्मान अर्पण' समारोह में बाएं से श्री मनोहर श्याम जोशी, श्री कुलानन्द भारतीय, कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) तथा वयोवृद्ध साहित्यकार बाबा नागार्जुन

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 12
अंक : 45

चैत्र—ज्येष्ठ 1911 शक
अप्रैल—जून 1989

संपादक
डॉ. महेशचन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

उप-संपादक
डॉ. गुरुदयाल बजाज
फोन : 698054

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभ्युक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

निःशुल्क वितरण के लिए

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11वां तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

अनुक्रम

सम्पादकीय
पाठकों के पत्र

		पृष्ठ
० चिन्तन		
1. स्वतंत्रता का आधार	आचार्य राधागोविंद थोड़म	3
2. जनभाषा हिंदी और पंडित नेहरू	डा. कैलाशचन्द्र भाटिया	4
3. राजभाषा हिन्दी का प्रयोग	यु.वी.नायक	8
4. प्रशिक्षण और हिंदी माध्यम	हरिबाबू कंसल	9
वैज्ञानिक : तकनीकी शोध लेख		
5. स्मृति विज्ञान	वे. शेषन	11
6. प्रौद्योगिकी के माध्यम के रूप में हिंदी	विवेकरंजन श्रीवास्तव	14
7. देवनागरी लिपि में बेतार संकेत की आवश्यकता	माताशरण शुक्ल	15
० साहित्यिकी		
8. हिन्दी मत करो चिंदी (व्यंग)	वैद्य शंभुनाथ मिश्र	16
9. असमी : साहित्य, भाषा और राजभाषा	प्रदीप कुमार बख्शी	20
० पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य		
10. सर विलियम जोन्स ने संस्कृत कैसे सीखी	पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी	22
० विश्व हिंदी दर्शन		
11. फ्रांस व अमरीका में हिंदी	वेद प्रकाश दुबे	25
12. नेदरलैण्ड में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन	डॉ० शारदा भसीन	26
० समिति समाचार		
(क) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें		28
(1) वस्त्र मंत्रालय (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (4) गृह मंत्रालय (5) रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) (6) वाणिज्य मंत्रालय (7) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (8) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (9) जल भूतल परिवहन मंत्रालय (10) इस्पात विभाग (11) रेल मंत्रालय (12) योजना मंत्रालय (13) खान विभाग (14) संसदीय कार्य मंत्रालय (15) कोयला विभाग (ऊर्जा मंत्रालय) (16) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (17) कल्याण मंत्रालय		
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		55
(1) कलकत्ता (बैंक) (2) बर्नपुर (3) बडोदरा (बैंक) (4) नासिक (5) पटना (बैंक) (6) झांसी (7) वाराणसी (8) मद्रास (9) मंगलूर (10) अनन्तपुर (11) विशाखापट्टणम (12) जम्मू (13) लुधियाना (14) पुणे (15) देवास (16) जबलपुर (17) बीकानेर (18) रोहतक (19) हिसार		

पृष्ठ

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 77

(1) संघ लोक सेवा आयोग
(2) कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
(3) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवेलपमेंट इंडिया लि. नई दिल्ली,
(4) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(5) लोक निर्माण विभाग (दि. प्र.)

राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां 88

(1) कानपुर में विधि साहित्य संगोष्ठी
(2) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान रजत जयन्ती वर्ष समारोह
(3) भाषा शिक्षण में नया कदम
(4) लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृरशूर (केरल) में हिन्दी संगोष्ठी
(5) इस्को, कुल्टी वर्कस (सेलन में तकनीकी लेखन) पर विचार गोष्ठी
(6) भारतीय खान ब्यूरो में राजभाषा तकनीकी सेमिनार
(7) भारत एल्यूमिनियम कं. में राजभाषा तकनीकी सेमिनार
(8) इंजीनियर्स इंडिया लि., नई दिल्ली में राजभाषा संगोष्ठी
(9) पंजाब नेशनल बैंक में राजभाषा अधिकारी सम्मेलन
(10) बैंक आफ इंडिया में वरिष्ठ अधिकारियों का राजभाषा सेमिनार
(11) कार्पोरेशन बैंक में छठा राजभाषा अधिकारी सम्मेलन
(12) यूनियन बैंक के राजभाषा अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन
(13) नेहरू स्मृति स्मारिका विमोचन समारोह
(14) केनरा बैंक में राजभाषा समारोह

० हिंदी के बढ़ते चरण 90

(1) पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो, नई दिल्ली में हिन्दी प्रयोग की स्थिति
(2) लघु उद्योग सेवा संस्थान अहमदाबाद में राजभाषा की प्रगति

० हिंदी दिवस/सप्ताह समारोह 94

० हिंदी कार्यशालाएं 101

० विविध

(क) विभागीय गतिविधियां 113

(1) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली 116
(2) अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र, बेंगलूर

(ख) प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं

(ग) प्रेरणा पुंज 120

(घ) समाचार दर्शन 121

० पुस्तक समीक्षा 124

० आदेश-अनुदेश 127

संपादकीय

सन् 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई को भले ही अंग्रेजी शासन ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भारतीय जनमानस अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहता था। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की चिंगारी कुछ काल के लिए अंग्रेजी शासन की शब्दावली में-'सैनिक विद्रोह' की राख के नीचे दब गई हो, परन्तु विस्फोट के लिए यह 'चिंगारी' स्वतंत्रता प्राप्ति तक निरंतर सुलगती रही। ब्रिटिश शासन की पहल पर वर्ष 1885 में स्वतंत्रता प्रेमी ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस की राजनीतिक भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक विचार मंच देना था। कुछ लोगों का मत है कि ब्रिटिश शासक इस संगठन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को दबाए रखना चाहते थे। ब्रिटिश शासन का मंतव्य कुछ भी रहा हो, परन्तु कांग्रेस के संस्थापक सर ह्यूम महोदय द्वारा वर्ष 1886 में रचित एक अंग्रेजी कविता* में भारतीय आजादी के दीवानों के नाम खुला पैगाम था---स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का खुला आह्वान था--

उठो ! जागो ! !

भारत के पूतो, क्यों बैठे हो निष्क्रिय होकर ?
क्या जोह रहे बाट किसी वरदानी की ?

* * * *

तुम हो स्वतंत्र, परतंत्र या कि हो क्रीत दास,
तुम, जो धरती पर पड़े हुए हो मुंह के बल ?

है समाधान सब स्वयं तुम्हारे हाथों में,
उन्नत होते हैं राष्ट्र सदा अपने ही बल पर !

* * *

भारत पूतो, उठो और कर्त्तव्य करो,
व्यवधान कदापि न अपने पथ में आने दो,
देखो प्राची से झांक रहा है नव प्रभात --
उन्नत होते हैं राष्ट्र सदा अपने ही बल पर।

यद्यपि कांग्रेस के कामकाज में अंग्रेजी भाषा प्रचलित थी किन्तु कुछ भारतीय नेताओं ने अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरु किया। जनता से संपर्क हेतु भारत उपमहाद्वीप में समझी और बोली जाने वाली हिन्दी भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए लोकमान्य तिलक ने 1903 में मराठी के साथ-साथ हिन्दी में भी 'केसरी' का प्रकाशन आरंभ किया। इस समाचारपत्र की देखा-देखी विभिन्न भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय चेतना का संचार किया।

चूंकि कांग्रेस का सारा काम काज, कार्य सूची, प्रस्ताव, भाषण, कार्यवृत्त आदि अंग्रेजी में होते थें, इसलिए कांग्रेस की स्थापना के लगभग चालीस वर्ष बाद तक कांग्रेस जनता से सीधे न जुड़ सकी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के महत्व को समझा और पहली बार गुजरात शिक्षा परिषद के भड़ोच अधिवेशन में जनता से राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने पर बल दिया। उसी वर्ष कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी की पहल पर लोकमान्य तिलक ने हिन्दी में ही अपना भाषण पढ़ा। कांग्रेस मंच से नेताओं के हिन्दी में भाषण सुनकर श्रोता बहुत प्रभावित हुए। फलस्वरूप कांग्रेस की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार आशातीत रूप से बढ़ा।

सन 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से राष्ट्रभाषा विषयक एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ—"कांग्रेस की यह सभा प्रस्ताव पास करती है कि कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' और कार्य समिति' की कार्यवाही आमतौर पर हिन्दी में चलेगी। यदि कोई वक्ता हिन्दी न जानता हो तो आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा इस्तेमाल की जा सकती है। 'प्रांतीय कमेटियों की कार्यवाही प्रादेशिक भाषाओं में ही चलेगी। जरूरत पड़ने पर हिन्दी भी इस्तेमाल की जा सकती है।"

इस प्रस्ताव का व्यापक प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल आदि वरिष्ठ नेता कांग्रेस की जनसभाओं में हिन्दी में भाषण देने लगे। कांग्रेस अधिवेशनों के विवरण, सभापति के भाषण आदि हिन्दी में भी जारी होने लगे। इस प्रकार हिन्दी पूरी तरह से हमारी आजादी के आंदोलन की भाषा बनी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को देश की राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में केन्द्र सरकार की राजभाषा हिन्दी तथा राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा बनाने का प्रावधान किया गया। वास्तव में संविधान सभा का उक्त निर्णय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन (सन् 1925) में पारित प्रस्ताव का परिष्कृत संस्करण ही है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के उन्नायकों ने राष्ट्रीय एकता और आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में 'हिन्दी' को अपनाकर स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह नैतिक दायित्व है कि वह देश की राजभाषा को व्यवहार में लाए।

भारत सरकार की राजभाषा नीति भारतीय संविधान एव भारतीय जनमानस की भावनाओं पर आधारित है और इस नीति के अनुपालन तथा कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा भारती' कृत संकल्प है। इसे पाठकों का स्नेह और सहयोग निरन्तर मिल रहे हैं।

पाठकों की रुचि के अनुरूप प्रस्तुत अंक में 'चिंतन', 'पुरानी यादें–नए परिप्रेक्ष्य' 'विश्व हिंदी दर्शन' स्तम्भों के अन्तर्गत पूर्ववत लेख दिए गए हैं, लेकिन 'साहित्यकी' स्तम्भ के अन्तर्गत प्रथम बार एक 'कविता' तथा 'व्यंग्य लेख' सम्मिलित किए गए हैं। आशा है पाठक इस अभिवृद्धि को पसंद करेंगे। 'हिन्दी के बढ़ते चरण' स्तम्भ में इस बार 'पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो, नई दिल्ली में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। शेष स्तम्भ—समिति समाचार, हिन्दी दिवस समारोह, हिन्दी कार्यशालाएं आदि में पहले की तरह रोचक सामग्री संकलित की गई है, किन्तु 'विविधा' स्तम्भ के अन्तर्गत एक उपशीर्षक 'प्रेरणापुंज' के माध्यम से सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की उपलब्धियों को उजागर करने की एक कोशिश है। विश्वास है कि इस स्तम्भ से प्रेरित होकर हमारे अधिकाधिक पाठक अपने दैनंदिन कार्यों में हिन्दी को व्यवहार में लाएंगे।

सुधी पाठकों से अनुरोध है कि वे पत्रिका के बारे में अपनी बहुमूल्य सम्मति अवश्य भेंजे। उनके बहुमूल्य सुझावों की हमें सदैव प्रतीक्षा रहेगी।

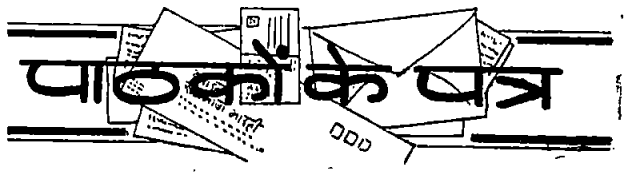

डा.एस. नारायणस्वामी, राजभाषा अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, राजाजी रोड, मद्रास-1 का मत है—

राजभाषा भारती में प्रकाशित लेख, चिंतन स्तम्भ और अन्य स्तम्भ ज्ञानवर्धक एवं अत्यन्त उपयोगी होते हैं। विशषत: अंक 42 में प्रकाशित 'राष्ट्रीय भावात्मक एकता तथा हिन्दी' तथा 'भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन: शोध संस्थान की संभावनाएं' लेख पत्रिका की उपयोगिता में चार चांद लगा देते हैं।

आपका अथक प्रयास तभी सार्थक होगा जब राजभाषा को अपना सम्माननीय स्थान सर्वत्र मिले।

□

श्री शिव गुरु नायक, क्षेत्रीय प्रबंधक, 44/45 लियो-शिपिंग काम्पलैक्स, रेजीडन्सी रोड क्रास, बंगलूर-560025 लिखते हैं।—

राजभाषा भारती पत्रिका पढ़ी और इसमें हिन्दी के महत्व एवं हिन्दी के मुख्य मदों सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य पर ज्ञानवर्धन में अधिक उपयोगी सिद्ध हुई।'

□

श्री सि. मूर्ति राजु उपप्रभागीय प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, टिक्कल रोड, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) महसूस करते हैं—;

राभाषा भारती' के माध्यम से केन्द्र सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सामग्री एवं मार्ग-दर्शन दे रहे हैं। वास्तव में यह एक प्रशंसनीय काय है।'

□

विंग कमांडर आर.पी. कपूर, वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी 3 बेस मरम्मत डिपो, वायुसेना स्टेशन, चंडीगढ़-3 का मत है—

हिंदी के कार्य स्तर को ऊपर उठाने व इसके प्रयोग को और अधिक बढ़ावा देने हेतु इस डिपो द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'राजभाषा भारती' इस कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी पाई गई है।

□

ति.कृ. राजामणि ऐयर, 14-7 दक्षिण बस्ती (जबन), डाकघर कांसबहाल (उत्कल)-770034 लिखते हैं कि—

राजभाषा भारती' (अंक 43) की प्रति पाकर प्रसन्नता हुई। आवरण पृष्ठ आकर्षक है।

'चिंतन' में श्री जगन्नाथ का लेख बहुत पसंद आया। राजभाषा विभाग के श्री कौशिक मुखर्जी का यांत्रिक उप-करणों संबंधी लेख भी उपयोगी है। कृपया विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति के समाचार भी समय-समय पर प्रकाशित करें।

□

श्री रामानुज प्रसाद शर्मा, समन्वय अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र (नगर प्रशासन विभाग), इंदिरा प्लेस, भिलाई (म.प्र.) लिखते हैं कि—

राजभाषा भारती निःसन्देह एक उपयोगी पत्रिका है जिसमें हिन्दी प्रचार-प्रसार एवं गृह मंत्रालय की गति-विधियां सम्मिलित रहती हैं।

□

श्री शामलाल मेहता, न्यू बैंक आफ इंडिया, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, 881-सैक्टर 40-ए, चंडीगढ़-36 के विचारानुसार—

राजभाषा भारती' का 43वां अंक मिला। प्रस्तुति, संकलन तथा विषय व्याप्ति की दृष्टि से यह अद्वितीय है। राजभाषा संबंधी अद्यतन निर्देशों एवं अनुदेशों को एक ही स्थान पर पाने का संभवत: एकमात्र माध्यम होने के कारण इस क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह पत्रिका केवल सहायक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी है। वस्तुत: प्रत्येक अंक स्थाई दस्तावेज की तरह संजोकर रखे जाने योग्य होता है।

□

श्री आर.के. प्रसाद, कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, दूर संचार, ओड़िसा परिमंडल, भुवनेश्वर-751001 का मत है कि—

यह (राजभाषा भारती) पत्रिका सरल एवं आकर्षक है, कर्मचारी इसे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं।

□

श्री ए.पी. निगम, आयकर अधिकारी (मु.) 7/81-बी, तिलक नगर, कानपुर का अभिव्यक्ति द्रष्टव्य है—

'राजभाषा भारती' हिन्दी प्रचार अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

□

श्री संजीव पाठक, बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा महसूस करते हैं कि—

राजभाषा भारती, का रूप निखर रहा है। कलेवर एवं सामग्री दोनों ही दृष्टिकोण से यह अत्यन्त उपयोगी पत्रिका है।

□

रामचन्द्र सिंह त्यागी संपादक 'सोनपुर संदेश' मण्डल रेल प्रबंधक सोनपुर (बिहार) की समीक्षात्मक टिप्पणी उल्लेखनीय है—

राजभाषा भारती (अंक 43) आद्योपान्त पढ़ गया। अंक में सम्मिलित विशिष्ट सामग्री न केवल राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार को व्यापक आयाम देने वाली है बल्कि हिन्दी संबंधी यांत्रिकी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में तथाकथित दुरूह एवं अलंघ्य पहलुओं को पार कर सहजता की परिधि में ला खड़ी करने में सफल है।

'राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा' लेख में श्री शाम लाल मेहता ने राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा और मातृभाषा की गुत्थियों को सुलझाया है। श्री जगन्नाथ ने 'हिन्दी प्रयोग के व्यावहारिक उपाय को समय सापेक्ष होकर उपचारी विचार रखा है। श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर ने 'अनुवाद को कला से विज्ञान का स्थान दिलाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 'वंग मनीषा की देन–राष्ट्रभाषा 'हिन्दी शीर्षक लेख में विद्वान लखक श्री जगदम्बी प्रसाद में न के ल बंग मनीषियों बल्कि अन्य गैर हिंदी प्रान्त के विद्वान आचार्यों एवं समाज सुधारकों की हिन्दी सेवाओं की भूमिका का सराहनीय उल्लेख किया है।

इसके अतिरिक्त हिन्दी से संबंधित समाचार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की गतिविधि से अवगत कराने में समर्थ है।

□

डॉ. गणेश मिश्र, यूनियन बैंक आफ इंडिया' मलिकपुरा शाखा गाजीपुर-233310 का अभिमत दृष्टव्य है—

वस्तुतः राजभाषा के क्रिन्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारीय किए जाने वाले राज्यादेशों तथा राजभाषा प्रगति विषयक नवीनतम आंकड़ों का जो प्रामाणिक विवरण इस पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो जाता है अन्यत्र दुर्लभ है।

□

श्री शंकर लाल, हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भुवनेश्वर-6 की राय है कि—

राजभाषा भारती पत्रिका, सचमुच राजभाषा के संबंध में अद्यतन बना देती है पाठक को। फिर अनुवाद संबंधी लेख तो अति महत्व के हैं।

□

श्री यू.बी.सिंह मुख्य प्रबंधक' इलाहाबाद बैंक, टना मंडल, स्टील हाउस भवन बोरिंग रोड, पटना (बिहार)—लिखते हैं कि—

'हमें आप की पत्रिका (राजभाषा भारती) बड़ी प्रासंगिक एवं सार्थक प्रतीत हुई।

□

श्री ओमप्रकाश गुप्त 116/212 कंधई भवन, धीसयारी मण्डी लखनऊ-226000 का सुझाव है कि—

राजभाषा भारती (अंक 43) के प्रषेण के लिए कोटिशः धन्यवाद। पिछले वर्ष हिन्दी दिवस पर एक रंगीन विशेष डाक टिकट जारी किया गया जो कि आकर्षक एवं सभी भाषाओं को एकसूत्रता में पिरोए हुए प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा विशेषांक का विमोचन भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

आवश्यकता इस बात की है कि गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्वैच्छिक रूप से हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि की जाए। इसी प्रकार हिन्दी भाषी लोग भी अन्य भारतीय भाषाओं को सीखकर व्यवहार में लाएं तभी हिन्दी विकसित होगी।

राजभाषा भारती के आगामी अंकों में अन्य उपयोगी सामग्री को स्थान दें। आपका प्रयास अच्छा है।

□

स्वतंत्रता का आधार

☐ आचार्य राधागोविन्द थोङाम

भावात्मक एकता के बल पर देश की एकता बनती है एवं उसकी रक्षा होती है । इस भावात्मक एकता की संसृति और रक्षक है संस्कृति। संस्कृति के अनतर्गत देश में बसी जनता के विचार, आचार व्यवहार, दर्शन, धर्म, साहित्य और ज्ञान--विज्ञान, शिल्प आदि सभी कुछ आता है। संस्कृति का सम्बन्ध नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है। वास्तव में संस्कृति एक सूक्ष्म मगर अत्यन्त सशक्त तत्व है, जो देश वासियों के मन में बसी रहती हैं, जो देश वासियों को प्रेम-मय एकता के सूत्र में पुष्पमाला के फूलों की तरह पिरोये रखती है। इसी कारण देश वासी एक दूसरे के सुख-दुख के सहभागी बनने के लिए तैयार होते हैं । इसी कारण वे देश को माता की तरह पूजते हैं एवं उसकी रक्षा में कुर्बान होते हैं। यही भाव देश की भूमि को माता और स्वयं को पुत्र कह कर घोषित करता है। यही भाव देश वासी के मन में बसे देश प्रेम की जड़ को उसके देह तथा देश की भूमि से जमाए रखता है ।

संस्कृति का वाहन भाषा है। यह भाषा देश के निवासियों की जबान पर रहने वाली भाषा ही होती है अर्थात देश की संस्कृति, देश की भाषा तथा भाषाओं के द्वारा ही पनपती व बलवती होती है, क्योंकि संस्कृति के निर्माता, पोषक एव संबर्द्धक देश के निवासी ही होते हैं आज तक किसी भी देश की संस्कृति का निर्माण, पोषण तथा सम्वर्द्धन किसी विदेशी के द्वारा नहीं हो पाया है, विशेषकर साम्राज्य की स्थापना के लिए आए विदेशियों के द्वारा तो बिल्कुल नहीं। हां अगर विदेश से आने वाला विदेशी देश को अपना मान ले तथा उस देश के निवासियों के सुख-दुख को अपना ही मानकर उसमें भागीदार हो जाए तथा उस देश की भूमि की पूजा करने लगता है तो वह उस देश की संस्कृति के निर्माण, पोषण एंव सम्वर्द्धन का अंग बन जाता है। यही अन्तर है :— अरब, ईरान, ईराक से आनेवाले मुस्लिम लोगों और अंग्रेजों में। अंग्रजों ने आज तक भारत को अपना देश नहीं माना इसी कारण भारत की संस्कृति में अंग्रेजों का योगदान प्रायः न के बराबर है। जो कुछ योगदान है वह उन अंग्रेजों के कारण है ; जिन्होंने भारत को अपना माना था।

संस्कृति निराकार प्राणवायु के समान है। यह भूतत्त्व (ऐलीमेन्ट) की तरह है। जिस तरह ऐलीमेन्ट के सूक्ष्म कारण पेड़ पौधे तृण कीडे, मकोड़े जीव जन्तु सब में मौजूद है, उसी तरह संस्कृति का रूप होता है। साहित्य, कला, शिल्प, तकनीकी ज्ञान-विज्ञान, धर्म आचरण सब में संस्कृति मौजद होती है। संस्कृति का सबसे उत्तम और प्रत्यक्ष रूप साहित्य में देखने को मिलता है। इसी लिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है :

साहित्य का निर्माण भाषा करती है। जब मनुष्य के विचार, अनुभव और भावनाएं शब्द के पुष्प पत्र व तृण को एक विशेष क्रम में माला के रूप में पिरोते हैं तब भाषा का रूप बनता है एवं इससे साहित्य रूपी चमन बनता है। अत : साहित्य का अर्थ केबल लिखी या छपी हुई वस्तु मात्र नहीं हैं। बल्कि देश की जनता तथा नेताओं के मुख मन, मस्तिष्क में रहने वाले भाव, विचार और अनुभव भी साहित्य ही है अर्थात् साहित्य का दूसरा नाम ही संस्कृति है।

चूंकि भाषा की सबसे सूक्ष्म मजबूत शक्ति है एक हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ना। इसी लिए नेता जनता के हृदय तक पहुंचने के लिए जनता की भाषा का प्रयोग करता है। इसी लिए लोक भाषा अर्थात देश की भाषा को देश की भावनात्मक एकता बनाने का सबसे सबल आधार बताया गया है। इसी लिए देश को भाषा और भाषाओं को देश की सच्ची स्वतंत्रता का आधार माना गया है। लोकतंत्र की सफलता के लिए तो यह परमाश्वयक तथा सर्व प्रथम कर्तव्य माना गया है कि देश का राज काज से लेकर हर प्रकार का काम जनता की भाषा में ही होना चाहिए; क्योंकि लोकतंत्र की सफलता तभी प्राप्त होती है जब देश का हर नागरिक अपने देश की उन्नति व रक्षा में तत्पर हो। इसी कारण लेनिन ने रूस में साम्यवाद की सफलता तथा मजबूती के लिए सर्वप्रथम काम किया शिक्षा का पूरा माध्यम रूसी तथा रूस की भाषाओं को बनाना। जापान और चीन ने भी इस रहस्य को जाना है एवं इस पर अमल किया है ।

भारत के महापुरूषों और राष्ट्रनायकों ने भी इस शाश्वत सत्य को पहचाना था । इसीलिए उन्होंने आम जनता की भाषा को सीखा एव उनको भाषा में ही अपनी

...जारी पृ० 13

जनभाषा हिन्दी और पं० नेहरू

☐ डा. कैलाश चन्द्र भाटिया

पं. जवाहर लाल नेहरू हमेशा से जनभाषाओं के पक्षधर रहे। पं. नेहरु की शिक्षा-दीक्षा विदेश में हुई फिर भी भारतीय भाषाओं के प्रति उनका लगाव था। यह बात उनके उस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाती है जो भारत की स्वतन्त्रता से बहुत पहले उन्होंने सन् 1937 में दिया। दिनांक चार सितम्बर, 1937 को दिया गया लम्बा वक्तव्य अचानक ही नहीं आया वरन् उसके पीछे लम्बा इतिहास रहा। पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा तीसरे दशक में "नेहरु रिपोर्ट" के नाम से प्रस्तुत की गई उसमें हिन्दी-हिन्दुस्तानी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस रिपोर्ट को तैयार कराने में उस समय के युवा-सम्राट पं. नेहरु का पूरा-पूरा सहयोग मिला और सुभाष चन्द्र बोस ने भी पर्याप्त सहायता दी। उड़ीसा में सन् 1936 ई. में कटक की विराट सभा में जब कुछ व्यक्तियों ने आवाज लगाई कि अंग्रेजी में बोलिए तो उन्होंने साफ कह दिया, "नहीं', मैं हिन्दी में ही बोलूंगा। आप लोग समझने की कोशिश करें। श्री अनुसूया प्रसाद जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वह एक घंटे हिंदी में बोले। काफी भीड़ इकट्ठी थी लेकिन श्रोताओं में से किसी ने नहीं कहा कि हम पंडित जी का भाषण नहीं समझ सके।"

आज से अर्धशताब्दी पूर्व दिया गया वक्तव्य काफी लम्बा है जिसके कुछ अंश ही यहां दिये जा रहे हैं :-

—सरकारी काम और सार्वजनिक शिक्षा के लिए विभिन्न प्रांतों में उन भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए जो वहां की प्रमुख प्रचलित भाषाएं हों। इसके लिए उन भाषाओं को सरकारी तौर पर स्वीकृत किया जाना चाहिए-हिन्दुस्तानी (जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों ही शामिल हैं) बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असामी, सिन्धी और किसी हद तक पश्तो तथा पंजाबी भी।

—हिन्दुस्तानी प्रान्तों की भाषा सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम के लिए हिन्दुस्तानी होगी।

—देवनागरी, बंगला, गुजराती और मराठी लिपियों में, एकरूपता लाने और उनके मेल से एक ऐसी संयुक्त लिपि बनाने का प्रयत्न किया जाए जो छापाखानों, टाइपराइटरों और दूसरी तरह के यंत्रों के लिए उपयुक्त सिद्ध हो।

—दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपियों को देवनागरी लिपि के समान बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अगर यह काम संभव न हो तो दक्षिण भारत की विभिन्न भाषाओं के लिए एक लिपि बनाने की कोशिश की जाए।

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद फरवरी 1949 में पं. नेहरू ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जब फिर से विचार प्रकट करते हुए लिखा—" मैं यह लेख प्रधान मंत्री की हैसियत से नहीं,बल्कि एक लेखक और एक ऐसे शख्स के तौर पर लिख रहा हूं, जिसे भाषा के सवाल में गहरी दिलचस्पी है।

मैं किसी भाषा का पंडित तो नहीं हूं फिर भी मुझे भाषा के सौंदर्य से, उसके शब्दों से, संगीत से और शब्दों में भरे हुए जादू और ताकत से प्रेम रहा है। मेरा विश्वास है कि लगभग हर चीज के बनस्बित भाषा किसी राष्ट्र के चरित्र की ज्यादा बड़ी कसौटी है। अगर भाषा शक्तिशाली और जोरदार होती है तो उसको इस्तेमाल करने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं, अगर वह पिछली, लच्छेदार और पेचीदा है तो उसे बोलने वाली प्रजा में वही लक्षण देखने को मिलेंगे। बेशक, ज्यादा सच्चे ढंग से यह कहना चाहिए कि प्रजा के लक्षण भाषा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाषा को बनाने वाले लोग ही होते हैं। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि भाषा लोगों को बनाती है जो भाषा ठीक-ठीक या यथार्थ हो तो वह लोगोंकोठीक-ठीक विचार करने वाली बनाती है। शब्दों या वाक्यों में अर्थ को यथार्थता और निश्चितता न होने से विचारों की गड़बड़ पैदा होती है और उसके परिणामस्वरूप काम भी वैसा ही होता है।

"किसी भाषा को ऐसी तंग कोठरी में बंद कर दिया जाए जिनमें कोई दरवाजे और खिड़कियां न हो, और प्रगतिशील परिवर्तन आने की गुंजाइश न रहे तो उसमें निश्चतता और छटा भले ही हो सकती है परन्तु बदलते हुए वातावरण और जनसाधारण के साथ उसका सम्पर्क छूट जाने की संभावना रहती है। इसका अनिवार्य परिणाम यह होता है कि उसमें ओज नहीं रहता और एक तरह का बनावटीपन आ जाता है । यह किसी भी समय अच्छी बात न होगी परन्तु मौजूदा प्राणवान और तेजी से बदलने वाले युग में जिसमें हमारे आसपास की लगभग सभी चीजें बदल रही हैं, तो बंद कमरे में भाषा मर ही जायेगी ।"।

उपर्युक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से भाषा के विकास की ओर संकेत किया गया है । भाषा विकसित होती है तो उसमें शक्ति और सामर्थ्य आती है और उस सामर्थ्य से वह और विकसित होती है ।

भाषा के विकास से तात्पर्य

किसी भी जीवन्त भाषा से तात्पर्य है उसमें अन्तर्निहित रचनात्मक शक्तियों का निरन्तर विकास तथा सुग्राहिता । अपने परिवेश के प्रति सजग रहने से प्रथम लाभ होता है कि जो शब्द जहां से मिले उसे अपने अनुकूल बनाकर अपना लिया जाए । अगर भाषा की प्रवृत्ति के अनुकूल न हो तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द बना दिया जाए । बनायी हुई, गढ़ी हुई शब्दावली तब ही काम की हो सकती है जब वह जीवन्त और गतिशील भाषा के साथ निरन्तर संपर्क बनाये रहे और प्रयोग की कसौटी पर अपने को परखती-कसती रहे । अठारहवीं शताब्दी के अंत में बर्लिन अकादमी द्वारा आयोजित शोध प्रतियोगिता में डॉ. येनिश ने जोरदार शब्दों में घोषणा की थी कि भाषा मात्र एक वस्तु नहीं मानव जाति की बौद्धिक एवं नतिक जीवन की अभिव्यक्ति है । मनुष्य की अभिलाषाओं, भावनाओं और सांस्कृतिक प्रगति के साथ उसमें तदनुरूप परिवर्तन होते रहे । **माधुर्य, क्षमता, शक्ति, स्पष्टता एवं ओज से संपन्न होना जीवित भाषा का अनिवार्य लक्षण है ।** यही लक्षण निरन्तर विकसनशील एवं प्रबुद्ध जनजाति का भी होता है । सफल भाषा ही पूर्ण भाषा हो सकती है और पूर्ण भाषा ही सफल भाषा बन सकती है । शब्द भंडार और व्याकरणिक स्पष्टता से ही यह संभव है तो वस्तुत : भाषा की समृद्धि का द्योतक है ।

किस भाषा को विकसित/विकासशील माना जाए और किसको नहीं इसके लिए प्रो. फर्गूसन ने बड़ी गहराई से विचार किया है । लिखित रूप में प्राप्ति जिस भाषा में (क) आपसी पत्र-व्यवहार होता हो (ख) पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हों (ग) मौलिक पुस्तकों का लेखन कार्य होता, वह भाषा विकसित मानी जाएगी इस कसौटी पर हिन्दी बिल्कुल खरी उतरती है। हां, उन्होंने जो आगे की अवस्थाएं स्वीकार की हैं कि (1) उसमें वैज्ञानिक साहित्य निरन्तर प्रकाशित होता रहे तथा (2) अन्य भाषाओं में हुए वैज्ञानिक कार्य का अनुवाद तथा सार संक्षेप प्रकाशित होता है उस दृष्टि से अभी विकासशील और भविष्य में अनन्त संभावनाएं निहित हैं। हांगन ने विकसित भाषा के जो चार तत्व स्वीकार किए हैं उनमें से "आधुनिकता" पर विशेष बल दिया गया है।

"भाषा की आधुनिकता" से तात्पर्य है:

1. शब्दावली में वृद्धि ।
2. नई शैली तथा अभिव्यक्तियों का विकास ।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि और विचारक श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन "अज्ञेय" की मान्यता है कि "भाषा कल्पवृक्ष है । जो उससे आस्थापूर्वक मांगा जाता है, भाषा वही देती है । उससे कुछ मांगा ही न जाए क्यों कि वह पेड़ से लटका हुआ नहीं दीख रहा है, तो कल्पवृक्ष भी कुछ नहीं देता" ।

शब्दावली के विकास के संबंध में भी उनके विचार स्पष्ट थे : "भाषा का आधार उसकी प्राचीन धातुएं हो और साथ ही वह आम जनता की, न कि कुछ चुने हुए साहित्यकारो की बढती हुई जरूरतों के साथ बदलती और बढ़ती हो और असल में उसी की भाषा हो । विज्ञान, टैक्नालाजी और विश्वव्यापी समागम के इस युग में यह और भी जरुरी है : जहां तक संभव हो, उस भाषा के विज्ञान और शिल्पविज्ञान संबंधी शब्द दूसरी भाषाओं के जैसे ही होने चाहिए । इसलिए उसे एक संग्राहक भाषा होना चाहिए जो अपने साधारण ढांचे से मेल खाने वाले हर बाहरी शब्द को अपनाती है । कभी-कभी वह शब्द उस भाषा की प्रतिभा के अनकूल बनाने के लिए बदला भी जा सकता है ।" (सन् 1949) ।

उसी समस्या पर इससे ठीक दस वर्ष पूर्व 1939 में उन्होंने सलाह दी, थी "लेकिन साथ ही देहातों में जा कर शब्दों का संग्रह भी करें । बढ़ई, लुहार, कुम्हार वगैरा अपने-अपने पेशे की चीजों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते है उनको इकट्ठा करो । इससे राष्ट्रभाषा का शब्दभंडार भरेगा । उससे साहित्य की भी तरक्की होगी ।"

इसी प्रकार प्रयास स्वंतत्र होते ही हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के तत्वावधान में महापंडित राहुल जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ पर कालान्तर में विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना के बाद दूसरी दिशा में मुड़ गया । आयोग के क्रियाकलापों को जन साधारण के साथ जोड़ना होगा । "शब्द" की अर्थ-शक्ति की ओर पं. नेहरू ने सन् 1915 में ही अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये थे :

"हर भाषा में ऐसे शब्द होते हैं और जिन लोगों के विचार साफ नहीं होते, वे खास तौर से इनका प्रयोग करते हैं। वे अपने दिमाग की कमजोरी को लंबे और गोल और किसी कदर बेमानी शब्दों में छिपाते हैं। जिस भाषा में ऐसे शब्दों का अधिक प्रयोग हो उसकी शक्ति कम हो जाती है। उसके साहित्य में तलवार की तेजी नहीं होती न वह तीर की तरह से कमान को छोड़कर अपना मतलब हल करती है।

हम कोशिश करते हैं कि इन घिसे हुए, भिखमंगे और आवारा शब्दों को हम अपने बोलने और लिखने में, जहां तक हो सके, पनाह न दें। अपराध तो बेचारे शब्दों का क्या है, वे तो कम सीखे हुए और अनुशासन रहित दिमागों के हैं। बोलने वाले और लिखने वाले भाषा को जानते हैं लेकिन फिर उतना ही असर उस भाषा का उन नये आदमियों पर होता है, जो उसका प्रयोग करते हैं। पुरानी भाषाओं में संस्कृत ग्रीक लेटिन आदि में–शब्दों की या विचारों की ढील बहुत कम मिलती है, उनमें एक चुस्ती और हथियार की सी तेजी पाई जाती हैं और बेकार शब्द बहुत कम मिलते हैं। इनसे उनमें एक शान और बड़प्पन आ जाता है, जो कि खास असर पैदा करता है।

जो किसी कदर निकम्मे शब्द हैं, उनका सामना तो हम इस तरह से करें, लेकिन जो हमारे ऊंचे दर्जे के एब्सट्रेक्ट शब्द हैं, उनका क्या किया जाए वे हमें प्रिय हैं, वे हमारे लिए जरूरी हैं और अक्सर हमें उभारने में वे सहायता देते हैं। लेकिन फिर भी वे गोल हैं, और कभी कभी उतने मानी रखते हैं कि बेमानी हो जाते हैं। "ईश्वर ही के ख्याल को लीजिए। हर सूरत में यह ऊंचे दर्जे की हवाई बातें मामूली आदमी की पहुंच के बाहर हैं। बड़े पंडित और आचार्य तय करें कि अमूर्त शब्दों का प्रयोग हो और उनका कैसे अनुवाद हो। लेकिन फिर भी हम मामूली आदमियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि शब्द खतरनाक वस्तु है और जितना ही वह अमृत है. उतना ही वह हमको धोखा दे सकता है।"

एक और महत्वपूर्ण बात की ओर भी उन्होंने सन् 1927 में हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया :

जैसे अंग्रेजी के प्रारम्भिक और मुख्य शब्दों को चुनकर "बेसिक इंग्लिश" (आधार भाषा) तैयार की गई है, वैसे ही हिन्दुस्तानी के लिए भी एक आधार भाषा तैयार की जानी चाहिए। यह भाषा सरल होनी चाहिए जिसमें व्याकरण के बंधन कम से कम हों और लगभग 1000 शब्द हों यह संपूर्ण भाषा हो जो साधारण बोलचाल और लिखने के काम के लिए पर्याप्त हो। साथ ही वह हिन्दुस्तानी के ही अन्तर्गत हो और हिन्दुस्तानी के अध्ययन के लिए प्रारंभिक भाषा के रूप में रहे।

इस आधार भाषा को तैयार करने के अलावा हिन्दुस्तानी में; और संभव हो तो दूसरी भाषाओं में भी, वैज्ञानिक ,राजनैतिक और अर्थशास्त्र या दूसरे विषयों के संबंध में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को निश्चित कर लेना चाहिए। जहां आवश्यक समझा जाए ऐसे शब्दो को विदेशी भाषाओं से ले लिया जाए। बाकी और विशेष शब्दों के लिए देशी भाषाओं से ही शब्द सूची तैयार कर लेनी चाहिए ताकि वैसे शब्दों के लिए एक निश्चित और समान शब्दकोश का निर्माण किया जा सके।"

बाद में सन् 1949 वाले लेख में बारह वर्षों बाद यह संख्या 3000 मानी गई :

"यह अच्छा होगा कि हम बुनियादी शब्दों की एक ऐसी संख्या, कोई 3000, जमा करलें ,जो आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले, सुपरिचित और साधारण शब्द समझे जा सकें। एक ही विचार के लिए अक्सर दो पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, बशर्ते कि दोनों आमतौर पर काम में लिए जाते हों। यह वह बुनियादी शब्दकोश होना चाहिए, जिसे अखिल भारतीय भाषा के ज्ञान को इच्छा रखने वाले हर शख्स को जानना चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद सरकार ने स्वयं इस प्रकार की दो **"बेसिक शब्दावली** 500 तथा 2000 की मात्र कोष से छांटकर प्रकाशित की। लेखक ने स्वयं आवृत्तिपूरक अध्ययन के आधार पर इस प्रकार का शोधकार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से सम्पन्न किया जो **"हिंदी की बेसिक शब्दावली"** (प्राक्कथन -डा. नरुल हसन) शीर्षक से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से डा. जगन्नाथन का कार्य भी **"हिंदी** की **आधार-भूत शब्दावली** शीर्षक से प्रकाशित हुआ है।

पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में आपने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये :

"पारिभाषिक शब्दों की एक और सूची तैयार होनी चाहिए। यहां मैं यह जरूर कहूंगा कि आज पारिभाषिक शब्दों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से बहुत से इतने असाधारण रूप से बनावटी और सचमुच बेमानी हैं कि मुझे उनसे डर लगता है। इसका कारण यह है कि उनके पीछे कोई पृष्ठभमि या इतिहास नहीं हैं।

"सबसे पहले तो हमें हर शब्द को ले लेना चाहिए जो आम इस्तेमाल के शब्दों और लोगों की समझ के साथ यथासंभव मेल साधना होगा और पारिभाषिक शब्दों के बारे में हमें जहां तक संभव हो, दुनिया की जो एक भाषा बन रही है, उससे अलग नहीं होना चाहिए।"

इस प्रकार अनुवाद की समस्याओं पर भी बड़े विस्तार से काफी समय पूर्व सन् 1915 में ही लिखा था :

"पहली बात तो यह है कि वह इनको महसूस करे और यह जान ले कि अनुवाद करना सिर्फ कोष को देखकर शाब्दिक अर्थ देना नहीं है । उसको दोनों भाषाओं को अच्छी तरह समझना है और उनके पीछे जो संस्कृति है, उसको भी जानना है । उसकी कोशिश करनी चाहिए कि अपने को भूल जाये और मूल लेखक की विचारधाराओं में गोते खाकर फिर उन विचारों को अपने शब्दों में दूसरी भाषा में लिखें ।

"दूसरी बात यह है कि अनुवादक लोग जहां तक हो सके, छोटे और आसान शब्दों का प्रयोग करें जिनके कई मानी न हों, जो धोखा न दे सके । वाक्य लम्बे-चौड़े न हो । दुनिया की अनेक भाषाओं में जो प्रसिद्ध साहित्य की पुस्तकें है, उनका अनुवाद प्रायः बहुत भाषाओं में हो गया है और बहुत अच्छी तरह से हुआ है । कोई वजह नहीं मालूम होती कि हिन्दी में भी ऐसे ही अच्छे अनुवाद क्यों न हों ।"

यही बात काशी की एक सभा में दिनांक 12-11-1933 को उन्होंने कही :

"आज यदि स्वराज्य हो और मेरे हाथ में अधिकार हो तो मैं सबसे पहले इसका बन्दोबस्त करूं कि दुनिया की सभी भाषाओं के साहित्य से उत्तमोत्तम तीन चार सौ पुस्तकों को छाँटकर उनकी लिस्ट तैयार कराऊं और राष्ट्रभाषा हिन्दी में उनका अनुवाद कराऊँ ।"

प्राचीन साहित्य और आधुनिक विदेशी भाषाओं की साहित्यिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए ताकि हमारी देशी भाषाओं का अन्य देशों की सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलनों से सम्पर्क स्थापित हो सके और उससे हमारी देशी भाषाओं को शक्ति मिले ।"
--हरिजन सेवक, दिनांक 4-9-1937"

देखा जाय जो इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर स्वतन्त्र भारत में सन् 1954 में उनकी अध्यक्षता में "साहित्य अकादमी" की स्थापना हुई । इस अवसर पर उनके उद्‌गारों का समापन इस प्रकार हुआ "भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए ।"

उन्होंने इसी प्रकार के विचार सन् 1931 में हिंदी प्रचार मंडल दक्षिण भारत में प्रकट किये :

"आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त जरूरत है । हिन्दी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है । इसलिए कांग्रेस ने उसे "राष्ट्रभाषा" मान लिया है । आशा है आप सबके सब निकट भविष्य में हिन्दी को काफी योग्यता हासिल कर लेगें । हिन्दी के प्रचार में आप सब मदद पहुंचायें यही आपसे अनुरोध है ।"

इस बात को पंडित जी ने अनेक बार संसद में तथा संसद के बाहर दोहराया था। सन् 1949 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के एकदम बाद उन्होंने घोषणा की थी ।

"अखिल भारतीय भाषा कोई हो सकती है तो वह सिर्फ हिन्दी या हिन्दुस्तानी कुछ भी कह लीजिए ही हो सकती है ।" * * *

"जिस भाषा को अखिल भारतीय भाषा बनाना चाहते हैं उसे लचीली और संग्राहक होना चाहिए तथा उसने युगों से जो सांस्कृतिक लक्षण प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें काम में रखना चाहिए । यह भाषा असल में जनता की भाषा होनी चाहिए। न कि विद्वानों के एक छोटे से गुट की । वह गौरवपूर्ण और शक्ति शाली होनी चाहिए उसे कृत्रिमता, छिछलेपन और आलंकारिकपन को जोर से दबाना चाहिए । उसका आधार तो लाजमी तौर पर संस्कृत ही होगी और उसकी बहुत कुछ सामग्री भी उसी से ली जाएगी, लेकिन उसमें असंख्य शब्द, पद और विचार दूसरे जरियों से, खासतौर पर फारसी अंग्रेजी तथा दूसरी विदेशी भाषाओं से भी लिए गए होगें ।

नेहरू जी हिन्दी में धारा प्रवाह बोलते थे । उन्होंने संगम में गांधी जी के अस्थिविसर्जन के समय जितने बड़ जनसमूह को सम्बोधित किया संभवतः विश्व में अन्य किसी बड़े से बड़े नेता ने नहीं किया होगा। फिर भी यह आरोप कई बार सुना कि उनके भाषण की गति विश्व के नेताओं की तुलना में कम थी। इससे प्ररित होकर मैंने पंडित नेहरु की भाषण-गति का मापांकन किया और प्रसीडेंट रुजवेल्ट तथा प्रजीडेंट ट्रूमैन के भाषणों की गति से तुलना भी प्रस्तुत की । मेरे द्वारा किय गए विस्तृत अध्ययन के परिणाम इस प्रकार है :

	अक्षरों की आवृति	प्रति अक्षर ध्वनियों का औसत
पं० जवाहर लाल नेहरू	109 प्रति मिनट	3.65
प्रेसीडेंट रूजवेल्ट	105 प्रति मिनट	नोट : अंग्रेजी में प्रति अक्षर ध्वनियों
प्रेसीडेंट ट्रूमन	163 प्रति मिनट	का औसत मात्र तीन है ।

इससे सिद्ध होता है कि उनकी भाषण गति सामान्यतः अच्छी थी । पं. नेहरु की भाषा कितनी सरल सहज होती थी इसकी बानगी देखिये :

"वह रोशनी बुझी नहीं है क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमक रही है और हमारे प्यारे नेता का संदेश हमारे कानों में गूंज रहा है फिर भी हममें से बहुत से लोग आपसी बैर की वजह से अकसर उस रोशनी की तरफ से अपनी आंखें और उस सन्देश की तरफ से अपने कान बन्द कर लेते हैं । आज हमें अपनी आंखें, अपने कान और अपने दिल खोलने चाहिए और पूरी श्रृद्धा के साथ गांधी जी की याद करनी चाहिए तब ही तो महात्मा गांधी ने अपने 4-3-1942 के एतिहासिक पत्र में पं. नेहरु को लिखा था :

...जारी...पृ० 10

राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

☐ यू. वी. नायक,

हर स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी भाषा होती है और दुनिया के छोटे-छोटे राष्ट्र भी अपनी राष्ट्रभाषा के महत्व को मानते हैं और उस पर गर्व करते हैं। भाषा केवल बोलचाल और शिक्षा का माध्यम या सरकारी कामकाज का साधन मात्र नहीं है। किसी देश के लिए उसकी अपनी भाषा राष्ट्रीय एकता का सूत्र भी है। अपनी भाषा का प्रयोग करना किसी भी देश की जनता के लिए आत्मसम्मान की बात है।

स्वतंत्रता के पहले ही भारतवासियों ने हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया था। संविधान ने उसे केन्द्रीय सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया। लेकिन भारत जैसे देश में जहां विभिन्न प्रान्तों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग राजभाषा होती है, वहां देश के सारे केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने में देरी होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि हम क्षेत्र विशेष की समस्याओं का अध्ययन नहीं करते और संकल्प लेकर काम नहीं करते तो मंजिल दूर ही रहेगी।

निरन्तर अभ्यास करने से ही कोई व्यक्ति किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बनारस में अपनी पढ़ाई के समय और बाद में दिल्ली और अन्य हिन्दी भाषी क्षेत्रों में काम करते वक्त हम आपस में हिन्दी में ही बातें करते थे। दिल्ली के कार्यालयों में—चाहे वह केन्द्रीय सचिवालय हो, दूरसंचार महानिदेशालय हो या अन्य कोई कार्यालय—लोगों के बीच बातचीत, आपसी विचार विमर्श और चर्चाएं प्रायः हिन्दी में ही होती हैं। वहां कार्यरत विभिन्न भाषा-भाषी लोग आसानी से बिना हिचक हिन्दी बोलते हैं। लेकिन जहां तक कार्यालयों में पत्रव्यवहार का संबंध है, अहिन्दी भाषी कर्मचारी ही नहीं, हिन्दी भाषी कर्मचारी भी प्रायः अंग्रेजी का ही प्रयोग पसंद करते हैं या उसके लिए मजबूर हो जाते हैं। पिछले कई वर्षों से हम कार्यालयों में अंग्रेजी में ही कार्य करते आ रहे हैं। उसके स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करने के लिए हमें विशेष परिश्रम और अभ्यास करना पड़ता है जिसके लिए सामान्यतः लोग विमुख हैं।

दूसरी बात यह है कि मूल रूप से सरल हिन्दी में लिखने के बदले कुछ लोग अंग्रेजी का शब्दानुवाद करने लगते हैं जिससे भाषा कठिन हो जाती है। दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी हिन्दी में लिखने में कोई गलती नहीं है। वास्तव में उससे हिन्दी अधिक लोकप्रिय बनेगी और उसके प्रयोग में तेजी आएगी।

केरल में मुझे अनुभव हुआ है कि दूरसंचार सलाहकार समिति में या अन्य बैठकों में लोग मलयालम में बोलना पसंद करते हैं। स्वाभाविक है कि लोगों के मन में अपनी भाषा के प्रति प्रेम और लगाव होते हैं। लेकिन खेद की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर वह भावना उतनी मजबूत नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित बैठकों और सभाओं में न जाने क्यों लोग अंग्रेजी का प्रयोग करना पसंद करते हैं। राज्य स्तर पर मलयालम को और जैसा लगाव है वैसा लगाव राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को और होना चाहिए। विभिन्न प्रान्तों में वहां की क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता।

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन में इसकी इच्छा पैदा करनी चाहिए। कार्यालयों में हिन्दी में काम करने के लिए किसी कर्मचारी का उस भाषा का गहन ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में कार्यालयीन भाषा में चाहे वह अंग्रेजी हो या हिन्दी—हमें केवल सीमित शब्दों और अभिव्यक्तियों का ही प्रयोग करना पड़ता है। यदि मन में इच्छा है तो कोई सरकारी कर्मचारी बिना ज्यादा परिश्रम करके अपनी आवश्यकता के हिन्दी शब्दों को सीख सकते हैं। थोड़ा अभ्यास करने से वह अपना सारा काम हिन्दी में ही कर सकेंगे।

किसी भाषा के प्रयोग के लिए हमारे मन में इच्छा तभी उत्पन्न होगी जब हम उसे अपना समझते हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेजी एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति में हम पर थोपी गई थी। हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना अधिकार जमाने के लिए अंग्रेजों ने इस देश में जानबूझकर अंग्रेजी भाषा का प्रचार किया। इसलिए यह केवल प्रशासन की बात नहीं है। देश की मुख्य भाषा का देश भर में प्रयोग करना स्वतंत्र भारत के लिए आत्म गौरव की बात है। इसी भावना के साथ हमें राजभाषा के प्रयोग को देखना चाहिए। यह केवल सरकारी आदेशों का अनुपालन ही नहीं है बल्कि देश की अखंडता के लिए सरकारी कर्मचारियों का महान कर्त्तव्य भी है।

महाप्रबंधक (दूरसंचार)
केरल परिमंडल,
तिरुअनंतपुरम

प्रशिक्षण और हिन्दी माध्यम

☐ हरि बाबू कंसल,

भारत सरकार यह तय कर चुकी है कि प्रशिक्षण कोर्स हिन्दी माध्यम से चलाए जाएं। अब अनेक विषयों के प्रशिक्षण कोर्स हिन्दी में चलाए भी जा रहे हैं और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।

शुरू में प्रशिक्षकों के मन में यह डर रहता है कि वे अपने विषय की बातें हिन्दी में कैसे रख सकेंगे। वे आपस में हिन्दी में बात करते हैं, हिन्दी पढ़ और लिख सकते हैं, फिर भी उनका वह डर बना रहता है। उन्हें लगता है कि हिन्दी में साधारण रूप से बातचीत कर लेना एक बात है और किसी विषय को समझना और बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेनिंग लेने वाले अनेक व्यक्ति जब अंग्रेजी में कही बात को सही सही या पूरी तरह नहीं समझ पाते तब ठीक रूप में समझाने के लिए अक्सर हिन्दी का सहारा लिया जाता है। इसलिए यदि पूरी ट्रेनिंग ही हिन्दी के माध्यम से दी जाए तो ट्रेनिंग लेने वाले अधिकांश व्यक्तियों को विषय का ज्ञान अधिक अच्छे रूप में होने की संभावना है।

यदि विषय तकनीकी प्रकार का हो तब आमतौर से यह मान लिया जाता है कि इसे हिन्दी में पढ़ाना और भी कठिन या असंभव है। आगे दिए गए उदाहरणों से लगेगा कि तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण हिन्दी में और भी आसान है।

अभी तक प्रशिक्षण सामग्री आमतौर पर अंग्रेजी में तैयार होती रही है और कहा जाता है कि जब यह सब अंग्रेजी में है तो हिन्दी पढ़ाएंगे कैसे। प्रशिक्षक मान लेते हैं कि वे स्वयं हिन्दी में प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में असमर्थ हैं। यदि यह सामग्री पहले अंग्रेजी में तैयार की जाए और फिर उसका हिन्दी अनुवाद कराया जाए तो अनुवाद की भाषा सामान्यतः न प्रशिक्षक को ठीक लगती है और न ट्रेनिंग लेने वालों के लिए उपयोगी होती है। प्रशिक्षक को अपने विषय का अच्छा ज्ञान होता है, उन्हें यदि हिन्दी कम भी आती हो और वे यदि प्रशिक्षण सामग्री स्वयं ही मूल रुप में हिन्दी में तैयार करें तो वह सभी के लिए उपयोगी होगी। उसके आधार पर प्रशिक्षक आसानी से हिन्दी में पढ़ा सकेंगे और प्रशिक्षणार्थी भी उनकी बात ठीक रूप से समझ सकेंगे।

सेना के अनेक प्रशिक्षण कोर्स वर्षों से, यहां तक कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान से, हिन्दी में चलते रहे हैं। कोर्स सामग्री भी हिन्दी में तैयार होती रही है। इस हिन्दी में अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के बहुप्रचलित शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यो होता रहा है। इससे प्रशिक्षण देने वालों या प्राप्त करने वालों की मातृभाषा जो भी हो, उन्हें उस हिन्दी को बोलने या समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। उदाहरण के रूप में तोपखाने का प्रशिक्षण देने वाले सेना के एक स्कूल में बताया जाता था:—

"गन को ————डिग्री के एंगिल पर रख कर फायर करो, प्रोजैक्टाईल —— मीटर की दूरी पर गिरेगा (या उसकी मार——मीटर की दूर तक होगी)। इस स्कूल में भारत के सभी भागों से आए सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं और प्रशिक्षण दाता भी अलग अलग भाषा भाषी होते हैं।

प्रशिक्षण के दौरान हर अंग्रेजी शब्द का हिन्दी पर्याय ढूंढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यह है कि ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति सम्बंधित विषय की बात किस तरह ठीक-ठीक समझ सकेगा। यह बात भी महत्व की है कि प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति विषय को किस तरह धाराप्रवाह रूप में रखेगा। प्रशिक्षक का ध्यान पूरी तरह अपने विषय पर रहना चाहिए, न कि हिन्दी पर्यायों के चुनने पर तभी वह अपनी बात प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के मस्तिष्क में उतार सकेगा।

किसी विषय के कोड मैनुअल आदि हिन्दी में तैयार हुए या छपे हैं या नहीं, इससे हिन्दी माध्यम के प्रशिक्षण में कोई अन्तर नहीं पड़ता, नियम पुस्तकें अंग्रेजी में होने पर भी उस विषय का प्रशिक्षण हिन्दी में दिया जा सकता है। इस अवस्था में शायद अधिक आसान हिन्दी का प्रयोग हो सकेगा, जबकि अनुवाद वाली भाषा का सहारा लेने पर हिन्दी कठिन दिखाई पड़ेगी।

प्रशिक्षण देने में किस प्रकार आसान हिन्दी का प्रयोग करके अपनी बात बखूबी समझाई जा सकती है, इसके कुछ नमूने प्रस्तुत हैं :—

(1) किसी भी मद पर खर्च करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसके लिए काम्पीटेंट आथारिटी (सक्षम प्राधिकारी) की मंजूरी ले ली गई है, और उसके लिए बजट प्राविजन (व्यवस्था) है या नहीं।

(2) जो पोस्टें (पद) प्रोमोशन (पदोन्नति) से भरी जानी हैं उनके सम्बन्ध में नीचे के पद वालों की सीनियोरिटी लिस्ट (वरिष्ठता सूची) पहले से तैयार रहनी चाहिए। जितने व्यक्तियों के मामलों पर विचार (कन्सिडर) होना है उनके सी–आर (चरित्र पंजियां) भी पूरे करवा कर इकट्ठे करने होंगे। डी. पी. सी. (विभागीय पदोन्नति समिति) उन पर विचार करके तय करेंगी कि कौन-कौन व्यक्ति पदोन्नति के लिए योग्य (प्रोमोशन के लिए फिट) हैं। कमेटी गुण क्रम के अनुसार (इन आर्डर आफ मेरिट) पैनल भी तैयार करेगी।

(3) यह रिफ्रेशर कोर्स तीन महीने का है। कोर्स पूरा होने पर टैस्ट लिया जाएगा तथा उसे पास करने वालों को सर्टीफिकेट (प्रमाणपत्र) दिए जाएगे।

(4) यदि विभाग के लिए माल खरीदना है तो सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि क्या स्टोर में उस प्रकार का माल मौजूद तो नहीं है। खरीदने के लिए पर्चेज प्रोसिज्योर (खरीद पद्धति) का अध्ययन (स्टडी) कर लेना जरूरी है। टेंडर इनवाईट करके या कोटेशन मंगवाकर खरीद का आर्डर उस फर्म को दिया जाएगा जिसने लोएस्ट रेट (निम्मत करें) कोट की हैं। लेकिन ऐसा करते समय माल के सैम्पल की जांच करना और क्वालिटी पर ध्यान देना भी जरूरी है।

(5) एल टी. सी. (छुटटी-यात्रा रियायत) के सम्बन्ध में मुख्य बातें ये हैं।

1. एल टी. सी. ------वर्ष में एक बार लिया जा सकता है,

2. अधिकतम (मैक्सिमम) ----------किलोमीटर की यात्रा का ----------श्रेणी का किराया सरकार से लिया जा सकता है, इससे अधिक राशि (एमाउन्ट) कर्मचारी को स्वयं वहन (बीआर) करना होगा।

3. यात्रा पूरी करने के तीन महीने के भीतर बिल प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि एल. टी. सी. के लिए प्राप्त किए गए एडवांस की राशि बिल की राशि से अधिक है तो वह अधिक राशि ----------दिन के भीतर रिफंड कर देनी चाहिए।

सारांश यह है कि हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देते समय उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए जैसा कि आपसी बातचीत में होता है। वह हिन्दी आसान दिखाई पड़ेगी, उससे कोई भयभीत न होगा, न प्रशिक्षण और न प्रशिक्षणार्थी। तब मामूली हिन्दी जानने वाले भी प्रशिक्षण कोर्सों का लाभ अब की अपेक्षा अधिक उठा सकेंगे।

कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं के अधिकारी हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की बात यह कहकर टाल देते हैं कि उनका संस्थान "राष्ट्रीय स्तर" का है। अर्थात इनमें भारत के विभिन्न भागों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। भारत के जिन प्रशिक्षण संस्थानों में विदेश के छात्र भी आते हैं वहां तो हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की बात उठाना लगभग पागलपन जैसी बात ही मानी जाती है। किन्तु भारत के प्रतिवर्ष कई सौ इन्जीनियरस तथा वैज्ञानिक रूस में इस्पात, तेल, अथवा वायुयान सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते हैं। आकाशवाणी के अनेक अधिकारी विविध किस्म के प्रशिक्षण प्राप्त करने जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में जाते रहे हैं। अन्य सरकारी विभागों के भी कितने ही अधिकारी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऐसे देशों में जाते हैं, जहां उनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। इन अधिकारियों से यदि पूछा जाए कि क्या इन देशों में उन्हें प्रशिक्षण अंग्रेजी में दिया गया तो उन सभी से यह उत्तर मिलेगा कि प्रशिक्षण अंग्रेजी में नहीं उस देश की भाषा में ही दिया गया अर्थात रूस में रूसी भाषा में, जर्मनी में जर्मन भाषा में, फ्रांस में फ्रेन्च भाषा में आदि–आदि। यह प्रश्न करने पर कि क्या इन अधिकारियों ने अपने शिक्षा काल के दौरान स्कूल अथवा कालेज में इन भाषाओं का लम्बे समय तक अध्ययन किया था, उसका उत्तर भी "नहीं" में मिलेगा। सब अधिकारी उन देशों की भाषा सीखने के लिए छः महीने के विशेष कोर्स में सम्मिलित होते हैं और उस कोर्स में सम्बन्धित विदेशी भाषा का इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण भी उसी भाषा के माध्यम से सफलता पूर्वक प्राप्त कर सकें। भारत में चलने वाले विविध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अर्थात यदि कोई प्रशिक्षण संस्थान सचमुच हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की बात सोचे तो जिन कठिनाईयों की अब तक कल्पना की जाती रही है उनका हल कठिन नहीं है। यदि छः महीने में नहीं तो एक वर्ष के भीतर कोई भी प्रशिक्षण संस्थान हिन्दी माध्यम से शिक्षण देने की व्यवस्था कर सकता है। और उस माध्यम से विभिन्न वर्ग के प्रशिक्षणार्थी बखूबी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। □

ई 9 /23 वसंत विहार, नई दिल्ली

पृष्ठ 8 का शेष

"लेकिन हमारा धर्म है कि हम एक-दूसरे को राष्ट्र-भाषा में लिखते जाएं। कुछ अर्से में इस तरह लिखने में हम ज्यादा आसानी महसूस करेंगे। गरीबों को बहुत लाभ होगा।"

इसी से प्रेरित होकर पं. नेहरु हिंदी को अपनाते रहे और निरन्तर घोषणा करते रहे कि बात केवल इतनी है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से केवल हिंदी ही एक मात्र संभवतः अखिल भारतीय भाषा हो सकती है।"

निदेशक, वृंदावन शोध संस्थान
रमण रेती, वृन्दावन-281124

शोध लेख

स्मृति विज्ञान (निमोनिक्स)

□ वे. शेषन्

स्मृति विज्ञान स्मृति में मदद करने वाली एक शक्तिशाली प्रणाली है। सर्वश्रेष्ठ प्रबंध वैज्ञानिक श्री पीटर ड्रुक डेल कार्निगी और अन्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि अपने काम में तरक्की पाने के लिए अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। वास्तव में यह देखा गया है कि जो स्कूल, कालेज में टापर होते हैं वे अपने जीवन में कभी-कभी असफल हो जाते हैं। उनकी असफलता के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण अच्छी स्मृति का अभाव भी है।

मैं अपनी ही कंपनी के दो अध्यक्षों एव प्रबंध निदेशकों के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही जबरदस्त थी। वे थे डा. वरदराजन और श्री के. बी. राघवन । उनके बारे में मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त मेरे परिवार में भी एक सदस्य था जिनकी स्मरण शक्ति बड़ी ही अच्छी थी।

श्री वरद् राजन्: वे आईपीसीएल तथा हमारी संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। वे बडोदरा में रहते थे और सप्ताह में एक-दो दिन के लिए ई आई एल कार्यालय में आते थे। वे अत्यन्त व्यस्त होने के कारण मुश्किल से तीन महीने में एक बार एक परियोजना क्षेत्र में जाकर प्रस्तुतीकरण की समीक्षा करते थे। हमें उन दिनों की याद है जब वे भटिंडा परियोजना के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा करते थे जिसका मैं निरीक्षण समन्यवयक था। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि पुराने प्रस्तुतीकरण में जो वायदे किए थ, अगर वे पूरे नहीं हुए तो प्रस्तुतीकरण को तुरन्त रोककर उचित अधिकारी को नाम से बुलाकर कारण पूछते थे। उनकी याददाश्त की कल्पना इस चीज से कर सकते हैं कि कि हर परियोजना में लगभग 15 हजार पुर्जे लगते हैं। उनको ठीक से याद रखना उन प्रबंधकों के लिए भी कठिन है जो इस क्षेत्र में कार्यरत है फिर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की बात तो दूर है।

श्री के.बी. राघवन्: श्री राघवन सन् 1978 से 1981 तक जिन ई आई एल कर्मचारियों से मिले, उनका नाम और चेहरा आज भी याद रखते हैं और सही नाम से उनको बुलाते हैं।

हमारे परिवार सदस्य: सन 1954 की बात है, हम लोग मद्रास में सड़क पर पैदल जा रहे थे। सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति एक थैला हाथ में लेकर आए और मेरे रिश्तेदार ने उन्हें रोककर उन्हें उनके नाम से पुकारे। यह आश्चर्य की बात थी कि मेरे रिश्तेदार उनसे एक ही बार रंगून में जब वह व्यक्ति अपनी बटी को विदा करने आए थे। हमारे रिश्तेदार की याददाश्त देखकर वह व्यक्ति चकित रह गए। मेरे रिश्तेदार को उस घटना का पूरा ब्यौरा याद था।

स्मृति के तीन प्राकृतिक नियम है, जो इस प्रकार है:

(1) प्रभाव, (2) दोहराना; (3) संबंध सहयोग जिस व्यक्ति या वस्तु को आप याद रखना चाहते हैं उसके आकार -प्रकार को ध्यान से देखकर उसके प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है या मानसिक प्रतिबिंब बनाकर उसे याद रख सकते हैं। पुनरावृत्ति या जोर-जोर से पढ़कर इस चीज को स्मृति में रख सकते हैं। दूसरी चीजों के साथ मिलान करके भी याद करने में मदद मिलती हैं। मिलान का तीसरा नियम है कि उस घटना या व्यक्ति को फिर से याद किया जाए अच्छी याद का रहस्य यह है कि दिमाग में याद करने का तरीका व्यवस्थित होना चाहिए। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रणालियां बनाई गई हैं, जैसे किसी वरिष्ठ अधिकारी के आगमन के बारे में याद रखना। इसका उदाहरण प्रस्तुत है।

कौन	किस जगह
कब	क्यों
कहां	किस पर
	कैसे

श्री रोबट नेट ने मानव की स्मृति शक्ति को सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर बताया है जिसकी फाईलिंग प्रणाली को मैंटलबैक का नाम दिया है। इसी मेंटलबैक को कंप्यूटर वाले मेमरी प्रणाली के अंतर्गत एडस का नाम देते हैं। इसी प्रणाली द्वारा किसी भी पुराने गठन चीज या व्यक्ति को दोबारा याद कर सकते हैं। इस प्रणाली के लिए 10 की बर्ड (संकेत शब्द) श्री नेट ने दिए हैं।

(1) घड़ी (2) पतलून (3) कुर्सी (4) मे
(5) अखबार (6) मोटरगाड़ी (7) हवलदार
(8) धुमावदार द्वार (9) पत्र पेटी (10) बैंक काउंटर

उदाहरण के लिए विश्व के सबसे बड़े 5 शहरों को याद करना है तो उस प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं

(1) **लंदन**—**घड़ी** अलार्म क्लाक, जो लंदन "हाउस आफ कामन्स" के पास घंटाघर पर लगा हुआ है।

(2) **न्यूयार्क**—**ट्राउजर**,—उच्च कोटि के पैंशन का ट्राउजर न्यायार्क में बनता है।

(3) **टोक्यो**—टोक्यो में आज भी प्राचीनकालीन किस्म की **कुर्सियां** बनती हैं।

(4) **बर्लिन**—बर्लिन में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर एक समझौता हुआ जिससे बर्लिन रूस ओर यूएसए के साथ दो हिस्सों में बंट गया था।

(5) **मास्को**—**अखबार** में खबर बहुत कम मिलती है।

ऐसे ही मानव मृत्यु के पाच कारण होते हैं जिन्हें भी इस प्रणाली से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अच्छे सेल्समैन के भी 10 लक्षण हैं जिन्हें इस प्रणाली का उपयोग करके याद किया जा सकता है।

मृत्यु के पांच मुख्य कारण

1. **दिल का दौरा पड़ना**—दिल घड़ी जैसा है।

2. **कैंसर**— —कैंसर शरीर के अंदरूनी भाग में होता है जिसको व्यक्ति ट्राउजर से या साड़ी से ढ़कते हैं।

3. **एपॉप्लैक्सी**—**कुर्सी** पर बैठे अपराधी को फांसी की जगह बिजली का झटका देकर मारा जाता था।

4. **निमोनिया** —अस्पताल में दाखिल होते ही निमोनिया की वजह से मरीज का ओपीडी मेज पर ही निधन हो जाता है।

5. **दुर्घटना**—इसकी खबर अखबार में छपती है।

इसी प्रकार कई टेलीफोन संख्या को हम अपनी समृति भंडार में डालकर जब भी जरूरत पड़े तो तत्काल याद कर सकते हैं, उदाहरण के तौर—

टेलीफोन संख्या—अगर किसी जानकार व्यक्ति की टेलीफोन संख्या 653036 हो और वह हौजखास या ग्रीन पार्क में रहता हो तो संख्या को याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि एक्सचेंज की संख्या 65 या 66 है और $6 \times 5 = 30$ और $6 \times 6 = 36$ होता है।

श्री के. एन. एच. कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (निरीक्षण) की टेलीफोन संख्या 661547 है। उसको ऐसे याद किया जा सकता है—एक्सचेंज सं. 66 और हम स्वतंत्र हुए है 15 अगस्त सन् 1947 को।

ऐसे ही गाड़ियों के नंबर, जब दुर्धटना होती है यानी कोई गाड़ी किसी पैदल चलने वाले को मारकर भाग जाती है और रुकती नहीं तो उस समय उस गाड़ी का नबर नोट करके प्रणाली के द्वारा स्मृति भंडार में डालकर पुलिस को बता सकते हैं। इसी प्रकार व्यक्तियों के नाम उनकी उचित स्पेलिंग पसंद को याद कर सकते हैं। ऐसे ही किसी का चेहरा भी याद किया जा सकता है। जहां पर किसी का चेहरा या नाम दूसरे के चहरे या नाम में मिलता-जुलता है उसकी भिन्नता के लिए संबंध को याद रखते हैं, उदाहरण के तौर पर।

हमारे निरीक्षण विभाग में दो आर. नारायणन है। दोनों ऊंचे कद के हैं और उनकी आकृति भी एक जैसी ही है। इसके अतिरिक्त उनकी कर्मचारी संख्या भी एक जैसी ही है जैसे 3070 और 3007, दोनों उप प्रबंधक (निरीक्षण) हैं। दोनों मद्रास क्षेत्रीय अधिप्राप्ति कार्यालय में कार्यरत थे। जब में निरीक्षण प्रभाग का अध्यक्ष था तो मुझे इन दोनों को अलग से याद करना ऐसे संभव होता था—एक नारायणन की मां विश्व प्रसिद्ध कलाक्षेत्र, मद्रास में काम करती थी तो उनके बेटे को कलाक्षेत्र नारायणन और दूसरे को उनके गांव के नाम शीर्कज़ी नारायणन से याद करते थे।

स्मृति विज्ञान मास्टर-की है जब सफलता के लिए कई दरवाजों को खोल सकती है क्योंकि इससे लोग प्रसन्न होते हैं।

(1) व्यक्ति को उसके सही नाम, उपनाम और ठीक उच्चारण से पुकारे जाने पर उसे अच्छा लगता है।

(2) श्रोता ऐसे प्रभावी वक्ता से खुश होते हैं।

(3) आपके उच्चयाधिकारी या सुपरवाइजर आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होने से आपका आदर करते हैं।

स्कूलों में (मल्लीफिकेशन टेबल) पहाड़ा याद करना।

उदाहरण के लिए उपर्युक्त कुछ टेकनीक दी गई है जिससे आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते है अर्थात ईश्वर की अमूल्य देन स्मरण शक्ति को पूरा उपयोग में ला सकते हैं। एक अच्छी स्मरण शक्ति अधिकारी/कर्मचारी के लिए तेजी से तरक्की करनेका महत्वपूर्ण कारण बन सकती है।

स्कूलों में बच्चों को अच्छी कविता के कुछ भाग को कंठस्थ करके परीक्षा या प्रतियोगिता में प्रस्तुत करने के तीन लाभ हैं :

(1) अच्छी कविता का हिस्सा जिंदगी भर याद रहता है।

(2) कविता का अर्थ व लेखक का नाम याद रहता है और उचित अवसर पर या भाषणों में तथा लेख में प्रयोग कर सकते हैं।

(3) यह स्मरण शक्ति को बढ़ाती है।

अंत में, स्मरण शक्ति हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी है उस व्यक्ति की न केवल अपने कार्य जीवन में तरक्की हो जाती है बल्कि वह अपने समाज में नाम प्राप्त कर लेता है। मुझे उम्मीद है कि उपर्युक्त प्रणालियों और उपायों से आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

उप महाप्रबंधक,
इंजीनियर्स इंडिया लि.,
भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

पृष्ठ 4 का शेषांश

बात कही। नेहरू जी के भारतवासियों का प्रिय बनने का सबसे बड़ा कारण भाषा ही थी। नेहरू जी ही नहीं सभी नेताओं ने राष्ट्रपिता गांधी की बात को शिरोधार्य किया था कि भारत की जनता ही देश की असली मालिक है उनमें जागृति लाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को यथाशीघ्र अंग्रेजी भाषा के स्थान पर बिठाना है। इसी में स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा निहित है। इसी लिए आजादी के बाद जब राष्ट्र नायकों को भारत का संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया तब सब नेताओं ने काफी गंभीर विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा तथा प्रदेशों की राजभाषा उनकी प्रादेशिक भाषाओं को बनाया

भारत के संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा इसलिए नहीं बनाया गया था कि संविधान परिषद में हिन्दी जानने वाले सबसे अधिक थे अथवा हिन्दी भाषी प्रदेशों की संख्या सबसे अधिक थी। बल्कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में इस लिए स्वीकार किया गया, क्योंकि हिन्दी उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम में भारत की आजादी के सदियों पूर्व से हिन्दी भाषी और हिन्दीतर भाषियों के हृदय को जोड़कर रखे हुए थी।

इस तथ्य को हम पहचाने तथा अपनी राजभाषाओं को उनके प्रयोजनार्थ प्रयोग करें तथा अंग्रेजी को तिलांजलि दें। इसी में हमारी सच्ची स्वतंत्रता निहित है। कहने का तात्पर्य भारत की स्वतंत्रता के लिए हमें अंग्रेजी का तुरन्त परित्याग कर अपनी भाषाओं में राजकाज आदि सभी काम शुरू कर देने चाहिए। □

लोक मंगल 56/2,
उरिपोक वाचस्पति लेकाई
इम्फाल 795001 (मणिपुर राज्य)

प्रौद्योगिकी के माध्यम के रूप में हिन्दी

☐ विवेकरंजन श्रीवास्तव

राष्ट्र की प्रगति में प्रौद्योगिकविदों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सच्ची प्रगति के लिए इंजीनियर का राष्ट्र की मूल धारा से जुड़ा होना अत्यंत आवश्यक है। पर आज प्रौद्योगिकी का माध्यम अंग्रेजी है। इस तरह अपने अभियंताओं पर अंग्रेजी थोपकर हम उन्हें न केवल जन सामान्य से, उसकी समस्याओं से, अलग कर रहे हैं, वरन् उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों का रास्ता दिखा रहे हैं।

अंग्रेजी क्यों, जवाब में कहा जाता है कि यदि हमने अंग्रेजी छोड़ दी तो विश्व से कट जाएंगे। पर क्या रूस, जर्मनी, फ्रांस, छोटा सा जापान इत्यादि राष्ट्र वैज्ञानिक प्रगति में किसी से पीछे हैं, क्या ये राष्ट्र विश्व से कटे हुए हैं, इन राष्ट्रों में तो तकनीकी शिक्षा उनकी अपनी राष्ट्रभाषा में होती है---अंग्रेजी में नहीं।

वास्तव में विश्व संपर्क के लिए कौन जिम्मेदार होता है, केवल कुछ बड़े राष्ट्रीय संस्थान और चन्द चोटी के वैज्ञानिक। जो आसानी से उस स्तर तक पहुंचते-पहुंचते अंग्रेजी सीख सकते हैं, तब व्यर्थ ही शेष विद्यार्थियों को अमूल्य छः वर्ष एक सर्वथा नई भाषा सीखने में व्यय करने का औचित्य क्या है, अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा भारत से, कहीं अधिक संख्या में इंजीनियर विदेशों में जाकर बस जाते हैं। इस पलायन का बहुत बड़ा कारण उनका अंग्रेजी में प्रशिक्षण है।

कुछ लोगों ने धारणा बना रखी है कि नई तकनीक के जनक पश्चिमी राष्ट्र ही हैं। यह सही नहीं है। विश्व गुरु भारत के पुरातन ग्रंथों में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपे हुए हैं। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों में स्वयं नवीन अनुसंधान करने की क्षमता है। तब प्रश्न उठता है कि क्यों न हम दूसरों की अन्वेषित तकनीकी के अनुकरण की जगह अपनी परिस्थितियों के अनुरूप, अपने लिए स्वयं अनुसंधान करें ताकि उसे सीखने के लिए दूसरों को हिन्दी अपनाने की आवश्यकता अनुभव हो।

जब अत्याधुनिक जटिल कार्य करने वाले कम्प्यूटर्स की चर्चा होती है तो जन-सामान्य की भी उसमें रूचि होती है वह उसके भेद को जानना चाहता है, पर भाषा का माध्यम बीच में आ जाता है और जन-सामान्य विज्ञान के इस प्रयोग को महज चमत्कार मानकर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेता है। इसकी जगह यदि उसे इन प्रयोगों की विस्तृत जानकारी अपनी भाषाओं में देकर हम उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा सकें, तो निश्चित ही नए नए अनुसंधान और होंगे। इतिहास साक्षी है कि अनेक ऐसे अन्वेषक हो चुके हैं, जो विज्ञान के अध्येता तो नहीं थे पर जिज्ञासु थे।

मातृभाषा में मानव, जीवन के हर पहलू पर बेहिचक अपने भाव व्यक्त करने की क्षमता रखता है क्योंकि बचपन से ही उसने उसे बोला, पढ़ा, लिखा और समझा है। फिर विज्ञान या तकनीकी ही वह इसमें कैसे नहीं समझ सकता। आवश्यकता है कि हम एक बार वैसा करने का प्रयत्न तो करें।

हमें चाहिए कि निष्ठा की भावना से कृत-संकल्प होकर व्यावहारिक दृष्टिकोण से हिन्दी को अपनाने में जुट जाएं।

सहायक इंजीनियर (सिविल)
मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल
मण्डला-481661

देवनागरी लिपि में बेतार संकेत की आवश्यकता

☐ माताशरण शुक्ल

राजभाषा भारती में मेरा लेख "देवनागरी लिपि में बेतार संकेत" जूलाई-सितम्बर 1987 अंक 38 में प्रकाशित हुआ। यह शोध कार्य देश की आधी जनसंख्या से अधिक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है क्योंकि हमारे देश में 'तार' संदेश ज्यादा तर अंग्रेजी भाषा में प्रेषित किए जाते हैं और इन संदेशों को पढ़ने में अधिकतर ग्रामीण अंचलों में बड़ी कठिनाइयां सामने आती हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुसंख्यक पढ़े लिखे लोगों में भी अंग्रेजी का ज्ञान कम होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भारत सरकार ने 'तार' संदेश हिन्दी भाषा में प्रेषित करने की व्यवस्था की है।

'तार' संदेश को रोमन लिपि में प्रेषित करने में ज्यादा समय लगता है। यदि 'देवनागरी लिपि में बेतार संकेत' को स्वीकार करके लागू किया जाए तो संदेश को प्रेषित करने में समय कम लगेगा। अतः मशीन की दक्षता बढ़ेगी उदाहरणार्थ दो संदेश प्रस्तुत हैं।

1. राजेश के पुत्र पैदा हुआ।

'देवनागरी लिपि में बेतार संकेत' के अनुसार 18 संकेत प्रेषित किए जाएंगे जबकि रोमन लिपि में लिख कर RAJESH KE PUTRA PAIDA HUA' 21 संकेत भेजने पड़ेंगे।

2. "आपका लड़का बीमार है, तुरंत चले आइए।"

देवनागारी लिपि में बेतार संकेत के अनुसार 29 संकेत भेजने पड़ेंगे, जबकि रोमन लिपि में लिखकर AAPKA LARAKAA BIMAR HAI, TURANTA CHALE AAIYE' 38 संकेत भेजने पड़ेंगे।

रोमन लिपि के संकेत अंतर्राष्ट्रीय संकेत बन चुके हैं और पूरे संसार में प्रचलित हैं जब कि 'देवनागरी लिपि में बेतार संकेत' हमारे देश में ही लागू होगा और उसके स्वर, व्यंजन तथा मात्राओं के संकेत मोर्स कोड से पूर्णतः भिन्न हैं। इस प्रकार हमारी सेना, सुरक्षा बल तथा दूसरे सुरक्षा से संबंधित विभाग जो संदेश भेजते हैं उनकी गोपनीयता बढ़ जाएगी। नाम का कोई कोड शब्द नहीं होता हैं जोकि किसी गुप्त संकेत को तोड़ने में ज्यादा सहायक होते हैं। अतः 'देवनागरी लिपि में बेतार संकेत' अपनाने से हमारे गुप्त संदेशों की गोपनीयता बढ़ जाएगी। ऐसा करने में हमें कोई नयी मशीन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। अतः कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ेगा बल्कि मानव-शक्ति की बचत ही होगी। केन्द्रीय विभागों में हिन्दी तथा अंग्रेजी में संदेश एक ही मशीन (ट्रांसमीटर तथा रिसीवर) का उपयोग करके भेजा जा सकता है। एक भाषा के संदेश भेजने के बाद जब आवश्यकता होगी, दूसरी भाषा के संदेश भेजने के लिए तो हमें एक गोपनीय कोड भेजना पड़ेगा जिसे दूसरे सिरे पर कर्मचारी पढ़कर उसी ढंग का प्रबंध कर देंगे अर्थात् हिन्दी भाषा के लिए हिन्दी संकेत जानने वाले कर्मचारी को कार्यरत करेंगे तथा अंग्रेजी भाषा के संदेश के लिए अंग्रेजी (रोमन) संकेत जानने वाले कर्मचारी को कार्यरत करेंगे। इस प्रकार हमारे कार्य में कोई बाधा भी नहीं आएगी और 'देवनागरी लिपि' में संदेश का आदान-प्रदान होता रहेगा तथा अंग्रेजी की समानान्तर व्यवस्था भी चलती रहेगी।

जब देवनागरी लिपि में बेतार संकेतों का अपने देश में पूर्ण प्रचलन हो जाएगा तो वे देश जहां पर भारतीय मूल के ज्यादातर लोग रहते हैं जैसे नेपाल, मारीशस, फीजी तो वहां पर भी हम सांस्कृतिक संबंधों के अंतर्गत इसका प्रशिक्षण दे सकते हैं जो भविष्य में इन देशों के साथ प्रगाढ़ मैत्री में सहायक सिद्ध हो सकेगा।

कवार्टर नं 247, सैक्टर-III
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22

हिन्दी मत कर चिन्दी

□वैद्य शंभुनाथ मिश्र

गाड़ी स्टेशन पर आ कर रुकी। मैं सामने वाले डिब्बे में घुसने लगा तो उसमें बैठे एक सज्जन चिल्लाए, "नहीं...नहीं, यहां नहीं, देयर इज नो रूम इन दिस कपार्टमेंट (इस डिब्बे में जगह नहीं है)।"

मैं गाड़ी में चढ़ गया और उनसे बोला, "भाई साहब, मुझे बैठने के लिए इस डिब्बे में कमरा नहीं चाहिए, मैं तो थोड़ी सी जगह में बैठ जाऊंगा, वह भी नहीं मिली तो खड़ा रहूंगा।"

वह सज्जन हंसे और बोले, "क्या जमाना आ गया है यह पढ़े-लिखे दिखाई दे रहे हैं पर इन्हें सही हिन्दी भी बोलनी नहीं आती। आपको यह कहना चाहिए था कि मुझे तो डिब्बे में जरा सी जगह चाहिए। डब्बे में कमरा...हा...हा ...हा...।'

"साहब हिन्दी तो आपको बोलनी नहीं आती। आप भी यह कह सकते थे कि इस डिब्बे में जगह नहीं है। आपने वह अंग्रेजी का वाक्य क्यों बोला?"

गाड़ी चल पड़ी थी और मेरा ध्यान अचानक खिड़की के पास बैठे सज्जन की ओर चला गया। उन्होंने कान से ट्रांजिस्टर सटा रखा था और खिड़की से काफी बाहर की ओर झुके हुए थे। मैंने उन्हें दो तीन बार कहा कि वह भीतर की ओर हो जाएं। इस तरह बाहर की तरफ लटके रहने से वह किसी खंभे से टकरा सकते हैं। उनको चोट आ सकती है, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी।

उनके पास बैठी उनकी बीबी ने कहा, "इनका तो यही हाल है, जिन दिनों टेस्ट मैच होंगे, यह सारा दिन क्रिकेट डाक्यूमेंटरी सुनते रहेंगे।

"क्रिकेट डाक्युमेंटरी" मेरी समझ में नहीं आई। मैंने इसका अर्थ पूछा तो वह देवीजी कुछ परेशान सी हो गई। पति के कानों में चाहे किसी और की आवाज न पड़े, पर अपनी पत्नी को पर-पुरुष के साथ बात करते देख उनके कान तुरन्त खड़े हो जाते हैं। आधे बाहर की तरह लटके सज्जन भीतर हुए और बोले, "इनका मतलब है क्रिकेट कमेंटरी।"

"हां...हां। कमेंटरी मैंने इन्हें कह रखा है कि मैं जब भी रांग इंग्लिश स्पीक करूं तो मुझे करप्ट कर दिया करें।"

"भाग्यवान, करप्ट नहीं, करेक्ट कहो।" यह संवाद सुनकर सभी को हंसी आ गई। मैंने कहा, "देवी जी, जब आपको अंग्रेजी नहीं आती और हिन्दी बोलने से काम चल जाता है तो अंग्रेजी की टांग क्यों तोड़ती हैं?"

"आप क्या समझते हैं मुझे? मैं कोई ऐसी-वैसी नहीं हूं। मैं अपने एरिया की लीडर हूं। करप्शन के चुनाव में मैं कैंडीडेट (उम्मीदवार) हूं।

"करप्शन नहीं, कारपोरेशन बोलो", पति ने हस्तक्षेप किया।

हां...हां कारपोरेशन, अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, इसे थोड़ी गलत बोलने की छूट है, पर आप हैं कि मेरा मजाक उड़ाने लगे। यू आर फ्लाइंग माई जोक्स।"

अब वह सज्जन, जिन्होंने मुझे डिब्बे में चढ़ने से अंग्रेजी में रोका था, बोले "पता नहीं हम इंडियंन का क्या होगा। हमें हिन्दी की नालेज (जानकारी) होगी, फिर भी बोलते समय इंग्लिश के हाफ वर्ड (आधे शब्द) बोले जायेंगे।"

आपको शायद हिन्दी का ज्ञान नहीं, मैंने पूछा।

यह कैसे कहा आपने? क्या आपने एन. टी. एस. का नाम सुना है?

याद आ रहा है कि मैंने घास काटने वाली कैंची पर ये अक्षर पढ़े हैं।

"नानसेंस (बकवास) यह मेरा नाम है। एन. टी. एस. यानी नरोत्तम शास्त्री। मैं महाविद्यालय में हिन्दी का प्रोफेसर हूं। न केवल स्टूडेंट बल्कि स्टाफ वाले भी मेरी हिन्दी का लोहा मानते हैं।"

"आपके छात्र और दूसरे प्राध्यापक साथी आपकी हिन्दी का लोहा नहीं 'आयरन' मानते होंगे।"

"लगता है लोगों का मजाक उड़ाना तुम्हारी हैबिट (आदत) है, भैया हिन्दी को राजभाषा बनवाने के लिए मैं कई एजीटेशनों (आंदोलनों) में भाग ले चुका हूं। दो बार तो अंदर हो चुका हूं। स्टूडेंट लाइफ (विद्यार्थी जीवन) में मैंने पता नहीं कितनी अंग्रेजी में लिखी कारों की नम्बर प्लेटों पर कालिख पोती है। प्रोफेसरों की अंग्रेजी में लिखी नेमप्लेट उखाड़ी हैं। अब भी मैं तीन-चार हिन्दी प्रचार समितियों का अध्यक्ष हूं। हिन्दी के लिए मैंने इतना कुछ किया है कि यदि किसी दूसरे कंट्री (देश) में होता तो अब तक मुझे पदमश्री मिल जाती।"

"शास्त्री जी, पद्मश्री तो अपने देश की सरकार ही देती है, पर क्या हिन्दी का प्रचार-प्रसार आप उपाधियों, अलंकारों के लिए करते हैं। आप पर तो 'दिया तले अंधेरा' वाली कहावत लागू हो रही है। आप दूसरे लोगों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करते हैं और खुद बोलते समय 50 प्रतिशत अंग्रेजी बोलते हैं। आप सिर्फ हिन्दी में क्यों नहीं बोलते? या पूरी अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते?

"भैया, सच तो यह है कि मुझे पूरी अंग्रेजी आती ही नहीं आधी अंग्रेजी इसलिए बोलता हूं कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सहायता मिलती है, इंग्लिश हेल्पस हिन्दी।"

वह कैसे?"

यदि मैं सिर्फ हिन्दी बोलूं और हिन्दी का प्रचार करूं तो लोग समझेंगे कि इसे सिर्फ हिन्दी आती है, इसलिए यह हिन्दी के गीत गा रहा है। यह अनपढ़ है। बीच बीच में अंग्रेजी बोलकर मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं अनपढ नहीं हूं।"

"जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती और जो सिर्फ हिन्दी पंजाबी, बंगाली जानते हैं, क्या आपके मत में वे अनपढ़ होते हैं? या एक भाषा जानने वाला अनपढ़ होता है? आपके मत से देखें तो अमरीका और इंग्लैंड के अधिकांश लोग अनपढ़ ही होते हैं, क्योंकि वहां अधिकांश अंग्रेजी ही जानते हैं।"

"आपकी बात मतलबहीन है।"

"इसे अर्थहीन कहें तो शायद आपका कहना सार्थक हो सकता है।"

"यही सही, पर अपने आप में अंग्रेजी अभी देवभाषा या साहबों की भाषा मानी जाती है। पता नहीं क्यों जब तक इसके दो-चार वर्ड न बोल दिए जाएं, मुंह का जायका ही ठीक नहीं होता। मेरा तो एक्सपीरियंस (अनुभव) है कि हिन्दी के पक्ष में इंग्लिश में प्रचार किया जाए तो लोगों पर ज्यादा इम्प्रेशन (प्रभाव) पड़ता है।"

"वाह, शास्त्री जी! यदि आपको नशाबंदी का प्रचार करना पड़े तो पहले आप एक बोतल शराब पीकर नशे में धुत हो जाएंगे, फिर नशाबंदी का प्रचार करेंगे। शराब पीकर जब आप शराब की बुराइयां लोगों को बताएं तो शायद वे ज्यादा प्रभावित होंगे। यदि आपको दहेज प्रथा के खिलाफ प्रचार करना होगा तो पहले आप भारी दहेज लेंगे, उसे कम बताकर पत्नी को परेशान करेंगे और फिर लोगों को बतायेंगे कि दहेज लेना बुरी बात है। लोगों को डंडों से पीट-पीट कर यह समझायेंगे कि आप अहिंसक हैं।"

"गुड आर्ग्यूमेंट (खूब तर्क पेश किया)"

ऊपर के पट्टे पर लेटे व्यक्ति ने कहा और वह नीचे आ गए। उन्होंने नीचे आते ही पहले हाथ जोड़े, फिर हाथ मिलाया और मेरी पीठ थपथपाई, बोले, "मैं हिन्दी का एक अदना सा पोएट (कवि) हूं, कई बड़ी मैगजींस (पत्रिकाओं) में मेरी कविताएं छप चुकी हैं। हिन्दी में आर्टिकल (लेख) भी लिखता हूं। आज का जो दैनिक आपके हाथ में हैं, उसमें एक सटायर (व्यंग्य) छपा है।"

"आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, पर आप अनुवाद किससे करवाते हैं?

"मुझे अनुवाद करवाने की क्या जरूरत है, मैं तो हिन्दी में पब्लिश होता हूं।"

"आप चाहे हिन्दी में छापें, चाहे अंग्रेजी में, अनुवाद तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी बोलते समय आधे शब्द अंग्रेजी के तथा आधे हिन्दी के..."

"आई सी (समझा) आप बड़े ह्यूमरस (मजाकिया) हैं। मेरे दोस्त भी कहते हैं कि यार जे.पी. मेरे से बात करने के लिए अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष की सहायता लेनी पड़ती है। असल में हिन्दी के साथ अंग्रेजी के शब्द बोलें तो लोग आधुनिक समझते हैं।"

पहले भी ऐसा ही होता था। मेरे बाबा बताते हैं कि एक बार उनका एक अंग्रेज से झगड़ा हो गया। बाबा ने अंग्रेज को धमकी दी, "इफ यू विल डू चकरमकर, आई विल धरपटक यू ओन दि रोड (अगर तुमने चकरमकर की तो मैं तुम्हें सड़क पर धर पटकूंगा)।" अंग्रेज हिन्दी मिश्रित यह वाक्य सुनकर अपना सा मुंह लेकर चला गया। एक सहयात्री ने कहा।

सब हंस पड़े और एक यात्री उत्साहित होकर बोला, "हमारे कार्यालय में एक बार एक सज्जन आए और सीधे साहब के कमरे में चले गए। भीतर साहब को बैठा देखकर वह चौक गए और बोले, अरे कुर्सी पर तो आप बैठें हैं। आप तो सीधे-सादे आदमी हैं। आपने बाहर नेमप्लेट (नाम की तख्ती) पर तो कुछ और ही लिख रखा है। उस पर लिखा है—यमराज, मैंने सोचा, पुरानी कहानियों में यमराज

के बारे में सुना है, यहां इस कमरे में साक्षात बैठे हैं, क्यों न दर्शन कर लिए जाएं, आप तो आदमी निकले। यह सुनकर साहब को बड़ा गुस्सा आया। बोले तुम्हारी ये आंखें हैं या बटन, जो मुझे यमराज समझकर देखने चले आए। मैंने तो पेंटर से कहा था कि हिन्दी व अंग्रेजी में मेरा 'एम. राज' नाम लिख दो, उसने अंग्रेजी में तो ठीक लिखा, पर देवनागरी में "यम राज" लिख दिया। वास्तव में मेरा नाम मदनराज है।

यह सुनकर एक साहब ने एक और मजेदार किस्सा सुनाया। बोले "आजकल तो अच्छी पढ़ी-लिखी समझदार महिलाएं भी अंग्रेजी की टांग तोड़ने से बाज नहीं आती हैं। कल हमारे यहां एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई। बच्चे ने पलंग पर पेशाब कर दिया तो कहने लगी, "बड़ा शैतान है यह, इसने तो पलंग पर ही बाथरूम कर दिया।" थोड़ी देर में एक और महिला बोली, "मुझे डाक्टर ने बताया है कि तुम्हें तो एनीमल है।" यह सुनकर कुछ महिलाएं सकते में आ गईं। जब उसने देखा कि दूसरी महिलायें उसकी बात समझी नहीं है तो बोली कि डाक्टर ने मेरे शरीर में खून की कमी बताई है। वह महिला "एनीमिया (खून की कमी) को एनीमल (जानवर) कह रही थी।

रेल के डिब्बे में बैठे लोग बीच-बीच में खुद अंग्रेजी बोल भी रहे थे और यों बोलने वालों का मजाक भी उड़ा रहे थे। यह सब देखकर करेक्ट को करप्ट बोलने वाली महिला बोली "भाई बंद करो यह लाफिंग! यह सब सुनकर मेरा सिर चक्कर खाने लगा है। "माई हेड इज इटिंग सर्कल।"

अपने आपको हिन्दी का कवि, लेखक या व्यंगकार न कहकर पोएट, राइटर और सैटायरिस्ट कहने वाले सज्जन ने कहा "इस देश में मिलावट ही सबसे बड़ी समस्या (प्राब्लम) है। दुकानदार यानी शापकीपर खाने-पीने की चीजों में मिलावट करते हैं। पढ़े-लिखे लैगविज में...।"

"जैसे आप, आप भी यदि सिर्फ समस्या और दुकानदार ही कह देते तो काम चल जाता। "प्रोब्लम और शोपकीपर शब्द आपने फजूल ही बोले। हिन्दी एक समृद्ध भाषा है। अंग्रेजी के अनावश्यक बोझ के बिना आप इस भाषा में अपना मतलब समझा सकते हैं।"

"आप ठीक कहते हैं, यू आर राइट, मैं कोशिश करूंगा कि बीच-बीच में अंग्रेजी न बोलूं, आई विल ट्राई.. ओह... आदत है ... हैबिट... सारी... वैरी सॉरी...।"

गाड़ी रुकी और एक युवक हमारे डिब्बे में चढ़ा। उसे देखकर पहले से बैठा एक युवक चहका, "अरे बी. एल, तू यहां कहां?"

बी. एल. भी उसे देखकर खुश हुआ, हलो यार पी. सी. तू कहां जा रहा है? मैं तो आफिस वर्क (दफ्तर के काम) से एच. ओ. गया था। यहां से एच. ओ. पास ही है। यहां मेरे इनलाज रहते हैं, एक दिन की डी. एल. के साथ एक सी. एल. लेकर यहां मिलने चला आया था। सुनाओ टी. के., आर. वी., यू आर. वगैरह का क्या हाल है? सुना है तुम्हारी भाभी एच. एम. बन गई है, तुम्हारा भाई तो अभी यू. डी. सी. ही होगा।

यार, इस दुनिया में कौन किसका ब्रदर (भाई) है और कौन किसका फादर (पिता) है? किसी के प्रमोशन (तरक्की) से हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर घर वाले ट्यूशन के लिए पैसे देते तो मैं भी बी. एस. सी. में होता, आजकल तो आई. ए. एस. में ही पड़ा हूं।

अरे! तू आई. ए. एस. हो गया? अबे, आई. ए. एस. होने के बाद बी. एस. सी. में क्या चार्म (आकर्षण) है। लगता है, तू मेरी बात नहीं समझा।"

"समझेंगे कैसे, आपने सांकेतिक भाषा को हल करने का तरीका तो इन्हें बताया ही नहीं, मैं बोल पड़ा।"

सांकेतिक भाषा, यू मीन कोड लैंगविज, नहीं हम तो सीधीसादी भाषा में घरेलू बातचीत कर रहे हैं।"

देखिए, पहले आपको देखते ही इन्होंने कहा, अरे बी. एल. यानी बुद्धूलाल..."

"क्या कह रहे हैं, आप? मेरा नाम ब्रजलाल है।" बृजलाल तो बहुत सुंदर नाम है। आपने उसे बी. एल. के रूप में क्यों बिगाड़ा? छोटा नाम करना था तो ब्रज कर लेते। यह पी. सी. ... फोटकचंद है या...।

प्रवीण चन्द्र कहिए, जनाब टी. के. यानी त्रिभुवन कुमार, आर. वी. से राम वल्लभ और यू. आर. से उदयन राही बनता है। मेरी भाभी हेडमिस्ट्रेस यानी प्रधानाध्यापिका बनी है। भाई अपर डिवीजन क्लर्क यानी वरिष्ठ लिपिक हैं। एच. ओ. से हैड आफिस। डी. एल. से ड्यूटी लीव और सी. एल. से कैजुअल लीव यानी आकस्मिक छुटी बनता है। मैं आई. ए. एस. यानी इंटर आर्टस स्टुडेंट हूं। बी. एस. सी में जाने का मतलब बाटा शूज कंपनी में नहीं, बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने से है। अब तो अप समझ गए होंगे।

मैं ही नहीं, आपके मित्र भी समझ गए। पर आप हिन्दी में 60% अंग्रेजी शब्द मिलाकर बोल रहे हैं, क्या आपका यह इंग्लैंड जाने का पूर्वाभ्यास है।"

जी नहीं, यदि इंग्लैंड जाएं तो भी हम जानते हैं कि वहां हमारी अधकचरी अंग्रेजी कोई नहीं समझेगा। आप ठीक कहते हैं कि हिन्दी में अंग्रेजी मिलाकर बोलना न गधों में न घोड़ों में शामिल होने जैसा है। पर क्या करें, लगता है जब अंग्रेजी के शब्द बोलते तो सुनने वाला रौब मान रहा है।

यह तो आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं। आप अंग्रेजी के शब्दों से प्रभावित होना बन्द कर दें तो आपको लगेगा कि सब शुद्ध हिन्दी और एक ही भाषा बोलने से प्रभावित हो रहे हैं।

मैं अभी इन युवकों से बात कर ही रहा था कि हिन्दी के प्राध्यापक— "एक शूज मी कहते हुए खड़े हो गए। मैंने सीट के नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, "एक जूता वहां पड़ा है।"

शास्त्रीजी मुंह बिगाड़ते हुए बोले, "मैं एक जूता नहीं मांग रहा हूं। यहां से जाने के लिए रास्ता मांग रहा हूं। यह शिष्टाचार (एटीकेट/मेनर) है।"

"एक्सक्यूज मी को हिन्दी में..."

"क्षमा करें" कहते हैं मैं यह जानता हूं, पर जब 'क्षमा करें' कहता हूं तो लगता है कि मैंने कोई अपराध किया है। "एक शूज मी" कहने में अपने पल्ले से जाता कुछ दिखाई नहीं देता"

शास्त्री जी वापस आ गए। वह अपने स्थान पर बैठकर बोले "अभी हमारा दो घंटे का सफर बाकी है। आइए, हम अंग्रेजी के शब्द छोड़कर बात करें। देखें! क्या बिना अंग्रेजी के हमारा काम चल सकता है।

देउल वेरा कोलियरी, एसईसीएल
[कोल इंडिया लि. की पत्रिका
'खनन भारती' से साभार]

अंग्रेजी कविता :

उठो ! जागो !!

ए ओ ह्यूम (कांग्रेस के संस्थापक)
(कलकत्ता 1886)

भारत के पूतो, क्यों बैठे हो निष्क्रिय होकर ?
क्या जोह रहे हो बाट किसी वरदानी की ?
होकर सन्नद्ध जुट अपने कर्तव्य क्षेत्र में,
उन्नत होते हैं राष्ट्र सदा अपने ही बल पर।
तुम हो स्वतन्त्र, परतंत्र या कि हो क्रीत दास,
तुम, जो धरती पर पड़े हुए हो मुंह के बल?
है समाधान सब स्वयं तुम्हारे हाथ में,
उन्नत होते हैं राष्ट्र सदा अपने ही बल पर।
करते हो तुम भुगतान करों का निश्चय ही,
पर उनके व्यय पर तुमको है अधिकार नहीं।
सब जागो, उठाओ अपना स्वर इस के विरुद्ध
उन्नत होते हैं राष्ट्र सदा अपने ही बल पर।
किस मतलब का है ज्ञान ? व्यर्थ सब धन दौलत,
थोथी उपाधियां और सभी व्यापार लचर।
सच्चा स्वराज्य धरती पर होता सर्वोपरि।
उन्नत होते हैं राष्ट्र सदा अपने ही बल पर।
तुम विजड़ित हो या हो केवल भोले बच्चे ?
क्यों डरे हुए सहमें घबराये हो अधखुटे ?
क्या अन्त न होगा कभी तुम्हारे बचपन का?
उन्नत होते हैं राष्ट्र सदा अपने ही बल पर ।
मांगो सहायता नहीं देव या दानव से,
खोजो अपने ही भीतर प्रश्नों के उत्तर।
है जीत उसी की जो साहस संकल्प-युक्त,
उन्नत होते हैं राष्ट्र सदा अपने ही बल पर।
भारत पूतो, उठो और कर्तव्य करो,
व्यवधान कदापि न अपने पथ में आने दो,
देखो प्राची से झांक रहा है नवप्रभात,
उन्नत होते हैं राष्ट्र सदा अपने ही बल पर।

अनुवादक : पं. ओम प्रकाश दीक्षित
(श्री नयना देवी पत्रिका से आभार)

असमी : साहित्य, भाषा और राजभाषा

□प्रदीप कुमार बख्शी

"साहित्य, भाषा और राजभाषा" लेखमाला के अन्तर्गत असमी, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी गुजराती, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत सिन्धी, एवं हिन्दी भाषाओं के साहित्यिक, भाषायी एवं राजभाषायी मूल्यों को स्थापित करते हुए प्रत्येक अंक में क्रम से एक-एक शोध-निबंध प्रकाशित करेंगे। यहां इस लेखमाला की प्रथम कड़ी के रूप में "असमी भाषा : साहित्य और राजभाषा" प्रस्तुत है।

सम्पादक

कामरूप, आसाम, असम, अहम, आहोम आदि नामों से भारत के जिस भूखण्ड को जाना जाता है तथा जो भारत के उत्तर-पूर्व सीमा पर स्थित है वहां की भाषा का नाम "असमी" है। असमी भाषा के आष्ट्रिक तथा तिब्बती-चीन परिवार से घिरे होने के कारण इस पर उक्त दोनों परिवारों का प्रभाव पड़ा है। कामरूप क्षेत्र की भाषा होने के कारण प्राचीन काल में इसे "कामरूपी" भी कहा जाता था।[1] इसका उल्लेख सातवीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हवेनसांग के विवरणों में भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि "असम" शब्द मंगोल भाषा से लिया गया है। मंगोलियन में "असम" का अर्थ "अपराजित" हुआ करता है।[2] भारत की स्वतंत्रता के समय "असम" नाम में जिस क्षेत्र को जाना जाता था अब वहां असम के अतिरिक्त नागालैंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य अलग-अलग हो गए हैं। असमी भाषा ब्रह्मपुत्र की घाटी में पूर्व में लखिमपुर से पश्चिम में गोवालपाडा तक प्रचलित है। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में विभिन्न भाषा भाषियों की संख्या 16,32,898 थी। सन् 1971 में यह संख्या 89,58,977 हो गई।

असमी भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। हवेनसांग के विवरण एवं बौद्ध दूहों में प्राप्त संकेत की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो तेरहवीं शताब्दी से इसका स्पष्ट स्वरूप हेम सरस्वती के "प्रहलाद चरित्र" से परिलक्षित होने लगता है। इसी तरह महाभारत से विषय-वस्तु प्राप्त करके हरिहर विप्र तथा करिवत्न सरस्वती दोनों प्रसिद्ध हुए। 'रामायण' का अनुवाद "माधवी कंदली" ने चौदहवीं शताब्दी में किया। प्राचीन काल के अन्य कवियों में दुर्गावर तथा पीताम्बर ने क्रमशः गीत रामायण तथा उषा-अनिरुद्ध की कहानी के आधार पर प्रेम-गीतों की रचना करके प्रसिद्धि पाई। प्रो० हेम बरूआ ने असमी वांङ्मय को दो वर्गों में विभाजित करते हुए सम्पूर्ण वांड़मय को "प्राचीन और नवीन असमी साहित्य" नाम से दो मोटे वर्गों में विभाजित किया है।[3] प्राचीन असमी साहित्य के अन्तर्गत लोकगीत और गाथाएं, सूक्तियां और बौद्धगीत, वैष्णव-पूर्व साहित्य, वैष्णव साहित्य, काव्य और बरगीत, वैष्णववेतर-साहित्य, वैष्णव-नाटक, प्राचीन नाटक और प्राचीन गद्य साहित्य का उल्लेख आया है। प्रो० बरूआ के अनुसार डाक महापुरुषों की उपदेशात्मक सूक्तियों को छोड़ कर सम्पूर्ण प्राचीन असमी साहित्य या तो गीत-काव्य के रूप में है या गीत-काव्य अथवा वीरगाथा के रूप में।[4] लोकगीतों में बिहु-गीत और वनगीत, नावरिया गीत, बियानाम और निचुकनी गीत, देह विचार गीत और गिकिर गीत, गाथा गीत, आदि विविध रूपों में प्रस्फुटित हुआ है।[5] इनके कुछ उदाहरणों के हिन्दी अनुवाद इस तरह उद्धृत किये जाते हैं :

बिहुगीत और वनगीत

"हिरनी की आंखों जैसे नयन हैं तेरे ये,
कमल-कोरकों से हैं तेरे ये स्तन-युगल
कमल-नाल के समान भुजाए ये तेरी दोनों,
जिन पर है आवरण कोमल कौशाम्बर का।'[6]

नावरिया गीत

मेजर जॉन बटलर ने अपनी पुस्तक "ट्रैवेल्स एण्ड एड-वेंचर्स इन दि प्राविंग ऑफ ऐसम" में उल्लिखित किया है कि असम देश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। असमियों को स्थल मार्ग से यात्रा करने की अपेक्षा छोटी-छोटी डोंगियों में जल-यात्रा करना कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। मल्लाहों को नावों की यात्रा बड़ी भाती है और वे अपनी नावों को खेते हुए निरंतर गाते रहते हैं :-

"आओ सम मिल झूला झूलें
मदन भूमि पर करें किल्लोल
राम, कृष्ण , हे हरि।"[7]

नवीन असमी साहित्य—युग की शुरूआत 1813 में बंगाल के सीरामपुर के बैप्पिस्ट मिशन प्रेस से छपी बाइबिल (न्यू टेस्टामेंट) के प्रकाशन से प्रारम्भ हुआ कहा जाता है।[8] अब तक असमी गद्य साहित्य भी शनैः-शनैः परिमार्जित हो रहा था। निस्संदेह विकास के विविध चरणों को पार

करता हुआ असमी साहित्य भी अन्य भारतीय साहित्य की तरह पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित हुआ। साहित्य की सभी विधाओं को पाश्चात्य संपर्क ने अपनी एक विशिष्ट गति दी। आधुनिक कालीन असमी साहित्य में नाटक, उपन्यास, अल्प गद्य, निबंध, समीक्षा, जीवनी, संस्करण तथा पद्य साहित्य की अनेक विधाओं की अजस्र धाराएं प्रवाहित हो रहीं है।

असमी भाषा की शब्दावली पर विचार किया जाए तो यह तथ्य उद्घाटित होता है कि यह भाषा एक समन्वित भाषा है जिसमें हिन्दी आर्य और हिन्द चीनी दोनों स्रोतों के शब्द आ मिले हैं। डा. सुनीति कुमार चटर्जी ने तिब्बती-बर्मी बोलियों का विभाजन असम में और अन्यत्र भी जिस तरह किया है उसका विवरण निम्नवत है :

तिब्बती-बर्मी

(क) तिब्बती और उसकी जन-भाषाएं

(ख)-(ग) जन भाषाओं का हिमालय समूह

(घ) उत्तरी असम समूह-अका, मीरी, आबोर डाफला और मिशमी।

(च) असम-बर्मी समूह :—

(1) बोड़ो बोलियां—बोड़ो, मेख, राभा, गारो, कछारी, टिपरा

(2) नगा बोलियां-आओ, आङामि, सेमा, ताङखुल आदि

(3) मणिपुर—(मणिपुर की मेई-तेई) त्रिपुरा, लुशई पहाड़ियों और बर्मी की कुकी-चिन बोलियां

(4) काचिन—(सिंगपो) – लो समूह

(5) बर्मी और उसकी जन-भाषाएं

शब्दावली के स्रोतों की दृष्टि से असमी और हिन्दी लगभग समान ही है। डा. विजय राघव रेड्डी ने "असमिया -हिन्दी के समान स्रोत और भिन्न वर्तनी की शब्दावली' शीर्षक शोध-प्रबंध में 2090 शब्दों का संकलन करके यह स्थापित किया है कि दोनों की भाषाओं की शब्दावलियों के स्रोत एक ही हैं। असमी भाषा और हिन्दी दोनों ही मुख्यतः संस्कृत से शब्द-भंडार ग्रहण करती है और दोनों में संस्कृत के तत्सम शब्द काफी संख्या में प्रचलित हैं। फिर भी, शब्दावली में विभिन्न भाषा-स्रोतों की प्रतिशतता निम्नवत है :

संस्कृत स्रोत- 57.9
अरबी-फारसी स्रोत-27.1
अंग्रेजी स्रोत-15.0

असमी भाषा ने अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी शब्दों को ग्रहण करते हुए अपनी प्रकृति के अनुरूप उसकी वर्तनी एवं उच्चारण में आवश्यक परिवर्तन कर लिया है :

अंग्रेजी	असमी
आइसक्रीम	आइचक्रीम
पुलिस	पुलिच
पिस्तौल	पिष्टल
अफसर	अफिचार
ओवरकोट	ओभारकोट

इसी तरह अरबी-फारसी मूल के शब्दों को भी असमी ने आवश्यक ध्वनि परिवर्तन एवं वर्तनी-भेद करके ग्रहण किया है।

राजभाषा असमी

असम राजभाषा अधिनियम, 1960 दिसम्बर की सत्रह (17) तारीख को पारित हुआ। 1961 में संशोधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में 31 जुलाई 1964 से सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा असमी स्थापित हुई। इसके साथ असम-क्षेत्र में राजभाषा की स्थिति निम्नवत हो गई :

ब्रह्मपुत्र घाटी में असमी
कछार जिलों में बंगला और
असम के स्वशासी जिलों में अंग्रेजी

सन् 1964 की पहली अगस्त से पंचायत, आँचलिक, विकास,खंड, डिप्टी कलक्टरों के मंडल कार्यालयों में यह अधिनियम प्रभावी किया गया। इसके पश्चात राजभाषा असमी ने विकास के कई चरण पार किये। 4 दिसम्बर, 1969 से विभागों के अध्यक्षों के स्तर तक तथा जनता के साथ पत्र-व्यवहार के प्रयोजनों के लिए असमी भाषा के उपयोग किया जाने लगा। 4 दिसम्बर, 1970 के राज्य से सचिवालय स्तर तक सरकारी कामकाज के लिए असमी भाषा प्राधिकृत हो गई। राज्य प्रशासन में असमी भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु सन् 1963 में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" गठित की गई। 28 अक्तूबर, 1965 को प्रशासन-शब्दावली (भाग-1) का प्रकाशन हुआ। कछार के जिलों में निवास करने वाली जनता के प्रयोजनों के लिए बंगला भाषा में भी शब्दावली प्रकाशित की गई। विद्यालयों में अध्यापन माध्यम के रूप में असमी स्थापित है तथा राज्य सरकार द्वारा अध्यापन सामग्रियां असमी में प्रकाशित की गई हैं।

राजभाषा असमी अपने क्षेत्र में पर्याप्त सम्मान के साथ प्रतिष्ठित हुई है। राज्य अधिनियमों, नियमों संहिताओं, फार्मों आदि का असमी भाषा में अनुवाद करवाया गया। इस कार्य में राजभाषा अनुभागों एवं विधायी का अनुवाद

...जारी पृ० 24

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

सर विलियम जोन्स

बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के संस्थापक ने संस्कृत कैसे सीखी?

□सम्पादकाचार्य स्व० पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी--

सर विलियम जोन्स संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध पण्डित हो गए हैं। उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसायटी की नींव डाली थी। यद्यपि उनके पहले भी कई योरोप निवासियों ने इस देश में आकर संस्कृत की थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी, तथापि सर विलियम की तरह बड़ी बड़ी कठिनाइयों को झेलकर संस्कृत का यथेष्ट ज्ञान और किसी ने उनके पहले नहीं प्राप्त किया था। एशियाटिक सोसायटी की स्थापना करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इस सोसायटी की बदौलत प्राच्य भाषाओं के अनेक अलभ्य ग्रन्थ आज तक प्रकाशित हो चुके हैं और विद्या और कला आदि के विषय की अनेक अश्रुतपूर्व बातें मालूम हुई हैं। यदि सर विलियम जोंस संस्कृत सीखकर संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद अंग्रेजी में प्रकाशित न करते तो शायद ही संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का महत्व योरोप के विद्वानों को विदित होता या यदि होता भी तो बहुत दिन बाद होता।

जून 1907 के "हिन्दुस्तान रिव्यू" में एक छोटा सा लेख, श्रीयुक्त एस.सी सान्याल, एम०ए० का लिखा हुआ प्रकाशित हुआ है। उसमें लेखक ने दिखलाया है कि कैसी कैसी कठिनाइयों को झेल कर सर विलियम ने कलकत्ता में संस्कृत सीखी। क्या हम लोगों में एक भी मनुष्य ऐसा है जो सर विलियम की आधी भी कठिनाइयां उठाकर संस्कृत सीखने की इच्छा रखता हो? कितनी लज्जा, कितने दुःख, कितने परिताप की बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट उठाकर और इतना धन खर्च करके संस्कृत सीखें और संस्कृत साहित्य के जन्मदाता भारतवासियों के वंशज फारसी और अंग्रेजी शिक्षा के मद में मतवाले होकर यह भी न जानें कि संस्कृत किस चिड़िया का नाम है! संस्कृत जानना तो दूर की बात है, हम लोग अपनी मातृ-भाषा हिन्दी भी तो बहुधा नहीं जानते और जो लोग जानते भी हैं उन्हें हिन्दी लिखते शरम आती है? इन मातृभाषा द्रोहियों का ईश्वर कल्याण करे। सात समुद्र पार कर इंग्लैण्ड वाले यहां आते हैं और न जाने कितना परिश्रम और खर्च उठा कर यहां की भाषाएं सीखते हैं। फिर अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ लिखकर ज्ञानवृद्धि करते हैं। उन्हीं के ग्रन्थ पढ़कर हम लोग अपनी भाषा और अपने साहित्य के तत्वज्ञानी बनते हैं। पर खुद कुछ नहीं करते। करते हैं सिर्फ व्यर्थ कालातिपात और करते हैं अंगरेजी लिखने की अपनी योग्यता का प्रदर्शन। घर में घोर अंधकार है, उसे तो दूर नहीं करते। विदेश में जहां गैस और बिजली की रोशनी हो रही है, चिराग जलाने दौड़ते हैं।

सर विलियम जोन्स, सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर होकर, 1783 ईसवीं में कलकत्ता आए। वहां आकर उन्होंने थोड़ी सी हिन्दी सीखी। उसकी मदद से वे अपने नौकरों से किसी तरह बातचीत करने लगे। उसके बाद उन्हें संस्कृत सीखने की इच्छा हुई। इससे वे एक पण्डित की तलाश में लगे। पर पण्डित उन्हें कैसे मिल सकता था? वह आजकल का जमाना तो था नहीं। एक भी ब्राह्मण वेद और शास्त्र की पवित्र संस्कृत भाषा एक यवन को सिखाने पर राजी न हुआ। कृष्णनगर के महाराज शिवचन्द्र सर विलियम के मित्र थे। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, पर व्यर्थ। यवन को संस्कृत शिक्षा! शिव शिव! सर विलियम ने बहुत बड़ी तनख्वाह का भी लालच दिया। पर उनका यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ। लालच के मारे दो एक पण्डित सर विलियम के यहां पधारे भी और इसका निश्चय करना चाहा कि यदि वे उन्हें संस्कृत पढ़ावें तो क्या तनख्वाह मिलेगी। पर जब यह बात उनके पड़ोसियों ने सुनी तो उनके तलवों की आग मस्तक जा पहुंची। तुम यवनों के हाथ हमारी परम पवित्र देववाणी बेचोगे। अच्छी बात है; तुम बिरादरी से खारिज। तुम्हारा जलग्रहण बंद। बस फिर क्या था, उनका सारा साहस काफूर हो गया। फिर उन्होंने सर विलियम के बंगले के अहाते में कदम नहीं रखा। अब क्या किया जाय। खैर कलकत्ते में न सही, और ही कहीं कोई पण्डित मिल जाय तो अच्छा। यह समझकर सर विलियम संस्कृत के प्रधान पीठ नवद्वीप पहुंचे। वहां भी उन्होंने बहुत कोशिश की, परन्तु किसी ने उन्हें संस्कृत शिक्षा देना अङ्गीकार न किया। मन मारकर वहां से भी वे लौट आए।

इस असफलता और निराशा पर भी सर विलियम जोन्स ने लगन न छोड़ी। पण्डित की तलाश में वे बराबर लगे ही रहे। अन्त में ब्राह्मण तो नहीं, वैद्य जाति के एक संस्कृतज्ञ ने, 100 रु महीने पर पढ़ाना मंजूर किया। इस पण्डित का नाम था रामलोचन कवि भूषण। ये पण्डित महाराज संसार में अकेले थे ही। न स्त्री थी, न सन्तति हावड़ा के पास सलकिया में रहते थे। किसी से कुछ सरोकार न रखते थे। सबसे अलग रहते थे। इसी से आपको जाति या समाज के बहिष्कार का डर न था। पण्डित महाशय वैद्य विद्या भी जानते थे। पास पड़ोस के लोग चिकित्सा कराने उनको अक्सर बुलाते थे। इससे इन्होंने अपने मन में कहा कि यदि हम इस यवन को संस्कृत पढ़ाएंगे तो भी हमारे टोले-मुहले के लोग हमें न छोड़ सकेंगे। जब कोई बीमार होगा, लाचार होकर हमी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि और कोई वैद्य यहां है ही नहीं। इसी से इन्हें सर विलियम जोन्स को पढ़ाने का साहस हुआ। एक तो 100 रुपये महीने तनख्वाह, फिर सलकिया से चौरिंघी (आजकल 'चौरंगी सं०) तक रोज आने जाने के लिए मुफ्त में पालकी की सवारी। याद रहे, उस समय पालकी की सवारी के लिए महीने में 30 रुपये से कम न खर्च होते थे। अतएव अपना सब तरह से फायदा समझकर रामलोचन ने सर विलियम को पढ़ाने का निश्चय किया।

संस्कृत पढ़ाने की शर्त

कवि भूषण जी ने सर विलियम जोन्स के साथ बड़ी-बड़ी शर्तें रखीं। पर सर विलियम इतने उदार हृदय थे कि उन्होंने सब शर्तों को मंजूर कर लिया। उनके बंगले के नीचे के खण्ड का एक कमरा पढ़ाने के लिए पसन्द किया गया। उसके फर्श में संगमरमर बिछवाया गया। एक हिन्दू नौकर रखा गया। उसके सुपुर्द यह काम हुआ कि वह रोज हुगली से जल लाकर कमरे के फर्श को और थोड़ी दूर तक दीवारों को भी धोवे। दो चार लकड़ी की कुर्सियों और एक लकड़ी की मेज के सिवाय और सब चीजें उस कमरे से हटा दी गईं। ये चीजें भी रोज धोई जाने लगीं। शिक्षा-दान के लिए सबेरे की बेला नियत हुई। पढ़ने के कमरे में कदम रखने के पहले सर विलियम को हुक्म हुआ कि एक प्याला चाय के सिवाय न खाएं न पिएं। यह भी उनको मंजूर करना पड़ा। कवि भूषण जी को यह भी आज्ञा हुई कि गो-मांस, वृष-मांस, शूकर-मांस मकान के अन्दर न जाने पावे। यह बात भी कबूल हुई। एक कमरा पण्डित जी को कपड़े पहनने के लिए दिया गया। उसके भी रोज धोये जाने की योजना हुई। पण्डित महाशय ने दो जोड़े कपड़े रखे। उनमें से एक जोड़ा इस कमरे में रखा गया। रोज प्रातःकाल जिस कपड़े को पहन कर वे साहब के यहां आते थे उसे इस कमरे में रख देते थे। और कमरे में रखा हुआ जोड़ा पहनकर वे पढ़ाते थे। चलते समय फिर उसे बदलकर घर वाला जोड़ा पहन लेते थे।

इतने महाभारत के बाद सर विलियम ने "रामः, रामौ, रामाः" शुरू किया। न सर विलियम संस्कृत जानें, न कवि-भूषण महाशय अंग्रेजी। पाठ कैसे चले, खैर इतनी थी कि साहब थोड़ी सी टूटी-फूटी हिन्दी बोल लेते थे। उसी की मदद से पाठारम्भ हुआ। दोनों ने उसी की शरण ली। सौभाग्य से अध्यापक और अध्येता दोनों बुद्धिमान थे। नहीं तो इतनी थोड़ी हिन्दी से कभी काम न चलता। सर विलियम ने बड़ी मेहनत की। एक ही वर्ष में वे सरल संस्कृत में अपना आशय प्रकट करने लगे। संस्कृत में लिङ्ग भेद और क्रियाओं के रूप बड़े मुश्किल हैं। बहुत संभव है, पहले पहल सर विलियम ने बहुत सी संज्ञाओं और क्रियाओं के रूप कागज पर लिख लिये होंगे। उनकी तालिकाएं बना ली होंगी। उन्हीं की मदद से उन्होंने आगे का काम निकाला होगा। किस तरह उन्होंने पण्डित रामलोचन से संस्कृत सीखी, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। यदि उनकी पाठ ग्रहण प्रणाली मालूम हो जाती तो उसे जानकर जरूर कुतूहल होता।

संस्कृत में भी नाटक

एक दिन सर विलियम जोन्स पंडित महाशय से बातचीत कर रहे थे। बातों-बातों में नाटक का जिक्र आया। उन्हें मालूम हुआ कि संस्कृत में भी नाटक के ग्रन्थ हैं। उस समय भी कलकत्ता में अमीर लोगों के यहां नाटक खेले जाते थे। अंग्रेजों को यह बात मालूम थी। पण्डित रामलोचन ने कहा कि पुराने जमाने में भी राजों और अमीर आदमियों के यहां ऐसे ही नाटक हुआ करते थे। यह सुनकर सर विलियम को आश्चर्य हुआ और पण्डित रामलोचन से वे शकुन्तला पढ़ने लगे। उस पर वे इतने मुग्ध हुए कि उसका गद्य पद्य-मय अंग्रेजी अनुवाद कर डाला। यद्यपि अनुवाद अच्छा नहीं बना, तथापि उसने योरूपवालों की आंखें खोल दीं। उसे पढ़कर लोगों ने पहले पहल जाना कि संस्कृत का साहित्य खूब उन्नत हैं। जर्मनी का गेटे नामक कवि तो सर विलियम के अनुवाद को पढ़कर अलौकिक आनन्द से मस्त हो उठा। उसने उसी मस्ती की दशा में शकुन्तला की स्तुति में एक कविता तक बना डाली।

सुनते हैं, सर विलियम जोन्स के संस्कृत शिक्षक बड़े तेज़ मिजाज़ आदमी थे। जो बात सर विलियम की समझ में न आती थी उसे गुरु जी से पूछना पड़ता था। गुरु महाशय ठीक तौर से पढ़ाना जानते न थे। वे सर विलियम को भी उसी रास्ते ले जाते थे जिस रास्ते टोल (पाठशालाओं) के विद्यार्थी जाते हैं। इससे सर विलियम को कभी कभी कोई बात दो-दो, तीन तीन दफे पढ़नी पड़ती थी। एक दफे बताने से वह उनके ध्यान ही में न आती है। ऐसे मौकों पर गुरुदेव महाशय का मिजाज़ गरम हो उठता था। वे झट कह बैठते थे—**"यह विषय बड़ा ही क्लिष्ट है, गो मांस भोजी लोगों**

पृष्ठ 21 का शेषांश

स्कंध पर्याप्त सक्रिय है। यह कार्य सुचारु रूप से चलता रहे इसकी देखभाल के लिए सचिवालय में "असम राजभाषा अधिनियम कार्यान्वियन सैल" स्थापित किया गया है।[9] इस इस तरह राजभाषा के रूप में असमी भाषा उसी तरह विकसित हुई है जिस तरह साहित्य भाषा के रूप में।

राजभाषा सम्बन्धी केन्द्रीय अधिनियम पारित होने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा निर्मित राजभाषा नियमों के अनुसार सम्पूर्ण असमी भाषा-भाषी क्षेत्र हिन्दी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से "ग" क्षेत्र में आ गया है।[10] नियमों की व्यवस्था के अनुसार असमी भाषा-भाषी राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार यदि अंग्रेजी भाषा में राज्य अधिनियम अथवा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आध्यादेशों को राजपत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया तो राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार ऐसे प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी, भाषा का भी प्रयोग प्राधिकृत किया गया है।"

इस तरह वर्तमान समय में सम्पूर्ण असमी क्षेत्र में राजभाषा के पद पर विविध सरकारी प्रयोजनों के लिए असमी, हिन्दी और अंग्रेजी तीनों ही प्रतिष्ठित हैं।

भारत रिफक्ट्रीज लिमिटेड,
रांचीरोड, रिफैक्ट्रीज संयंत्र,
डाकघर—करार—829117 (बिहार)

1. भारतीय भाषाएं: कैलाश चन्द्र भाटिया, पृ. सं.[1]

2. —वही—

3. असमी साहित्य, प्रो. हेम बरुआ, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।

4. —वही—, पृ. सं.[11]

5. —वही—

6. —वही—, पृ. सं. 13

7. ट्रैवेल्स एण्ड एडवेंचर्स इन द प्राविंस ऑफ एसम (1885), मेजर जॉन बटलर की पुस्तक से प्रो. हेम बरुआ के उद्धारण से द्रष्टव्य: "असमिया साहित्य" पृ. स. 13 और 16

8. असमी साहित्य, पृ.सं. 136, हेम बरुआ, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली.

9. भारतीय भाषाएं: कैलाश चन्द्र भाटिया, पृ. सं. 17

10. राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 का नियम 2 (ज)

11. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा -6

पृ० 22 का शेष भाग

के लिए लिए इसका ठीक ठीक समझना प्रायः असम्भव है।" पर सर विलियम जोन्स पण्डित महाशय को इतना प्यार करते थे और उन्हें इतना मान देते थे कि उनकी इस तरह की मामलों को तो वे हँस कर टाल दिया करते थे।

पण्डित राम लोचन कविभूषण 1812 ईसवी तक जीवित रहे। ये अच्छे विद्वान थे। काव्य, नाटक, अलंकार और व्याकरण में वे खूब प्रवीण थे। पर धर्मशास्त्र और दर्शन में उनकी विशेष गति न थी। इसलिए व्याकारण और काव्य का यथेष्ट अभ्यास कर चुकने पर, जब सर विलियम ने धर्म-शास्त्र का अध्ययन शुरु किया तब उन्हें एक और पण्डित रखना पड़ा। यवनों को संस्कृत सिखाना पहले घोर पाप समझा जाता था, पर अब इस तरह का ख्याल कुछ ढीला पड़ गया था। इससे सर विलियम को धर्मशास्त्री पण्डित ढूंढने में विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ा।

सर विलियम जोन्स, 1783 ईसवी में, जज होकर कलकत्ता आये और 1794 में वहीं मरे। हिन्दुस्तान आने के पहले आक्सफोर्ड में उन्होंने फारसी और अरबी सीखी थी उनका बनाया हुआ फारसी का व्याकरण उत्तम ग्रन्थ है। वह अब नहीं मिलता। बंगाल की एशियाटिक सोसायटी उन्हीं की कायम की हुई है। उसे चाहिए कि इस व्याकरण को वह फिर से प्रकाशित करे, जिसमें सादी और हाफिज की मनमोहक भाषा सीखने की जिन्हें इच्छा हो वे उससे फायदा उठा सकें। हिन्दुस्तान की सिविल सर्विस के मेम्बरों के लिए वह बहुत उपयोगी होगा।

(जून 1908 में 'सरस्वती' में प्रकाशित और यहां लेखक की 'साहित्य सीकर' नामक पुस्तक से जो सन् 1929 में प्रकाशित हुई थी, से उद्धृत)

(आर्य जगत 16-4-1989 से साभार)

फ्रांस व अमरीका में हिन्दी

□ वेद प्रकाश दुबे

भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास स्वयं में एक विस्तृत सांस्कृतिक इतिहास है। भारतीय संस्कृति विगत इतिहास में एशिया तक तो फैली ही थी साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों पर भी व्यापारियां, शोध छात्रों के माध्यम से भारतीय भाषाओं व मूल्यों का प्रचलन अपने-अपने दायरों में फैला हुआ था।

आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व एक जागतिक गांव बन गया है। भाषाओं, विचारों व सांस्कृतिक मूल्यों का आदान-प्रदान एक आवश्यक जीवन अंग बन गया है।

ऐसे में जबकि समूचे विश्व के स्तर पर एक संक्रमण-कालीन स्थिति जारी है यूरोपीय देश भी भारतीयता व हिन्दी भाषा के प्रभावों से अछूते नहीं हैं।

प्राचीन काल से ही जगदगुरु की संज्ञा से विभूषित भारतवर्ष ने विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाया है।

विश्व स्तर पर हिन्दी आज अपनी प्रभावोत्पादकता व वैज्ञानिकता के कारण लोकप्रिय होती चली जा रही है। इसका प्रमाण है विश्व हिन्दी सम्मेलनों का सफल व भव्य आयोजन। आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरा विश्व ही हिन्दी की महत्ता व प्रभावोत्पादकता का गुणगान कर रहा है।

इस संदर्भ में फ्रांस का उदाहरण हिन्दी प्रेमियों व हिन्दी के प्रति अरुचि रखने वालों के लिए एक सार्थक प्रकाशस्तम्भ का कार्य करेगा। फ्रांस में 1795 में आधुनिक विश्वपूर्वी भाषाओं का संस्थान स्थापित किया गया तथा यह एक सर्व-विदित तथ्य है कि फ्रेंच विद्वान व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात विद्वान गार्सां द तासी ने हिन्दुस्तानी पढ़ी व लेखन के माध्यम से हिन्दी का ज्ञान अन्य लोगों हेतु उपलब्ध कराया।

इलाहाबाद से सन् 1953 में प्रकाशित उनकी पुस्तक हिन्दुई साहित्य का इतिहास ने केवल हिन्दी का बल्कि विश्वजनीन दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान को देखने का सार्थक प्रयास रहा है। जिसकी उपयोगिता सर्वविदित हैं।

यही नहीं, गार्सां द तासी एवं उनकी रचनात्मक प्रेरणा से उनके शिष्यों ने खड़ी बोली, ब्रज भाषा से फ्रांसीसी में कई भारतीय रचनाओं के अनुवाद किए जिनमें 'बागो बहार', 'प्रेम सागर', राजनीति से संबंधित रचनाएं प्रमुख हैं।

फ्रांस के वातावरण में हिन्दी की यह सुगन्ध तीव्रगति से फैली तथा पूरे 50 वर्षों तक गार्सां द तासी ने फ्रांस की जमीन पर हिन्दी के पौधे रोपित किए जो धीरे-धीरे मजबूत वृक्ष बन गये।

सन 1921 में श्री ज्यूल ब्लांक के पेरिस संस्थान में प्रोफेसर बनने के बाद वहां हिन्दी शिक्षण बढ़ा। वर्ष 1964 में पेरिस विश्वविद्यालय में हिन्दी साहित्य में शोध करने के इच्छुक शोधार्थियों हेतु हिन्दी का पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। जो हिन्दी के बढ़ते विकास का प्रमाण था। इसका श्रेय डा. वोदवील को जाता है। उन्होंने सूरसागर, रामचरित मानस, कबीर दास की रचनाओं व जायसी के पद्मावत आदि की सरस व सरल व्याख्या की तथा हिन्दी के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया।

फ्रांस की संस्कृति व इतिहास में भारतीय तत्त्व कई क्षेत्रों में परिलक्षित होते हैं। वर्तमान में फ्रांस में हिन्दी शिक्षण हेतु आधुनिक पूर्वी संस्थान (जिसका नाम एस्तित्यु नस्योनल दे लाग ए तीवीलीजस्यों औरिंताल है) के अन्तर्गत हिन्दी का अलग विभाग है।

हिन्दी के अध्ययन हेतु इस विभाग में अधिकतम संख्या में छात्र-छात्राएं हैं।

यही नहीं पिछले वर्ष 1987 में दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास में "मनुअल ऑफ हिन्दी" का प्रकाशन व विमोचन हुआ जो आधुनिक युग में फ्रांस की छाती पर हिन्दी की गंगा की बढ़ती लहरों का सार्थक प्रमाण हैं।

जारी पृष्ठ 53

नेदरलैंड में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि नेदरलैंड (हालैंड) में भारतीय मूल के बहुसंख्यक परिवार तो वर्ष से अधिक समय के बाद भी विदेश में अपनी अस्मिता बनाए रखने के प्रति सजग हैं। नेदरलैंड में स्थित भारतीय मूल के लोग सामान्यतः डेढ़ सौ वर्ष पूर्व भारत के पूर्वी हिन्दी क्षेत्र से सूरीनाम ले जाए गए हिन्दू लोगों के वंशज हैं जिनके लिए आज हिन्दी भाषा और हिन्दू धर्म भारतीय संस्कृति के पर्याय बन चुके हैं। वे अपनी नई पीढ़ी का भारतीय संस्कृति; धर्म एवं भाषा से संपर्क बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

इस संबंध में कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं हिन्दी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार का कार्य कर रही है। "हिन्दी परिषद् नेदरलैण्ड" भी एक ऐसी संस्था है इसके कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत धन और परिश्रम से अत्यन्त श्रद्धापूर्वक हिन्दी के सेवा कार्य में जुटे हुए हैं।

अक्तूबर 1988 में हिन्दी परिषद नेदरलैण्ड ने अपने पांच वर्ष पूरे किए और पांच वर्ष की अल्प आयु में ही अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन जैसे बृहद् कार्य को अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न कर दिखाया। दिनांक 22, 23, 24 अक्तूबर 1988 को देनहाग (हेग) में एक त्रिदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य नेदरलैण्ड में बसे भारतीय समुदाय को भारत एवं अन्य देशों में हिन्दी की स्थिति से परिचित कराते हुए नेदरलैंडवासी भारतीयों के लिए हिन्दी के महत्व को प्रकाशित करना था। अतः हिन्दी भाषा के शिक्षण एवं प्रसार के कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न देशों के विद्वानों को इसमें आमंत्रित किया गया।

सम्मेलन में सात देशों--भारत, इंग्लैंड, बेल्जियम, पोलैण्ड, सूरीनाम, मारीशस एवं नेदरलैण्ड के लगभग बीस विद्वानों और नेदरलैण्ड में कार्यरत उच्च पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने विभिन्न देशों में हिन्दी भाषा की स्थिति और हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में विचार प्रस्तुत किए। सम्मेलन का उद्घाटन हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश एवं भूतपूर्व अध्यक्ष स्व. श्री नगेन्द्र सिंह ने किया तथा उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता नेदरलैण्ड में स्थित भारतीय राजदूत श्री के. श्रीनिवासन ने की। यह विशेषतः श्लाघ्य है कि इन महानुभावों ने हिन्दी में अपने विचार व्यक्त किए।

औपचारिक उद्घाटन से पूर्व सम्मेलन की कार्रवाई वैदिक मंत्रों के गायन और दीप प्रज्वलन से आरम्भ हुई। हिन्दी परिषद के अध्यक्ष श्री ब्रजमोहन ने दीप प्रज्वलित कर परिषद के चिह्न की व्याख्या की। उसके बाद परिषद के सचिव श्री विक्रम रामावतार ने आमंत्रित विद्वानों का स्वागत किया और परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य डा० एम०के० गौतम ने परिषद का संक्षिप्त परिचय दिया।

प्रस्तुति : डॉ० (श्रीमती) शारदा भसीन

यह सम्मेलन हेग के सुप्रसिद्ध कांग्रेस विशाल भवन के समन्नान्त भवन में तीन दिन तक अपराह्न 2.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक अत्यन्त श्रद्धापूर्वक एक यज्ञ की भांति चला। सम्मेलन में हिन्दी के लगभग बीस विद्वानों ने भारत में तथा भारत के बाहर हिन्दी की स्थिति पर प्रकाश डाला तथा नेदरलैण्ड में हिन्दी प्रचार के कार्यों में संलग्न कार्यकर्ताओं और छात्रों ने नेदरलैण्ड में हिन्दी की स्थिति और महत्व के संबंध में विचार व्यक्त किये। लगभग नौ घंटे प्रतिदिन के लम्बे कार्यक्रम में विद्वानों के व्याख्याओं के बीच कुछ बालक-बालिकाओं के नृत्य गीत आदि के द्वारा आमंत्रित प्रतिभागियों का न केवल मनोरंजन किया बल्कि एक लघु नाटिका द्वारा भारतीय मूल के नेदरलैण्ड वासियों के लिए हिन्दी सीखने और अपनी संस्कृति को अपनाए रखने का संदेश भी दिया।

इस अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन में योगदान देने वाले प्रमुख विद्वानों एवं उच्चाधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं--

1. स्व० श्री नगन्द्र सिंह--न्यायाधीश एवं भूतपूर्व अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग; 2. श्री के श्रीनिवासन--भारतीय राजदूत नेदरलैण्ड; 3. श्री मधुकर राव चौधरी--अध्यक्ष राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा; 4. श्री लल्लनप्रसाद व्यास--संपादक 'विश्व हिन्दी दर्शन, दिल्ली; 5. डा० कैलाश बाजपेयी--दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; 6. डा० श्रीमती शारदा भसीन--रीडर के०हिं०संस्थान, दिल्ली केन्द्र दिल्ली; 7. गुरुदेव बावरा जी--ब्रह्मऋषि मिशन, पिंजौर; 8. स्वामी ब्रदेह्राव उपाध्याय--ब्रह्मऋषि मिशन, नेदरलैण्ड; 9. डा० रवि प्रकाश गुप्त-पोलैण्ड; 10. डा. श्रीमती मंजू गुप्त-पोलैण्ड; 11. डा. गिलबर्ट पोलेट-बेल्जियम; 12. श्रीमती मधुकर राव चौधरी भारत; 13. डा० पी०ए० राव-बेल्जियम; 14. श्री जगदीश शर्मा कौशल-सम्पादक "अमरदीप" इंगलैण्ड; 15. श्री ए. निकोलस -इंगलैण्ड; 16. श्रीमति सरोज श्रीवास्तव-इंगलैण्ड; 17. श्री बी. रामदास-मारीशस; 18. प्रो. जे. खरबन्दा-इंगलैण्ड 19. डा. एम. के. गौतम-नेदरलैण्ड; 20. श्री के. कोगर--नेदरलैण्ड; 21. डा. डामस्टे-नेदरलैण्ड; 22. डा. आर. एम. तिवारी-नेदरलैण्ड; 23. श्री बी. हीरा-नेदरलैण्ड।

हिन्दी परिषद नेदरलैण्ड के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम एवं सेवाभाव के फलस्वरूप तीन दिन तक यह अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन अत्यन्त सफलतापूर्वक चला। विदेशों से आमंत्रित विद्वानों के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव रहा।

समिति समाचार

(क) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

वस्त्र मंत्रालय

हिन्दी सलाहकार समिति की 7 अप्रैल, 1989 को सम्पन्न बैठक का शुभारंभ करते हुए समिति के अध्यक्ष माननीय वस्त्र मंत्री रामनिवास मिर्धा ने सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए कहा कि समिति के मार्ग-दर्शन और सहयोग से वस्त्र मंत्रालय में राजभाषा कार्य आगे बढ़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह देखा था कि ऐसी भाषा को राजभाषा बनाया जाए जो सारे देश मे समझी जाती हो और जिसे सीखना आसान हो । हिन्दी भाषा को व्यापकता और सरलता, इन दोनों गुणों के कारण भारत के संविधान में राजभाषा का सम्मान दिया गया । इस लिए यह कहा जा सकता है कि हिन्दी में सरकारी कामकाज करना संविधान के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि गत सितंबर, 1988 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने वस्त्र मंत्रालय के दो संगठनों अर्थात भारतीय कपास निगम और नेशनल टैक्सटाइल कार-पोरेशन (साउथ महाराष्ट्र) लिमिटेड को उत्तम राजभाषा कार्य के लिए पुरस्कृत किया था । इस बार भी हर्ष की बात है कि वस्त्र मंत्रालय के ही एक संगठन अर्थात केन्द्रीय रेशम बोर्ड को राजभाषा विभाग ने लगातार दूसरे वर्ष दक्षिण अंचल में उत्तम राजभाषा कार्य के लिए 'विशेष राजभाषा ट्राफी" देने के लिए चुना है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन सभी संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयास सराहनीय हैं । उन्होंने इन संगठनो को बधाई देते हुए विश्वास प्रकट किया कि यह संगठन अपने राजभाषा कार्य को और भी बेहतर करेंगे तथा अन्य संगठन भी इनका अनुकरण करके अच्छे राजभाषा काय के लिए पुरस्कार प्राप्त करेंगे । अध्यक्ष महोदय ने समिति को सूचित किया कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति वस्त्र मंत्रालय में राजभाषा कार्य का निरीक्षण करने के लिए पधारी थी । समिति ने अनेक मदों पर संतोष व्यक्त किया था । द्विभाषी यांत्रिक सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई थी । चर्चा के तुरंत बाद वस्त्र राज्य मंत्री श्री रफीक आलम ने इस संबंध में संचार मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वस्त्र मंत्रालय और इसके अधीनस्थ संगठनों में टेलेक्स मशीनें द्विभाषी करने के लिए अपने अधिकारियो को निर्देश दें ।

श्री यादव तथा श्री बागड़ोदिया ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को विभिन्न संगठनों की राज-भाषा कार्यान्वयन समितियों में प्रेक्षक रखने पर सक्रिय विचार किया जाए । अध्यक्ष महोदय इस संबंध में स्वयं निर्णय लेकर आदेश करें ।

श्री यादव ने कहा कि मंत्रालय तथा विभिन्न संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों को चाहिए कि वे स्वयं अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करें । इससे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी ।

श्री यादव ने कहा कि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कम्प्यूटर तथा अन्य यांत्रिक सुविधाएं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में बाधक नहीं बने । श्री आर. के. शर्मा, सचिव राजभाषा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी । उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम आदि संगठनों में कम्प्यूटरों में हिन्दी के प्रयोग के परीक्षण सफल रहे हैं और कम्प्यूटर तथा अन्य यांत्रिक सुविधायें हिन्दी के प्रयोग में बाधक नहीं बनी हैं । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस दिशा में लगातार प्रयासरत है ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कम्प्यूटरों और अन्य यांत्रिक सुविधाओं के प्रयोग के संदर्भ में राजभाषा नीति के पालन के बारे में राजभाषा विभाग विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों की स्थिति से वस्त्र मंत्रालय और उसके संगठनों को ही नहीं बल्कि भारत सरकार के भी मंत्रालयों/विभागों और उनके संगठनों को समय समय पर अवगत कराता रहे ताकि जान-कारी और अनुभव के आदान-प्रदान से सभी संगठन आदि लाभ उठा सकें ।

श्री यादव ने नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन में राजभाषा कार्य की समीक्षा करते हुए उनकी कई मदों को प्रशंसनीय बताया । उनके पत्रिका प्रकाशन के प्रयास को सराहनीय बताया । किंतु उन्होंने कहा कि "क' क्षेत्र के साथ अंग्रेजी में मूल पत्र व्यवहार करना अनुचित है। कारपोरेशन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और चैक-प्वांइट व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए ।

श्री यादव ने कहा कि नियम 10(4) में कार्यालयों को अधिसूचित करने की गति तेज होनी चाहिए । साथ ही नियम 8(4) में भी अधिक अनुभाग, प्रभाग आदि निर्दिष्ट किए जाएं ।

श्री यादव ने कहा कि संगठनों में पत्रिकाओं के लिए अलग से संपादक तथा अन्य कर्मचारी नहीं लिए जाते हैं । यह काम हिन्दी अधिकारियों से ही लिया जा रहा है जो पहले ही अत्यधिक व्यस्त रहते हैं । हिन्दी स्टाफ की वैसे ही सभी जगह बहुत कमी है । उन्होंने श्री इंद्रदेव का समर्थन करते हुए कहा कि पत्रिकाओं का स्तर बेहतर करने की दृष्टि से उनके लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए और राजभाषा कार्य के लिए भी समुचित स्तर का पर्याप्त स्टाफ तुरंत नियुक्त किया जाए ।

श्री संतोष बागड़ोदिया, श्री जगदंबी प्रसाद यादव तथा श्री जगदीश गांधी ने हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्टस कारपोरेशन आफ इंडिया की प्रगति रिपोर्ट देखकर अनेक मुद्दों पर असंतोष व्यक्त किया । मूल पत्राचार में कमी, द्विभाषी यांत्रिक सुविधाओं का अभाव, पुरस्कार योजनाओं की जानकारी न होना, अलग हिन्दी स्टाफ न होना, कार्यशालाओं का आयोजन नहीं करना, चेक प्वांइट व्यवस्था का अभाव आदि बातों की माननीय सदस्यों ने तीखी आलोचना की । अध्यक्ष महोदय के आदेश पर कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री पिंटो ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भविष्य में कारपोरेशन में राजभाषा कार्य की गति और तेज करने पर विशेष बल दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कारपोरेशन के अध्यक्ष इस दिशा में व्यक्तिगत रुचि लें तथा कारपोरेशन में राजभाषा कार्य की सभी मदों पर एक विशेष नोट समिति की अगली बठक में प्रस्तुत करें ।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि जिन संगठनों में राजभाषा कार्य अभी पिछड़ा हुआ है उनके अध्यक्ष भी स्वयं रुचि लेकर काम को आगे बढ़ाएं। भविष्य में सभी अध्यक्षों से अपने-अपने संगठनों के बारे में ऐसे विशेष नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि त्रुटियों के संबंध में माननीय सदस्यों की आपत्तियां काफी हद तक सही हैं किंतु कुछ संगठनों में अनेक उपलब्धियां भी हुई हैं ।

श्री बागड़ोदिया तथा श्री यादव ने कहा कि जिन संगठनों में अच्छा काम हो रहा है उनका तथा अन्य संगठनों का भी राजभाषा निरीक्षण होना चाहिए । मंत्रालय से इस दिशा में पहल होनी चाहिए ताकि जहां काम अच्छा हो रहा है वहां उसे बेहतर करने के लिए मार्गदर्शन हो सके और जहां अभी काम में सुस्ती है वहां निरीक्षणों के जरिए चुस्ती लाई जा सके ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री दीक्षित ने तथा काटन कारपोरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष श्री लाल ने अपने अपने संगठनों की उपलब्धियों से समिति को अवगत कराया। श्री दीक्षित ने कहा कि बी आई सी मुख्यालय में लगभग 73 प्रतिशत काम हिंदी में हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय के आदेश पर एन टी सी के अध्यक्ष ने अपने निगम के मुख्यालय तथा अधीनस्थ निगमों में राजभाषा कार्य की उपलब्धियों का उल्लेख किया । श्री संतोष बागड़ोदिया तथा श्री यादव ने कहा कि एन टी सी में, अनेक कठिनाइयों के बावजूद, राजभाषा कार्य की प्रगति उल्लेखनीय तो है, किंतु इससे आत्म तुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिए । अभी अनेक क्षेत्रों में एन टी सी मुख्यालय तथा उसकी सहायक कंपनियों को बहुत काम करना है और इसके लिए आवश्यक है कि मुख्यालय तथा सभी कंपनियों में राजभाषा स्टाफ के निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजभाषा स्टाफ तुरंत रखा जाए तथा वर्तमान स्टाफ को समय-समय पर समुचित प्रोत्साहन मिलें ।

अध्यक्ष महोदय ने समिति को सूचित किया कि वस्त्र संबंधी विषयों पर हिन्दी में मौलिक ग्रंथ लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय एक पुरस्कार योजना प्रारंभ करने जा रहा है । इसका विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 5-4-1989 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में हुई ।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री हरकिशन लाल भगत ने मंत्रालय की समिति के माननीय सदस्यों को बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी तथा कर्मचारी राजभाषा हिन्दी की नीति के कार्यान्वयन का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि सदस्यगण जानते हैं, इस मंत्रालय का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में फैले हुए हैं । सरकारी कामकाज में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अधिकाधिक अनुपालन की दिशा में यह मंत्रालय हमेशा प्रयत्नशील रहा है । दिसम्बर, 1988 को समाप्त तिमाही के दौरान

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन शत-प्रतिशत रहा। मंत्रालय में जो पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए, उनका उत्तर हिन्दी में ही दिया गया और ऐसे पत्रोत्तर का प्रतिशत शत-प्रतिशत रहा। तार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी में तार भेजने की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। इस दिशा में सुधार लाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण संबंधी स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है और उसे कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1990 तक पर्याप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि राजभाषा नीति के अनुपालन को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। प्रोत्साहन योजना का उल्लेख करते हुए माननीय मंत्री महोदय ने सदस्यों को बताया कि कर्मचारियों को अपना सरकारी काम मौलिक रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मंत्रालय में मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस दिशा में विगत वर्षों में इस मंत्रालय में हिन्दी दिवस तथा हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान हिन्दी निबंध-लेखन, टिप्पण एवं आलेखन अनुवाद तथा हिन्दी टंकण की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तथा विजेताओं को पारितोषिक प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने अपने सभी अनुभागों तथा माध्यम एककों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वे अपना काम अधिक से अधिक हिन्दी में करें।

अपने उद्‌बोधन के अंत में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रकार की उपलब्धियों के बावजूद, वह राजभाषा कार्य की सफलता का मापदंड यह मानेंगे कि फाइलों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिले।

डा. लक्ष्मीनारायण दुबे ने सुझाव दिया कि "ग" क्षेत्र की हिन्दी पुस्तकों को खरीदने की योजना बनाया जाना बहुत उपयोगी होगा। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस विषय पर समिति की पिछली बैठक में विचार किया गया था। उन्होंने यह जानना चाहा कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। संयुक्त सचिव श्री बालकृष्ण जुत्शी ने बताया कि योजना अभी नहीं बनाई जा सकी है। सर्वप्रथम यह जानकारी लेनी है कि "ग" क्षेत्र में स्थित हमारे माध्यम एककों में कौन-कौन सी पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हुई हैं। तत्पश्चात् आगे की योजना बनाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि इस दिशा में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए और समिति की अगली बैठक में कुछ रूपरेखा रखी जाए।

संयुक्त सचिव श्री बालकृष्ण जुत्शी ने समिति के कार्य-क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि समिति का कार्यक्षेत्र यह है कि वह यह देखे कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का किस सीमा तक उपयोग तथा प्रयोग हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यसूची के साथ तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन हो रहा है। इस पर श्री बाल्मीकि चौधरी ने कहा कि यह कहना पूर्णतया ठीक नहीं है कि मंत्रालय में, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन हो रहा है। इस बैठक से संबंधित जो सूचना तथा कागजात भेजे गए हैं उनमें तार तथा नाम की मोहर अंग्रेजी में है। इस समिति का सारा काम हिन्दी में ही होना चाहिए।

मंत्री महोदय ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रकार की कोई त्रुटि न हो। कार्यसूची भेजी जाएगी तथा तार और पत्र आदि हिन्दी में भेजे जाएंगे।

श्री बाल्मीकि चौधरी ने कहा कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि द्विभाषी कंप्यूटर खरीदे जाएं। मंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि यथासंभव और यथाशीघ्र द्विभाषी कंप्यूटर खरीदे जाएं।

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने समिति की अपनी सदस्यता के लिए मंत्रीजी का आभार प्रकट किया तथा यह जानना चाहा कि परिशिष्ट-2 में धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित आदेशों में से कितने आदेश एक साथ जारी किए गए तथा कितने आदेशों का हिन्दी अनुवाद बाद में जारी किया गया।

संयुक्त सचिव (श्री जुत्शी) ने माननीय सदस्य को यह सूचित किया कि इस दिशा में पूरी सावधानी बरती जाती है और सभी आदेश एक साथ द्विभाषी ही जारी किए गए हैं। सदस्य श्री श्रीवास्तव ने कहा कि यह मंत्रालय की सराहना की बात है।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि मंत्रालय तथा माध्यम एककों में हिन्दी कार्यों एवं हिन्दी से संबंधित रिक्त पद जहां-जहां भी हैं उन्हें तत्काल भरा जाए। सदस्य महोदय ने यह भी कहा कि जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए जिससे हिन्दी में अधिक से अधिक काम हो सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कार्यालयों में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना की पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए।

प्रो. इकबाल अहमद ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति को यह भी बताया गया है कि कुछ कार्यालयों में लोग हिन्दी का अच्छा ज्ञान रखते हैं और कई कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं परंतु हिन्दी का पूर्णरूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया कि माननीय सदस्यों की बातों पर ध्यान दिया जाएगा तथा मुख्य सचिवालय, संबंधित कार्यालय, एवं माध्यम एकक इस पर विशेष ध्यान देंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि सभी माध्यम एककों एवं कार्यालयों में उन सभी कर्मचारियों को, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उनको प्रोत्साहन योजना की जानकारी भी दी जाएगी। जहां तक रिक्त पदों का संबंध है, इसमें माध्यम एकक खाली पदों को भरने के लिए यथासंभव कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती कमला रत्नम ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को अपना काम मूल रूप से हिन्दी में ही करना चाहिए न कि अंग्रेजी में करके उसका हिन्दी अनुवाद कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समिति की बैठक से संबंधित कार्यसूची तथा अन्य सभी कागजात केवल हिन्दी में ही भेजे जाएं, द्विभाषी भेजने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान यथार्थ के लिए कराया जाए न कि आंकड़े बढ़ाने के लिए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि फिलहाल, कार्यसूची आदि द्विभाषी ही प्रेषित किए जाएं। कुछ समय बाद, धीरे-धीरे इसे केवल हिन्दी तक सीमित करने पर विचार कर लिया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक 4 अप्रैल, 1989 को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कु. सरोज खापर्डे की अध्यक्षता में हुई।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव श्री पी. के मेहरोत्रा के अनुरोध पर माननीय मंत्री ने मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों तथा मंत्रालय में सितम्बर, 1988 के दौरान मनाए गए हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। पुरस्कृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण प्रारूप लिखने के लिए प्रोत्साहन योजना

1. श्री ज्ञान चन्द भाटिया, सहायक, द्वितीय पुरस्कार — 300/—रु
2. श्री सुखवीर सिंह, सहायक, द्वितीय पुरस्कार — 300/—रुपए
3. श्री ए. जी. सती, अवर श्रेणी लिपिक, तृतीय पुरस्कार — 150/—रुपए
4. श्री सुदर्शन आर्य अवर श्रेणी लिपिक, तृतीय पुरस्कार — 150/—रुपए

2. हिन्दी सप्ताह टिप्पण एवं प्रारूप लेखन

1. श्री बी. एस. मेन्हास, सहायक, प्रथम पुरस्कार — 200/—रुपए
2. श्री ए. डी. सती, अवर श्रेणी लिपिक, द्वितीय पुरस्कार — 150/—रुपए
3. श्री आर रंगाईराजन, आशुलिपिक, तृतीय पुरस्कार — 100/—रु.

माननीय मंत्री जी ने पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा प्रकट की कि मंत्रालय के अधिकारीगण /कर्मचारीगण इन लोगों से प्रेरणा प्राप्त कर अपने सरकारी काम-काज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

कुछ सदस्यों ने माननीय मंत्री जी से विशेष आग्रह किया कि हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली इन प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कारों की राशि बहुत कम है और इसमें वृद्धि करके यह दुगुनी कर दी जानी चाहिए पुरस्कार विजेताओं की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उनके पुरस्कार जीतने की प्रविष्टि की जानी चाहिए तथा मंत्रालय की पत्रिकाओं में उनकी फोटो छपनी चाहिए। इससे और भी अधिक संख्या में लोग प्रोत्साहित होंगे।

1. मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

सदस्यों ने इस बात पर गम्भीर चिंता व्यक्त की कि मंत्रालय हिन्दी पत्राचार संबंधी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत पीछे है। "क" और "ख" क्षेत्रों का हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत है जबकि मंत्रालय की उपलब्धि मात्र 14 प्रतिशत है। उन्होंने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया कि मंत्रालय द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं और धारा 3 (3) का पालन नहीं किया जा रहा है। हिन्दी में भेजे जा रहे तारों की संख्या भी बहुत कम है। सदस्यों का यह भी आग्रह था कि 25 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

गठित की जानी चाहिए उन्होंने सभी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने के कार्य को भी शीघ्र पूरा कर लिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

सदस्यों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि मंत्रालय के 883 अधिकारियों / कर्मचारियों में से बहुत ही कम अधिकारी / कर्मचारी हिन्दी में काम कर रहे हैं। उन्होंने हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की सेवाओं का पूरा उपयोग न किए जाने पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की।

सदस्यों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भविष्य में सभी इलैक्ट्रानिक टाईपराईटर, कम्प्यूटर और वर्ड प्रोसेसर द्विभाषी ही खरीदे जाएं, और मंत्रालय में उपलब्ध कम्प्यूटरों में द्विभाषी व्यवस्था करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

उन्होंने कहा कि सचिव महोदय की ओर से एक परिपत्र जारी करके हिन्दी में काम करने के लिए अनुरोध किया जाये।

सदस्यों का कहना था कि मंत्रालय के कई नियंत्रणाधीन कार्यालयों में विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित संस्थानों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा प्रमुख अस्पतालों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति अत्यत असंतोषजनक है। इस दिशा में दृढ़ता से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इन कार्यालयों, खासकर "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदमउठाने का आग्रह किया। दवाईयों तथा उनके रैपरों / शीशियों तथा पर्चियों पर उनके नाम, सेवन विधि घटकों के नाम आदि विवरण हिन्दी में भी दिए जाने की बात कही गई।

सदस्यों ने इस बात पर भी बल दिया कि अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती व विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में आदशों/लक्ष्यो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रायः अधिकांश कार्यालयों में इस बारे में सरकारी आदेशों की अपेक्षा की जा रही है। भविष्य में इस ओर ध्यान दिया जाए।

चिकित्सा शिक्षा/अर्ध चिकित्सा शिक्षा में हिन्दी माध्यम

सदस्यों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि इस संबंध में 22 नवम्बर, 1988 को श्री मुकुलचन्द पांडेय की अध्यक्षता में समिति गठित कर लिए जाने पर भी उसकी किसी न किसी कारण से एक भी बैठक नहीं हो सकी। सदस्यों का आग्रह था कि इस समिति की शीघ्र बैठक हो जिससे यह समिति अपना कार्य शीघ्र सम्पन्न कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष ने इस समिति के गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की लेकिन उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आयोग के पास मैडिकल और पैरा मैडिकल से संबंधित सभी विषयों की पुस्तक हिन्दी में उपलब्ध हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पुस्तकों के प्रयोग किए जाने की और सभी संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया क्योंकि इन्हें तैयार करने में बहुत समय शक्ति और मानव संसाधनों का खर्च हुआ है।

मंत्रालय में उप-निदेशक राजभाषा का पद बनाया जाना

समिति के कई सदस्यों ने माननीय मंत्री जी का ध्यान काफी समय से लंबित पड़े इस मामले की ओर आकृष्ट किया और यह आग्रह किया कि वे बैठक में ही इस बारे में मंत्रालय के निर्णय की घोषणा कर दें। इस विषय पर चर्चा के बाद माननीय मंत्री महोदय ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि अगली बैठक से पूर्व ही यह पद बना लिया जाएगा। मंत्री जी की इस घोषणा का सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित विषयों पर हिंदी माध्यम की संगोष्ठी आयोजित किया जाना

सदस्यों का सुझाव था कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विषय से जुड़े सभी प्रमुख संस्थानों से आग्रह किया जाए कि वे अपने वहां आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों से कुछ सम्मेलन/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां केवल हिन्दी माध्यम से आयोजित करें। इससे इस क्षेत्र में हिन्दी के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

5. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई. सी.ए.आर.) में हिंदी के पद

माननीय संसद सदस्य श्री वी तुलसीराम ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि जब 28-9-88 को संसदीय राजभाषा समिति ने आई सी एम आर का निरीक्षण किया था तो कुछ हिन्दी के पद यथाशीघ्र बनाने का आश्वासन दिया गया था। अब आई सी एम आर इस बहाने से पद नहीं बना रहा है कि स्टाफ के बैठकों के लिए स्थान नहीं है। राजभाषा-नीति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हिन्दी के पद शीघ्र बनाए जाने चाहिए।

6. एम. बी. बी. एस. की प्रवेश परीक्षा का माध्यम हिंदी भी होना चाहिए।

श्री मुकुल चंद पांडेय आग्रह किया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) द्वारा ली जाने वाली एम बी बी एस परीक्षा का माध्यम हिन्दी भी होना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राजभाषे है। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से एक याचिका में उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह अपने उस निर्णय पर पुनर्विचार कर जिसमें उक्त परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी रखने की बात कही गई है।

7. चर्चा के अन्त में बैठक का समापन करते हुए माननीय मंत्री जी ने समिति को पुनः आश्वासन दिया कि (क) मंत्रालय हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा । उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया जाएगा । (ख) मंत्रालय में उप-निदेशक (राजभाषा) के पद को अगली बैठक से पहले बना लिया जाएगा। (ग) हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों की राशि दुगनी कर दी जाएगी । (घ) उन्होंने समिति को यह भी सूचित किया कि स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखित/ भारतीय भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों को पुरस्कार देने की योजना के अन्तर्गत पुरस्कार की राशि 5-5 हजार रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 1989-90 से 10-10 हजार रुपए कर दी गई है । मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष ऐसे 10 पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है ।

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 31वीं बैठक गृह मंत्री श्री बूटा सिंह की अध्यक्षता में 31 मार्च, 1989 को नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में हुई ।

2. बैठक को आरम्भ करते हुए समिति के अध्यक्ष ने समिति के सभी सदस्यों, विशेषकर नए सदस्यों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि आज की बैठक की कार्यवाही परिणाममूलक सिद्ध होगी ।

3. मंत्री महोदय ने अध्यक्ष श्री बूटा सिंह ने मंत्रालय के कार्य में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति से सदस्यों को अवगत करते हुए कहा कि मंत्रालय में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों पर अधिक प्रगति हुई है । इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने अधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न शहरों में स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष 43 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और उक्त कार्यालयों के उच्च अधिकारियों से मिलकर वहां राजभाषा नीति की अनुपालन में आई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाए गए । मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के लगभग 43 प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपलों तथा संबंधित कार्यालयों के उप महानिरीक्षकों के साथ अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव स्तर पर बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें इन संस्थानों में सारी प्रशिक्षण सामग्री को हिन्दी में भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

2. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि श्री पन्नालाल ने कई अधीनस्थ कार्यालयों में सामान्य आदेशों को अंग्रेजी में ही भेजे जाने, हिन्दी में तार न भेजे जाने एवं कम संख्या में कार्यशालाएं आयोजित करने का जिक्र किया । समिति ने इस संबंध में सभी कार्यालयों को समुचित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया ।

3. राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को आमंत्रित करने का सुझाव सिद्धान्तः स्वीकार किया गया ।

4. समिति के गैर-सरकारी सदस्य श्री मुकुल चन्द पाण्डेय ने हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों के लिए एक दिन का उद्‌बोधन प्रशिक्षण देने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सदस्यों की समिति में क्या भूमिका रहेगी इसकी स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी । समिति ने राजभाषा विभाग को इस बारे में उचित कार्रवाई करने को कहा ।

5. सदस्यों की राय थी कि गोवा, सिक्किम, दादरा नागर हवेली आदि प्रदेशों में बहुत से लोग हिन्दी भाषा से भिन्न हैं, अतः इन प्रदेशों को "ख" क्षेत्र के अन्तर्गत लाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए । राजभाषा विभाग से इस बारे में में पुर्ण प्रयास करने को कहा गया।

समिति ने निर्णय लिया कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें बारी-बारी से देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित करने का प्रयास किया जाए।

6. समिति के उपस्थित सभी सदस्यों को पहचान पत्र प्रदान किए गए।

7. समिति को बताया गया कि गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में गैर सरकारी सदस्यों में से आसानी से उपलब्ध एक गैर सरकारी सदस्य को प्रेक्षक के रूप में आमन्त्रित करने का निर्णय लिया गया।

8. श्री कृष्णा माधव चौधरी ने राजभाषा क्रियान्वयन कार्यक्रम सेमिनार, समारोह एवं वार्षिक आयोजनों में गैर सरकारी सदस्यों को आमंत्रित करने का सुझाव दिया और कहा कि इस संबंध में गैर सरकारी सदस्यों की उप समितियां बना दी जाएं। जो कार्यक्रमानुसार संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ-साथ समारोहों में भाग ले सकें। इस विषय पर बोलते हुए श्री मुकुल चन्द्र पाण्डेय ने रेल मंत्रालय का जिक्र करते हुए कहा कि वे ऐसे समारोहों में गैर सरकारी सदस्यों की आमंत्रित करते हैं।

महोदय ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय भी इस दिशा में कार्यवाही करेगा।

9. श्री कृष्णा माधव चौधरी का सुझाव था कि "क" क्षेत्र के सभी प्रदेशों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग की अनिवार्यता पर बल दिया जाना चाहिए और वहां से आये अंग्रेजी के पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में दिया

जाना चाहिए। गृह मंत्रालय को चाहिए कि वे उन्हें हिन्दी के प्रयोग की प्रेरणा दें। अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में प्रयास करने का आश्वासन दिया।

10. श्री कृष्णा माधव चौधरी ने सुझाव दिया कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों के राज्यों के सभी स्तरों के न्यायालयों में और पुलिस मुख्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर बोलते हुए केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि श्री पन्नालाल ने कहा कि सभी प्रदेशों में न्यायालयों में हिन्दी में काम करने की सुविधा होनी चाहिए।

11. सरकारी व सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगमों, कम्पनियों, उपक्रमों आदि के प्रश्न पत्रों में हिन्दी का विकल्प देने संबंधी मद पर बोलते हुए श्री मुकुल चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि कृषि मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में यद्यपि हिन्दी का विकल्प है, फिर भी प्रश्न पत्र अभी भी अंग्रेजी में ही होते हैं केन्द्रीय हिन्दी संस्था संघ के प्रधान श्री रामलाल पारीख ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली आर्थिक सेवा आदि परीक्षाओं का दृष्टांत देते हुए कहा कि उनके प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होते हैं। सचिव (राजभाषा) ने इसके उत्तर में समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा सभी विभागीय तथा प्रोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प देने संबंधी आदेश जारी किये जा चुके हैं। ये आदेश केन्द्रीय सरकारी निगमों, उपक्रमों तथा बैंकों पर भी लागू होते हैं।

12. समिति को बताया गया कि हिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में मैट्रिक स्तर की परीक्षा पास करने पर पुरस्कार स्वरूप एक इंक्रीमेंट पहले ही दिया जा रहा है। इस पर बोलते हुए श्री के० के० नम्बूदिरी ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अहिन्दी भाषी लोगों को कुछ अर्से के लिए हिन्दी भाषी जगहों में तैनात किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ बैंकों में किया भी जा रहा है। ऐसे वातावरण में रहने और व्यवहार करने से ये लोग हिन्दी आसानी से अपना सकेंगे। अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव की सराहना की।

13. समिति को बताया गया कि राजभाषा के कार्य और उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त नोट भेजा जा चुका है। इस पर बोलते हुए केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्था संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि राजभाषा विभाग ने हिन्दी की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कम्पनियों, केन्द्रीय उपक्रमों बैंकों आदि में भी हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए

सदस्यों ने राजभाषा विभाग को और अधिक मजबूत बनाने का अनुरोध किया। श्री राजेश्वरयेया का कहना था कि शिक्षा विभाग का कुछ कार्य राजभाषा विभाग के अंतर्गत लाया जाना चाहिए जैसे हिन्दी की स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान आदि देने से संबंधित कार्य शब्दकोष बनाना इत्यादि श्री नम्बूदिरी ने कहा कि एक ऐसी समिति गठित की जानी चाहिए जो अहिन्दी भाषी विद्वानों द्वारा हिन्दी में रचे गये ग्रन्थों के प्रकाशन का निर्णय करें। ताकि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ भी प्रकाशित होते रहें अध्यक्ष महोदय ने इन विचारों का स्वागत किया।

14. समिति को केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य की जानकारी दी गई। सदस्यों ने सुझाव दिया कि समिति की बैठकों का कार्यवृत्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भी नियमित रूप से भेजा जाए, जिसे मान लिया गया।

15. समिति के सदस्यों को राजभाषा नीति के महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन भेंट किया गया। यह सुझाव दिया गया कि इस प्रकाशन को एक समूल्य प्रकाशन बना कर इसकी बहुत सारी प्रतियां प्रकाशित करके व्यापक रूप से वितरित की जाएं, ताकि पूरे देश में सरकार की भाषा नीति की जानकारी मिल सके।

16. सदस्यों को 16 सितंबर, 1988 को सम्पन्न अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की विषय वस्तु से अवगत कराया गया। श्री कृष्ण माधव चौधरी एवं श्री मुकुल चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि ऐसे सम्मेलन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिनमें मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भी बुलाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदें

(1) श्री मुकुल चन्द पाण्डेय ने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था से कठिनाई हो रही है, अतः हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसकी छूट दी जानी चाहिए और सारी कार्यवाही हिन्दी में की जानी चाहिए।

(2) उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा विभाग अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी के सभी विद्वानों की एक नामिका तैयार करें। और विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों में उसकी नायिका से सदस्यों का नामांकन किया जाए।

(3) के० के० कृष्णन नम्बूदिरी ने कहा कि भाषा के प्रचार में दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है परन्तु इसके कार्यक्रमों में भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है

उन्होंने कहा कि समय समय पर हिन्दी में परिचर्चाएं आयोजित की जानी चाहिए जिनमें अहिन्दी भाषी लोग भी भाग लें सकें ताकि, देश में हिन्दी का व्यापक प्रचार हो।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग)

रक्षा विभाग और तीनों सेनाओं तथा अन्तर सेवा संगठनों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री श्री कृष्णचंद्र पंत की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 18वीं बैठक 31 मार्च, 1989 को हुई। रक्षा मंत्री श्री पंत ने माननीय सदस्यों का स्वागत किया और बताया कि रक्षा विभाग, तीनों सेना मुख्यालय आदि राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेनाओं का संगठनात्मक ढांचा और कार्य की प्रकृति, सिविल विभागों से भिन्न होने के कारण कुछ क्षेत्रों में एकदम अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करना संभव नहीं है। फिर भी यह संतोष की बात है कि (1) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया जा रहा है, (2) हर स्तर पर इसका प्रयास किया जा रहा है कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र मूलतः हिन्दी में ही हों, (3) सेना विनियमों का अनुवाद किया जा चुका है, (4) अतिरिक्त देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जा रहे हैं, (5) हिन्दी के काम के लिए पद बनाये जा रहे हैं, (6) कर्मचारियों को हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया जा रहा है, (7) विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति देखने के लिए वार्षिक निरीक्षण किये जा रहे हैं, (8) प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी अनुवाद किया जा रहा है, (9) हिन्दी न जानने वाले इंस्ट्रक्टरों को प्राथमिकता के आधार पर हिन्दी में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और (10) हिन्दी तथा अंग्रेजी को मिलीजुली भाषा में प्रशिक्षण दिए जाने पर बल दिया जा रहा है।

(1) तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले प्रशिक्षण तकनीकी प्रकाशनों का अनुवाद।

सदस्यों ने बताया कि तीनों सेनाओं की प्रशिक्षण स्थापनाओं में इस्तेमाल होने वाले लगभग 30 हजार मैनुअल, डाकेट और प्रेसी आदि हैं, जिनमें से अधिकांश सेना के हैं और इनमें से 1316 का अनुवाद हो चुका है। शेष सामग्री को मानदेय के आधार पर सेवारत/सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों की मदद से शीघ्र अनुदित किए जाने के लिए मानदेय की दरों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

प्रो. चमन लाल सप्रू, डा. वी.एन. फिलिप और डा. वेद प्रताप वैदिक का सुझाव था कि मानदेय की दरों का आकर्षक होना चाहिए ताकि योग्य और अनुभवी अनुवादक इस काम के लिए आगे आ सकें। राजभाषा विभाग के सचिव श्री आर.के. शर्मा ने बताया कि नेशनल बुक ट्रस्ट अनुवाद के लिए 60 रुपए प्रति हजार शब्द मानदेय के रूप में देता है जब कि इलैक्ट्रोनिकी विभाग ने अपने यहां तकनीकी और वैज्ञानिक सामग्री के हिन्दी अनुवाद के लिए 100 रुपए प्रति हजार शब्द रखे हैं।

(2) रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान द्वारा प्रकाशित सामग्री को हिंदी में भी निकाला जाए।

डा. वेद प्रताप वैदिक ने इस बात पर पुनः बल दिया कि इस संस्थान द्वारा प्रकाशित सामग्री को हिन्दी में भी निकाला जाए। उनका सुझाव था कि इस संस्थान को इसके लिए अतिरिक्त धन दिया जाना चाहिए। संस्थान के निदेशक ने, जो बैठक में उपस्थित थे, कहा कि मौजूदा संसाधनों के अन्तर्गत जितना संभव हो सकेगा कि वे इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

(3) सीधी भरती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग।

सदस्यों ने इस बात की सराहना की कि तटरक्षक संगठन ने यांत्रिकों की भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र द्विभाषी प्रकाशित करने शुरू कर दिए है। लेकिन उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि तटरक्षक सेवा में नाविकों और वायुसेना में वायुसैनिकों की भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अभी भी केवल अंग्रेजी में होते हैं। तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधि ने बताया कि नाविकों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्र रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान तैयार करता है और उनके पास अभी हिन्दी में प्रश्नपत्र तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। सदस्य उनके इस कथन से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि तकनीकी ट्रेड अर्थात् यांत्रिकों के लिए कार्मिकों की भर्ती के प्रश्नपत्र अगर द्विभाषी रूप में बनाना संभव है तो गैर तकनीकी ट्रेड अर्थात् नाविकों की भर्ती के प्रश्न पत्र द्विभाषी बनाए जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जो ने निर्देश दिया कि तटरक्षक को नाविकों को अगली परीक्षा से इस सुझाव को कार्यान्वित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

वायु सैनिकों की भर्ती परीक्षा में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में वायुसेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रश्न पत्रों को द्विभाषी रूप में उपलब्ध किए जाने के लिए उन्होंने एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है। उनके अनुसार गैर तकनीकी ट्रेडों के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि दिसम्बर, 1989 तक 30 से 40 प्रतिशत प्रश्न द्विभाषी रूपों में प्रकाशित किए जाने लगेंगे और उसके बाद अगले तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर 40 से 45 प्रतिशत तक कर दिया जायगा। उसके बाद इसमें और

वृद्धि करने के लिए स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तकनीकी ट्रेडों के बारे में भी उन्होंने बताया कि दिसम्बर, 1989 तक 25 से 30 प्रतिशत प्रश्न द्विभाषी प्रकाशित किए जाने लगेंगे और फिर अगले तीन वर्षों के दौरान इसे बढ़ाकर 30 से 35 प्रतिशत तक कर लिया जाएगा। उसके बाद, इसमें और आगे वृद्धि करने के लिए स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सदस्य वायुसेना की प्रस्तावित योजना से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि तकनीकी और गैर तकनीकी ट्रेडों में वायु-सैनिकों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्र द्विभाषी बनाये जाने चाहिए ताकि उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी एक में देने का विकल्प रहे। रक्षा मंत्री जी ने वायुसेना मुख्यालय के प्रतिनिधि से कहा कि वे इस योजना में और तेजी लाने पर विचार करें।

(4) रक्षा विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों में 31 दिसंबर, 1988 को समाप्त तिमाहीं के दौरान हिंदी के प्रयोग के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा।

इस संबंध में चर्चा के दौरान सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव दिए :—

(1) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने सामान्य आदेशों को द्विभाषी रूप में जारी किए जाने की दिशा में हुई प्रगति की सराहना की और साथ ही यह भी कहा कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(2) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि चाहते थे कि हिन्दी में काम करने के लिए हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए।

(3) सदस्यों का सुझाव था कि हिन्दी के जो पद मंजूर हो गए हैं, लेकिन इस समय खाली पड़े हुए हैं, उन्हें यथाशीघ्र भर दिया जाए। सचिव (रक्षा वित्त) का कहना था कि वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी पदों को अगले 2–3 वर्षों में क्रमिक आधार पर भरा जा सकेगा।

(4) सदस्य यह भी चाहते थे कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दी गई सूचना में सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों के बारे में भी जानकारी शामिल होनी चाहिए।

(5) रक्षा विभाग, उसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में रोमन और देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या।

डा. वेद प्रताप वैदिक ने सुझाव दिया कि यद्यपि इसका प्रयास किया जाना चाहिए कि सभी कार्यालय उस अनुपात में देवनागरी टाइपराइटर खरीदें, जिसका निर्धारण राजभाषा विभाग ने वार्षिक कार्यक्रम में किया है लेकिन साथ ही उसी अनुपात में हिन्दी में भी काम बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार खरीदें गए देवनागरी टाइपराइटरों का पूरा उपयोग हो सके।

(6 तीनों सेनाओं की विभिन्न यूनिटों/फार्मेशनों द्वारा प्रकाशित गृहपत्रिकायें हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों को भिजवायी जायें।

प्रो. चमन लाल सप्रू का कहना था कि पिछली बार जब वे वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान, जलाहली गये थे तो उन्हें ('ताम्बरम वायु ज्योति' नामक पत्रिका देखने को मिली थी, जिसमें दी गई सामग्री का स्तर इतना अच्छा नहीं था। उनका आग्रह था कि ऐसी पत्रिकाओं के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस प्रकार की अन्य गृह पत्रिकाओं की प्रतियां उन्हें और अन्य सदस्यों को भेजी जाएं ताकि वे उसके स्तर में सुधार करने के लिए सुझाव दे सकें। इस संबंध में यह तय हुआ कि नमूने के रूप में कुछ पत्रिकाओं की प्रतियां सेनाओं से मंगवा कर सदस्यों को भेज दी जाएंगी।

(7) सेनाओं के अधिकारियों द्वारा विभिन्न यूनिटों/फार्मेशनों का निरीक्षण

प्रो. सप्रू का सुझाव था कि जब भी सेनाओं के अधिकारी अपनी निचली फार्मेशनों में जायें तो वे यह भी देखें कि उन फार्मेशनों के दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कहां तक हो रहा है। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है और सेनायें छः माह में एक बार इस बारे में रिपोर्ट दे सकती है।

(8) हिंदी में रक्षा शब्दावली का निर्माण।

डा० वेद प्रताप वैदिक ने सुझाव दिया कि हिन्दी में रक्षा शब्दावली तैयार की जानी चाहिए, ताकि रक्षा संगठन में सभी संबंधित कार्यालयों को हिन्दी में काम करने में सुविधा हो। इस संबंध में उन्हें बताया गया कि रक्षा संगठन से संबंधित लगभग 27000 शब्दों की एक समेकित रक्षा शब्दावली पहले ही वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने प्रकाशित की हुई है और उसका उपयोग किया जा रहा है। इस शब्दावली की कुछ प्रतियां उन अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायें, जो उनकी मांग करें या फिर इसकी प्रतियां पुस्तकालय में रखी जायें।

(9) तकनीकी विषयों पर हिंदी में विचार विनिमय के लिए गोष्ठियों का आयोजन।

श्री भगवान सिंह ने सुझाव दिया कि समय समय पर ऐसी गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिनमें विभिन्न तकनीकी विषयों पर हिन्दी में विचार-विनिमय किया जाए। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी विषयों

पर हिन्दी में धारा प्रवाह रूप में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा और हिन्दी भाषा भी समृद्ध होगी। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि सुझाव स्वीकार किया जा सकता है।

वाणिज्य मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 13 मार्च, 1989 को आयोजित बैठक वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

श्री दिनेश सिंह ने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से हमारी पिछली बैठकों में बहुत सार्थक चर्चा होती रही है और आपकी सलाह और सुझाव के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय तथा इसके संगठनों में राजभाषा कार्य आगे बढ़ रहा है। अभी हाल में संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने वाणिज्य मंत्रालय का निरीक्षण किया और इसमें हुई प्रगति के लिए बधाई दी। यह स्थिति आपके सुझावों के कार्यान्वयन से ही संभव हो सकी है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले निर्णय के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय तथा उसके संगठनों में राजभाषा स्टाफ बढ़ाने के लिए कार्यवाही चल रही है। राजभाषा अधिनियम के रजत जयन्ती वर्ष में राजभाषा कार्य को विशेष गति देने के लिए एक उप समिति बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न संगठनों की विशिष्ट राजभाषा उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि निर्यात निरीक्षण परिषद के महानिदेशक ने गैर सरकारी संगठनों तक से एक परिपत्र द्वारा अनुरोध किया है कि वे विदेशों में जाने वाले माल की पैकिंग और सूचना साहित्य में हिन्दी का प्रयोग करें। समिति के सुझावों पर अमल करते हुए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड ने राजभाषा नीति का उत्तम पालन करने पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रशंसात्मक टिप्पणी (पाजिटिव एन्ट्री) करने की शुरूआत भी की है। इस संबंध में मंत्रालय में भी निर्देश जारी किए गए हैं। यह सभी प्रयास सराहनीय हैं।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अभी राजभाषा कार्य की गति तेज करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से राजभाषा कार्य की सफलता की कसौटी यह कि फाइलों में हिन्दी अधिक से अधिक दिखाई दे तथा टिप्पणियां और मसौदे तथा पत्राचार ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में हों। इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारी ज्यादा रुचि दिखाकर अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें तभी यह संभव होगा।

चर्चा प्रारंभ करते हुए डा. रत्नाकर पाण्डेय ने कहा कि यह हर्ष की बात है कि चाय बोर्ड, स्पाईसेस बोर्ड, ईसीजीसी, निर्यात निरीक्षण परिषद, एम्पीडा, रबड़ बोर्ड, आदि संगठनों ने समिति के निर्णयों को बहुत गंभीरता से लिया है तथा अपने चयन निष्ठा से पूरे ही नहीं किए बल्कि कुछ नई और अनूठी पहल भी की हैं। डा. पाण्डेय ने कहा कि संगठनों की पत्रिकाओं के नाम, उनके काम और अभीष्ट जानकारी को हिन्दी में व्यक्त करने वाले होने चाहिए। उदाहरण के लिए "स्पाइस इंडिया" पत्रिका बहुत सुन्दर है किन्तु इसका नाम हिन्दी में होना चाहिए।

डा. पाण्डेय तथा श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रस्तुत रिपोर्टों से ऐसा लगता है कि मंत्रालय में और संगठनों में कार्यशालाओं के आयोजन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कार्यशालाएं बहुत उपयोगी रहती हैं और इनका आयोजन अधिक से अधिक संख्या में जल्दी-जल्दी किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि कार्यशालाओं का आयोजन माननीय सदस्यों के सुझाव के अनुसार किया जाएगा।

डा. पाण्डेय और श्री यादव ने टेलेक्स आदि यांत्रिक सुविधाएं शीघ्र ही द्विभाषी करने पर बल दिया। उन्होंने आई आई एफ टी को इस दिशा में पहल करने पर बधाई दी। अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि मंत्रालय में और सभी संगठनों में इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं।

डा. पाण्डेय, श्री यादव तथा श्री पन्नालाल शर्मा ने कहा कि अध्यक्ष महोदय ने स्वयं अपने उद्बोधन में संकेत किया है कि हिंदी का मूल पत्राचार बढ़ाने की जरूरत है। इसे बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि मूल पत्राचार बढ़ाने के लिए कई दिशाओं से, बहुमुखी तथा बहुआयामी प्रयास किए जाएं।

श्री यादव ने अध्यक्ष महोदय को मंत्रालय और उसके संगठनों के विशिष्ट और अनूठे राजभाषा प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक मार्के की बात यह है कि उत्तर की तुलना में दक्षिणी और पूर्वी भारत में स्थित संगठन अधिक निष्ठा और तेजी से राजभाषा नीति पर अमल कर रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि कम्प्यूटर आदि यांत्रिक सुविधाओं को सभी जगह द्विभाषी किया जाए। जहां यह सुविधाएं द्विभाषी हैं (उदाहरण के लिए हिंदी साफ्टवेयर उपलब्ध हो तो) वहां उनका द्विभाषी प्रयोग भी किया जाए, उनसे केवल अंग्रेजी काम ही नहीं लिया जाए। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव को उपयोगी बताते हुए आदेश दिया कि तदनुसार कार्रवाई की जाए।

श्री यादव के इस सुझाव को भी अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदित कर दिया कि राजभाषा कार्य के लिए (1) छोटी-छोटी समयबद्ध योजनाएं बनें और (2) इसके लिए अलग से पर्याप्त बजट व्यवस्था की जाए। श्री यादव के ही इस सुझाव पर भी अध्यक्ष महोदय ने अमल करने का आदेश दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का सभी स्तरों पर गठन हो, उन्हें सक्रिय और चुस्त रखा जाए तथा इनके सदस्य स्वयं अपना काफी काम हिंदी में करके उदाहरण प्रस्तुत करें।

श्री यादव ने कहा कि माल की पैकिंग तथा सूचना साहित्य में हिंदी का प्रयोग कराने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद की पहल सराहनीय है । परिषद के इस प्रयास को व्यापक अखिल भारतीय रूप दिया जाए और अगली बैठकों में यह बताया जाए कि (1) सरकारी संगठनों ने और (2) गैर-सरकारी संगठनों ने इस पर कितना अमल किया जाना संभव हो तो पैकिंग मैटेरियल और सूचना साहित्य के नमूने भी सदस्यों को दिखाए जाएं ।

अध्यक्ष महोदय ने तदनुसार समुचित और नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया ।

श्री यादव ने ई. सी. जी. सी. कार्यालय में राजभाषा कार्य के लिए गोपनीय पोजिटिव एन्ट्री करने के निर्णय की बहुत प्रशंसा की । उन्होंने जानना चाहा कि यह निर्णय सिद्धांत रूप तक सीमित है या इस पर इस वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय अमल भी हुआ है । उन्होंने यह भी जानना चाहा कि मंत्रालय तथा अन्य संगठनों में उस संबंध में क्या कार्रवाई हुई और यदि नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि संगत सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए ।

श्री यादव ने कहा कि मंत्रालय में तथा संगठनों में राजभाषा स्टाफ बढ़ाने के लिए अध्यक्ष महोदय के आदेश कई बार हो चुके हैं, फिर भी इस आदेश का निश्चित पालन और उसका परिणाम सामने नहीं आ रहा है । इस बारे में निश्चित तथ्य और आंकड़े अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाएं । अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए ।

श्री यादव ने कहा कि "रबड़ की पौधाई शीर्षक" पुस्तक पर रु. 1,000/- का पारिश्रमिक कम है । इसी प्रकार पत्रिकाओं के लेखों पर भी रु. 75/- जैसे पारिश्रमिक कुछ भी नहीं हैं । इन्हें बढ़ाया जाए ताकि लेखक प्रोत्साहित हों और वाणिज्य मंत्रालय की पत्रिकाओं में स्तरीय सामग्री छपने के लिए मिले ।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि इस सुझाव पर समुचित कार्रवाई की जाए और राशि बढ़ाई जाए ।

श्री यादव ने निम्नलिखित सुझाव भी दिए:—

(क) देवनागरी में तारों की संख्या बढ़ाई जाए ;

(ख) नियम 10(4) के साथ-साथ नियम 8(4) के अंतर्गत भी कार्रवाई बढ़े ;

(ग) हिंदी में 100% काम के लिए अनुभागों तथा प्रभागों/शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाए ;

(घ) हिंदी भाषा, हिंदी टाइप तथा हिंदी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण की गति तेज की जाए ;

(ङ.) टाइपराइटरों तथा स्टेनोग्राफरों की संख्या निर्धारित अनुपात तक लाई जाए ;

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि सुझावों के अनुसार कार्रवाई की जाए ।

डा. पाण्डेय, श्री यादव तथा श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि राजभाषा कार्य के निरीक्षण की गति बहुत धीमी है, इसे बढ़ाया जाए । अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि तदनुसार कार्रवाई की जाए ।

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि श्री पन्ना लाल शर्मा ने वाणिज्य मंत्रालय तथा उसके संगठनों को बधाई दी और धन्यवाद भी दिया कि उनके सुझाव के अनुसार पिछली बैठक में समिति के अध्यक्ष माननीय वाणिज्य मंत्री जी के भाषण के एक वाक्य को आदर्श साक्ष्य मानकर उसका प्रचार-प्रसार किया गया है ।

"मेरी समझ से राजभाषा कार्य की सफलता की कसौटी यह है कि फाइलों में हिंदी अधिक से अधिक दिखाई दे तथा टिप्पणियां और मसौदे तथा मूल पत्राचार ज्यादा से ज्यादा हिंदी में हों । इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारी ज्यादा रुचि दिखाकर अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें, तभी यह संभव होगा।"

—श्री दिनेश सिंह, वाणिज्य मंत्री

श्री शर्मा ने निम्नलिखित सुझाव भी दिए:—

(क) मंत्रालय और संगठनों में राजभाषा कार्य के समर्थन में निकलने वाले उल्लेखनीय आदेशों की प्रतियां समिति के सदस्यों को भी दी जाएं ।

(ख) गोपनीय रिपोर्टों में पाजिटिव एन्ट्री के बारे में ई.सी.जी.सी.की पहल का व्यापक अनुकरण हो।

(ग) काण्डला निर्यात, जोन, काफी बोर्ड, पूर्ति विभाग, पूर्ति निपटान महानिदेशालय, रबड़ बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, आदि संगठनों में धारा 3(3) का उल्लंघन जारी है ।

यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा उल्लंघन कहीं भी नहीं हो ।

(घ) हिंदी स्टेनोग्राफरों की स्थिति बहुत दयनीय है। "ग" क्षेत्र में तो इनकी कहीं अधिक आवश्यकता है । इनकी संख्या, उपलब्धि, सेवा-शर्तों, आदि सभी बातों में सुधार किया जाए ।

(ङ.) अनुवाद शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए । मंत्रालय ने हिंदी टाइप और हिंदी स्टेनोग्राफी की अपनी "इन हाउस" व्यवस्था का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है । आवश्यक हो तो अनुवाद प्रशिक्षण के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की जाए ।

(च) राजभाषा स्टाफ की समुचित व्यवस्था में विलम्ब नहीं किया जाए ।

(छ) अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षित तथा प्रवीणता प्राप्त तो बहुत हैं किन्तु काम बहुत कम करते हैं। इसके कारण देखे जाएं तथा बाधाएं दूर की जाएं।

(ज) कोड, मैनुअल आदि अनूदित हैं किन्तु मुद्रित या साइक्लोस्टाइल्ड नहीं हैं। यह स्थिति सुधारी जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने उपर्युक्त सुझावों को उपयोगी बताते हुए तदनुसार कार्रवाई का आदेश दिया ।

अध्यक्ष महोदय ने एस टी सी के प्रतिनिधि से स्वयं पूछा कि उनके यहां से "क" तथा "ख" क्षेत्र को मूल हिंदी पत्र बहुत ही कम जाने का क्या कारण है । उन्होंने कहा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, स्टाफ आदि आवश्यक सुविधाएं जुटाई जाएं और स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि करके रिपोर्ट दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने एम एम टी सी के प्रतिनिधि से भी मूल हिंदी पत्राचार कम होने और अंग्रेजी तार बहुत जाने के बारे में स्थिति बताने को कहा । एम एम टी सी के प्रतिनिधि डा. मधुकर ने कहा कि टेलेक्स खराब होने पर तार चले जाते हैं । उन्होंने मूल हिंदी पत्राचार बढ़ाने का आश्वासन दिया । डा. पाण्डेय के यह पूछने पर कि एम एम टी सी में द्विभाषी टेलेक्स मशीन कब तक लग जाएगी, डा. मधुकर ने आश्वासन दिया कि तीन महीने में यह कार्रवाई हो जाएगी । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह वचन पूरे होने चाहिए और इनकी रिपोर्ट समिति को मिलनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय ने आई आई एफ टी की पत्रिका में हिंदी खण्ड जोड़ने पर संतोष व्यक्त किया किंतु यह भी कहा कि हिन्दी खण्ड केवल डेढ़ पृष्ठ का है । इसका विस्तार किया जाए और उपयोगी सामग्री हिंदी में दी जाए ।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभु दयाल ने बताया कि राजभाषा स्टाफ के मानदण्डों का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है और इस संबंध में निर्देश शीघ्र ही जारी हो जाएंगे जिनके अनुसार निदेशक (रा. भा.) तक का पद न्यूनतम अपेक्षित राजभाषा स्टाफ में आ सकता है ।

प्रो. जगन्नाथन ने कहा कि कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती । इसके प्रयोग में जिस्ट कार्ड आदि सुविधाएं सामने आ चुकी हैं । हिंदी साफ्टवेयर प्रचुरता से उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में वाणिज्य मंत्रालय और उसके संगठनों के सारे कंप्यूटर अगली बैठक तक द्विभाषी हो जाने चाहिए। डा० पाण्डेय ने कहा कि नागरी लिपि के साफ्टवेयर अगली बैठक तक सभी कंप्यूटरों के लिए अवश्य आ जाएं ।

अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव को बहुत अच्छा बताते हुए आदेश दिया कि सभी संगठनों के अध्यक्ष स्वयं यह सुनिश्चित करें कि हिंदी साफ्टवेयर तथा शब्द संसाधक (वर्ड प्रोसेसर) यथाशीघ्र आ जाएं और उनका उपयोग भी

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की आठवीं बठक पर्यावरण और वन मंत्री श्री जैड० आर० अन्सारी की अध्यक्षता में 24 फरवरी, 1989 को सम्पन्न हुई ।

पर्यावरण और वन मंत्री श्री अंसारी ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत करते हुए 30 दिसम्बर, 1988 को हुई पिछली बैठक के बाद सरकारी काम्काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया । संक्षेप में उन्होंने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया :—

– यद्यपि हिन्दी का प्रयोग करने में काफी कुछ कठिनाइयां भी हैं, लेकिन हम अपने मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं और इससे स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है ।

–हिन्दी टाइपराइटरों, हिन्दी टाइपिस्टों और हिन्दी स्टेनोग्राफरों के मामले में हमने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ।

– राजभाषा विभाग के सहयोग से हम अपने कर्मचारियों के लिए पर्यावरण भवन में हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण की कक्षाएं चला रहे हैं ।

–भारतीय वन सेवा की परीक्षाए यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं। फिर भी, हम परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के विकल्प को लागू करने के बारे में उक्त आयोग से निरन्तर अनुरोध कर रहे हैं ।

– हम अपने मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा अनुपालन कर रहे हैं । मूल पत्रों के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से सन्तोषजनक नहीं है, लेकिन इसके लिए सभी सम्बन्धित कार्यालयों से सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया है ।

–प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में हमने आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं तथा हिन्दी स्टाफ भी मंजूर कर दिया है । इसके अलावा प्रशिक्षण सामग्री का समयबद्ध तरीके से हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया है ।

हमने विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र द्विभाषी करने तथा उनके उत्तर हिंदी में देने की छूट दिए जाने के बारे में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, जहां साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है, वहां भी अभ्यर्थियों को अपने उत्तर हिंदी में देने की छूट दे दी गई है। —श्री अंसारी

सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की व्यापक टिप्पणी के लिए उनकी प्रशंसा की, जिसमें कार्यसूची की सभी मदें शामिल थीं।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने "प्राणी-जगत" नामक पत्रिका प्रकाशित की है, जबकि राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ने "प्रकृति का अद्भुत जाल-पारिस्थितिकी" नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया है। मंत्री जी ने इन दोनों प्रकाशनों का अपने कर-कमलों से विमोचन किया। सदस्यों ने इन दोनों प्रकाशनों की काफी सराहना की।

सदस्यों ने मंत्रालय में हो रही हिन्दी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा आशा व्यक्त की कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों की हिन्दी में भेजे जाने वाले मूल पत्रों में सुधार होगा ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

प्रशिक्षण स्थापनाओं में प्रशिक्षण के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग

भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेष संदर्भ में पं० सुधाकर पाण्डेय का कहना था कि राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियम स्वायत्त निकायों पर भी समान रूप से लागू होते हैं, जबकि संक्षिप्त टिप्पणी में कहा गया है कि ये नियम स्वायत्त निकायों पर लागू नहीं होते हैं। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में राजभाषा विभाग के परामर्श से मामले की जांच की जाये।

कुछ सदस्यों का विचार था कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के पास वानिकी आदि विषयों की काफी पुस्तकें पाण्डुलिपि के रूप में उपलब्ध हैं। इसी तरह अन्य स्वायत्त संस्थाएं भी हो सकती हैं, जो धन की कमी की वजह से इन पाण्डुलिपियों का प्रकाशन नहीं कर पा रही हैं। अतः मंत्रालय को उनकी सहायता करनी चाहिए। इस पर यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के पास कुछ पाण्डुलिपियां ऐसी है, जो 8-10 वर्ष पहले लिखी गई थी और सम्भवतः वे आज की परिस्थिति में अधिक उपयोगी सिद्ध न हो, फिर भी मंत्रालय उनकी प्रतियां मंगाकर उनकी जांच करा सकता है ताकि जो पाण्डुलिपियां उपयोगी समझी जाएं उन्हें प्रकाशित किया जा सके।

बैठक के अंत में मंत्री जी ने बताया कि यह बैठक वर्तमान समिति की अन्तिम बैठक है, क्योंकि इसका कार्यकाल पूरा हो गया है। इसलिए मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें उपयोगी सुझाव दिए हैं तथा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दिया है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक ऊर्जा मंत्री श्री वसंत साठे की अध्यक्षता में 22 फरवरी, 1989 को शास्त्री भवन, कोयला विभाग के सम्मेलन कक्ष में आरम्भ हुई।

ऊर्जा मंत्री श्री साठे ने अपने संक्षिप्त भाषण में सभी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी पूर्व व्यवस्तता के कारण गोवा में हुई हिंदी संगोष्ठी में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने गोवा सरकार का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस संगोष्ठी/प्रदर्शनी के आयोजन में अपना सक्रिय योगदान दिया।

कार्यसूची की पहली मद पर विचार-विमर्श के दौरान बैठक के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री महोदय ने जानना चाहा कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों से पत्र-व्यवहार का जो लक्ष्य तय किया गया है उसमें कहां तक प्रगति हुई है। समिति के सदस्य सचिव एवं संयुक्त सचिव श्री जोशी ने बताया कि ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और शीघ्र ही 25 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। इस पर अध्यक्ष महोदय और समिति के अन्य सदस्यों ने टिप्पणी की कि 25 प्रतिशत का लक्ष्य तो बहुत ही कम है। यह लक्ष्य 50 प्रतिशत के करीब तो होना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने हिंदी में कार्य करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में जानना चाहा ताकि उनपर विचार किया जा सके और उनका कोई समाधान ढूंढा जा सके। उन्होंने कहा कि हिंदी का कार्य करने के लिए यदि स्टाफ की कमी है तो इस कमी को पूरा किया जाए। हिंदी से संबंधित स्टाफ की नियुक्ति करने में कोई रोक नहीं है। हिंदी के काम के लिए स्टाफ को बढ़ाया जाना चाहिए। समिति के सदस्य-सचिव श्री जोशी ने बताया कि हिंदी का कार्य जानने वाले कर्मचारियों की तैनाती उन अनुभागों में की जा रही है जहां पर हिंदी का कार्य अधिक है और इससे प्रगति की आशा है। हिंदी में भेजे गए मूल पत्राचार में भी काफी वृद्धि हुई है। समिति के सभी सदस्यों ने एक स्वर में अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य तो बहुत ही कम है।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा "क" और "ख" क्षेत्र के लिए मूल पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत है अतः इस विभाग में भविष्य में "क" और "ख" क्षेत्र के साथ समस्त पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही होगा। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को अनुदेश दिए कि मूल पत्राचार के संबंध में 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बैठक मार्च के अंतिम सप्ताह में बुलाई जाए और मूल पत्राचार के संबंध में 100 प्रतिशत का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें हुई प्रगति की समीक्षा उस बैठक में रखी जाए।

एक अन्य विषय पर चर्चा के दौरान समिति के सदस्य श्री मुकुल चंद पांडेय ने कहा कि तेल एवं प्राकृतिक आयोग द्वारा देहरादून में की गई संगोष्ठी की तरह ही इस विभाग द्वारा भी एक संगोष्ठी बंगलौर में आयोजित की जाए जिसमें वैज्ञानिक विभागों तथा नोडल एजेंसियों के वैज्ञानिकों को

आमंत्रित किया जाए जिसमें वे अपने वैज्ञानिक लेख हिन्दी में ही प्रस्तुत करेंगे। ऊर्जा मंत्री महोदय ने इस सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे मंत्रालय के तीनों विभागों के वैज्ञानिकों की एक संगोष्ठी की जाएगी जिसमें सभी वैज्ञानिक लेख हिंदी में ही प्रस्तुत किए जाएंगे और इस संगोष्ठी के समन्वय एवं आयोजन का कार्य कोयला विभाग करेगा। यह संगोष्ठी तीन दिन चलेगी—इस संगोष्ठी का सारा कामकाज हिंदी में ही होगा तथा वैज्ञानिक लोग अपने पेपर हिंदी में ही पढ़ेंगे तथा प्रस्तुत करेंगे। यह सम्मेलन अगस्त माह में उस समय आयोजित किया जाए जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मेलन दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा।

उपर्युक्त विचार-विमर्श एवं निर्णयों के पश्चात् संसद सदस्य श्री मिर्जा इरशाद बेग ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी में कार्य करने के लिए यदि कोई अभाव है तो वह अभाव है मानसिकता का। लोग यह कहते हैं कि हिंदी थोपी जा रही है जब कि वास्तविकता यह है कि लोगों पर अंग्रेजी थोपी जा रही है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सोच-विचार करके ही देश की राजभाषा हिंदी घोषित की।

समिति के सदस्य श्री मुकुल चंद पांडेय ने कहा कि "क" तथा "ख" क्षेत्र के साथ समस्त पत्र-व्यवहार हिंदी में ही किया जाए। कुछ अंग्रेजी पत्रों का हिंदी में अनुवाद भी कराया जा सकता है। श्री नरेन्द्र अंजारिया ने भी इसी बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनभाषा का अधिकाधिक रूप में प्रयोग किया जाए और उसमें प्रचलित आम शब्दों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने शब्दावली उपसमिति के कार्यों के बारे में भी बताया। इस उप-समिति की अगली बैठक शीघ्र ही होने जा रही है। बैठक के अध्यक्ष एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शब्दावली अगस्त तक तैयार हो जाय ताकि यह उस सम्मेलन में भी रखी जा सके। ऊर्जा भारती के प्रकाशन के लिये स्टाफ की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

अध्यक्ष महोदय ने पुनः इस बात पर की ओर संकेत किया किया कि हिंदी के कार्य के संबंध में यथोचित स्टाफ की नियुक्ति पर कोई पाबन्दी नहीं है। इसके अलावा वर्तमान कर्मचारियों को हिंदी टाइप का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है और वे ही कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाने पर हिंदी में कार्य कर सकते हैं अर्थात् उसी स्टाफ से हिन्दी का कार्य भी लिया जा सकेगा। प्रशिक्षण के द्वारा हिन्दी स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ज्यादा से ज्यादा काम और पत्र-व्यवहार हिंदी में हो। संयुक्त सचिव श्री जोशी ने कहा कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है और इसके लिए हमने एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है और आशा की जाती है कि दिसम्बर, 1989 तक सभी कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। वास्तव में हमारे विभाग में हिंदी में कार्य करने की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है।

जलभूतल परिवहन मन्त्रालय

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक जल-भूतल परिवहन मंत्री श्री राजेश पायलट की अध्यक्षता में दिनांक 7-2-89 को गोआ में हुई। बैठक में श्री पी नमग्याल उप मंत्री ने भी भाग लिया।

माननीय मंत्री श्री राजेश पायलट के स्वागत भाषण से पूर्व मुरगांव, गोवा पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष रियर एडमिरल श्री आर आर सूद ने सभी सदस्यों का गोवा में स्वागत किया और मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट में किए जा रहे कायकलापों का संक्षिप्त परिचय दिया।

2. श्री वी. एल. पंवार, संसद सदस्य, श्री गोपाल मिश्र, श्री सुधाकर पाण्डेय, श्री आर. शौरिराजन डा राजेश्वरय्या, डा महीप सिंह, श्री वी. के सिन्हा और डा एन. चन्द्रशेखरन नायर का सुझाव था कि मंत्रालय और उसके कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों आदि में किसी भी विषय पर जब-जब कोई सम्मेलन या संगोष्ठी आयोजित की जाए तो सम्मेलन में संगोष्ठी के अध्यक्ष द्वारा यह अपील की जाए कि सभी अधिकारी और कर्मचारीगण अपना काम करते समय अधिकाधिक रूप से हिन्दी का प्रयोग करें।

3. निरीक्षण दौरों के दौरान हिंदी के प्रयोग की समीक्षा

श्री सुधाकर पाण्डेय, श्री गोपाल मिश्र, श्री आर शौरिराजन, श्री एम, राजेश्वरय्या, डॉ० महीप सिंह, डा , एन , चन्द्रशेखरन नायर का यह भी सुझाव था कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण जब मंत्रालय के किसी भी कार्यालय/निगम या उपक्रम आदि में निरीक्षण दौरों पर जाएं तो वे अन्य बातों के साथ-साथ हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का भी निरीक्षण करें।

4. कंप्यूटरों के लिए अनुवाद संबंधी सोफ्ट-वेयर की खरीद

श्री गोपाल मिश्र ने सुझाव दिया कि मंत्रालय में कम्प्यूटरों के लिए हिन्दी के कुंजी पटल संबंधी सामान्य सोफ्ट वेयर खरीदने के अतिरिक्त अनुवाद संबंधी सोफ्ट वेयर खरीदने पर भी विचार किया जाए। समिति ने इस सुझाव को स्वीकार किया।

5. मंत्रालय और उसके कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों स्वायत्त निकायों आदि में हिंदी पदों की व्यवस्था के बारे में

मंत्री जी ने इस संबंध में आदेश दिया कि मंत्रालय और सभी कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों आदि के संबंधित सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके यहां हिन्दी का कोई भी पद खाली नहीं है। सभी पदों पर तत्काल तैनातियां/भर्तियां की जाएं और इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट 31 मार्च, 1989 तक हर हालत में संयुक्त सचिव (पत्तन) को भेजी जाए ताकि इन रिपोर्टों के आधार पर सभी सदस्यों को इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में सूचित किया जा सके।

6. मुरगांव पत्तन न्यास के "लोगों" में अंग्रेजी अक्षरों के साथ हिंदी अक्षरों को समाविष्ट करने पर विचार करना।

समिति ने यह राय व्यक्त की कि मुरगांव पत्तन न्यास के अध्यक्ष कृपया इस पर विचार कर लें और पत्तन न्यास के 'लोगों' में अंग्रेजी अक्षरों के साथ-साथ अंग्रेजी अक्षरों से पूर्व हिन्दी अक्षरों को शामिल करने के संबंध में कार्यवाही करें।

7. डा एन चन्द्रशेखरन नायर ने सुझाव दिया कि मंत्रालय की हिन्दी पत्रिका में हिन्दी सलाहकार समिति की की बैठकों में की गई सिफारिशों के अनुपालन के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। समिति ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया।

8. मंत्री जी ने आदेश दिया कि मंत्रालय के "ग" क्षेत्र में स्थित अधीनस्थ सम्बद्ध कार्यालय/उपक्रम/निगम आदि अपने अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए हर महीने किसी एक लोकप्रिय हिन्दी फिल्म का प्रदर्शन आयोजित करें।

9. अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में हिंदी में प्रगामी प्रयोग के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

मुरगांव पत्तन न्यास के कार्य-निष्पादन में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मुरगांव पत्तन न्यास के उप सचिव श्री ए.बी. गाडगिल ने एक रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद श्री गाडगिल ने अपने हिन्दी कर्मचारियों की पदोन्नति की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस सम्बंध में समिति के सदस्य सचिव श्री योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव (पत्तन) ने यह राय जाहिर की कि ऐसे मामलों में हिन्दी कर्मचारियों/अधिकारियों को ठीक नीचे के नियम (Next below Rule) के अन्तर्गत पदोन्नति देने पर विचार किया जा सकता है।

इस संबंध में समिति के उपाध्यक्ष श्री पी. नमग्याल, उपमंत्री जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का कहना था कि हिन्दी कर्मचारियों को पदोन्नति करने में नियमों के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है तो उन नियमों में समुचित परिवर्तन करने पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि सभी पत्तनों में हिन्दी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिए।

कोचीन पत्तन न्यास में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए वहां की हिन्दी अधिकारी श्रीमती हेमलता ने यह अनुरोध किया कि कोचीन पत्तन न्यास के अध्यक्ष को सदस्य के रुप में शामिल किया जाए। समिति की राय थी कि हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करते समय इस अनुरोध को ध्यान में रखा जाए।

श्री आर. शौरिराजन ने, कहा कि विशाखापत्तनम डाक लेबर बोर्ड में हिन्दी अधिकारी की तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए। समिति ने इस सुझाव को स्वीकार किया और यह सिफारिश की कि विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें।

हिन्दी पदो पर तैनाती/नियुक्ति के संबंध में मंत्री जी ने यह भी कहा कि यदि कार्यालयों में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध हों जो तकनीकी क्षेत्र के होते हुए भी हिन्दी का ज्ञान रखते हों तो उन्हें भी हिन्दी पदों पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जाए ।

10. राजभाषा कार्यान्वयन समिति में हिंदी सलाहकार समिति सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाना

सूचना दी गई कि मंत्रालय ने हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य श्री गोपाल मिश्र को अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के प्रेक्षक के रुप में नामित कर लिया है। इस संबंध में समिति को यह जानकारी दी गई कि मंत्रालय की ओर से सभी कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों आदि को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे अपने-अपने कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में हिन्दी सलाहकार समिति के एक स्थानीय गैर सरकारी सदस्य को जो आसानी से उपलब्ध हो सके प्रेक्षक के रुप में नामित कर लें। समिति को यह भी सूचित किया गया कि इस संबंध में कुछ कार्यालयों ने अपने यहां कार्यवाही की है।

समिति की राय थी कि इस संबंध में मंत्रालय की ओर से एक अनुसूची बना कर सभी कार्यालयों आदि को अनुपालन के लिए भेज दी जाए।

11. टी. एस. राजेंद्र में हिंदी में परीक्षाएं देने की व्यवस्था करना

समिति की यह राय थी कि प्रशिक्षण पोत राजेन्द्र में जो परीक्षा आयोजित की जाती हैं उनमें परिक्षार्थियों को हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। मंत्री जी ने कहा कि इस सुझाव पर महानिदेशक, नौवहन अपेक्षित कार्यवाही करें।

13. नौवहन संबंधी तथा मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिंदी पुस्तकें तैयार करने के बारे में

श्री गोपाल मिश्र ने कहा कि नौवहन पर हिन्दी पुस्तकें तैयार करने के लिए कुछ विशेषज्ञ तैयार हैं यदि उन्हें सरकार की ओर से यह कार्य सोंपा जाए। श्री सुधाकर पाण्डेय का कहना था कि इस संबंध में एक कार्यदल की स्थापना की जानी चाहिए जो संबंधित क्षेत्रों में जाकर इस संबंध में सर्वेक्षण करेगा और पुस्तकें तैयार कराने का उत्तरदायित्व लेगा। मंत्री जी ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में यह करना अपेक्षित होगा कि सदस्यगण मंत्रालय को, ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते भेज दें ताकि मंत्रालय इस संबंध में उनसे सम्पर्क करके यह पूछ सकें कि वे किन-किन विषयों पर तथा किन-किन शर्तों पर किस-किस तरह की पुस्तकें लिखने के लिए सहमत होंगे। इस संबंध में विशेषज्ञों से पत्र-व्यवहार करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और आगे की कार्यवाही के लिए मार्ग खुल सकेगा।

इस्पात विभाग

हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 1-2-1989 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष इस्पात और खान मंत्री की अनुपस्थिति में सचिव (इस्पात) ने इस की अध्यक्षता की।

सचिव (इस्पात) ने बताया कि हम राजभाषा कार्यान्वयन समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रेक्षक नियुक्त करने के संबंध में कार्यवाई कर रहे हैं। श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी ने कहा कि विभाग तथा विभाग के अधीन उपक्रमों में प्रेक्षक नियुक्त करने का सुझाव बहुत सुन्दर है, अतः इस सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रो. चमम लाल सप्रू ने कहा कि इस्पात विभाग तथा इसके अधीन उपक्रमों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रेक्षक नामित किया जाए। उनका सुझाव मान लिया गया।

द्विभाषी कम्प्यूटरों के इस्तेमाल करने के सुझाव पर सचिव (इस्पात) ने बताया कि द्विभाषी कम्प्यूटर का साफ्टवेयर बनाने में कुछ कठिनाई है। डा. बालसुब्रह्मण्यन ने कहा कि मद्रास में अंग्रेजी, हिन्दी तथा तमिल का त्रिभाषी कम्प्यूटर है तो हिन्दी का साफ्टवेयर बनवाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सचिव (इस्पात) ने कहा कि हम इस बारे में अपने उपक्रमों को पत्र लिखेंगे और अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट देंगे।

श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी ने कहा कि इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं शुरु की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सूचना मिली है कि समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिस्ट्री में एम.ए. करने पर दो वेतन-वृद्धियां दी जाती हैं और हिन्दी में एम. ए. करने पर कोई वेतन-वृद्धि देने का प्रावधान नहीं है।

सचिव (इस्पात) ने पूछा कि क्या उपक्रमों में ऐसा होता है? "सेल" के उपाध्यक्ष श्री शिवराज जैन ने बताया कि हिन्दी या अंग्रेजी में एम.ए. करने वाले को कोई वेतन-वृद्धि नहीं दी जाती है। लोक प्रशासन में एम.ए. करने वालों को दो वेतन-वृद्धियां दी जाती हैं। इस बारे में पूरी जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

डा. पि.के. बालसुब्रह्मण्यन ने बताया कि हाल ही में मैं बोकारो गया था, वहां पर हिन्दी में काफी तेज गति से कार्य हो रहा है।

प्रो. चमनलाल सप्रू का कहना था कि इस्पात विभाग के अधीन जिन कार्यालयों/उपक्रमों में अभी भी हिन्दी के पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी ने कहा कि जिन उपक्रमों में हिन्दी अधिकारी नहीं हैं, उनमें हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि मुझे सूचना मिली है कि जब तक कार्मिकों की संख्या निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हो जाती, तब तक हिन्दी अधिकारी नहीं रखे जा सकते। सचिव (इस्पात) ने कहा कि मैं इस संबंध में जांच कराऊंगा कि किन उपक्रमों में हिन्दी अधिकारी नहीं हैं। डा. बालसुब्रह्मण्यन ने कहा कि सभी उपक्रमों के हिन्दी अधिकारियों की एक अद्यतन सूची उपलब्ध कराई जाए।

रेल मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 34वीं बैठक श्री महाबीर प्रसाद, उप रेल मंत्री की अध्यक्षता में 25-1-89 को रेल भवन, नयी दिल्ली में सम्पन्न हुई।

3. चर्चा के दौरान निम्नलिखित सिफारिशें की गयीं:—

(1) चूंकि परिचालन कर्मचारियों को निर्धारित अवधि में प्रशिक्षित करना सम्भव नहीं है, इसलिए उन्हें कम से कम हिंदी वर्णमाला और वार्तालाप का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन पाठ्यक्रम शुरू किये जायें, ये पाठ्यक्रम दक्षिण/दक्षिण—मध्य/दक्षिण-पूर्व/पूर्व रेलवे में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों और सिस्टम टेक्निकल स्कूलों में चलाये जायें।

(2) जिन स्थानों पर हिंदी टाइप/आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं, वहां विभागीय व्यवस्था की जाए, ताकि निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण कार्य पूरा हो सके।

(3) प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने की सुचारू व्यवस्था करने के लिए उन अनुदेशकों को, जिन्हें हिंदी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के सहयोग से गहन पाठ्यक्रम चलाकर प्रशिक्षित करने की सम्भावना पर विचार किया जाये, जिन अनुदेशकों/संकाय सदस्यों को हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान है, उन्हें कार्यशाला के माध्यम से समुचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दे सकें।

(4) रेलों द्वारा आयोजित भर्ती/विभागीय परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प देने से संबंधित वर्तमान आदेशों पर नियमित निगरानी रखी जायेगी। रेलों को यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि न केवल लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी माध्यम का विकल्प दिया जायेगा बल्कि साक्षात्कार में जो उम्मीदवार हिंदी में उत्तर देना चाहेंगे, उनसे प्रश्न भी हिंदी में किये जायेंगे।

(5) "क" और "ख" क्षेत्रों के लिए सभी पास/पी.टी.ओ. हिंदी में तैयार करने के जो आदेश दिये गये हैं, उनका सभी कार्यालयों में अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(6) सभी कार्यालयों /स्टेशनों पर फाइलों/रजिस्टरों के शीर्ष हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में लिखने का कार्य जून, 1989 तक पूरा करा लिया जाए।

(7) जिन कार्यालयों में नक्शों/चार्टों के शीर्ष अभी तक हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नहीं लिखे गये हैं, उन्हें यह काम शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए जाएं।

(8) रेलों को निर्देश दिये जाएं कि "क" और "ख" क्षेत्रों में रजिस्टर हाथ में ली की जाने वाली प्रविष्टियां यथासम्भव हिन्दी में की जाएं।

(9) "क" और "ख" क्षेत्र के कार्यालयों में कुछ विषय और फाइलें तय कर ली जाएंगी, जिनमें हिंदी जानने वाले कर्मचारी यथासंभव हिंदी में टिप्पणियां लिखेंगे।

(10) रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों में मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारगर कार्रवाई की जाए।

(11) "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों पर खानपान रसीदों, अमानती सामान घर की रसीदों, अतिरिक्त किराया टिकट रसीदों, बिस्तर रसीदों आदि में यथासंभव हिंदी का प्रयोग किया जाए।

(12) रेलवे में हिंदी विभाग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने से संबंधित स्थिति पर चर्चा की गयी, यह सुझाया गया कि या तो रेलवे द्वारा पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसर जुटाये जाएं या फिर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के संवर्ग के साथ इसे मिलाने की संभावनाओं का पता लगाया जाए, सभी पक्षों की छानबीन करके इस संबंध में स्थिति-रपट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

(13) रेलवे भर्ती बोर्ड, बम्बई द्वारा 20 जनवरी को ग्रेड-II सिविल अभियंता की लिखित परीक्षा में हिंदी माध्यम का विकल्प न दिये जाने की शिकायत की जांच की जाएगी।

(14) रेलों पर सीसीटी वी के माध्यम से दी जाने वाली सभी सूचनाओं में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए रेलों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

(15) रेल भवन के द्वार पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को दी जाने वाली मुलाकातियों की सूची हिंदी में दी जाए।

(16) रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित स्टेशन नामावली को अद्यतन बना कर पुनः रेलों को परिपत्रित किया जाए।

(17) इलाहाबाद और रतलाम मंडलों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर विशेषरूप से नजर रखी जाए।

(18) रोमन टेलीप्रिंटरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, वह देवनागरी टेलीप्रिंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी दी जाए।

(19) रेलवे की समय-सारणियों को हिंदी-अंग्रेजी डिग्लाट रूप में छपवाने की व्यवहारिकता की जांच की जाए, जिससे कि हिंदी की समय-सारणी के विलम्ब से मिलने की शिकायत न रहे।

(20) जोधपुर और बीकानेर मंडलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी के प्रयोग की उपेक्षा की शिकायत की जांच की जाए।

(21) उत्तर रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के सदस्यों को दिये गये पहचान-पत्र, समिति की बैठकों की कार्यसूची आदि का द्विभाषीकरण सुनिश्चित किया जाए।

(22) "रेल राजभाषा" का मार्च, 1989 का अंक 'राजभाषा प्रगति विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जाए।

(23) राजभाषा संगठन के अधिकारी क्षेत्रीय रेल कार्यालयों/स्टेशनों आदि पर हिंदी के प्रयोग का गहन निरीक्षण करेंगे। अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी अपने निरीक्षण के दौरान सरसरी तौर पर हिन्दी प्रयोग की स्थिति का जायजा लेंगे।

(24) मैसर्स साफ्टेक द्वारा विकसित देवबेस पैकेज के गहन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर पर्सनल कम्प्यूटरों के द्विभाषीकरण की दिशा में आगे कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ में भी प्रथम चरण के रूप में पी.सी. में हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था के प्रयास किए जाएंगे।

(25) आरक्षण चार्टों को हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओंमें निरपवाद रूप से प्रदर्शित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

योजना मंत्रालय

योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक योजना मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 1989 को योजना भवन में हुई।

नव वर्ष में हो रही पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 1987-88 के दौरान हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करके सांख्यिकी विभाग ने "इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड" का द्वितीय पुरस्कार जीता है। उन्होंने यह भी कहा कि सांख्यिकी विभाग ने अपने अनुभागों /प्रभागों में स्वस्थ स्पर्धा के लिए राजभाषा चल वैजयन्ती का प्रावधान किया है। यह वैजयन्ती कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक के दौरान प्रदान की जाती है। अध्यक्ष ने आगे कहा कि सितम्बर, 1988 में योजना आयोग द्वारा बड़े उत्साह से हिन्दी सप्ताह मनाया गया।

डा लक्ष्मी नारायण दुबे ने गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से अध्यक्ष का अभिनन्दन किया और नव वर्ष की बधाई दी। श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने बठकों की नियमितता की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे लगभग 14 वर्षों से योजना आयोग से परिचित हैं, पर जिस नियमितता से अब हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें हो रही हैं, वैसी पहले कभी नहीं हुई हैं।

(1) योजना संबंधी हिन्दी शब्दावली निर्माण उप समिति

डा लक्ष्मी नारायण दुबे ने योजना संबंधी हिन्दी शब्दावली के बारे में कहा कि रेल मंत्रालय और खान मंत्रालय ने भी अपने-अपने मंत्रालयों के काम से संबंधित शब्दों के हिन्दी रूपान्तरों का निर्माण किया। इसी प्रकार योजना आयोग में भी योजना विषयक शब्दावली का हिन्दी रूपान्तर तैयार होना चाहिए। श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कई एक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग मूलतः योजना से सम्बन्धित काम में होता है। उदाहरणार्थ मल्टीलेवल प्लानिंग। अएतव, एक समिति गठित कर जितने भी शब्द हों उनका संकलन कर परिचालित करना चाहिए। श्री हुताशन शास्त्री ने कहा कि यह अच्छा होगा यदि केन्द्र और राज्यों में प्रयुक्त शब्दावली में एकरूपता हो। श्री राम कृष्ण त्रिम्बकराव दाणी और श्री जगदीश सैनी ने भी उपसमिति के गठन का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने कहा कि योजना आयोग का संबंध, डिफेंस और कुछ अन्य विभागों को छोड़कर भारत सरकार के सभी विभागों से काम है। ये विभाग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं का प्रयोग योजना आयोग भी करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त शब्दावली योजना आयोग भी प्रयोग में लाता है। उन्होंने कहा कि फिर भी ऐसे शब्दों का एक संकलन तैयार किया जा सकता है, जिनका प्रयोग योजना आयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए पहले से ही उपलब्ध शब्दावलियों का संकलन करके समिति के सामने विचारार्थ रखा जाएगा। अध्यक्ष का विचार था कि अलग से उप समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी समिति ही शब्दावली बनाने पर विचार कर सकती है।

(2) "क" और "ख" क्षेत्रों में योजना प्रस्तावों की पृष्ठभूमि आदि मूलतः हिन्दी में तैयार करना

श्री के के. श्रीवास्तव ने जानना चाहा कि क्या पिछली बैठक के बाद "क" और "ख" क्षेत्रों के योजना प्रस्तावों की पृष्ठभूमि टिप्पणियां आदि मूल रूप से हिन्दी में तैयार की गई। इसके जवाब में श्री बेजल, सचिव, योजना आयोग ने कहा कि इन टिप्पणियों को बनाने का काम बड़े थोड़े समय में करना होता है तथा इनमें सभी प्रभागों के विभिन्न स्तरीय अधिकारियों का योगदान होता है जिससे इस बारे में प्रगति नहीं हो पाई है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि पृष्ठभूमि टिप्पणियां बहुत पहले तैयार कर ली जाती है, इसलिए कम से कम वे टिप्पणियां तो हिन्दी में तैयार की ही जा सकती हैं। इस तरह से थोड़ी शुरूआत हो जाने पर इस काम में प्रगति जरूर होगी।

3 वार्षिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रगति

श्री के.के. श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम की एक गाइड लाईन के रूप में भेजता है और विभिन्न मंत्रालय अपनी क्षमता के अनुसार अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करते हैं परन्तु योजना आयोग में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए वर्ष 1989 का जो कार्यक्रम बने उसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। श्री लक्ष्मी नारायण दुबे ने कहा कि राजभाषा विभाग के लक्ष्य एक प्रतिमान स्थापित करते हैं और प्रत्येक मंत्रालय को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उनमें अनेकता लाना ठीक नहीं है. श्री आर. के. शर्मा, सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि जहां तक लक्ष्य निर्धारण का प्रश्न है, ये हिन्दी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति और संबंधित वर्ष में हिन्दी में काम कर सकने की क्षमता को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रालय उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पाने के लिए सभी मंत्रालयों को प्रयास करना है।

4 उत्पादों पर देवनागरी में सूचना आदि लिखने का प्रावधान

श्री हुताशन शास्त्री का कहना था कि जापान आदि अन्य देशों की भांति भारत में भी उत्पादों पर हिन्दी में जानकारी दी जानी चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय योजना आयोग के अधीन नहीं है, उद्योग विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि पब्लिक अंडरटेकिंग के उत्पादों के बारे में राजभाषा विभाग ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजिज को लिखें।

(5) सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए संगोष्ठी का आयोजन

अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन योजना आयोग करेगा।

(6) योजना मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

श्री के.के. श्रीवास्तव ने कहा कि योजना आयोग द्वारा "क" तथा "ख" क्षेत्रों को लिखे गए पत्रों की संख्या में पिछली तिमाही से कोई प्रगति नहीं हुई, जबकि यहां हिन्दी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी आशुलिपि और टाईपिंग जानने वाले व्यक्तियों की संख्या सरकारी आदेशों के अनुरूप नहीं है और 56 हिन्दी आशुलिपि जानने वालों में से केवल 22 आशुलिपिकों से उनके ज्ञान का लाभ उठाया जा रहा है।

श्री के.के. श्रीवास्तव ने हिन्दी के टाइपराइटरों की संख्या राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुरूप न होने के बारे में भी कहा। श्री वीरेंद्र प्रकाश, सलाहकार (प्रशासन) ने सूचित किया कि हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या बढ़ाने के लिए आयोग ने पिछले वर्ष केवल देवनागरी के टाइपराइटर खरीदे हैं तथा कुछ रोमन टाइपराइटरों के की-बोर्ड हिन्दी में बदलवाए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या नियमानुसार पूरी हो जाएगी।

श्री के.के. श्रीवास्तव ने यांत्रिक सुविधाएं द्विभाषी रूप से उपलब्ध होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना था कि इन द्विभाषी यंत्रों का प्रयोग केवल अंग्रेजी के लिए ही न हो इस ओर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी वर्ड प्रोसेसर अंग्रेजी में हैं। इस संबंध में सलाहकार (प्रशासन) ने कहा कि योजना आयोग के पास जो पर्सनल कम्प्यूटर हैं उनके लिए राजभाषा विभाग से हिन्दी साफ्टवेयर प्राप्त कर लिया गया है और अपने एक-दो कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। जो व्यक्ति अपना काम हिन्दी में करना चाहेंगे, उन्हें धीरे-धीरे यह सुविधा दी जाएगी।

डा. लक्ष्मी नारायण दुबे ने सुझाव दिया कि योजना आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में एक गैर-सरकारी सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया जाए, जिसकी अनुमति राजभाषा विभाग ने भी दी हुई है। अध्यक्ष ने कहा कि यह किया जाएगा।

श्री सैनी ने कहा कि राजभाषा के लिए गठित कार्यदल में हिन्दी सलाहकार समिति का भी एक सदस्य रखा जाए जैसा कि अध्यक्ष जी ने पहले भी माना था।

श्री जगदीश सैनी ने कहा कि इस वर्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि क्योंकि नेहरू जी का योजना आयोग से बहुत नजदीकी संबंध रहा है, इसलिए योजना मंत्रालय इस बारे में कोई कार्यक्रम आयोजित करे तथा "योजना भवन" का नाम "नेहरू भवन" या "जवाहर लाल नेहरू भवन" रखा जाए। अध्यक्ष ने कहा कि योजना आयोग भी 11 और 12 फरवरी 1989 को एक सेमिनार आयोजित कर रहा है।

खान विभाग

खान विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 3 जनवरी, 1989 को आयोजित बैठक में इस्पात और खान मंत्री श्री माखन लाल फोतेदार ने उपस्थित महानुभावों को नव वर्ष की शुभकामनायें दीं। सचिव, खान विभाग ने कहा कि खान विभाग में हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रयोग गत 7-8 वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। वैज्ञानिक संगठनों के अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशन, यथा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्षेत्र-

वार वार्षिक कार्यक्रम, भारतीय खनिज वार्षिकी आदि, हिन्दी में प्रकाशित/प्रसारित किये जाते हैं तथा सरकारी कम्पनियों की गृह पत्रिकाएं, समय-समय पर निकलने वाले अन्य प्रकाशन, यथा--खान ब्यूरो समाचार, नाल्को समाचार, जिंक वाणी, जिंक समाचार, ताम्र संदेश, मैंक समाचार आदि हिन्दी में भी प्रकाशित होते हैं।

समिति के अध्यक्ष श्री माखन लाल फोतेदार ने अपने सम्बोधन में सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि खान विभाग का काम तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकार का है। हमारा निरन्तर प्रयास रहा है कि तकनीकी कामों से संबंधित कागजात जनता की भाषा में तैयार हों। जहां हम खनिजों की खोज और धातुओं के उत्पादन में प्रगति कर रहे हैं वहां हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील हैं। इसके फलस्वरूप इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत 1987-88 वर्ष के लिये खान विभाग को प्रथम, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को द्वितीय और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को तृतीय पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई हैं। खान विभाग अपने ट्रिबूनल्स के काम में भी हिंदी का प्रयोग करने में अग्रसर है। साथ ही हर वर्ष तकनीकी विषयों पर हिन्दी में परिचर्चा सेमिनार का आयोजन किया जाता है। "धातु उद्योग : समस्यायें और चुनौतियां" विषय पर ऐसा एक सेमिनार 25-26 नवम्बर, 1988 को कोरबा (म.प्र.) में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने आयोजित किया जिसमें कई ऐसे वैज्ञानिक विद्वानों, जिनकी मातृभाषा, हिन्दी नहीं है, ने हिन्दी में शोध-पत्र पढ़े और श्रोताओं के प्रश्नों का समाधान भी हिन्दी में किया। मंत्री जी ने यह भी सूचित किया कि खान-विभाग ने भूविज्ञान, खनन एवं अलौह धातु टेक्नोलॉजी से संबंधित अलग तकनीकी शब्द-कोष मुद्रित कराने की कार्यवाही शुरू की है, जिसके लिये लगभग 7000 शब्द छांट लिये गये हैं। मंत्री जी ने कहा कि हिंदी और किसी प्रान्तीय भाषा में कोई टकराव नहीं है। हिन्दी सभी देशवासियों की सम्पत्ति है तथा उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना हम सबका कर्तव्य है।

1. पत्रिकाओं में हिंदी को उचित स्थान देना

श्री विजय कुमार यादव का कहना था कि सरकारी काम का तकनीकी और गैर-तकनीकी के रूप में वर्गीकरण उचित नहीं है। संस्था पत्रिकाओं, यथा नाल्को समाचार (राजभाषा विशेषांक) में कुछ सामग्री केवल अंग्रेजी में छापे जाने, मैंक समाचार में हिंदी के कम पृष्ठ और अंग्रेजी के अधिक पृष्ठ होने तथा "नाल्को समाचार" में हिंदी और उड़िया के केवल दो पृष्ठ होने तथा हिंदी पृष्ठ सबसे अंत में रखने की उन्होंने आलोचना की। अन्य सदस्यों का कहना था कि "नाल्को समाचार" में उड़िया (क्षेत्रीय भाषा) में जानकारी देना सराहनीय प्रयास है, तथापि हिंदी और/या क्षेत्रीय भाषा में जानकारी पत्रिका के आरम्भ में अथवा अंग्रेजी के सामने-सामने छापने के लिये प्रबंध किए जाने चाहियें। अध्यक्ष महोदय ने इससे सहमति व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि हिंदी का प्रयोग पत्रिकाओं के माध्यम से भी शनैःशनैः आगे बढ़ाया जाएगा।

2. एक बैठक में सभी कार्यालयों की बजाए कुछ कार्यालयों के आंकड़ों पर ही चर्चा करना

श्री विजय कुमार यादव का कहना था कि एक बैठक में बहुत सारे कार्यालयों की रिपोर्ट हमारे सामने रखी जाती हैं और बैठक का समय 1-2 घंटे का होता है, अगर एक बैठक में विभाग और "क", "ख" व "ग" क्षेत्र के एक-एक कंपनी कार्यालय पर ही चर्चा हो तो ठीक रहेगा। श्री योगेन्द्र रोगावाल का कहना था कि पहले मंत्रालय की संयुक्त समिति होती थी, अब केवल खान विभाग की है, और विषय भी कम है। अतः सभी रिपोर्टों पर एक-एक करके विचार हो सकता है, फिर भी अगर कोई कार्यालय छूट जाए तो अगली बैठक में उस पर पहले विचार कर लिया जाए। डॉ. अय्यर का कहना था कि सभी कार्यालयों के बारे में एक बैठक में चर्चा की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय ने इससे सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि समय की कोई सीमा नहीं है। एजेंडा के जिन मुद्दों पर सदस्य सहमत नहीं हों, संतुष्ट नहीं हों, उन पर चर्चा होने तक बैठा जा सकता है।

3. हिन्दी में तकनीकी शोधपत्रों/आलेख तैयार करना

डा. लक्ष्मी नारायण दुबे का कहना था कि तकनीकी राजभाषा सेमिनार के माध्यम से भूविज्ञान, खनिज और धातुकर्म जैसे विषयों को जनता के सामने जनता की भाषा में लाने का खान विभाग का प्रयास स्तुत्य है। इससे राजभाषा की प्रगति को सोपान और आयाम प्राप्त होंगे। डा. अबरार अहमद का कहना था कि हिंदी में तकनीकी साहित्य कम उपलब्ध है और तकनीकी सेमिनार के माध्यम से खान विभाग इस कमी को पूरा करने में सहायक होगा। डा. सुधाकर पांडे का अभिमत था कि खान विभाग ने तकनीकी सेमिनार के आयोजन में हिंदी और अन्य भारतीय भाषा-भाषी वैज्ञानिकों को भागीदार बनाकर विज्ञान को सरकारी कामकाज/जीवन में उतारने की दशा में पहल की है। उन्होंने आगे कहा कि मैं खान विभाग के सभी अधिकारियों की प्रशंसा इसलिए करता हूं कि उनके अन्दर हिंदी में काम करने की इच्छा शक्ति है। विज्ञान को हिंदी भाषा के माध्यम से जीवन में उतारने का काम चन्दन का पेड़ उगाने के समान लगन, धैर्य और लम्बी अवधि की अपेक्षा करता है और समय आने पर जैसे चन्दन की सुगंध समूचे वातावरण को मोहक बना देती है, चन्दन काटने वाले को भी अपनी सुगंध से

मोह लेता है, वैसे ही एक दिन खान विभाग का वातावरण हिंदी से महक उठेगा। उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी सेमिनार के माध्यम से खान विभाग द्वारा हिंदी भाषा में तैयार वैज्ञानिक ज्ञान का हिंदी साहित्य का इतिहास और साथ ही विद्या का क्षेत्र भी अभिनन्दन करेगा। श्री योगेन्द्र रोगावाल ने समर्थन करते हुए कहा कि हर प्रतिष्ठान द्वारा एक-एक सेमिनार आयोजित किया जाना चाहिये।

4. राजभाषा कार्यान्वयन के लिए उप समिति का गठन

डा. सुधाकर पांडे का कहना था कि राजभाषा कार्यान्वयन के लिए एक उप-समिति बना ली जाए जो प्रत्येक कार्यालय की क्षमता के आधार पर न्यूनतम काम की योजना (क्या होना चाहिये, क्या नहीं) बनाकर मंत्री जी को प्रस्तुत करे और उसके अनुसार काम हो, क्योंकि यह हिंदी सलाहकार समिति कुछ पास कर ले और कर्मचारी उसे नहीं कर पाएं तो कोई फायदा नहीं। अध्यक्ष ने कहा कि वे इस बारे में सोचेंगे।

5. भूविज्ञान खनन व अलौह धातु संबंधी अलग शब्दावली का प्रकाशन

डॉ. लक्ष्मी नारायण दुबे का कहना था कि खान विभाग ने अपने कार्य से संबंधित करीब 7000 तकनीकी शब्दों का कोश बनाने की कार्रवाई की है, यह अच्छी बात है। उनका आगे कहना था कि शब्दकोश समिति में उन जैसे भाषाविदों को भी रखा जाए तो अच्छा काम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि शब्दावली में हिंदी पर्याय निर्धारण का काम मानव संसाधन मंत्रालय का वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग करता है और हम अपने शब्दकोश में उनके द्वारा निर्धारित शब्द ग्रहण करेंगे। अगर कोई सदस्य उस आयोग को योगदान देना चाहे तो खान विभाग सिफारिश कर देगा। डॉ. अय्यर का कहना था कि धातु शब्दावली बनाने की बात गत 2-3 वर्षों से कही जा रही है, अतः इसे शीघ्र पूरा किया जाए।

6. हिन्दी अधिकारी, अनुवादकों आदि को तकनीकी का सेवाकालीन प्रशिक्षण

डॉ० अय्यर का कहना था कि हिंदी में तकनीकी कागजात अनुवादकों, स्टेनोग्राफरों, हिंदी अधिकारियों द्वारा अनुवाद कराके तैयार किये जाते हैं, जिन्हें किसी तकनीकी काम की जानकारी नहीं होती और इससे संदर्भ विशेष में अनुदित सामग्री में विषयांतर की आशंका हो सकती है; क्योंकि तकनीकी केवल शब्दावली ही नहीं, अपितु भाषा भी तकनीकी होती है। अतः उनका सुझाव था कि अनुवादकों आदि को उपक्रमों द्वारा बारी-बारी से सेवाकालीन तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस प्रसंग में अध्यक्ष का कहना था कि उनके विचार से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के अनेक शब्द टेक्नोलॉजी, नॉन-फेरस इत्यादि स्कूल, कालेज, रोड आदि की तरह लोकप्रिय हो गये हैं और बिना अनुवाद के उन्हें इसी रूप में अपनाया जा सकता है।

7. हिन्दी अधिकारियों आदि के पर्याप्त पद और पदाधिकारियों की पदोन्नति की व्यवस्था

श्री विजय कुमार यादव का कहना था कि किसी काम के लिये जरूरी चीज है, मैन पावर अर्थात् अनुवादकों स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों की। अगर ये पद पर्याप्त नहीं होंगे तो राजभाषा अधिनियम का पालन नहीं हो पाएगा। डॉ. लक्ष्मी नारायण दुबे का कहना था कि राजभाषा का कार्यान्वयन हिंदी काम से जुड़े लोगों की संतुष्टि से आगे बढ़ता है। अतः अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि में प्रोन्नति की अवधि का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिये, ताकि उन्हें और अधिक काम करने के लिये प्रोत्साहन मिले। उनके लिये अलग काडर हो।

8. हिन्दी भाषी क्षेत्रों के साथ समस्त पत्राचार हिन्दी में करना

सांसद श्री अबरार अहमद खान का कहना था कि एजेंडा में पत्राचार के जो आंकड़े दिये गये हैं और उसे आगे बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है, वह सराहनीय है, तथापि जो हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं, वे राजभाषा अच्छी तरह समझते हैं, अतः उनके साथ तो समस्त पत्र व्यवहार हिंदी में होना चाहिये। श्री विजय कुमार यादव का कहना था कि हिंदी पत्राचार राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जाना चाहिए।

9. द्विभाषी नीति का अनुपालन

श्री घनश्याम सिंह का कहना था कि एजंडा से जाहिर है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के कई कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) में उल्लिखित अनेक कागजात, सामान्य आदेश आदि केवल अंग्रेजी में जारी हो रहे हैं। यह कानून का उल्लंघन है, इसे पाप समझा जाना चाहिये। इन कार्यालयों को बता देना चाहिये कि इसके लिये कोई विकल्प नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा अधिनियम एक मार्गदर्शन है, हमें इन धाराओं से आगे और ऊपर बढ़ना है। अतः यह उल्लंघन नहीं होना चाहिये।

10. राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करना

श्री विजय कुमार यादव का कहना था कि राजभाषा नियम 10 (4) में अधिसूचित अनेक कार्यालयों को नियम 8 (4) में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। उनका सुझाव था कि जहां—जहां 80% कर्मचारी हिंदी जानते हैं, वहां ऐसे लोगों से हिंदी में काम करने के लिये कहता

गलत नहीं हैं। यह तत्काल किया जाना चाहिये। उनका दूसरा सुझाव था कि कई कार्यालयों में काफी संख्या में लोग हिंदी प्रशिक्षण के लिये शेष हैं, उन्हें प्रोग्राम बनाकर प्रशिक्षित किया जाए, तो राजभाषा का काफी काम हो सकता है।

11. देवनागरी (हिंदी) टाइपराइटर पर्याप्त संख्या में खरीदे जाएं

श्री विजय कुमार यादव का कहना था कि अनेक कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु साधनों/मशीनों (नागरी टाइपराइटरों) आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजी की मशीनों की बड़ी संख्या को देखकर अंग्रेजी राजभाषा प्रतीत होती है। हिंदी क्षेत्र के कार्यालयों के लिए राजभाषा विभाग ने हिंदी टाइप मशीनों की खरीद तथा टाइपिस्ट व आशुलिपिकों की भर्ती के लिऐ 50 प्रतिशत का नियम बनाया है, जिसका पालन होना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बुधवार, दिनांक 29 मार्च 1989 को संसद भवन, नई दिल्ली में सातवीं बैठक हुई।

मंत्री महोदय ने बताया कि मंत्रालय के विषयों पर मौलिक पुस्तक लेखन के लिए शोध-छात्रवृति प्रदान करने की योजना से राजभाषा विभाग सहमत हैं। अब शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया है।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि अधिक डिक्टेशन देने की प्रोत्साहन योजना को मंत्रालय में लागू किया जा रहा है।

श्री अश्विनी कुमार, सांसद ने कहा कि पिछली बैठक में मंत्री महोदय ने "देश की वाणी" फिल्म पर कार्रवाई को 26-1-89 तक पूरा करने का आश्वासन दिया था जब कि कार्रवाई प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में अभी भी कार्रवाई की जानी शेष हैं। इस पर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि मंत्री महोदय के निदेशानुसार इस सम्बन्ध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राजभाषा विभाग एवं संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिवों को मिलाकर कार्रवाई करनी थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को समय न मिल पाने पर मैंने और राजभाषा विभाग के सिचव ने इस फिल्म को देख कर अपने विचार सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिए। तत्पश्चात सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म प्रभाग को फिल्म में आवश्यक परिवर्तन करके वृत्त-चित्र को फिल्म अनुमोदन बोर्ड से पास करवाने के लिए निर्देश दे दिए हैं।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने सुझाव दिया कि इसके लिए 15 अगस्त, 1989 की तारीख नियत करली जाए। इस पर मंत्री महोदय ने सूचना और प्रसारण की उप सचिव श्रीमती प्रतिमा मोहन से पूछकर समिति को आश्वासन दिया गया कि इस सम्बन्ध में सारी कार्रवाई 15 अगस्त, 1939 तक पूरी करली जाएगी।

श्री अश्विन कुमार, सांसद ने मंत्रालय द्वारा पत्रिका के प्रकाशन के सम्बंध में अद्यतन जानकारी जाननी चाही। इस पर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि लोक सभा सचिवालय "संसदीय पत्रिका" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकाल रहा है। एक ही विषय पर दोहरा प्रकाशन वांछनीय नहीं होगा।

श्री द्वारकादास वेद ने कहा कि राजभाषा अधिनियम 3(3) के अधीन द्विभाषी रूप में जारी कागजात के आंकड़े दिए जात हैं। यदि इसके साथ यह भी बताया जाए कि उनमें से कितनों का मूल प्रारूपण हिन्दी में किया गया तो सही स्थिति का पता चल सकता है।

सचिव, राजभाषा विभाग श्री आर के शर्मा ने बताया कि राजभाषा अधिनियम 3(3) के अधीन जारी कागजात द्विभाषी रूप में साथ-साथ जारी किए जाते हैं और माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित सही आंकड़ें इकट्ठे कर पाना संभव नहीं हो पाएगा।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि मंत्रालय के कम्प्युटरों के लिए साफ्टवेयर हिन्दी का लिया जाए। सचिव, राजभाषा विभाग श्री शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को कम्प्यूटर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उनसे इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यह केन्द्र योजना मंत्रालय के अधीन है जो इस सम्बन्ध में कार्रवाई की देख रेख कर रहा है।

श्री अश्विनी कुमार द्वारा कार्यशालाओं के सम्बन्ध में जानकारी मांगने पर श्री शर्मा सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि वर्ष 1988-89 से यह आदश जारी कर दिए गए हैं कि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को, राजभाषा अधिनियम के अधीन हिन्दी में किए जाने वाले काम का टिप्पण-आलेखन हिन्दी में ही करना होगा। हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के लिए कोई प्रतिशत नहीं रखा गया है। कार्यसाधक, ज्ञान वाले सभी कर्मचारियों को इसमें प्रशिक्षित करना है।

डा. मिश्र ने कहा कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना को अखबारों में विज्ञापन आदि देकर इसका खूब प्रसार-प्रचार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शोध-छात्रवृत्ति और मौलिक पुस्तक लेखन में भिन्नता है।

इस पर मंत्री महोदय ने सदस्य से अपने विचार लिखित रूप में भेजने का अनुरोध किया।

आचार्य राधागोविन्द थोड़ाम ने सुझाव दिया कि राजभाषा हिन्दी पर बनी फिल्मों के बारे में जानकारी सभी हिन्दी संस्थाओं को दी जाए ताकि वह उसे खरीदें।

श्री द्वारका दास वेद ने कहा कि मैंने फिल्म प्रभाग के बम्बई कार्यालय से पूछताछ की परन्तु वहां उसके वीडियों कसेंट उपलब्ध नहीं है। उनको यह बताया गया कि एक निश्चित संख्या में आर्डर मिलने पर फिल्म प्रभाग उनको तैयार करवा कर उपलब्ध करवा सकता हैं।

श्रीमती प्रतिभा मोहन ने सदस्यों को सूचित किया कि फिल्म प्रभाग वीडियो कसट नहीं बनाता है। वह फिल्मों से वीडियो कैसेट अन्य ऐजेन्सीयों से बनवाता है। अतः निश्चित संख्या में आर्डर नहीं होने पर फिल्म प्रभाग के लिए पहले से ही विडियों कैसेट बनवा कर रखना सम्भव नहीं होगा।

श्री सुधाकर पाण्डय ने सुझाव दिया कि हिन्दी संस्थाओं की वीडियों कसट देने में आर्थिक सहायता प्रदान करने प्रश्न की जांच की जानी चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य के सुझाव को आवश्यक जांच हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भिजवा दिया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की/बैठक 27 दिसम्बर, 1988 को श्री हरकिशन लाल भगत की अध्यक्षता में संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

मंत्री महोदय ने समिति को बताया कि मंत्रालय की हिन्दी मौलिक पुस्तक पुरस्कार योजना में इस वर्ष कोई भी पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः अब योजना में संशोधन का विचार है। एक विचार यह भी है कि मंत्रालय के विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए विश्वविद्यालयों अथवा अन्य संस्थानों को शोध छात्रवृतियां देनी प्रारम्भ की जाए। इस प्रकार लिखित पुस्तकों का प्रकाशन मंत्रालय स्वयं करे। इस संबध में मंत्री महोदय ने सदस्यों से अपने विचार भेजने के लिए निवेदन किया।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि मंत्रालय में हिन्दी का एक टेलीप्रिन्टर लगाया गया है।

समिति की 13-9-1988 को हुई बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई प्रतिवेदन।

श्री अश्विनी कुमार सांसद तथा श्री श्रीधर मिश्र ने "देश की वाणी" डाक्यूमेन्टरी फिल्म को फिल्म अनुमोदन बोर्ड द्वारा पास नहीं किए जाने का मामला उठाया। मंत्री महोदय ने कहा कि सचिव, राजभाषा विभाग, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय तथा सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिलकर इस मामले में कार्रवाई करें और यत्न करें कि 26 जनवरी, 1989 से पहले यह डाक्यूमेन्ट्री, फिल्म अनुमोदन बोर्ड से पास हो जाए।

(3) 30 जून, 1988 और 30 सितम्बर, 1988 को समाप्त तिमाहियों के दौरान मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की स्थिति पर सभी सदस्यों ने संतोष प्रकट किया। श्री अश्विनी कुमार सांसद ने यह पूछा कि मंत्रालय में कितने अहिन्दी-भाषी कर्मचारी हिन्दी में दक्ष हैं और कितने हिन्दी-भाषी कर्मचारी हिन्दी में दक्ष नहीं है।

मंत्री महोदय ने कहा कि यह जानकारी एकत्र कर अगली बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिकारियों द्वारा हिन्दी में अधिक पत्र लिखने पर प्रोत्साहन देने के बारे में सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि इस बारे में हाल में एक योजना बनाई गयी है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस पर विचार कर, मंत्रालय में लागू किया जाए।

कोयला विभाग (ऊर्जा मंत्रालय)

हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 21 दिसँबर, 1988 को ऊर्जा मंत्री श्री वसंत साठे की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बैठक सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदी सलाहकार समिति की अभी तक की बैठकें बहुत सार्थक रही हैं। राजभाषा विभाग के वर्ष 1988-89 के वार्षिक-कार्यक्रम के लक्ष्य के अनुसार विभाग ने 6 कार्यशालाएं आयोजित करने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। इन कार्यशालाओं में किए गए अभ्यास कार्यों के आधार पर प्रशिक्षार्थियो को तीन पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि उच्च अधिकारियों को राजभाषा नियमों की अधिक जानकारी देने की दृष्टि से अवर सचिव से लेकर संयुक्त सचिव स्तर तक के सभी अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जो अत्यधिक सफल रहा। इधर विभाग द्वारा मानक-मसौदों के विस्तार पर अधिक जोर दिया गया ताकि हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा मिल सके; उन्होंने समिति को यह भी बताया कि विभाग में अधिक डिक्टेशन देने के लिए अहिंदी-भाषी तथा हिंदी-भाषी अधिकारियों को 500/- रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नव-वर्ष के अवसर पर विभाग द्वारा हिंदी में एक और स्मारिका निकाली जा रही है जो इस बात का द्योतक है कि हमारे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मंत्री जी द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि समिति की पिछली तथा आज की बैठक के दौरान राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) के अंतर्गत केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. और कोल इंडिया लि. के क्षेत्रीय विक्रय कार्यालय लखनऊ तथा पटना को अधिसूचित किया गया।

चर्चा के आरंभ में अध्यक्ष महोदय ने समिति को सूचित किया कि "कोयला उद्योग शब्दावली के निर्माण के लिए जो उप-समिति बनाई गई थी, उसने अपना काम प्रायः पूरा कर लिया है। शब्दावली का प्रकाशन कार्य भी पूरा हो गया है और शीघ्र ही इसका विमोचन किया जाएगा।

2. श्री विजय कुमार यादव ने कहा कि वस्टर्न कोल फील्डस लि., नागपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'खनन-भारती' एक बहुत अच्छी पत्रिका है। इसके लिए व.को.लि. के अधिकारी तथा कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लेखन पर बल दिया और कहा कि जब वे केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि., रांची की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेने गए थे तो उन्होंने पाया कि वहां के लोग मेहनत करके अपने विभाग से संबंधित मौलिक पुस्तकें हिंदी में लिख रहे हैं जो एक अत्यन्त सराहनीय कार्य है। इस तरह का निर्माण कार्य/पुस्तक लेखन कार्य प्रत्येक कंपनी में होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि इस प्रकार के मौलिक ग्रंथ/पुस्तकों के लेखकों को प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की जाए।

3. श्री यादव ने यह जानना चाहा कि राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) के अंतर्गत सभी कंपनियों को अभी तक अधिसूचित क्यों नहीं किया गया है? इस पर विभाग के संयुक्त सचिव ने समिति को बताया कि 6 अधीनस्थ कार्यालयों/कंपनियों को अधिसूचित किया जाना था जिनमें से 3 कार्यालयों को अधिसूचित कर दिया गया है। शेष तीन कार्यालयों को अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

4. टाइपराइटरों की चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि पहली बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि 50% टाइपराइटरों को हिंदी में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए तथा देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या के बराबर की जानी चाहिए। विभागीय प्रतिनिधि ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 51 टाइपराइटरों रोमन के हैं और 24 टाइपराइटर हिंदी के हैं। हमारा लक्ष्य यह था कि हम शीघ्र ही 10 और नई हिंदी की मशीनें खरीद लेंगे, परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण अभी यह खरीद संभव नहीं हो पायी है। समिति को यह आश्वासन दिया गया कि इस वित्त वर्ष में 10 और नए हिंदी के टाइपराइटर खरीद लिए जाएंगे और इस प्रकार विभाग में हिंदी के 34 टाइपराइटरों हो जाएंगे। रोमन-लिपि के कुछ टाइपराइटरों क देवनागरी लिपि में बदलकर 50% का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

5. श्री श्यामा चरण तिवारी ने कहा कि कोल इंडिया के अहमदबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कोई हिंदी टकक नहीं है। कानपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में भी कोई हिंदी का टंकक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस समिति की पिछली अनेक बैठकों में यह कहा गया है कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों में कम से कम हिंदी का एक टंकक तो अवश्य ही होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि कोल इंडिया लि. इस बात को गंभीरता से ले तथा शीघ्र ही "क" तथा "ख" क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी स्टाफ की व्यवस्था करे। श्री श्यामा चरण तिवारी ने यह बात भी कहीं कि श्री एस. एन. अग्निहोत्री हिंदी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। विभाग अथवा कोल इंडिया लि. को उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए।

6 केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान लि० रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने कंपनी में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग की प्रगति का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने बताया कि सितम्बर, 1988 माह की "माइनटेक" पूरी तरह हिंदी में ही निकाली गई है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि जब यह पत्रिका हिंदी में छपनी शुरू हो गई है तो इसका नाम भी हिंदी में ही होना चाहिए। अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया कि "माइनटेक" के हिंदी पाठ का नाम "खनन-विज्ञान" रखा जाए।

7. श्री विजय कुमार यादव ने यह जानना चाहा कि केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि. तथा कोयला विभाग के बीच किस भाषा में पत्राचार होता है। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने यह बताया कि मंत्रालय और कंपनी के बीच अधिकांश पत्राचार अंग्रेजी में ही होता है। श्री यादव ने कहा कि राजभाषा विभाग के नियमों के अंतर्गत कंपनी को "क" उतथा "ख" क्षेत्र के साथ अपना पत्राचार मात्र हिंदी में ही करना चाहिए। अध्यक्ष जी ने कंपनी से अधिक पत्राचार मंत्रालय के साथ हिंदी में करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में ही, जो हिंदी में पत्राचार करना संभव न हो, वहां द्विभाषी रूप में पत्राचार किया जाए।

8. मंत्री जी ने निर्देश दिया कि छोटे-छोटे शब्द/वाक्यों से हिंदी में शुरूआत की जाए। उन्होंने अपने निजी सचिव, श्री अभय भावे, को यह निर्देश दिया कि भविष्य में उनकी टिप्पणियां तथा पत्र द्विभाषी रूप में भेजे जाएं।

9. टाइपराइटरों का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि के. खा. आ. एवं डि. सं. लि. में रोमन के 110 टाइपराइटर हैं और इसकी तुलना में हिंदी के टाइपराइटर केवल 19 हैं। यह संख्या बहुत ही कम हैं। श्री महीप सिंह ने यह आश्वासन दिया कि अगले वर्ष सितंबर तक हिंदी के कुछ नए टाइपराइटर खरीद करके तथा कुछ रोमन टाइपराइटरों के "की-बोर्ड" बदल कर हिंदी में टाइपराइटरों की वृद्धि की जाएगी। उन्होंने समिति को यह भी आश्वासन दिया कि हिंदी टंकण में प्रशिक्षण देकर हिंदी टंककों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। श्री आंजनेय शर्मा ने कहा कि जितने अधिक से अधिक रोमन टाइपराइटरों के "की-बोर्ड" बदल कर

देवनागरी टाइपराइटर बनवाएं जा सकें, उन्हें वैसा किया जाए, परन्तु भविष्य में जो भी खरीद की जाए वह द्विभाषी टाइपराइटर की ही की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि सभी कंपनियां भविष्य में द्विभाषी टाइपराइटर ही खरीदें और के.खा.आ. एवं डि. सं. लि. हिंदी के टाइपराइटरों के 50 प्रतिशत लक्ष्य को सितंबर, 1989 तक पूरा करें।

10. श्री विजय कुमार यादव ने कहा कि हर कंपनी में प्रशिक्षण की ढिलाई है। अनेक कार्यालयों में लोग हिंदी प्रशिक्षण पा लेते हैं और प्रशिक्षण पाने का भत्ता लेते हैं, परन्तु वे हिंदी में काम नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के बाद जो व्यक्ति काम करता है केवल उसे ही अतिरिक्त भत्ता दिया जाए।

11. श्री आंजनेय शर्मा ने प्रशिक्षकों का विषय उठाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय से प्रशिक्षकों की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है। अतः कंपनियां अपना अलग प्रबंध करें। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसमें अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और ऐसा करना संभव नहीं है। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभु दयाल ने कहा कि वे प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के आधार पर दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा विभाग इस मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाकर कंपनियों को प्रशिक्षकों/प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध कराए ताकि प्रशिक्षण का काम यथाशीघ्र पूरा हो सकें।

12. श्री यादव ने राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत के. खा. आ. एवं डि. सं. लि. द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुभागों की चर्चा करते हुए कहा कि अभी तक बहुत कम अनुभाग हिंदी में कार्य करने हेतु अधिसूचित किए गए हैं जो स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस कमी को शीघ्र ही पूरा किया जाए। श्री महीप सिंह ने समिति को बताया कि उनका मुख्यालय अभी हाल ही में नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित हुआ है। अब वे शीघ्र ही नियम 8(4) के अंतर्गत अधिकतर अनुभागों को विनिर्दिष्ट करने की कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समिति की अगली बैठक तक नियम 10(4) और नियम 8(4) के अंतर्गत सभ कार्रवाई पूरी कर ली जाएं।

13. कोड, मैनुअल, तथा फार्मों की चर्चा करते हुए श्री यादव ने यह जानना चाहा कि 32 कोड/मैनुअलों में से 4 का अनुवाद कब तक हो जायेगा। श्री महीप सिंह ने बताया कि यह शेष फार्म कोल इंडिया लि. के हैं। कोल इंडिया लि. के अध्यक्ष श्री एम. पी. नारायणन ने समिति को आश्वासन दिया कि यह कार्य मार्च, 1989 तक पूरा कर लिया जाएगा।

14. के.खा.आ. की रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 5 की मद सं. 10 का उल्लेख करते हुए श्री श्यामा चरण तिवारी ने कहा कि अभी तक 651 अधिकारियों तथा 871 कर्मचारिय को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। उन्होंने जानना चाहा कि शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को कब तक कार्यसाधक ज्ञान करा दिया जाएगा। श्री महीप सिंह ने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र यह कार्य बचे हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर पूरा कर लिया जाएगा। श्री तिवारी यह भी जानना चाहते थे कि कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से कितने व्यक्ति हिंदी में काम करते हैं। श्री महीप सिंह ने यह आश्वासन दिया कि अगली बैठक में यह सूचना समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

15. मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि., रांची का जो "कोल तकनीकी सेमीनार" आयोजित किया जा रहा है, वह फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाए और इसी अवसर पर "कोयला उद्योग शब्दावली" का भी विमोचन किया जाए। उक्त बैठक/सेमीनार में समिति के सभी सदस्य भी भाग लें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18-11-88 को सूचना और प्रसारण मंत्री श्री हर किशन लाल भगत की अध्यक्षता में संसदाय सौंध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

सबसे पहले मंत्री महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया और बताया कि जैसा कि उन्होंने पिछली बैठक में कहा था कि मंत्रालय हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए अधिक से अधिक काम कर रहा है, इस वर्ष मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा हिन्दी पर "हिन्द की वाणी" नामक एक वृत्तचित्र बनाया है, जिसे 14 सितम्बर, 1988 को दूरदर्शन पर दिखाया गया। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी दिवस के उपलक्ष में मंत्रालय ने कुछेक हिन्दी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की, जिनके सफल प्रतियोगियों को बाद में नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने सभी सदस्यों को हर्षपूर्वक सूचित किया कि मंत्रालय में धारा 3(3) का पूरा-पूरा पालन करने पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंत्री महोदय ने बताया कि मंत्रालय और उसके अधीनस्थ माध्यम एककों के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को अभी तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें वर्ष 1990 तक

दो वर्ष की अवधि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। उन्होंने राजभाषा नियम 8(4) के तहत शत-प्रतिशत काम हिन्दी में करने के लिए दो अनुभागों को भी विनिर्दिष्ट करने के बारे में सूचना दी। मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप मंत्रालय व इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को और बढ़ावा मिलेगा।

श्री आशिस सन्याल ने लाइब्रेरी अनुदान में से 25 प्रतिशत राशि हिन्दी पुस्तकों के लिए सुरक्षित रखने का सुझाव दिया था। मंत्री महोदय ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है। उन्होंने कहा कि "ग" क्षेत्र से प्रकाशित कुछ उपयोगी हिन्दी पुस्तकें खरीदने के बारे में एक योजना बनाई जानी चाहिए।

श्री जमयंग ग्यलछन द्वारा दिए गए इस सुझाव पर कि भविष्य में केन्द्रीय सरकार के संस्थानों/विभागों/कार्यालयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय हिन्दी जानने वाले प्रत्याशियों को वरीयता दी जाए। मंत्री महोदय ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामला है। इस विषय पर विचार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग या राजभाषा विभाग ही कर सकते हैं।

अन्त में मंत्री महोदय ने मंत्रालय द्वारा सितम्बर, मास में हिन्दी दिवस के उपलक्ष में आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अपने कर कमलों से नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष हिन्दी दिवस के उपलक्ष में सितम्बर में आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के सफल विजेताओं को कुल 18 पुरस्कार (5,900 रुपए के) दिए गए। मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नकद पुरस्कार योजनाएं अवश्य सहायक होंगी और नकद पुरस्कार पाने वाले प्रतियोगी अपना काम हिन्दी में करने का प्रयास करेंगे।

कल्याण मंत्रालय

कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 24 अक्तूबर, 1988 को कल्याण मंत्री डॉ राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मंत्रालय या उससे संबद्ध कार्यालयों में हिन्दी का जितना प्रयोग होना चाहिए, वह नहीं हुआ है और यह आश्वासन दिया कि सभी अधिकारी तथा कर्मचारी विशेष रुप से प्रयास करेंगे कि हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हो और हिन्दी से संबंधित जो भी आदेश जारी किए जाते हैं उनका पूर्णरूपेण पालन हो।

चर्चा के दौरान सचिव, राजभाषा विभाग ने सदस्यों को बताया कि एन आई सी. ने आश्वासन दिया है कि मंत्रालयों को दिसम्बर, तक द्विभाषी कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की संभावना है।

(2) सचिव, राजभाषा विभाग ने समिति को बताया कि लोकनायक भवन में हिन्दी कक्षा आयोजित करने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। अतः प्रशिक्षणार्थियों को अन्य जगहों पर ही भेजा जा सकता है। जैसे सी जी ओ. काम्प्लेक्स आदि।

(3) हिन्दी में मौलिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के संबंध में राजभाषा विभाग की पुरस्कार योजना है। इसे मंत्रालय में क्रियान्वित करने पर विचार किया जा सकता है।

(4) भारत में "समाज कार्य विश्वकोष" के हिन्दी अनुवाद के कार्य में तेजी लाई जाए। अनुवाद का कार्य सेवा निवृत्त हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों को मानदेय आधार पर दिया जा सकता है।

(5) मंत्रालय के कामकाज में आने वाले शब्दों की शब्दावली तैयार करने के संबंध में सचिव, राजभाषा विभाग ने सुझाव दिया कि शब्दावली को अंतिम रूप देने से पहले आयोग को दिखा दिया जाए।

(1) मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति

मंत्रालय की जून, 1988 को समाप्त तिमाही में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति विशेष संतोषजनक नहीं पाई गई। हिन्दी के काम में तेजी लाने के लिए हिन्दी अनुभाग को और मजबूत किया जाए। मंत्रालयों में नये पद सृजित किए जाएं तथा उप-निदेशक के पद के लिए राजभाषा विभाग सुयोग्य अधिकारी के नामों का सुझाव करेगा ताकि यह पद जल्दी से जल्दी भरा जा सके। हिन्दी अनुभाग को मजबूत करने के लिए यदि अन्य पदों की आवश्यकता हुई तो उन पर भी मंत्रालय विचार करेगा। जो कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षित हैं अथवा जिन्हें हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान है उन्हें राजभाषा विभाग के आदेशानुसार पत्रों के मसौदे मूल रुप से हिन्दी में ही प्रस्तुत करने चाहिए। मानक पत्रों का अनुवाद करके संबंधित अनुभागों को उपलब्ध कराया जाए ताकि हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। मंत्रालय में तार की बजाय टेलेक्स का अधिक उपयोग होता है जो कि केवल अंग्रेजी में है, द्विभाषी टेलेक्स प्राप्त करने के लिए प्रयास किये गये। आशुलिपिकों को और टंककों को हिन्दी प्रशिक्षण हेतु यथासंभव भेजा जाए।

(2) मंत्रालय के संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों संगठनों के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति

समिति ने यह पाया कि कुछ कार्यालयों में धारा 3(3) का अनुपालन नहीं हो रहा है तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रुप से नहीं हो रही है। समिति

ने निर्देश दिया कि मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय-संगठन हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों का पूर्ण-रुपेण पालन करेंगे और इसमें कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिन कार्यालयों में कार्यान्वयन समितियां गठित नहीं हुई हैं, ऐसी समितियों का तुरन्त गठन करेंगे। सभी कार्यालयों में हर तिमाही में कम से कम एक बार कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाई जाए ताकि हिन्दी के प्रयोग के बारे में विस्तृत रुप से चर्चा हो सके। जिन संस्थानों में हिन्दी के स्टाफ की कमी है, वे नई भर्ती अथवा नए पदों के सृजन के लिए विशेष प्रयास करेंगे।

(3) मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय "राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली" से संबंधित मदें।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर फिर से विचार करेगा ताकि अधिक से अधिक पाठ्यक्रमों का माध्यम हिन्दी अथवा द्विभाषी हो सके। हिन्दी के पद जो समाप्त कर दिए गए हैं, उनका पुनः सृजन करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। संस्थान के कर्मचारियों को मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भेजा जा सकता है ताकि स्वतंत्र रुप से कार्यशाला आयोजित न करनी पड़े। संस्थान हिन्दी की पुस्तकों की खरीद पर विशेष ध्यान देगी।

पृष्ठ 26 की शेष सामग्री

अमरीका की धरती भी हिन्दी की लहरों के प्रभाव से अछूती नहीं है। सन् 1875 में श्री सैम्युल केलाग ने हिन्दी व्याकरण तैयार किया जिसको नाम दिया गया—ए ग्रामर ऑफ हिन्दी लेंगवेज। इस उपयोगी पुस्तक में केलाग ने भारतवर्ष की कई बोलियां जैसे अवधि, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी आदि का भी वर्णन किया तथा अपने गहन अध्ययन की छाप छोड़ी। यही नहीं रामचरित मानस में वर्णित व्याकरणीय नियमों की भी उन्होंने चर्चा की तथा हिन्दी की शक्ति को प्रतिपादित किया।

अमरीका में 40वें दशक के आरम्भ से ही विश्व-विद्यालयों में हिन्दी के पठन-पाठन पर अधिक जोर दिया गया।

वर्ष 1947 में पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा का पठन पाठन हुआ। आज इस विकास यात्रा का चरम शिखर यहां तक पहुंच गया है कि पूरे अमरीका में 100 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन चल रहा है तथा अमरीकी जनता में वहां के भौतिकवादी भोगवाद से उत्पन्न ऊब कर भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे ही कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय है शिकागो कार्नेल, ड्यूक, केलिफोर्निया, मिशिगन, मिनेसोटा आदि।

अमेरिका में 'हरे राम हरे कृष्ण मिशन' द्वारा एवं अन्य भारतीय संस्थाओं द्वारा हिन्दी का तीव्र विकास हुआ है। इस संबंध में डा० रीन शोमर का कथन है कि अमरीकी विद्वानों में हिन्दी का अध्ययन व्यापक होता जा रहा है। जिससे वे भारतीय विद्वानों के साथ स्थाई संबंध बना सके। आम जनता में भी भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की लालसा बढ़ती जा रही है। विशेषतौर से पिछले 25 वर्षों से अमरीका में हिन्दी के पठन-पाठन की प्रक्रिया तीव्रता से आगे बढ़ी है। हिन्दी संबंधी रचनात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। वहां हिन्दी की कई प्रमुख पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाई जाती हैं।

राजभाषा अधिकारी
केनरा बैंक मंडल कार्यालय,
प्रकाशदीप बिल्डिंग
टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-1

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

मद्रास (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मद्रास (बैंक) की वर्ष की दूसरी बैठक दि. 30-3-1989 को संपन्न हुई। इस की अध्यक्षता श्री सुब्रमणियम ने की। बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से उप निदेशक (दक्षिण), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय बेंगलूर और हिंदी शिक्षण योजना, (दक्षिण) के उप निदेशक श्री आर. के. दीक्षित उपस्थित रहे।

अध्यक्ष ने समिति के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा दी जा रही राजभाषा शील्ड के लिए सदस्यों को श्रेय दिया और यह आशा व्यक्त की कि उन्हें उनका सहयोग भविष्य में भी मिलेगा। समिति द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार और निम्नलिखित बैंकों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। इलाहबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय तो राजभाषा विभाग द्वारा पहले ही श्रेष्ठ स्तर पर राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत हो चुका है। अतः इसके नाम का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष ने बधाई दी।

1. केनरा बैंक, अंचल कार्यालय
2. इंडियन बैंक, प्रधान कार्यालय
3. इंडियन ओवरसीज़ बैंक, प्रधान कार्यालय,
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अन्नवेक नगर शाखा,
5. एक्जिम बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय,
6. सेंट्रल बैंक, अंचल कार्यालय।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 1988-89 वर्ष के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए समिति की ओर से राजभाषा शील्ड योजना चालू की जा रही है

उप निदेशक (का.) श्री रामचंद्र मिश्र ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी रिपोर्ट मार्च समाप्त की 15 मई तक और सितंबर की रिपोर्ट 15 नवंबर तक सीधे ही समिति के पास दो प्रतियों में भज दिया करें, जिससे कि बैठक मई के अंतिम सप्ताह और दिसंबर जनवरी में हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तमिलनाडु, केरल आदि में अधिनियम लागू है और इस दिशा में कार्य आग बढ़ाया जाए कि वे सदभावना से किसी प्रकार का बल न प्रयोग करेंगे। श्री रवीन्द्र कुमार दीक्षित उपनिदेशक ने हिंदी शिक्षण योजना के केन्द्रों के बारे में जानकारी दी, कि इस समय उनके पास 21 अध्यापक मद्रास में हैं। अधिक संख्या में प्रशिक्षणार्थी भेजे जाए।

कलकत्ता (बैंक)

बैठक का शुभारंभ करते हुए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जे वी शट्टी ने कलकत्ता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से इलाहबाद बैंक के कार्यपालक-निदेशक श्री एस. एम. चिटनिस तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री सिद्धिनाथ झा सहित समस्त बैंकों से पधारे प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने सूचित किया कि समिति के निर्णयानुसार वर्ष 1986-87 की राजभाषा "चल वैजन्ती" प्रदान करने की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं एवं आज का दिन समिति के लिए ऐतिहासिक दिन है जब हम सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कार्य के लिए राजभाषा चल वैजयन्ती प्रदान करने जा रहे हैं और 5 अन्य बैंकों को हिन्दी में सराहनीय कार्य के लिए श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदशक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ने वर्ष 1986-87 की राजभाषा चल वैजयन्ती के विजेता इलाहबाद बैंक को हार्दिक बधाई दी एवं राजभाषा चल वैजयन्ती इलाहबाद बैंक के कार्यपाल निदेशक श्री चिटनिस को प्रदान किया। तत्पश्चात् उन 5 बैंकों यथा सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक के नामों का हिन्दी में सराहनीय कार्य के लिए श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु घोषणा करते हुए संबंधित बैंकों से आए प्रतिनिधियों को श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए एवं उन्हें समिति की ओर से सफलता के लिए बधाई दी गई। अध्यक्ष ने उन बैंकों की भी प्रशंसा की जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया एवं अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी श्रेष्ठता प्रमाण पत्र के दायरे में नहीं आ सके।

ऐसा सूचित किया गया, भारतीय बैंक संघ द्वारा अंग्रेज़ टंककों एवं आशुलिपिकों द्वारा हिन्दी टंकण व आशुलिपि का कार्य करने पर क्रमशः 20/- व 30/- रुपये से 40/- एवं 60/- रुपये बढ़ा दिए जाने से संबंधित संशोधन परिचालित कर दिया गया है।

21 कार्य दिवसीय प्रशिक्षण (अनुवाद) की व्यवस्था की गई थी परन्तु समस्त सदस्य बैंकों से समुचित संख्या में प्रशिक्षणार्थियों का नाम न मिलने के कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।

हिन्दी अधिकारियों को जिन्हें अभी तक सामान्य बैंकिंग का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है उनके प्रशिक्षण के संदर्भ में विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्तर पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा यूको बैंक के सहयोग से उनके शिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की जाए । समस्त सदस्य बैंकों के प्रधान कार्यालय को लिखकर प्रशिक्षणार्थियों की सूची मांगी जाय ।

त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा की चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि सितम्बर, 1988 को समाप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट 6 बैंकों से ही प्राप्त हुई । अतः समीक्षा के लिए उक्त अवधि का समेकन सम्भव न हो सका । फिलहाल मार्च, 1988 की प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों का समेकन समीक्षा हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई । इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया गया एवं निर्णय लिया गया कि समस्त सदस्य बैंक यथापेक्षित अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट बिना किसी चूक के समिति के कार्यालय को प्रस्तुत करें ।

बैंकों के राजभाषा अधिकारियों/अनुवादकों तथा अनुवाद कार्य से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए 21 कार्य दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण के संबंध में विचार विमर्श करते हुए सर्वसमिति से यह निर्णय लिया गया कि समस्त सदस्य बैंकों से ऐसे प्रशिक्षार्थियों की सूची मंगाई जाए एवं तदनुरूप केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राज भाषा विभाग के सहयोग से शिक्षण की व्यवस्था की जाय ।

डॉ घोषाल, महा प्रबंधक (विपणन) ने जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अध्यक्ष महोदय के चले जाने के बाद अध्यक्षता कर रहे थे, जानना चाहा कि वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग के परिपत्र में सन्निहित अनुदेशों के अनुपालन में क्या कठिनाईयां हैं । यूको बैंक के प्रधान राजभाषा अधिकारी ने कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नगर राजभाषा नियम के अनुसार "ग" क्षेत्र में आता है एवं बैंक में कार्यरत अधिकतर टीसीसी/टंकण तथा आशुटंकक/आशुलिपिकों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं होता । परिणामस्वरूप उन्हें पहले क्रमशः प्रवीण, प्राज्ञ की हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होती है उसके पश्चात् वे टंकण/आशुलिपि के लिए पात्र होते हैं । अतः इस प्रक्रिया में 6 से 12 महीने का लम्बा समय लग जाता है। इस अवधि को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे प्रशिक्षण अवधि का समुचित उपयोग हो सके। उन्होंने बताया कि उनके बैंक में बैंक स्तर पर ही व्यवस्था की गई है तथा प्रशिक्षित होने तथा हिन्दी में कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

सदस्य सचिव ने प्रस्ताव रखा कि यदि ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को अन्य प्रक्षिशणों के अनुरूप अल्पावधि क्रैश-कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करके प्रशिक्षित मान लिया जाए और परीक्षा की आवश्यकता न हो तथा तुरंत कार्य पर लगाकर उन्हें यथाविधि प्रोत्साहन राशि कार्य करने के लिए प्रदान की जाए कार्यक्रम कारगर हो सकता है । भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कलकत्ता के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री एस. एन. झा ने भारत सरकार के तद्संबंधी निर्णय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकरण पर मंत्रालय स्तर पर विचार विमर्श हुआ है एवं समयानुसार निर्णय परिचालित किया जाएगा परन्तु टंकण मशीनों एवं टंककों के अनुपात के संबध में जो सरकार की नीति है उसका कार्यान्वयन टंककों एवं आशुलिपिकों की नियुक्ति तथा टंकण मशीन खरीदते समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों से संबंधित खर्च के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय 2000/- रुपये प्रति बैठक की दर से प्रतिपूर्ति करती है परन्तु अभी तक कलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। सदस्य बैंकों को यह भी मालूम हुआ है कि समिति द्वारा उक्त निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होता रहा है, अतः इस संदर्भ में यदि मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अनुकरण किया जाए तो शायद कार्यान्वयन में गति आ सकती है । उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि बैंकों को बैठकों के संबंध में खर्च की प्रतिपूर्ति फिलहाल नहीं की जाती है एवं बैंक स्वयं खर्च करते हैं । विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि संयोजक बैंक ही बैठक में होने वाले खर्च का वहन करेगा ।

श्री एस. एन. राय, मुख्य अधिकारी, राजभाषा प्रभाग एवं सदस्य सचिव, कलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से श्री एस. एन. झा उप निदेशक (कार्यान्वयन) तथा उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद दिया एवं बैठक समाप्त हो गयी ।

बर्नपुर

बर्नपुर-आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक 20-2-1989 को इस्को के प्रबंध निदेशक श्री एम. एफ. मेहता की अध्यक्षता में हुई । बैठक में कुल 16 सदस्य कार्यालयों में से 11 कार्यालयों ने भाग लिया ।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उप निदेशक (कार्यान्वयन) पूर्व क्षेत्र श्री सिद्धि नाथ झा ने भाग लिया।

श्री मेहता ने रिपोर्ट में पाई गई कमियों की ओर संबद्ध लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि इन कमियों को दूर करने के लिए निष्ठापूर्वक कोशिश की जाये ।

कई सदस्य कार्यालयों में हिन्दी शिक्षण और टाइपिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। श्री मेहता ने सभी सदस्य कार्यालयों को यह सलाह दी कि वे इस्को में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं।

उप निदेशक (कार्या.) पूर्व क्षेत्र श्री झा ने सबसे अनुरोध किया कि वे इस्को द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं एवं तिमाही रिपोर्ट में पाई गई कमियों को दूर करने के प्रयास करें।

बड़ोदरा (बैंक)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार नवम्बर 1988 में बड़ोदरा शहर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अलग से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। इसके संयोजन का दायित्व बैंक आफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय) को सौंपा गया है। इस समिति की प्रथम बैठक कार्यकारी निदेशक डॉ० ए०सी० शाह की अध्यक्षता एवं श्री जगदीश सेठ, उप निदेशक (हिन्दी), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय के प्रमुख आतिथ्य में सम्पन्न हुई। बैठक में राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिओम श्रीवास्तव, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग के सहायक मुख्य अधिकारी (हिन्दी) डॉ० श्रीनिवास द्विवेदी एवं महाप्रबंधक (वा० एवं स०ऋण) श्री जे०एन० दौलतजादा विशेष रूप से उपस्थित थे।

व्यावसायिक योजनाओं की तरह ही हिन्दी को लागू करने की योजना बनाएं। डॉ० ए० सी० शाह

समिति के पदेन अध्यक्ष श्री सी०बी० राममूर्ति, उप महाप्रबंधक (परिचालन) ने सभी अतिथियों एवं सदस्य बैंकों का स्वागत किया। प्रमुख अतिथि श्री जगदीश सेठ ने कहा कि बैंकिंग परिचालन की सफलता के लिए राजभाषा का प्रयोग एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। बैंकों का विस्तार तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर हो रहा है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान भी बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से बढ़ता जा रहा है। सामाजिक बैंकिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी हमें हिन्दी को ही अपनाना होगा। यह अनुभव रहा है कि हिन्दी में काम-काज करने वाली शाखाओं ने बैंकिंग क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी अधिक सफलता अर्जित की है।

श्री श्रीवास्तव ने राजभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन हेतु प्रशिक्षण संबंधी सरकार के नवीनतम निर्णयों की जानकारी दी और स्पष्ट किया कि इनका अनुपालन भी हमारे लिए अनिवार्य है। डा० श्रीनिवास द्विवेदी ने कहा कि भारत सरकार ने जो दायित्व हमें सौंपा है, उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है।

अध्यक्षीय संबोधन में कार्यकारी निदेशक, डॉ० ए०सी० शाह ने कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और राजभाषा को लागू करने के लिए संकल्प करना होगा। जिस प्रकार हम व्यवसायिक योजनाएं बनाते हैं वैसे ही हिन्दी को लागू करने की भी योजनाएं बनाएं। यह भी आवश्यक है कि हम हिन्दी अधिकारियों को बैंकिंग की मुख्य धारा से जोड़ें ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकें।

नाशिक

समिति की वर्ष 1988 की दूसरी बैठक शुक्रवार दिनांक 6 जनवरी, 1989 को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड के सम्मेलन कक्ष में श्री सु०द० इडगुंजी, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं महाप्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड की अध्यक्षता में हुई।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री जय प्रकाश सहायक निदेशक, उपस्थित थे।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की कि, बैठक में इस बार बड़ी संख्या में विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्षों की उपस्थिति से बैठक में लिए गए निर्णयों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सदस्यों की जानकारी दी कि हिन्दी प्रशिक्षण योजना की कक्षाएं 3 जनवरी, 1989 से नाशिक नगर के चार केन्द्रों में—भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, एच०ए०एल०, वेतन एवं लेखा कार्यालय, लेखानगर तथा रेल कर्षण कारखाना, एकलहरा में प्रारंभ हो चुकी है और कहा कि, इन कक्षाओं में अपने कर्मचारी भेजकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था नाशिक में उपलब्ध हो इसके लिए समिति प्रयत्नशील है और यह प्रशिक्षण केन्द्र जल्दी ही प्रारंभ होगा, ऐसी उन्होंने आशा व्यक्त की। समिति नगर स्तर पर हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर सामूहिक हिन्दी दिवस, हिन्दी प्रतियोगिताएं कार्यशालाओं के लिए व्याख्याता व्यवस्था इत्यादि कार्य करती रही है तथा इस सहयोग को और अधिक बढ़ाने तथा हिन्दी कार्यान्वयन में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से नगर स्तर पर राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता प्रारंभ करने की तथा वर्ष 1987-88 में अच्छा कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयो और उपक्रमों की इसी बैठक में पुरस्कृत करने की भी घोषणा उन्होंने की।

श्री जयप्रकाश, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की तथा उन पर कार्यालयवार टिप्पणी की,

उन्होंने सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्षों से उन पर यथाशीघ्र अनुवर्ती कारवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि, किसी कार्यालय की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का उद्देश्य कार्यालय विशेष की कमियों को दिखाना या उन पर टीका टिप्पणी करना नहीं है। बल्कि आपसी विचार-विमर्श द्वारा हिन्दी कार्यान्वयन में आने वाली रुकावटों, शंकाओं को दूर करना है।

श्री जयप्रकाश ने इस बात की ओर भी विभागाध्यक्षों का ध्यानाकर्षण किया कि, नाशिक नगर के कुल 60 कार्यालयों में से 20 कार्यालयों से ही जानकारी प्राप्त हुई है जो कि, असंतोषजनक स्थिति है। उन्होंने विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि, वे प्रत्येक बैठक के लिए मांगी गई जानकारी अपने-अपने कार्यालय से भेजना सुनिश्चित करें। विचार-विमर्श के दौरान उन्होंने निम्न मुद्दे स्पष्ट किए।

(1) प्रत्येक सदस्य कार्यालय अपनी तिमाही रिपोर्ट अपने-अपने मुख्यालय को भेजते समय उसकी एक प्रति राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई को अवश्य भेजें। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय या जोनल कार्यालय (विशेषकर बैंक) अपनी तिमाही रिपोर्ट में अप। सम्पूर्ण क्षेत्र या जोन की जानकारी भी सम्मिलित करें। बहुत से सदस्य कार्यालय निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजते समय ठीक ढंग से नहीं देते जिसके कारण हिन्दी प्रगति की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है।

उन्होंने कहा कि, हिन्दी टाइपराइटर का अनुपात प्रत्येक कार्यालय में 25 प्रतिशत होना चाहिए। प्रत्येक कार्यालय 14 सितम्बर, को ही हिन्दी दिवस मनाएं।

श्रीमती लीला व्यासी सहायक निदेशक (हिन्दी शिक्षण योजना) राजभाषा विभाग ने सभी सदस्य कार्यालयों प्रतिनिधियों से जनवरी, 1989 सत्र से प्रारंभ हुई हिन्दी कक्षाओं में ऐसे शेष सभी कर्मचारियों को नामित करने का अनुरोध किया जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है।

कुछ सदस्यों ने हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम में दी जाने वाली पुस्तकों के संबंध में विचार व्यक्त किया कि, ये पुस्तकें केन्द्र सरकार के सभी उपक्रम एवं स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मुफ्त दी जानी चाहिए जैसी कि, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों को दी जाती है। पुस्तकों को खरीदने या दिल्ली के प्रकाशन विभाग से मंगवाने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अतः राजभाषा विभाग इस मामले पर पुनर्विचार करे और सभी कार्यालयों के लिए एक समान नीति अपनाएं ऐसा विचार उन्होंने व्यक्त किया। श्रीमती व्यासी ने उनकी भावनाओं से राजभाषा विभाग को अवगत कराने का आश्वासन दिया।

कुछ सदस्यों ने राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14013/85—रा०भा० दिनांक 30-5-1988 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें मैट्रिक परीक्षा में हिन्दी तीसरे विषय के रूप पास करने पर से हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं माना जाए, इसका उल्लेख है। सदस्यों ने कहा कि सभी शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा उनकी मार्कलिस्ट में हिन्दी के तीसरे विषय का उल्लेख नहीं होता अतः संबंधित कर्मचारी उक्त आदेश का लाभ प्राप्त परीक्षा पास करने पर नहीं पा सकते हैं अतः उक्त आदेश में संशोधन किया जाना चाहिए इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए श्रीमती व्यासी ने समिति को बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय के विचार मांगे गए हैं तथा उनसे उत्तर प्राप्त होने पर ही इस विषय पर आगे विचार किया जा सकता है।

हिन्दी दिवस के उपलक्ष में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की उपसमिति के संयोजक श्री विजय विरकुकर, राजभाषा अधिकारी, युनियन बैंक आफ इंडिया, नाशिक रोड़ ने नगर स्तर पर प्रारंभ की जाने वाली राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता की जानकारी समिति को दी तथा इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात अपनी रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की।

1987-88 की रिपोर्ट के आधार पर निम्न कार्यालयों को प्रथम पुरस्कार ट्राफी के रूप में तथा दूसरा पुरस्कार प्रमाणपत्र के रूप में दिया गया।

सरकारी कार्यालय	स्वायत्त संस्थान और उपक्रम
1. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय	युनियन बैंक आफ इंडिया
2. चलार्थ पत्र मुद्रणालय	बैंक आफ महाराष्ट्र

उक्त कार्यालयों के विभागाध्यक्षों को आयकर आयुक्त श्री चौरे और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री सु०द० इडगूंजी द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के नगर राजभाषा शील्ड पुरस्कार के लिए सर्व सम्मति से नई समिति का गठन किया गया।

पटना

"निस्संदेह ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए बैंकों का कामकाज हिन्दी में किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसी प्रकार हिन्दी में ही काम करके बैंक विभिन्न गरीबी

न्मूलन योजनाएं लागू करके अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं।" यह उद्गार बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक, डॉ० सूर्यमणि पाठक ने पटना नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आठवीं बैठक में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ इंडिया के उपमहाप्रबंधक, श्री प्रितपाल सिंह जुनेजा ने कहा कि 1985 में समिति के उठन के बाद से बिहार के बैंकों में ज्यादातर कामकाज हिन्दी में करने की प्रवृत्ति देखने को मिली है। अब हम यह विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि बिहार राज्य में बैंकों में लगभग सारा कामकाज हिन्दी में हो रहा है और इसका अनुकूल प्रभाव ग्राहक सेवा और कारोबार में बढ़ोतरी के रूप में पड़ा है।

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के 55 वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बैंकों के आंचलिक प्रबंधकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ राजभाषा अधिकारियों की उपस्थिति भी उत्साहवर्द्धक रही।

आरंभ में श्री पन्ना लाल पंकज, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति के सदस्य-सचिव, श्री अद्भूत प्रकाश मिश्र ने सचिवीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में बैंकों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उपाए सुझाए गए तथा इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। अंत में बैंक ऑफ इंडिया, के क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री वी०एस० भट्ट के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

झांसी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 29-12-88 को मंडल रेल प्रबन्धक श्री चमन लाल काव की अध्यक्षता में हुई।

समिति के सदस्य सचिव, झांसी मण्डल के राजभाषा अधिकारी, श्री रा०च० धमनिया ने समिति के अध्यक्ष एवं मण्डल रेल प्रबंधक, श्री चमन लाल काव, उपाध्यक्ष, श्री रमेश त्रिपाठी, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, श्री शमशेर अहमद खान तथा उपस्थित सभी केन्द्रीय कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/उपक्रमों से पधारे सदस्यों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री शमशेर अहमद खान ने कहा कि झांसी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण करने हेतु अध्यक्ष की अनुमति से एक निरीक्षण दल का गठन होना चाहिये जो महीने में कम से कम दो कार्यालयों की हिन्दी प्रगति का निरीक्षण करे। इस दल में 5 सदस्य होने चाहिए। इस निरीक्षण दल के निरीक्षण के आधार पर ही 6 माह में आयोजित इस बैठक में उस कार्यालय को शील्ड/ट्राफी प्रदान की जानी चाहिए जहां हिन्दी में काफी कार्य हो रहा है। इससे अन्य कार्यालय भी हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए उत्साहित होंगे और हिन्दी की अच्छी प्रगति होगी। इस पर मण्डल रेल प्रबंधक ने कहा कि इससे कम्पटीशन बढ़ जाएगा। इस निरीक्षण दल में निम्नलिखित सदस्य सर्वसम्मति से मनोनीत किये गये :—

(1) श्री रा०च० धमनिया	राजभाषा अधिकारी मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, झांसी	अध्यक्ष
(2) श्री अनन्त कुमार	राजभाषा अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी	सदस्य
(3) श्री मोहर सिंह दोहरे	हिन्दी प्राध्यापक मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, झांसी	सदस्य
(4) श्री दत्तात्रेय नारायण गोस्वामी	प्रतिनिधि सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
(5) श्री लखनलाल दुबे	नगर मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, झांसी	सदस्य

अध्यक्ष श्री काव ने कार्यालयों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों की तिमाही/छमाही रिपोर्टों को न भेजने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया। अतएव सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि बैठक के आयोजन के लगभग 15 दिन पूर्व सभी कार्यालयों को अपनी-अपनी हिन्दी प्रगति रिपोर्ट अवश्य भेजनी चाहिये।

अध्यक्ष ने पुनः सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सरल, आम बोलचाल वाली हिन्दी भाषा का प्रयोग करें। यह जरूरी नहीं है कि हम अंग्रेजी शब्दों के लिए अटकें बल्कि उसे देवनागरी लिपि में लिखकर काम चलाया जा सकता है। ऐसा करने से हिन्दी की अच्छी प्रगति हो सकती है।

वाराणसी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय के तत्वाधान में क्लार्क्स होटल, में, आयकर उप आयुक्त श्री रामजी सिन्हा की अध्यक्षता में दिनांक 20-3-89 को सम्पन्न हुई जिसमें राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निदेशक, डा० महेश चन्द्र गुप्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सर्वप्रथम पर्यटक कार्यालय के प्रबन्धक श्री एम० पी० उपाध्याय

ने सबका स्वागत किया और अपने कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार पर्यटक कार्यालय हमेशा जन-सम्पर्क से जुड़ा रहा है। पर्यटक पर निकले भारतीयों तथा विदेशियों से भी इस कार्यालय का सम्बन्ध रहता है। यह कार्यालय न केवल भारत में ही बल्कि थोड़ा बहुत विदेशों में भी हिन्दी का प्रचार कर रहा है।

अध्यक्षीय भाषण में आयकर उप आयुक्त, श्री रामजी सिन्हा ने कहा कि जैसा कि हम पिछली बैठक में सूचित कर चुके हैं, नगर में तीसरी बार अक्तूबर, 1988 में समिति द्वारा संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें नगर के विभिन्न कार्यालयों के लगभग 50 कर्मचारियों ने भाग लिया। काशी हिन्दी विश्वविद्यालय ने दो बार उक्त आयोजन अपने यहां सम्पन्न कराया है। उसको सफल बनाने हेतु विश्वविद्यालय के अधिकारियों, विशेषकर सहायक कुलसचिव श्री रमेश बाबू अग्रवाल का विशेष योगदान रहा है। श्री अग्रवाल न केवल अनुवाद प्रशिक्षण में बल्कि इस समिति के अन्य क्रियाकलापों को गति देने में भी पूरा सहयोग करते रहते हैं। हम उनके विशेष आभारी हैं।

उन्होंने आगे बताया कि हमारे सम्पर्क एवं सर्वेक्षण दल के सदस्यों के अथक प्रयास से समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों/वरिष्ठतम अधिकारियों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रयास के बावजूद अभी भी नगर के लगभग 50% कार्यालय हिन्दी प्रयोग के प्रगति आंकड़े नहीं भेजते हैं और सम्पर्क एवं सर्वेक्षण दल के सदस्यों को भी कुछ कार्यालय ठीक प्रकार से जानकारी नहीं देते हैं। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि कुछ कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक प्रधान राजभाषा आदेशों के क्रियान्वयन में उदासीन हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के जिम्मे राजभाषा का कार्य सौंपकर निश्चित हो गये हैं जो उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि राजभाषा आदेशों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का है और उससे सम्बन्धित व्यवस्थाएं कार्यालय प्रमुख की देखरेख में होनी चाहिए तथा उन्हें कारगर ढंग से लागू किया जा सकता है। समिति की बैठक में कार्यालय प्रमुख/वरिष्ठतम अधिकारी ही भाग ले सकते हैं और आंकड़ों को भेजने का पूरा उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है।

सम्पर्क एवं सर्वेक्षण दल में कुछ कार्यकर्त्ताओं की कमी हो गई है। बड़े कार्यालय अपने राजभाषा से सम्बन्धित उत्साही अधिकारियों/कर्मचारियों को इस दल में सम्मिलित करने हेतु नाम भेजें। हम उनके अत्यन्त आभारी होंगे।

अब राजभाषा हिन्दी की प्रगति को केवल आंकड़ों की बैसाखी से न दौड़ाकर वास्तविकता के सहारे चलाने की आवश्यकता है। वैसे कुछ कार्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को प्रशस्ति-पत्र देकर समिति द्वारा सम्मानित किया जाता है। आप लोगों के सुझाव के अनुसार हमने भारत सरकार, राजभाषा विभाग को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि ऐसे कार्यालयों को शील्ड/ट्राफी प्रदान करने हेतु कुछ धन भी दिया जाए। इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा।

इसके बाद अध्यक्ष के प्रतिवेदन तथा विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर विचार प्रारम्भ हुआ और उसकी समीक्षा प्रस्तुत की गई जो निम्नलिखित है :—

1. मण्डल रेल प्रबन्धक पूर्व रेलवे के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हमारे यहां अधिकांश कार्य हिन्दी में हो रहा है।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सहायक समाहर्ता श्री भोशले जी ने सूचित किया कि हम अधिकांश कार्य हिन्दी में कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजभाषा विभाग के अधिकारी ने भी निरीक्षण किया है और समिति के अधिकारी भी कार्यालय में जाते हैं।

3. भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबन्धक श्री एल० डी० नागपाल ने बताया कि वाराणसी क्षेत्र में 140 शाखाएं हैं जिनमें 42 में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में ही होता है। पत्राचार 70% हिन्दी में होता है और पिछले छः महीनों में कार्यालय का काफी कार्य हिन्दी में होने लगा है।

4. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल (सर्विस) अर्दली बाजार के अधिकारी महोदय ने बताया कि हमारा कार्यालय काफी छोटा है। कार्यशाला का आयोजन किया गया था। टिप्पणियां आदि हिन्दी में लिखी जाने लगी हैं और पत्राचार हिन्दी में करते हैं। हिन्दी अधिकारी/सहायक नहीं हैं। इनकी नियुक्ति हेतु प्रयास किया जाएगा।

5. सहायक निदेशक, अन्न सुरक्षा अभियान ने बताया कि हम शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में ही करते हैं।

6. अधीक्षक, सर्वे आफ इण्डिया ने सूचित किया कि हमारे यहां 80% कार्य हिन्दी में होता है। प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं।

7. सहायक अभियन्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण, श्री साहा ने बताया कि हमारा कार्य तकनीकी है

फिर भी हम 80%, 85% कार्य हिन्दी में ही करते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि शत-प्रतिशत काम हिन्दी में होने लगे।

8. यूनियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबन्धक महोदय ने बताया कि 90% से अधिक कार्य हिन्दी में होता है। उन्होंने सूचित किया कि कार्यालय में 50% से अधिक हिन्दी टाइपराइटर हैं।

9. केन्द्र अभियन्ता, दूरदर्शन, श्री भट्टाचार्य ने सूचित किया कि कार्यालय का समस्त कार्य हिन्दी में हो रहा है। उन्होंने बताया कि हम अंग्रेजी के जनरेटर से हिन्दी वाक्य बनाकर प्रसारित करते हैं।

10. केन्द्रीय तारघर के अधीक्षक महोदय ने सूचित किया कि 90% से अधिक कार्य हिन्दी में हो रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है कि हिन्दी के तार देरी से भेजे जाते हैं या उन्हें हतोत्साहित किया जाता है।

11. पर्यटक कार्यालय के सहायक प्रबन्धक श्री कुमार ने बताया कि बहुत छोटा कार्यालय है। हिन्दी टाइपिस्ट नहीं है फिर भी हम हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देते हैं।

12. इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्धक श्री वी० के० सूदन ने कहा कि आंकड़ों का प्रोफार्मा बहुत बड़ा है इसे छोटा किया जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि कार्यालय के कामकाज में सरल हिन्दी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने बताया कि उनके यहां न तो हिन्दी अधिकारी/सहायक हैं फिर भी वे काफी कार्य हिन्दी में करते हैं। प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि भी बढ़ाने का सुझाव दिया।

13. बैंक आफ बड़ौदा के हिन्दी अधिकारी श्री श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि हिन्दी टाइपिस्टों को टाइपिंग का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। उनका कहना था कि अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण कार्यालय का शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में नहीं हो पाता है। उनका सुझाव था कि बाहर से विशेषकर दक्षिण से आने वाले अधिकारियों को यहां आने से पूर्व हिन्दी का ज्ञान कराने की व्यवस्था की जाए।

14. श्री विनय भूषण तिवारी, प्रभारी पत्र-सूचना कार्यालय ने बताया कि सभी कार्य तथा पत्र-व्यवहार हिन्दी में होता है। उनका सुझाव था कि प्रशस्ति-पत्र/पुरस्कार उन्हें दिया जाए जो हिन्दी नहीं जानते हैं और काफी कार्य हिन्दी में कर रहे हैं।

15. मण्डल रेल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे के हिन्दी अधिकारी श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि उनके मण्डल में 130 स्टेशन एवं 6,000 कर्मचारी हैं। आशुलिपिक/टाइपिस्ट सभी हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग जानते हैं। जांच बिन्दु पर जब पाया जाता है कि किसी अधिकारी ने अंग्रेजी में पत्र भेजा है तो उसका तुरन्त हिन्दी अनुवाद कराकर सम्बन्धित अधिकारी के पास भेजकर हस्ताक्षर करा लिया जाता है और अंग्रेजी पत्र रद्द कर दिया जाता है। इसका अच्छा असर होता है और अधिकारी हिन्दी में ही पत्र भेजते हैं। पूरे मण्डल का अधिकांश कार्य हिन्दी में होता है। उन्होंने बताया कि नक्शा आदि हिन्दी में या द्विभाषी बनाया जाता है। श्री श्रीवास्तव ने सूचित किया कि उनके मण्डल रेल प्रबन्धक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिन्दी में स्वयं कार्य करके अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं। श्री श्रीवास्तव का मानना है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। अगर उच्च अधिकारी हिन्दी का प्रयोग करने लगेंगे तो अधीनस्थ कर्मचारी हिन्दी में कार्य करेंगे। इसके लिए उन्होंने डा० महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक के योगदान की भी चर्चा की।

16. श्री जगदीश नारायण राय ने बताया कि नगर के 100 कार्यालयों में से 10% कार्यालयों में ही हिन्दी स्टाफ की नियुक्ति हुई है। जिन कार्यालयों में हिन्दी स्टाफ है उनमें 90% कार्यालयों में राजभाषा विभाग के मापदण्ड के अनुसार 10% से 20% तक ही हिन्दी स्टाफ नियुक्त हैं। अतः ऐसी दशा में राजभाषा नियम की धारा 3(3) के कागजात कैसे द्विभाषी जारी किये जा सकते हैं। उन्होंने प्रस्ताव किया कि राजभाषा विभाग हिन्दी भाषी क्षेत्रों के अधीनस्थ एवं सम्बद्ध कार्यालयों में, उक्त कागजात केवल हिन्दी में जारी करने की छूट प्रदान करें। प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हो गया। अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर विचार के पश्चात् सर्व-सम्मति से अनुमोदन कर दिया गया।

सदस्य सचिव श्री राय ने सूचित किया कि हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापक श्री शोभनाथ त्रिपाठी, पदोन्नति पाकर सहायक निदेशक के रूप में जबलपुर जा रहे हैं। बैठक में श्री त्रिपाठी को भावभीनी विदाई दी गई।

बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशक डा० महेश चन्द्र गुप्त ने कुछ मुख्य निम्नलिखित विचार/सुझाव प्रस्तुत किए :—

हिन्दी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें सरकारी कामकाज हिन्दी में करना है।

वाराणसी में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में ही होना चाहिए। इससे कम कार्य हिन्दी में होने का न तो कोई कारण है और न यह उचित है।

अन्त में उन्होंने सभी अधिकारियों एव समिति का आभार व्यक्त किया और कार्यालयों में हिन्दी में ही कार्य करने पर बल दिया। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री सिन्हा ने कहा कि हमें कुछ और कर्मठ कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो हमारे सम्पर्क एवं सर्वेक्षण दल में कार्य कर सकें। उन्होंने कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपने हिन्दी अधिकारी/सहायक तथा अन्य कर्मचारी को भेजकर हमें सहयोग प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी अधिकारी तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए क्योंकि इनके रहने से राजभाषा आदेशों के क्रिया-न्वयन में सहायता मिलती है और हिन्दी में ठीक प्रकार से कार्य होता है। उन्होंने निदेशक डा० गुप्त से अनुरोध किया कि हर कार्यालय में हिन्दी स्टाफ नियुक्त कराने हेतु सहयोग करें। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों तथा प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि निदेशक महोदय ने जो सुझाव/मार्गदर्शन दिया है उस पर अमल करें और अपने-अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में ही करें। उन्होंने कहा कि जब दक्षिण भारत के लोग 30%—40% हिन्दी में कार्य करते हैं तो हमारे नगर में इससे कम कार्य करना हमारे लिए लज्जा की बात है।

अन्त में सचिव श्री जगदीश नारायण राय ने निदेशक डा० गुप्त एवं उपस्थित सभी अधिकारियों/प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज की बैठक में लगभग 65—70 कार्यालयों के एक सौ से अधिक कार्यालय प्रमुखों/प्रतिनिधियों ने भाग लेकर समिति के प्रति विश्वास एवं निष्ठा व्यक्त की है और राजभाषा कार्य में सहयोग दिया है जो अभिनन्दनीय है।

मद्रास

केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मद्रास की वर्ष की दूसरी बैठक दि. 28-2-89 को श्री एम.जे. माथन, मुख्य आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय बेंगलूर के उप निदेशक (का.) श्री रामचन्द्र मिश्र और हिन्दी शिक्षण योजना (दक्षिण) के उप निदेशक श्री रवीन्द्र कुमार दीक्षित उपस्थित हुए।

इस बैठक की उल्लेखनीय बात रही कि इस बार उपस्थित सदस्यों की संख्या काफी अच्छी थी और इसके साथ कार्यालयों से हिन्दी अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ/वरिष्ठतम अधिकारियों ने भी भाग लिया।

आयकर आयुक्त (अपील) सदस्य सचिव श्री चन्द्रा ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष श्री माथन ने अपने स्वागत भाषण में उपस्थिति पर अत्यन्त हर्ष व्यक्त किया और इस बात का श्रेय सदस्यों को दिया कि उनके सहयोग से ही समिति श्रेष्ठ कार्य करते हुए कोचीन राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा शील्ड दिए जाने के लिए चुनी गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की भविष्य में भी सदस्यों का सहयोग श्रेष्ठ स्थान बनाए रखने में मिलता रहेगा। अध्यक्ष ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको भी अधिकतम सीमा में प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने हैं। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में हमें इस कार्य को सदभावना से आगे बढ़ाना है और हिन्दी प्रशिक्षण का कार्य 1990 तक पूरा करने के लिए कुछ ऐसे प्रयत्न किए जाएं, जिससे कि उस विभाग में काम करने वाले हर कर्मचारी व अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो जाए। इसके लिए जिनको प्रशिक्षित किया जाना है, उन्हें नामित किया जाए और इसमें आवश्यकतानुसार हिन्दी शिक्षण योजना, पत्राचार पाठ्य-क्रम आदि का सहारा लिया जाए। पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में क्षेत्रीय अधिकारी श्री वासवाणी ने विस्तृत जानकारी दी। हिन्दी शिक्षण योजना के बारे में जो भी प्रश्न उठाए गए, तथा केन्द्रों आदि के बारे में मद्रास में जो स्थिति थी, उसके बारे में श्री आर.के. दीक्षित ने विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगर आवश्यकता होगी तो और अधिक प्राध्यापकों को भी नियुक्त किया जा सकेगा। इसी प्रकार टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण में (व्यवस्था विभागीय हो अथवा हिन्दी शिक्षण योजना के माध्यम से हो) भी शीघ्र ही पूरा किया जाए।

श्री रामचन्द्र मिश्र ने अध्यक्ष व सचिव के प्रति विभाग की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अवसर पर 5 दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद पाठ्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और उसमें लगभग 40 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। पाठ्यक्रम का उद्घाटन 27-2-89 को निदेशक आयकर (अन्वेषण), श्री टी एस. श्रीनिवासन द्वारा किया गया।

उप निदेशक (का.) श्री रामचन्द्र मिश्र ने संयुक्त निदेशक (प्रभारी), केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो बेंगलूर के हैसियत से उपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि 3 मास का जो अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बेंगलूर में नियमित

1738 HA/89—9

रूप से चलाया जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षणार्थी भेजे जाएं और उस पाठ्यक्रम का लाभ उठाया जाए। यह पाठ्यक्रम और उन लोगों के लिए आयोजित किया जाता है जो राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन कार्य से संलग्न हैं। अगला पाठ्यक्रम दि० 3-4-89 से शुरू होगा। अब उसमें होस्टल की भी व्यवस्था लगभग हो गई है।

मंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर की बैठक दिनांक 3-2-89 को कारपोरेशन बैंक के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक श्री वाईएस. हैगडे की अध्यक्षता में कारपोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय के सभाकक्ष में हुई। राजभाषा विभाग की ओर से दक्षिण क्षेत्र के कार्यान्वयन कार्यालय बेंगलूर के उप-निदेशक, श्री रामचन्द्र मिश्र ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित तो सराहनीय रही किन्तु उसके साथ-साथ सरकारी और बैंकों के प्रतिनिधि अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यालयों में ही रही प्रगति का उल्लेख किया तथा हिन्दी टाईपिंग केन्द्र के खोले जाने पर अधिक जोर दिया। बैठक का कुशल संचालन समिति के सचिव और कारपोरेशन बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री नरसिंह प्रसाद यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन पंजाब व सिन्ध बैंक के शाखा प्रबन्धक श्री एम.एस. गणेशशास्त्री ने दिया।

बेलगांव

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बेलगांव की बैठक दिनांक 6-2-89 को आयकर आयुक्त (अपील) श्री पी.बी. चार्ल्स की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। राजभाषा विभाग की ओर से दक्षिण क्षेत्र के उप निदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र और सर्वकार्यभारी अधिकारी तार घर के अधीक्षक उपस्थित हुए। बैठक का संचालन उप आयकर आयुक्त श्रीमती स्वाति पाटिल द्वारा किया गया। इसी अवसर पर 6-2-89 को प्रातः नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सहयोग से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की पांच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद पाठ्यक्रम का शुभारंभ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता श्री महेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम में विविध कार्यालयों से 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पाठ्यक्रम 6-2-89 से 10-2-89 तक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का प्रारंभ माननीय आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री पी०वी० चार्ल्स द्वारा स्वागत एवं मुख्य अतिथि श्री प्रसाद जी को मालार्पण से हुआ। प्रभारी संयुक्त निदेशक श्री, रामचन्द्र मिश्र ने अनुवाद पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा उसकी उपयोगिता बताई। मुख्य अतिथि श्री महेन्द्र प्रसाद ने राजभाषा का महत्व बताते हुए प्रतिभागियों से अपील की कि इन प्रशिक्षणों का वास्तविक लाभ तभी हासिल हो सकेगा जब व्यवहार में यहां दिए गए प्रशिक्षण का उपयोग होगा। अनुवाद में सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाए तथा अंग्रेजी के सामान्य प्रचलित शब्द भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इस समारोह की अध्यक्षता श्री पी.बी. चार्ल्स, आयकर आयुक्त ने की और संचालन ब्यूरो के प्रशिक्षण अधिकारी श्री म.ए. दुबे ने किया। धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती स्वाति पाटिल, उप आयकर आयुक्त ने दिया।

अनन्तपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अनन्तपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक दि. 30-3-1989 डी. आर. डी. ए, अनन्तपुर में शुरू हुई। सिंडिकेट बैंक के मण्डल प्रबन्धक श्री बी. अनन्त कृष्णा ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधीश श्री वी. भास्कर, उपस्थित थे।

माननीय जिलाधीश श्री वी. भास्कर ने दीप जला कर समिति की बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के उपलक्ष्य में जारी सभी आदेशों, अनुदेशों, नियमों, अधिनियमों आदि का पूर्णरूपेण पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने हिन्दी पत्राचार बढ़ाने की अपील की।

अध्यक्ष श्री वी. अनन्त कृष्ण ने कहा कि उन्हें बेहद प्रसन्नता है कि अनन्तपुर नगर में स्थित लगभग समस्त केन्द्रीय कार्यालयों के कार्यपालक व दूसरे कर्मचारीगण हमारी राजभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपना खोया हुआ स्थान दिलाने के प्रयास में एक समिति के रूप में एकत्रित हुए हैं। हम इस बीच आने वाली समस्याओं का समाधान आपस में विचार-विमर्श करके हल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी राजभाषा तब तक राजभाषा नहीं हो सकती जब तक उस देश विशेष का साधारण से साधारण आदमी भी उस को स्वीकार न कर ले। "मुझे खेद है कि अधिकांश भारतीयों की मानसिकता अंग्रेजी भाषा को आज भी गुलाम है।"

राजभाषा विभाग (कार्यान्वयन) के अनुसंधान अधिकारी श्री ओ. आर. के. मूर्ति ने हिन्दी भाषा के प्रयोग को अधिकाधिक करने की अपील की तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि इस धारा का किन्हीं भी परिस्थितियों में उल्लंघन न हो यदि कारणवश कोई दस्तावेज केवल अंग्रेजी में जारी करना पड़े तो 3 दिन के अन्दर अन्दर उसका हिन्दी अनुवाद भी जारी कर दें।

हिन्दी शिक्षण योजना के मद्रास के सहायक निदेशक श्री राममूर्ति ने अपने भाषण में हिन्दी शिक्षण योजना की भूमिका से शुरू कर वर्तमान तक सभी पहलुओं पर सारगर्भित चर्चा की।

विशाखापट्टणम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति विशाखपट्टणम की वर्ष की दूसरी बैठक मंडल रेल प्रबंधक वाल्टेयर के सभाकक्ष में दिनांक 8 मार्च 1989 को हुई। अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री. राय ने की। राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उप निदेशक, श्री रामचंद्र मिश्र, हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री नागराजू और श्रीमती विशालाक्षी ने भी भाग लिया।

सर्वप्रथम उप निदेशक ने विशाखपट्टणम नगर राजभाषा भारती के वर्ष 1988–89 अंक का विमोचन किया। अध्यक्ष व अपर रेल मंडल प्रबंधक ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

यूनियन बैंक के हिंदी अधिकारी श्री कमलाकर ने हिंदी कार्यसाधकज्ञान की परिभाषा बार–बार बदले जाने के कारण रोस्टर में रखी जाने वाली समस्याएं प्रस्तुत की। अतः उन्होंने यह अनुरोध किया कि इसे बार-बार न बदला जाए।

स्टाफ की कमी की समस्या के बारे में पुनः यही सुझाव दिया गया कि प्रस्ताव मूल रूप से सम्बंधित कार्यालय द्वारा अपने उच्च कार्यालय को भेजा जाए और उसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भेजी जाए। उप निदेशक (का.) भी यथासंभव प्रयत्न करेंगे।

पुस्तकों की अनुपलब्धि के बारे में उप निदेशक (का.) ने सभी सदस्यों को जानकारी दी कि पुस्तकों का काफी स्टाक कारपोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलूर में हैं उन्हें लिख कर पुस्तकें मंगाई जा सकती हैं। हिंदी, हिंदी टंकण व आशुलिपि सिखाने के बारे में चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर यथाशीघ्र पूरा कराने का प्रयत्न किया जाए।

उन्होंने सदस्यों ने यह भी अनुरोध किया कि वे मार्च व सितंबर समाप्त अवधि की रिपोर्ट नगर समिति के सचिव के पास क्रमशः मई के दूसरे सप्ताह तक और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक अवश्य भिजवा दिया करें। जिससे कार्यालयवार समीक्षा व प्रगति की जा सके और उस पर सुचारू रूप से चर्चा हो सके। यह अत्यंत आवश्यक है।

समय की मांग को देखते हुए टाईपिंग व शार्टहैण्ड का एक और केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाए, संभवतः हिंदी के टाईपराईटर पोर्ट ट्रस्ट, डी. सी. आई. उत्पाद शुल्क एक. एम. डी. सी. डाक लेखा बार्ड आदि कार्यालयों से मिल जाएंगे और प्रशिणार्थी भी।

बैठक से एक दिन पूर्व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा राजभाषा समारोह व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस, ट्रेडिंग कार्पोरेशन आदि संस्थाओं ने भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता भूतपूर्व अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री भीमाराव जो इस समय मुख्य प्रशासन अधिकारी हैं, ने की। समारोह में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स तथा विशाखपट्टणम् इस्पात परियोजना को श्रेष्ठ कार्य हेतु राजभाषा शील्डें प्रदान की गई और आयोजित अनेक प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

जम्मू

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जम्मू की छमाही बैठक 20 फरवरी, 1989 को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मू में श्री एस.ए. रहमान, रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डा. सी. एल. चोपड़ा, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला और श्री एस. पी. दीवान, पुलिस अपर उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल ने भाग लिया। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री शमशेर अहमद खान भी उपस्थिति थे।

सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर को गई कार्रवाई के सम्बन्ध में सूचना देते हुए बताया कि :—

(क) पहला निर्णय समिति के पिछले सचिव श्री राजेन्द्र गुप्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को उनके वर्तमान कार्यालय को भेजना था। प्रस्ताव की एक प्रति अध्यक्ष महोदय के अर्धसरकारी पत्र के द्वारा उनके वर्तमान कार्यालय के अध्यक्ष को 12 दिसम्बर, 1988 को भेज दी गई।

(ख) दूसरा निर्णय जम्मू में पूर्णकालिक हिन्दी टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव राजभाषा विभाग को 16 फरवरी, 1989 को भेजा गया।

अधिकतर सदस्यों ने जम्मू में हिन्दी टंकण व आशुलिपि का पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र अभी तक न खुलने के संबंध में खेद व्यक्त करते हुए राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि से जानकारी मांगी। इस पर श्री शमशेर अहमद खान, ने सदस्यों से कहा कि सभी कार्यालय अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी टंकण व आशुलिपि के लिए प्रशिक्षणा-

थियों की कुल संख्या समिति के सदस्य सचिव के पास 30 दिन के भीतर भेज दें ताकि वह इसके साथ एक प्रस्ताव बनाकर निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को भेज सकें।

कर्मचारियों का हिन्दी ज्ञान एवं प्रशिक्षण:—सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि केवल कुछेक कार्यालय ही अपने कर्मचारियों का नामांकन हिन्दी की प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए करते हैं। शेष कार्यालयों से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। यह भी देखा गया है कि यदि कोई प्रशिक्षार्थी किसी एक कक्षा के लिए नामित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा उस कक्षा की परीक्षा देने के बाद उसे दूसरी कक्षा के लिए नामित नहीं किया जाता है। राजभाषा विभाग के आदेश हैं कि पिछली परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना ही ऐसे कर्मचारियों को अगली कक्षा के लिए नामित किया जाए।

इस पर कई सदस्यों ने जानना चाहा कि जो कर्मचारी नामित किए गए हैं उनकी कक्षाएं कहीं नहीं चल रही हैं। सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि इस पत्र में यानी 1-1-89 जम्मू केन्द्र को अंशकालीन केन्द्र बना दिया गया है। वहां जो पूर्णकालिक अध्यापक थे उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। उनके स्थान पर दो अंशकालीन प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। जैसे ही यह नियुक्तियां हो जाएंगी कक्षाएं आरम्भ की जाएंगी।

हिन्दी में पत्राचार

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि सभी कार्यालयों से उनकी तिमाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती हैं, मात्र 38 कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। उनकी समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि पत्र सूचना कार्यालय, सीमा सुरक्षा बल, महालेखाकार, रेडियो कश्मीर, दूर संचार, रक्षा लेखा नियंत्रक (उत्तरी कमान), क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यालय में हिन्दी में पर्याप्त कार्य हो रहा है। इसी प्रकार भारत सरकार के बैंकों, उपक्रमों आदि में से भारत पैट्रोलियम, राष्ट्रीय, कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय खाद्य निगम में पर्याप्त काम हिन्दी में हो रहा है। शेष कार्यालयों में लक्ष्य से कम है। अत: सभी कार्यालयों से यह अनुरोध है कि वे हिन्दी में काम की मात्रा बढ़ाएं।

समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि कई कार्यालय हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देते हैं जो कि राजभाषा नियम का उल्लंघन है। नियमानुसार हिन्दी में प्राप्त और हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही देना है।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री शमशेर अहमद खान, ने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष से राजभाषा ट्राफियां कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर ही दी जाएंगी अत: उन्होंने अनुरोध किया कि सभी कार्यालय अपनी-अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव को और एक प्रति गाजियाबाद कार्यालय को भेजा करें।

अध्यक्ष ने सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह डा. चोपड़ा के तहेदिल से आभारी हैं, जिन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

लुधियाना

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लुधियाना की 16वीं बैठक दिनांक 15-3-1989 को केन्द्रीय राजस्व भवन में श्री आर. के. मल्होत्रा आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना की अध्यक्षता में हुई।

(क) हिंदी दिवस समारोह का आयोजन

सूचित किया गया कि गत बैठक में लिए गए नियमानुसार 14 सितम्बर, 1988 को लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और आयकर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से **हिन्दी दिवस समारोह** का आयोजन किया गया। समारोह में श्री सी० एस० जैन, मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पटियाला, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस समारोह में निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया —

1. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता
2. हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता
3. भाषण प्रतियोगिता
4. काव्य पाठ एवं गीत प्रतियोगिता

14-9-88 को आर्य महिला कालेज में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को क्रमश: 100/- रु० 75/- रु० एवं 50/- रु० के नकद पुरस्कार दिए गए। भाषण प्रतियोगिता तथा काव्य पाठ प्रतियोगिता में 25/- रु. का एक एक सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्तर पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से 13-2-89 से 17-2-1989 तक लुधियाना स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

द्वारा एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निम्नलिखित कार्यालयों से कर्मचारियों ने भाग लिया।

1. अधिशाषी अभियन्ता के० लो० नि० विभाग	3
2. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय	1
3. केन्द्रीय तार घर कार्यालय	2
4. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय	2
5. आयकर उप आयुक्त रेंज; 1 कार्यालय	1
6. लघु उद्योग सेवा संस्थान	2
7. आयकर उप आयुक्त (के) रेंज–1	2
8. आयकर उप-आयुक्त (के) रेंज–II कार्यालय	2
	15

3. हिंदी में प्रशिक्षित किए जाने वाले शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाना

बैठक में सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग के 8-6-86 के कार्या० ज्ञा० संख्या : 11016/8/88-या.भा. (घ) के अनुसार सभी अधिकारियों को दो वर्ष के भीतर हिन्दी में प्रशिक्षित करवाया जाना चाहिए।

सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे समुचित संख्या में कर्मचारियों को नामित करें और नामित कर्मचारियों को नियमित रूप से कक्षाओं में भेजें।

हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण

राजभाषा विभाग के निदेशानुसार प्रत्येक कार्यालय/विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों में से कम से कम 25% आशुलिपिकों को 31-3-90 तक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित करवाया जाना अपेक्षित है। अध्यक्ष ने घोषणा की कि उनके कार्यालय द्वारा विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत अप्रैल, 1989 से हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण आरंभ किया जाएगा तथा लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों से भी सुविधानुसार आशुलिपिकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा।

हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना

सदस्य सचिव ने हिन्दी में कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में चलाई जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से सदस्यों को अवगत करवाया। इन योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे की एक-एक प्रति भी सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई। यह सूचित किया गया कि आयकर विभाग तथा कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में हिन्दी टिप्पण व आलेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। बैंकों के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि बैंकों में ऐसी कोई योजना नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि राजभाषा विभाग से उनकी ओर से पत्र लिखकर यह अनुरोध किया जाए कि वे इन योजनाओं को बैंकों में भी लागू करवाने के प्रयास करें।

रेलवे विभाग के प्रतिनिधि को छोड़कर सभी सदस्यों ने सूचित किया कि टाइपिस्टों एवं आशुलिपिकों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने की योजना उनके कार्यालयों/बैंकों में लागू है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि रेलवे कार्यालय भी इस संबंध में अपने मुख्यालय से संपर्क करें।

विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने हेतु विभिन्न कार्यालय अपने-अपने मुख्यालयों से संपर्क करें।

6. न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन

बैठक में सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम तथा नियमों को लागू करने के लिए सभी कार्यालयों में न्यूनतम हिन्दी पद सृजित किए जाने चाहिए। निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पद सृजित किए जाने अपेक्षित हैं।

7. नगर में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार

बैठक में सूचित किया गया कि समिति की 14वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि समिति के उन सदस्य कार्यालयों को पुरस्कार दिए जाएं जो वर्ष 1988–89 में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए श्रेष्ठ कार्य निष्पादित करेंगे। शील्ड देने की व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए विभिन्न कार्यालयों से आंकड़े आने चाहिएं और आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक होगा कि संबंधित कार्यालय अपने रिकार्ड का निरीक्षण कराएं कुछ सदस्यों का विचार था कि कार्यालयों में गोपनीय रिकार्ड का निरीक्षण नहीं करवाया जा सकता तथा कुछ सदस्यों के विचार में निरीक्षण आवश्यक नहीं है अध्यक्ष महोदय का कहना था कि समिति के कुछ कार्यालय बड़े हैं कुछ छोटे तथा कुछ कार्यालयों में केवल प्रशासनिक प्रकार का काय ही होता है जब कि कुछ में केवल तकनीकी प्रकार का। अतः यही उचित होगा कि इस योजना में भाग लने वाले कार्यालय आवश्यक आंकड़े भेजें। इन आंकड़ों के सत्यापन के लिए एक समिति गठित की जाए जो विभिन्न कार्यालयों में जाकर यह देखे कि किन किन कार्यालयों में किस-किस प्रकार का कार्य है और उस कार्य की प्रकृति के अनुसार कितना कार्य हिन्दी में करना संभव है तथा वे कार्यालय कितना कार्य हिन्दी में कर रहे हैं।

अन्त में यह निर्णय लिया गया कि जो कार्यालय योजना में भाग लेने के इच्छुक हों वे आंकड़े प्रस्तुत करें। इन आंकड़ों के सत्यापन के लिए अगली बैठक में एक समिति गठित की जाएगी जो अपनी रिपोर्ट हिन्दी दिवस से पहले प्रस्तुत कर देगी। समिति प्रथम तीन पुरस्कार निर्धारित करेगी तथा समिति का निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह में वितरित किए जाएंगे।

पुणे

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1988 की दूसरी बैठक दिनांक 8 मार्च 1989 को आयकर भवन पुणे में मुख्य आयकर आयुक्त कु. ऊषा सवारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में श्री हरिओम श्रीवास्तव उप निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई एवं श्रीमती अंशमती दुनाखे, सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना, पुणे के अलावा पुणे नगर स्थित केन्द्रीय सरकार के लगभग 45 कार्यालयों से 56 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

श्री हरिओम श्रीवास्तव, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए :—

(1) हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी कक्षाओं, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अधिकारियों एव कर्मचारियों को दिलाना अनिवार्य है।

(2) केन्द्रीय सरकार के 'ख' क्षेत्र स्थित सभी कार्यालयों में कुल कर्मचारियों के अनुपात से 25% हिन्दी टंकक तथा 25% आशुलिपिक क्रमशः दिनांक 31-3-89 तथा 31-3-90 तक होने आवश्यक हैं।

(3) केन्द्र सरकार के ख क्षेत्र स्थित सभी कार्यालयों में कुल टाइपराइटरों का 25% टाइपराइटर देवनागरी लिपि के ही हो जाने चाहिए।

(4) कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले सामान्य आदेश करार, लाइसेंस, परमिट आदि द्विभाषी रूप में ही जारी होने चाहिए।

राजभाषा को प्रोत्साहन देने हेतु एवं कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन योजनाओं से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराना चाहिए एवं उन्हें पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए।

प्रत्येक कार्यालय में एक भाषा अनुभाग होना चाहिए जिसका कार्य राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) को लागू कराना होता है। इसके संबंध में उप निदेशक ने आगे-कहा कि जहां-जहां हिन्दी के पद स्वीकृत है एवं किसी कारण वश उन्हें अभी तक भरा नहीं जा सका हैं उन्हें शीघ्र भरने के उपाय करने चाहिए। यदि इन पदों को भरने में किसी प्रकार की कठिनाई पैदा होती है तो कृपया उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई को लिखें ताकि उस पर आगे संबंधित मंत्रालय से संपर्क किया जा सके।

प्रत्येक कार्यालय को अपने यहां समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए।

1 1 कार्य सूची की मद संख्या 2 पर ही चर्चा करते हुए मंडल कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, 617, शिवाजी नगर, पुणे विद्यापीठ मार्ग, पुणे के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि शीघ्र ही वे अपने कार्यालय में एक अल्प कालिक अनुवाद प्रशिक्षण का आयोजन करने जा रहे हैं जो भी कार्यालय इस शिक्षण में अपने कर्मचारियों को भेजना चाहें वे कृपया इस कार्यालय से सम्पर्क करें। इस प्रस्ताव का सभी प्रतिनिधियों ने स्वागत किया।

1 2 इसके अलावा, राष्ट्रीय रासायनिक योगशाला, पुणे के प्रतिनिधि ने वैज्ञानिक लेखों को प्रकाशित कराने आदि के सम्बन्ध में जानकारी चाही। इसके बारे में उन्हें सूचित किया गया कि इसके लिए वे कृपया उप निदेशक (कार्यान्वयन), बम्बई से संपर्क करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने अध्यक्ष महोदया से अनुरोध किया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे की अगली बैठक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में आयोजित की जाए।

कार्य सूची की मद संख्या पर विचार प्रकट करते हुए घोषणा की गई कि राजभाषा कार्यान्वयन को प्रगति प्रदान करने हेतु अध्यक्ष महोदया ने आयकर कार्यालय की ओर से रनिंग शील्ड देने का निश्चय किया है ताकि कर्मचारी अधिक उत्साह पूर्वक राजभाषा के कार्य में प्रगति ला सके।

बडोदरा

बडौदा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14वीं बैठक दिनांक 23-3-1989 को हुई। समिति के अध्यक्ष के नगर से बाहर होने के कारण बैठक की अध्यक्षता उप समाहर्ता (निवारक) केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, बडोदरा श्री टी. ए. के. गौरी ने की। बैठक में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव माननीय श्री शंभु दयाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शंभूदयाल का स्वागत करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि बडोदरा के केन्द्रीय सरकारी संगठनों के लिए यह बड़ा ही सुखद एवं प्रेरणाप्रद अवसर है कि आज हमें श्री शंभूदयाल जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्होंने श्री हरिओम श्रीवास्तव एवं सोने लाल कौल का भी स्वागत किया।

संयुक्त सचिव (राजभाषा) के कहने पर उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपने-अपने संगठनों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति के बारे में विचार प्रस्तुत किए, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंश कं. : कार्यालय में हिन्दी न जानने वाले कार्मिकों के लाभार्थ हिन्दी कक्षाओं का गठन किया गया है; हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध हैं; हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक/हिन्दी टाइपिस्ट की नियुक्ति हो रही है; हिन्दी व गुजराती में मिले पत्रों के जवाब हिन्दी में दिए जा रहे हैं तथा पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की सुविधा के अभाव में काफी कठिनाई हो रही है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कं : हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह के अंग स्वरूप प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। कार्यशालाएं हो रही है। सहायक सामग्री जैसे द्विभाषिक मानक मसौदे द्विभाषिक है। पालिसियां हिन्दी में भी जारी हो रही है। हिन्दी टंकण प्रशिक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए।

न्यू इंडिया एश्योरेंस, मंडल-2 : हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, हिन्दी टंकण की सुविधा नहीं है। हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। हिन्दी अनुवादक नहीं है।

ओरियेंटल इंश्योरेंस कं. : हिन्दी अनुवादक नहीं है। इंश्योरेंस की लाइसेंसएट परीक्षा अंग्रेजी में होती है।

ओरियेंटल इंश्योरेंस कं., मंडल-1 : कार्मिक एवं लेखा कार्य विषयक मैनुअल केवल अंग्रेजी में हैं।

डाक प्रशिक्षण केन्द्र : नियंत्रण कार्यालय को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी हिन्दी अनुवादक का पद सृजित नहीं हो रहा है। इसी लिये प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी रूपांतर करने में कठिनाई है।

भारतीय खाद्य निगम : 200 कार्मिक तैनात है। रेल विभाग के साथ पत्राचार अंग्रेजी में होता है। हिन्दी में कार्य करने के प्रयास हो रहे हैं। हिन्दी का माहौल बनाने के लिए हिन्दी कार्यशाला गठित करने की योजना है।

ओ.एन.जी.सी. : हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जा रहा है। 13 परीक्षार्थियों ने हिन्दी प्रवीण परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है। हिन्दी टंकण में 6 कार्मिक प्रशिक्षण ले रहे हैं, 25 पत्र हिन्दी में लिखने/टाइप करने से संबंधित पुरस्कार योजना के तहत 99 कार्मिक परस्कृत हैं। कम्प्यूटर प्रोग्रामन हिन्दी में हो रहा है। हिन्दी के पर्याप्त पद नहीं है। हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : अनुवादक की कठिनाई है। हिन्दी प्रशिक्षण भी दिलवाना है।

केन्द्रीय विद्यालय वायुसेना : हिन्दी प्रशिक्षण की कठिनाई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण : कार्यालय में हिन्दी के प्रति जागरूकता है। नोटिंग शतप्रतिशत हिन्दी में हो रहा है। एक शाखा में संपन्न कार्य का स्वरूप शोधपरक होने के कारण पत्राचार अंग्रजी में हो रहा है। गुजराती पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास हो रहा है। इस वित्त वर्ष के अंत तक एक द्विभाषिक इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर की व्यवस्था की जायगी।

पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय : हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हो रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम : वडोदरा में निगम का परियोजना कार्यालय स्थित है और गुजरात इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (जी.ई.बी.) ही निगम के मुख्य क्लाइंट हैं। कार्यालय में 15 कार्मिक कार्यरत है। हिन्दी टाइपराइटर मौजूद है। हिन्दी टंकण प्रशिक्षण में कठिनाई उपस्थित हो रही है।

आई.पी.सी.एल. : निगम में हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की विभागीय व्यवस्था की गयी है। 8 कार्यशालाएं मुख्यालय में तथा 3 क्षेत्रीय कार्यालय में संपन्न हुई है जिनमें प्रबंधकों के लाभार्थ एक दिवसीय कार्यशाला भी शामिल हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से निगम सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हिन्दी व गुजराती में संचालित कर रहा है। 7 कार्मिक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। निगम की हिन्दी पत्रिका के 36 अंक प्रकाशित हो चुके हैं तथा संगठन के "न्यूजलेटर" में भी एक पृष्ठ हिन्दी को समर्पित रहता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से हो रही है। स्थल पर टिप्पण आलेखन की प्रतियोगिता की गई जिसमें 70 कार्मिक शामिल हुए। हिन्दी सप्ताह/हिन्दी दिवस कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालनार्थ कार्ययोजना बनाई जाती है। बडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से पिछले तीन वर्षों से हिन्दी में अच्छे काम के लिए प्रशस्ति पत्र मिल रहा है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग : क्लर्कों के पद खाली हैं।

केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, वडोदरा :

1. ग्रुप "ए", "बी" व "सी" के कुल 1160 कार्मिकों में से 1159 को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। शेष एक कार्मिक के हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

2. समाहर्तालय के कुल 95 क्लर्कों/टाइपिस्टों में से 33 हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित है। 3 आशुलिपिकों ने हिन्दी टाइप का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और वे हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण निजी प्रयत्नों से ले रहे हैं।

3. वडोदरा स्थित मुख्यालय तथा बलसाड स्थित मंडल में दो विभागीय हिन्दी टंकण प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है।
4. 28 गहन हिन्दी कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी है।
5. हिन्दी में मिले और उत्तर के लिए अपेक्षित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं।
6. 49.2 प्रतिशत पत्र 1988-89 की पहली तीन तिमाहियों में हिन्दी में जारी हुए।
7. 40 प्रतिशत दस्तावेज द्विभाषिक/हिन्दी में जारी हुए मुख्यतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित कानूनी दस्तावेजों के प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद तथा निर्धारित मानकों के अनुसार हिन्दी पद न होने के कारण इस संबंध में शत प्रतिशत अनुपालन नहीं हो पाया है।
8. हिन्दी पुस्तकालय स्थापित है। इसके अतिरिक्त, 18 स्तरीय पत्र पत्रिकाएं भी मंगवाई जा रही है।
9. समाहर्तालय की ओर से एक हिन्दी पत्रिका "गुर्जर भारती" का प्रकाशन हो रहा है। पत्रिका में प्रकाशित श्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत किया जाता है।
10. पिछले वर्ष 45 कार्मिक भारत सरकार की हिन्दी नोट/ड्राफ्ट लिखने से संबंधित नकद पुरस्कार योजना में पुरस्कृत किए गए।
11. 4 लिपिक हिन्दी टंकण कार्य करने पर सरकार की विशेष प्रोत्साहन भत्ता योजना में शामिल हैं।
12. हिन्दी सप्ताह आयोजन के अंग के रूप में हिन्दी वक्तव्य/हिन्दी टाईपिंग/हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिनमें 41 कार्मिकों को नकद पुरस्कार दिया गया।
13. मुख्यालय के अनुभागों तथा मंडलों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए दो शील्ड योजनाएं आरंभ की गयी है।
14. समाहर्तालय के मुख्यालय तथा सभी 11 मंडलों की 12 राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती है।
15. मुख्यालय के 20 अनुभागों तथा सभी 11 मंडलों से हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंगायी जाती है और उनकी समीक्षा की जाती है।
16. कार्यालय अध्यक्षों एवं अन्य पर्यवेक्षी अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराने के लिए विशेष संगोष्ठियों आयोजित की जाती है।

विशेष अतिथि संयुक्त सचिव (राजभाषा) माननीय श्री शंभु दयाल जी ने पर्व विशेष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाषा प्रयोग के समय कोई डर या मनोवैज्ञानिक झिझक नहीं होनी चाहिए। सरकार की राजभाषा नीति का मर्म ही यही है कि सरकारी काम-काज में बोलचाल की आमफहम भाषा का इस्तेमाल किया जाए। अन्य भाषा के प्रचलित शब्दों के इस्तेमाल में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ये शब्द देवनागरी में लिख दिए जाने चाहिए। ऐसा करने से भाषा आसान तो होगी ही, साथ ही समृद्ध भी होगी। भाषा का उद्देश्य अपनी बात दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा देना है और ऐसा प्रभावी सम्प्रेषण सीधी, सरल एवं सहज भाषा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने आग कहा कि यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963, यथा संशोधित राजभाषा नियमावली, 1976, तथा इन कानूनी व्यवस्थाओं के अनुपालनार्थ राजभाषा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य आदि को लागू करने के लिए वडोदरा के प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी संगठन द्वारा एक निश्चित समय-बद्ध कार्य योजना बनाई जाए तथा उस पर अमल किया जाए।

विभिन्न सदस्यों द्वारा बताई गई कठिनाइयों के

उत्तर में श्री दयाल ने कहा कि जिन कार्यालयों में हिन्दी के पद सृजित नहीं हुए हैं व पद निर्धारित मानकों के अनुसार सृजित करें/कराएं। इन पदों के सृजन के बारे में वित्त मंत्रालय के पास जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही, कार्यालय खाली हिन्दी पदों को भरें/भरवाएं। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई उपस्थित हो, तो राजभाषा विभाग से संपर्क किया जा सकता है। न्यूनतम हिन्दी पदों की के सृजन के बारे में राजभाषा विभाग शीघ्र ही नए कार्यदर्शी सिद्धांत जारी कर रहा है।

(ग) हिन्दी टंकण/आशुलिपिक प्रशिक्षण :

हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यालय अपनी-अपनी प्रशासनिक सुविधाजनक निम्नलिखि व्यवस्था कर सकते हैं :—

(1) सरकार के निदेशानुसार विभागीय व्यवस्था के तहत हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण मानदेय के आधार पर दिलवाया जाय। कार्यालयों के सहकार से यह प्रशिक्षण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधानमें भी आयोजित किया जा सकता है।

(2) राजभाषा विभाग के दिल्ली स्थित केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान या इस संस्थान के बम्बई स्थित उप संस्थान में संचालित 40 दिवसीय हिन्दी टंकण/आशुलिपिक प्रशिक्षण के लिए कार्मिकों को नामित किया जा सकता है। आरंभतः, कार्यालय के एक आशुलिपिक को इस संस्थान में प्रशिक्षण दिलवा कर, उसे संबंधित कार्यालय में हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण देने के लिए अनुदेशक के रूप में मानदेय पर नियुक्त किया जा सकता है।

(3) हिन्दी टंकण/आशुलिपिक प्रशिक्षण वडोदरा स्थित प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थानों में दिलवाया जा सकता है अथवा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण पत्राचार द्वारा प्राप्त करने के लिए संकेत लिपि संस्थान, अजमेर (राजस्थान) से संपर्क किया जा सकता है।

हिन्दी प्रशिक्षण

मैट्रिक स्तर पर द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी लेकर यह परीक्षा पास करने वाले कार्मिकों को चूंकि राजभाषा नियम 10(1) के तहत हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं माना जा सकता, अतः सभी कार्यालय हिन्दी में प्रशिक्षण-पात्र कार्मिकों का रोस्टर बनाए और इन कार्मिकों को एक समय-बद्ध कार्यक्रम के तहत अगले तीन वर्षों में हिन्दी का प्रशिक्षण प्रदान करादें। हिन्दी प्रशिक्षण के लिए वडोदरा में तैनात हिन्द प्राध्यापक की भरपूर सेवाएं ली जानी चाहिए। केन्द्रीय विद्यालय आदि के हिन्दी प्रशिक्षण के लिए शेष अध्यापक यह प्रशिक्षण निजी प्रयत्नों से ले सकते हैं। सरकार द्वारा मान्य विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों की हिन्दी परीक्षाएं पास की जा सकती हैं या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम में शामिल हुआ जा सकता है।

देवास

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक भारतीय जीवन बीमा निगम देवास के कार्यालय में हुई। समिति के अध्यक्ष श्री मु.वै. चार, महाप्रबन्धक, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास, ने बैठक की अध्यक्षता की।

नगर कार्यालयों में हिन्दी प्रगति

नगर के सभी कार्यालयों से यह अनुरोध किया गया था कि दिनांक 3-3-89 तक अपने कार्यालयों की राजभाषा षिषयक प्रगति की जानकारी भिजवा दें, जिससे दूसरी बैठक में उस पर चर्चा की जा सके। नगर के 27 कार्यालयों में से 16 कार्यालयों को सूचना प्राप्त हुई। तीन कार्यालयों ने बैठक के दौरान को अपनी सूचना भिजवायी, कुल 19 कार्यालयों की स्थिति इस प्रकार है:—

स्टाफ	अधिकारी	कर्मचारी	कुल
1. कार्यरत	138	864	1002
2. हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान	133	807	940
3. अप्रशिक्षित	005	057	062

आशुलिपि/टंकण	टाइपिस्ट/ नि.श्रे.लि.	आशुलिपिक
1. कुल	36	09
2. हिन्दी जानने वाले	17	01
3. अप्रशिक्षित	19	08

हिंदी में प्राप्त पत्र एवं उत्तर

1. हिन्दी में प्राप्त कुल पत्र	7963
2. हिन्दी में उत्तर	4714
3. हिन्दी पत्रों के अंग्रेजी में उत्तर	0308

हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना राजभाषा नियम-5 का उल्लंघन है। निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा हिन्दी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए :—

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत)	03
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	04
3. बैंक आफ महाराष्ट्र	30
4. बैंक आफ इंडिया	121
5. दूर संचार विभाग	150
	308

चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने सम्बन्धित कार्यालयों से यह जानने का प्रयास किया कि हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में न देने में सम्बन्धित कार्यालयों की क्या कठिनाइयां हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (वि.) बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र के अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं होने से उनकी कठिनाइयां मालूम नहीं हो सकीं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमाण्डेन्ट श्री सतलाल प्रसाद ने अपनी कठिनाई स्पष्ट करते हुए यह आश्वासन दिया कि भविष्य में इस ओर पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूर-संचार विभाग के अधिकारी श्री निगम ने भी भविष्य में इसके लिए पूरी सावधानी रखने का आश्वासन दोहराया।

पत्राचार

कुल जारी पत्र	11,543
हिन्दी में भेजे गए	8,675
अंग्रेजी में भेजे गए	2,868
हिन्दी पत्रों का प्रतिशत	76%

तार

1. कुल तार	460
2. हिन्दी में	063
3. अंग्रेजी में	397
4. हिन्दी तारों का प्रतिशत	14%

यूनियन बैंक आफ इंडिया ने इस अवधि में 24 तार भेजे, ये सारे के सारे हिन्दी में भेजे गए।

बैठक सम्बन्धी सूचना चूंकि 15—20 दिन पूर्व दे दी जाती है अत : कार्यालय प्रभारी को स्वयं अथवा अपरिहार्य स्थिति में कार्यालय के अन्य वरिष्ठतम अधिकारी को बैठक में भाग लेना चाहिए। कृपया लिपिकों को अकेले बैठक में नहीं भेजे। जिन कार्यालयों के प्रतिनिधि दोनों बैठकों में अनुपस्थित रहे उनके बारे में संबंधित कार्यालयों के मुख्यालयों / प्रधान कार्यालयों को सूचित किया जाए।

राजभाषा विषयक विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं

अनेक कार्यालयों ने राजभाषा विषयक विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी। सभी कार्यालयों की जानकारी हेतु राजभाषा विभाग द्वारा अनुशंसित सभी योजनाओं को बैठक में पुनः दोहराया गया :—

1. राजभाषा हिन्दी में अपना अधिकतम काम करने वाले कर्मचारी वार्षिक टिप्पणी और आलेखन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को वार्षिक, 2150/— के नकद पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इसमें भाग लेने वाले कर्मचारियों को एक प्रारूप में अपने रोजाना के काम का अभिलेख रखना पड़ता है। जिसे प्रति सप्ताह वरिष्ठ अधिकारी/पर्यवेक्षक से सत्यापित/हस्ताक्षरित करा लेना चाहिए। इसमें भाग लेने के लिए वर्ष भर में कम से कम 20 हजार शब्द हिन्दी में अवश्य लिखे जाने चाहिए। इसमें केवल टिप्पणी प्रारूप का बन्धन नहीं हैं। सभी तरह का हिन्दी में किया गया काम और कर्मचारी इसमें शामिल हैं।

2. जो कर्मचारी दोनों भाषाओं (अंग्रेजी/हिन्दी) में टाइप आशुलेखन का काम करते हैं उन्हें क्रमश: 40/— तथा 60/— रू. मासिक द्विभाषी भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि उनका रोजाना हिन्दी टाईपिंग का औसतन कार्य 5 पत्रों का, मासिक 100 अथवा त्रैमासिक 300 पत्रों का होना चाहिए, तथा इसका भी एक रजिस्टर में अभिलेख रखना होगा।

3. तीसरी योजना अधिकारियों के लिए है। इसमें हिन्दी में सर्वाधिक टिप्पण देने वाले अधिकारियों को रु. 500/— तक पुरस्कार की व्यवस्था है। इस योजना का परिपत्र शीघ्र ही सभी कार्यालयों को भिजवाया जा रहा है। जिन कार्यालयों की प्रगति धीमी है वे कृपया विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ देकर, कार्यालाओं में प्रशिक्षण देकर अधिक से अधिक हिन्दी में काम करने कराने का प्रयास करें, जिससे सभी कार्यालय वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को पा सकें।

नगर समिति द्वारा शील्ड/पुरस्कार योजना

नगर कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने; प्रोत्साहन और प्रेरणा से राजभाषा के कार्य को गति दने के लिए शील्ड योजना प्रारम्भ की जा रही है। सभी कार्यालय इसमें भाग ले सकते हैं। इस बारे में एक प्रारूप निर्धारित किया गया है जिसके आधार पर सभी कार्यालयों को प्राप्तांक किए जायेंगे और उन प्राप्तांकों के आधार पर कार्यालय, पुरस्कृत होंगे।

यह समिति अपनी सिफारिश अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्यक्ष श्री मु. वै. चार ने कहा कि समिति के माध्यम से तीन महीनों के अन्तराल में यह दूसरी भेंट हैं। देवास नगर में राजभाषा हिन्दी का वातावरण है।

भारत सरकार की यह मंशा है कि सरकारी कार्यालयों में प्रोत्साहन और अनुसरण, शिक्षण और प्रशिक्षण माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाए। सभी कार्यालयों की सूचना के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि देवास नगर के केन्द्रीय कार्यालयों / उपक्रमों और बैंकों से लगभग 76 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे जाते हैं। यह एक अच्छा संकेत हैं। हमारे क्षेत्र के लिए लक्ष्य तो शतप्रतिशत निर्धारित है। इसके लिए यह जरूरी है कि सभी कर्मचारियों की भारत सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा इस विषय में लागू विविध प्रोत्साहन योजनाओं आदि की पूरी जानकारी मिलती रहे तथा अधिकारी स्तर से कर्मचारियों को इन योजनाओं और विविध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नगर समिति की ओर से जहां इस बैठक से शील्ड योजना प्रचलित की जा रही है वहीं हम यह भी प्रयास करेंगें कि अगले वर्ष से एक से अधिक कार्यालयों को पुरस्कृत किया जा सके।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नगर ने सभी केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों उपक्रमों के मध्य समन्वय/ सम्पर्क सूत्र है और राजभाषा विषयक कामों के लिए सबकी मददगार भी। हम राजभाषा विषयक कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं पर यहां चर्चा कर ऐसे व्यावहारिक सुझाव/हल निकाल सकते हैं जिनको अपनाने से सबको सुविधा होगी। राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सरकारी आदेशों से नहीं बढ़ सकता, इसके लिए परस्पर सहयोग, सामान्जस्य, आपसी विश्वास, प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है।

	कुल		अप्रशिक्षित			हिन्दी में प्राप्त पत्राचार पत्र उत्तर						
	अधि-कारी	कर्म-चारी	अधि-कारी	कर्म-चारी	कुल	पत्र–उत्तर हि.	अं.	हि.	अ.	हि%	तार हि.	अं.
1. बैंक नोट मुद्रणालय, देवास	77	299	04	08	4705	2560	—	2272	668	77	13	56
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	03	250	—	47	1041	890	04	844	476	64	02	09
3. आयकर विभाग	01	005	:–	—	0060	60	—	190	117	62	—	—
4. दूरसंचार विभाग	01	070	—	—	500	300	150	430	151	74	—	—
5. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सि) I	01	002	—	—	—	—	—	48	113	30	—	—
6. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सि.) II	01	004	—	—	—	—	—	370	195	65	—	—
7. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (वि.)	01	003	—	02	50	5	3	96	55	64	—	02
8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	04	018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. केन्द्रीय विद्यालय	01	9+48	01	—	20	20	—	—	—	—	—	—
10. दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी	08	006	—	–	110	110	—	700	250	74	—	07
11. नेशनल एश्योरेन्स कम्पनी	01	006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. स्टेट बैंक आफ इंदौर (बी एन पी)	03	011	—	—	25	25	—	58	130	30	—	04
13. बैंक आफ इंण्डिया,	08	018	—	—	390	169	121	855	188	82	—	20
14. बैंक आफ महाराष्ट्र	02	005	—	—	140	110	30	180	40	82	—	—
15. यूनियन बैंक आफ इंडिया	03	006	—	—	122	105	—	264	101	72	24	—
16. स्टेट बैंक आफ इन्दौर (मुख्य शाखा)	11	036	—	—	—	—	—	150	50	66	15	235
17. रेल विभाग	—	016	—	—	178	65	—	150	5	96	45	45
18. भारतीय जीवन बीमा निगम	01	029	—	—	577	255	—	1918	240	89	07	01
19. भारतीय स्टेट बैंक	11	023	—	—	45	40	—	148	89	67	02	18
	138	864			7963	4714	308	8675	2868	76	63	397

जबलपुर (बैंक)

जबलपुर में बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठवीं बैठक दिनांक 14-12-88 को सेंट्रल बैंक, रायपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री आई. पी. हिंगोरानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, मध्य क्षेत्र के प्रभारी श्री एम. सी. पुरोहित सहित, सेंट्रल बैंक, केन्द्रीय कार्यालय के उपमुख्य अधिकारी (राजभाषा) श्री वैद, श्री एस. एस. कश्यप एवं नगर के विभिन्न बैंकों के कार्यपालकों, अधिकारियों और हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मचारियों ने भाग लिया।

अध्यक्ष श्री हिंगोरानी ने समिति के कार्यकलापों के प्रति संतोष व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि जबलपुर नगर के सभी बैंक भविष्य में भी मिलजुल कर समन्वय और सहयोग के बिंदु को गति प्रदान करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में और उत्तम प्रयास करेंगे उन्होंने आगे कहा कि नगर के कुछ बैंकों के द्वारा हिन्दी दिवस/सप्ताह का विधिवत् आयोजन किया गया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय ने, उन बैंकों एवं विजेता कर्मचारियों को क्रमशः प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार वितरित किए।

राजभाषा विभाग, के प्रतिनिधि मध्य क्षेत्र के प्रभारी श्री एम. सी. पुरोहित ने सेंट्रल बैंक प्रबंधतंत्र की बैठक में आमंत्रित करने हेतु आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर के सभी बैंकों ने समिति को भरपूर सहयोग दिया, जिसके लिए सभी बैंकों को बधाई दी।

श्री पुरोहित ने इस बात को पुनः स्पष्ट किया कि बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालकगण अत्यधिक व्यस्त होते हैं, इन बैठकों में आकर वे कुछ समय राजभाषा कार्यान्वयन के लिए देंगे तो इस कार्य में अवश्य गति आएगी, क्योंकि राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उन्हीं की है। राजभाषा अधिकारी केवल इस कार्य में सहयोगी की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।

इस विषय पर इस बात को पुनः दोहराया गया कि हिंदी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षण और मानसिकता निर्माण बहुत जरूरी है। अतः बैंकों को हिंदी कार्यशालाओं और अंतर बैंक प्रतियोगिताओं को पूर्ववत जारी रखना चाहिए। हिंदी प्रयोग एवं प्रचार को गति देने के लिए अध्यक्ष एवं सेंट्रल बैंक के आंचलिक प्रबंधक, रायपुर अंचल श्री हिंगोरानी ने घोषणा की कि आगामी वर्ष में जो बैंक अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक प्रतियोगियों को भेजेगा उस बैंक को समिति की ओर से एक वर्ष के लिए एक चल शील्ड प्रदान की जायगी।

बीकानेर

दिनांक 28/12/88 को उत्तर रेलवे, बीकानेर के सभा कक्ष में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बीकानेर की 13वीं बैठक श्री दिनेश बंसल की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अध्यक्ष एवं अपर मं. रे. प्र. श्री दिनेश बंसल ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदी में काम करके अधिकारियों को पहल करनी चाहिए। इससे कर्मचारी भी हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने सुझाव दिया कि नगर के सभी कार्यालय मिलकर संयुक्त रूप से हिंदी सप्ताह का आयोजन करें तो इससे एक दूसरे कार्यालय की हिंदी की प्रगति को देखने समझने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन आदि भी आयोजित किया जा सकता है। अपर मं.रे.प्र. ने कहा कि सुझाव अच्छा है। इसके लिए किसी कार्यालय को आगे आना चाहिए। रेलवे की तरफ से स्थान आदि की व्यवस्था के रूप में पूरा सहयोग दिया जाएगा। आकाशवाणी के सहायक केन्द्र निदेशक श्री नन्द भारद्वाज ने बताया कि उनके कार्यालय में इस वर्ष हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कवि गोष्ठी भी आयोजित की गई।

हिंदी की प्रगति की चर्चा के दौरान राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान के डा. नंदा खन्ना ने बताया कि उनके कार्यालय द्वारा 7 एक्सटेंशन बुलेटिन हिंदी में प्रकाशित की गई हैं। बैंक आंफ बड़ौदा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री पी. सी. कामलीवाल ने बताया कि उनके कार्यालय में सप्ताह में एक दिन केवल हिंदी में काम करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस दौरान पूरे अंचल में काफी काम हिंदी में होता है। इसी प्रकार यदि सभी कार्यालय हिंदी में काम करने के लिए कुछ दिन नियत कर लें तो हिंदी प्रयोग की प्रगति पर काफी असर पड़ेगा।

तदनन्तर श्री योगेंद्र मोहन गुप्त, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने सभी सदस्यों को बताया कि पहले यह समिति गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय गाजियाबाद से संबद्ध थी। परन्तु अभी हाल ही में गृह मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार एक और नया क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल में खोला गया है। अब राजस्थान स्थित सभी कार्यालय इससे संबद्ध कर दिए गये हैं। अब पत्र व्यवहार हमें मध्य क्षेत्र के कार्यालय से करना चाहिए।

बीकानेर स्थित विभिन्न कार्यालयों की 30/9/88 को हिन्दी प्रगति की स्थिति

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	अधिकारियों कर्मचारियों की कुल सं.	हिन्दी में प्रशिक्षित	टाइपिस्ट		आशुलिपिक		टाइपराइटर	
				प्रशिक्षित		प्रशिक्षित		कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मं. रे. प्र. कार्यालय/ बीकानेर	8914	8760	20	15	22	17	75	40
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1726	1726	142	76	2	1	68	15
3.	अधीक्षक डाक घर	259	259	1	—	1	1	6	3
4.	इंडियल आयल कार्पोरेशन	3	2	—	—	—	—	1	—
5.	भारतीय उर्वरक निगम	9	9	1	—	1	—	—	—
6.	आकाशवाणी	75	74	7	4	2	1	10	5
7.	विपणन एव निरीक्षण निदेशालय	2	2	—	—	—	—	1	—
8.	टिड्डी कार्यालय	16	16	—	—	—	—	4	1
9.	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	4	4	1	1	—	—	2	1
10.	सेंट्रल बैंक	14	14	—	—	—	—	2	1
11.	केन्द्रीय मरू. अनुसंधान संस्थान	25	25	3	1	1	—	3	1
12.	नेशनल इन्शोयोरेस कम्पनी	16	16	1	1	—	—	3	
13.	केन्द्रीय भेड एवं ऊन संस्थान	53	51	10	2	2	—	9	1
14.	यू. को. बैंक	22	22	4	1	—	—	1	—
15.	भारतीय स्टेट बैंक	104	104	2	2	—	—	2	1
16.	कर्मचारी जीवन बीमा निगम	2	2	—	—	—	—	—	—
		2	2	—	—	—	—	—	—
17.	बैंक आफ बड़ौदा	33	33	4	4	—	—	2	1
18.	राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान	27	27	—	—	2	—	6	1
19.	भारतीय जीवन बीमा निगम	44	43	3	2	—	—	6	2
20.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	12	12	1	1	—	—	1	—
21.	भारतीय खाद्य निगम	50	50	3	1	—	—	6	1
22.	क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यालय	2	2	—	—	—	—	2	1
23.	दूर संचार जिला अभियन्ता–1	674	674	1	1	1	1	7	2
24.	दूर संचार जिला अभियंता—II	32	32	—	—	—	—	7	2

क्र सं.	कार्यालय का नाम	मूल पत्राचार			हिन्दी पत्राचार		
		कुल	हिन्दी में	अंग्रेजी में	कुल	हिन्दी में	अंग्रेजी में
1	2	11	12	13	14	15	16
1.	मं. रे. प्र. कार्यालय, बीकानेर	18739	17953	786	19255	16284	—
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एड जयपुर	157116	1,40,887	16229	35340	31273	—
3.	अधीक्षक डाकघर	5400	4475	925	5150	4025	—
4.	इंडियन आयल कार्पोरेशन	75	25	50	25	25	—
5.	भारतीय उर्वरक निगम	4	4	—	55	29	—
6.	आकशवाणी	2350	1752	598	373	112	—
7.	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय	208	17	151	86	17	—
8.	टिड्डी कार्यालय	1445	70	1375	249	49	—
9.	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	268	268	—	161	65	—
10.	सेंट्रल बैंक	710	592	148	85	80	—
11.	केन्द्रीय मरु अनुसंधान संस्थान	423	349	74	41	41	—
12.	नेशनल इंशोयोरेंस कम्पनी	302	153	149	73	58	—
13.	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान	1549	162	1387	—	—	—
14.	यू. को. बैंक	624	481	143	142	142	—
15.	भारतीय स्टेट बैंक	674	525	149	545	525	20
16.	कर्मचारी जीवन बीमा निगम	120	120	—	—	—	—
17.	बैंक आफ बड़ौदा	712	517	125	78	78	—
18.	राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान	596	106	490	106	106	—
19.	भारतीय जीवन बीमा निगम	511	200	311	2930	1240	1690
20.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1518	1488	30	54	54	—
21.	भारतीय खाद्य निगम	3661	200	3161	3500	500	3000
22.	क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यालय	150	110	40	17	6	—
23.	दूर संचार जिला अभियता–II	1240	1050	190	7970	6070	1900
24.	दूर संचार जिला अभियन्ता II	4898	3522	1376	4727	3522	—

रोहतक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रोहतक की 16वीं बैठक 4 नवम्बर, 1988 को श्री एस.सी. नागपाल, आयकर आयुक्त, हरियाणा की अध्यक्षता में आयकर आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम सदस्य-सचिव श्री बी.पी. सिंह ने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बैठक में श्री नाहर सिंह वर्मा, उपनिदेशक, (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, गाजियाबाद ने भाग लिया और राजभाषा संबंधी विभिन्न मदों पर अपने विचारों से सदस्यों को अवगत कराया।

सदस्य-सचिव ने समिति के कार्यालयों से प्राप्त तारीख 30-9-88 को समाप्त तिमाही को केन्द्र सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट की ब्यौरेवार समीक्षा प्रस्तुत की।

एक सदस्य कार्यालय द्वारा बैठक में बताया गया कि देवनागरी में भेजी गई तारें तारघर द्वारा रोमन लिपि में ही प्रेषित की जाती हैं। इस संबंध में महाप्रबन्धक तार, अम्बाला से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है कि देवनागरी की तारें देवनागरी लिपि में ही भेजी जाएं।

यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य कार्यालय आशुलिपिकों/टंककों की भर्ती के लिए हिन्दी आशुलिपिकों/टंककों के ही डोजियर्स कर्मचारी चयन आयोग से मंगवाएं क्योंकि यह हिन्दी भाषी क्षेत्र होने के कारण शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाना अपेक्षित है।

हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के संबंध में बताया गया कि अध्यक्ष कार्यालय के पास न तो इतने टाइपराइटर हैं और न ही स्थान। श्री नाहरसिंह वर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, (उत्तर), गाजियाबाद ने सुझाव दिया कि सभी सदस्य कार्यालय आपस में मिल कर स्थान एवं टाइपराइटरों की व्यवस्था करें एवं इसका खर्च भी सभी सदस्य कार्यालय मिल कर उठाएं।

30-6-1988 को समाप्त तिमाही को विभिन्न कार्यालयों में आशुलिपिकों/टंककों की स्थिति इस प्रकार थी :—

	टंकक		आशुलिपिक	
	कुल	हिन्दी में प्रशिक्षित	कुल	हिन्दी में प्रशिक्षित
1. आयकर आयुक्त हरियाणा, रोहतक	87	79	58	13
2 ऊ-डियन बैंक आफ इंडिया, इन्जर रोड रोहतक	1	—	—	—
3 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, रोहतक	1	—	—	—
4. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क रोहतक	8	2	1	—
5 पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्या. रोहतक	11	10	8	2
6. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक	27	4	—	—
7 नेशनल इंश्योरेंस कं.लि. मंडल कार्यालय, रोहतक	13	4	2	—
8. आकाशवाणी रोहतक	12	6	3	—
9. न्यू बैंक आफ इंडिया, प्रादेशिक कार्या., रोहतक	1	—	3	—
10. भारतीय स्टेट बैंक	2	2	—	—

तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा :

कुल 15 सदस्य कार्यालयों को 30-6-1988 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई। मदवार समीक्षा इस प्रकार से है :—

कार्यालय का नाम	कुल संख्या			कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त	पत्र व्यवहार		कुल	हिन्दी में प्राप्त पत्र	
	अधि-कारी	कर्म-चारी			हिन्दी कुल	अंग्रेजी		उत्तर हिन्दी में दिया गया	उत्तर अंग्रेजी में दिया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आयकर आयुक्त, हरियाणा, रोहतक	62	421	472	16520	7290	9230	8542	5398	—
2. दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं.लि.	20	31	50	उल्लेख नहीं किया गया			145	95	—
3. यूनियन बैंक आफ इंडिया	6	13	19	1780	1426	354	103	81	—
4. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय	1	3	4	153	—	153	—	—	—
5. पंजाब नेशनल बैंक, मंडी	7	18	25	125	—	125	10	10	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क	14	72	85	2746	1166	1580	1548	1166	--
7. निरीक्षक निर्माण कार्या. उत्तर रेलवे	--	22	13	उल्लेख नहीं किया	गया		--	--	--
8. पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाईन	12	27	39	177	38	138	95	95	--
9. पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्या.	24	20	44	25746	20965	4781	3174	2755	--
10. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्या.	166	237	403	7876	6437	1439	1649	1331	--
11. केनरा बैंक, झज्जर रोड, रोहतक	7	20	25	650	350	300	30	10	--
12. नेशनल इन्श्योरेंस कं. लि., मंडल कार्यालय, रोहतक	उल्लेख नहीं		63	966	695	271	287	262	5
13. आकाशवाणी, रोहतक	15	77	92	870	717	153	245	245	--
14. न्यू बैंक आफ इंडिया, प्रादेशिक कार्या०	21	27	48	10739	4193	6546	294	272	--
15. स्टेट बैंक आफ इंडिया, रोहतक	26	67	93	1502	1100	402	300	60	--

जिन कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है उन से भी अनुरोध किया गया कि वे सभी रिपोर्ट समय पर भेज दिया करें ताकि बैठक में समीक्षा की जा सके।

राजभाषा ट्राफी

सदस्य-सचिव ने बताया कि रोहतक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सराहनीय कार्य के लिए राजभाषा विभाग द्वारा समिति के अध्यक्ष को चण्डीगढ़ में आयोजित उत्तर क्षेत्र राजभाषा सम्मेलन में "राजभाषा ट्राफी" एवं प्रमाणपत्र दिया गया। भविष्य में भी हिन्दी की ओर प्रगति के लिए समुचित प्रयास करने हेतु सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री नाहरसिंह वर्मा ने भी अपने समापन भाषण में रोहतक स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उप-क्रमों/ बैंकों आदि द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सुझाव दिया कि आज भी बैठक में जो विस्तार से चर्चा हुई है, उसके सन्दर्भ में में समुचित कार्रवाई तुरन्त की जाए।

हिसार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, की बैठक उत्तरी क्षेत्र कृषि यान्त्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार में दिनांक 28-12-88 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री वी.ए. पाटिल, निदेशक ने की।

अध्यक्ष श्री पाटिल ने उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी सम्भव है जब वहां के सरकारी कार्यालयों में अपनी भाषा में कार्य होता है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि कम से कम "क" क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में पत्राचार हिन्दी में ही किया जाए।

वार्षिक कार्यक्रमों को कार्य रूप देने की जिम्मेवारी प्रत्येक विभागाध्यक्ष की है और प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उत्साहवर्धक प्रयत्न किए जा रहे हैं। समिति के सदस्यों ने महसूस किया कि बावजूद कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है।

समिति के सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव दिए:—

1. गृह मंत्रालय से हिसार स्थित किसी प्राइवेट टाइप कालिज को टंकण प्रशिक्षण के लिए मान्यता दिलाने हेतु पत्राचार किया जाए।

वर्ष 1988 में वार्षिक कार्यक्रमों के अनुसार हिंदी दिवस का आयोजन दिनांक 14-9-88 को उत्तरी क्षेत्र कृषि यान्त्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार में सफलतापूर्वक किया गया।

हिंदी दिवस को वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले वक्ताओं को शील्ड प्रदान की गई।

उपस्थित प्रतिनिधियों में राजभाषा पुष्पमाला का वितरण किया गया।

वर्ष 1989 में कार्यशालाओं का आयोजन के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि इस वर्ष छः कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। प्रथम कार्यशाला जनवरी, 89 में केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार में आयोजित की जाए। फरवरी, 89 में कार्यशाला का आयोजन उत्तरी क्षेत्र कृषि यान्त्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार में किया जाए।

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

(1) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 कार्च, 198० को 55वीं बैठक श्री शैलेश कुमार लाल की अध्यक्षता में हुई । इसमें गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि डॉ० महेशचन्द्र गुप्त, निदशक (अनुसंधान) ने भी भाग लिया ।

संघ लोक सेवा आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 दिसम्बर, 1988 को आयोजित 57 वीं बैठक के निर्णयों पर चर्चा करते हुए समिति ने यह नोट किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर पूरी कार्रवाई की गई। जहां तक आयोग कार्यालय में पुस्तकालय अनुदान का कम से कम 25 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च करने का सम्बन्ध है, हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर राशि में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। वर्ष 1987-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) इस खर्च में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग ने बताया कि बाजार में हिन्दी में अनेक विषयों पर उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो आयोग के पुस्तकालय के लिए खरीदी जा सकती हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि महत्वपूर्ण विषयों पर हिन्दी पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जाए तो हिन्दी की और पुस्तकें भी खरीदी जा सकती हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में आयोग की प्रगति उल्लेखनीय है।

आयोग कार्यालय से 31 दिसम्बर, 1988 को समाप्त तिमाही के दौरान केवल 3 प्रतिशत तार देवनागरी में जारी किए गए हैं। संयुक्त सचिव (परीक्षा) ने बताया कि तारों के मानक प्रारूप हिन्दी में तैयार करा लिए गए हैं और भविष्य में यथासम्भव अधिक से अधिक तार देवनागरी में जारी किए जाएंगे।

31 दिसम्बर, 1988 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत निर्दिष्ट सभी दस्तावेज दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। जहां तक "क" और "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों तथा उनके कार्यालयों या व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि का सम्बन्ध है, इस तिमाही के दौरान आयोग कार्यालय से कुल 45,291 पत्र जारी किए गए जिनमें से 22971 पत्र हिन्दी में जारी किए गए थे जिनकी प्रतिशतता 50.7 बैठती है जब कि इससे पिछली तिमाही में हिन्दी में जारी पत्रों की प्रतिशतता 38.14 थी। इस दिशा में निःसन्देह सुधार हुआ है। लेकिन आयोग कार्यालय में "क" तथा "ख" क्षत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को इस तिमाही में 4.68 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे गए थे जब कि पिछली तिमाही में यह प्रतिशतता 13.58 थी। अध्यक्ष ने निदेश दिया कि एक बार जो लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है उसमें गिरावट नहीं आने देनी चाहिए।

आयोग कार्यालय में कुल 248 अ. श्रे. लिपिकों में से 57 लिपिकों को हिन्दी टाइपराइटिंग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 8 कर्मचारी इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार 86 आशुलिपिकों में से 20 आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है और 4 कर्मचारी इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आयोग कार्यालय में लिपिकों/आशुलिपिकों की संख्या कम है और कार्य की अधिकता है, इसलिए सीमित संख्या में लिपिकों/आशुलिपिकों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए ताकि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। संयुक्त सचिव (भर्ती) ने कहा कि हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों का उपयोग न होने के कारण व अर्जित ज्ञान को भूल जाते है। निदेशक (राजभाषा) ने समिति को बताया कि आयोग कार्यालय में हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरु की गई है। अधिकारियों द्वारा स्टेनोग्राफरों को हिन्दी में डिक्टेशन देने से आशुलिपिकों का अभ्यास बना रह सकता है। अतः अधिक से अधिक अधिकारियों को इस योजना में भाग लेने चाहिए।

2. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली

आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 10-3-89 को श्री एस. सी. मित्तल, की अध्यक्षता में हुई।

सबसे पहले निदेशक (राजभाषा विभाग) डा. महेश चन्द्र गुप्त, और श्रीमती संयुक्ता अर्जुना, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि लोडस्टार (ध्रुवतारा) के कवर पेज पर कार्यालय का नाम और सम्पादक आदि हिन्दी में होना चाहिए। अध्यक्ष ने सहमति दी और कहा कि भविष्य में ऐसा ही किया जाए।

"क" तथा "ख" क्षेत्र में इन्वीजिलेटरों को पत्र द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं अध्यक्ष ने आदेश दिए कि भविष्य में यह पत्र द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। उत्तरी क्षेत्र का सम्बन्धित अनुभाग हिन्दी अनुभाग से सम्पर्क करके इसकी व्यवस्था करे।

डा. महेश चन्द्र गुप्त के साथ "क" तथा "ख" क्षेत्र को 100 प्रतिशत हिन्दी में पत्र जारी करने की चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि आयोग उम्मीदवारों के साथ अधिकतर पत्राचार द्विभाषी रूप में करता है और इसके अतिरिक्त आयोग में हिन्दी स्टाफ की कमी के बावजूद भी उन्होंने जीवनवृत्त (बायोडाटा) और साक्षात्कार पत्र दोनों को द्विभाषी रूप में तैयार करने के लिए आदेश दिया।

चैक प्वाइंटों का पुनरीक्षण : सामान्य शाखा द्वारा तैयार किए जाने वाली रबड़ की मोहरों, नाम पट्टों और आर ए ई आई, में "क" तथा "ख" क्षेत्र में भेजे जाने वाले लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखने के बारे में चर्चा की गई। अध्यक्ष ने आदेश दिया कि सभी अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी रबड़ मोहरें द्विभाषी रूप में होनी चाहिएं।

अध्यक्ष ने यह भी आदेश दिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जाएं परन्तु इसके साथ यह भी सुनिश्चय किया जाए कि ऐसे पत्र भेजते समय उनमें देरी न हो।

हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित कर्मचारियों से हिन्दी का काम लिया जाना : राजाभाषा विभाग के आदेशानुसार हिन्दी में प्रशिक्षित टाइपिस्टों/आशुलिपिकों से हिन्दी टाइपिंग का काम लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने आदेश दिया कि ऐसे कर्मचारियों से हिन्दी टाइपिंग का काम लिया जाए और उन्हें नियमानुसार 40 रुपय मासिक विशेष भत्ता दिया जाए और आशुलिपिकों को हिन्दी में काम करने के लिए 60 रुपय मासिक विशेष भत्ता दिया जाए।

हिन्दी टाइपराइटरों के प्रतिशत में वृद्धि : श्रीमती संयुक्ता अर्जुना ने कहा कि आयोग में हिन्दी के टाइपराइटरों की संख्या कम है, इनका प्रतिशत बढ़ाया जाए। अध्यक्ष ने बताया कि जैसे-जैसे कर्मचारी हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित होते रहेंगे इनका प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

डा. महेश चन्द्र गुप्त और श्रीमती संयुक्ता अर्जुना ने कहा कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है और जिन अवर श्रेणी लिपिकों ने हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षण नहीं लिया है उन सभी को हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण में भेजा जाए। इस पर अवर सचिव (स्थापना) ने बताया कि उन्हें आयोग के कार्यालय के कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सत्र में नामित किया जा रहा है।

बैठक में चर्चा की गई कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी में सम्पूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें नकद पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार भी दिया जाए। अवर सचिव (स्थापना) ने बताया कि इस योजना को सभी कर्मचारियों में परिचालित किया गया है और आयोग के तीन कर्मचारी अपना सारा काम हिन्दी में कर रहे हैं। उनके वर्ष भर का रिकार्ड प्रस्तुत करने पर उन्हें पात्र पाए जाने पर योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा।

3. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलमेंट इंडिया लि., नई दिल्ली

दिनांक 17-4-1989 को राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष श्री टी. आर. चन्द्रा महाप्रबंधक की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में श्री महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी भाग लिया।

आरम्भ में समिति के अध्यक्ष श्री टी. आर. चन्द्र ने श्री म. च. गुप्त को पी.डी.आई.एल. की कार्य प्रकृति से परिचित कराया। समिति ने सभी वरीय सदस्यों ने अपने-अपने विभागों में हो रहे तकनीकी कार्य एवं उन कार्यों को हिन्दी में सम्पादित करने में हो रही कठिनाइयों एवं ग्राहकों के अंग्रेजी में पत्र व्यवहार का जिक्र किया। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को समझते हुए श्री महेश चन्द्र गुप्त ने निम्नलिखित सुझाव दिए:—

1. कंपनी के पत्र शीर्ष के नीचे "हिन्दी में पत्र व्यवहार अभिनन्दनीय है" मुद्रित करा दिया जाए। इससे स्वदेशी कंपनियों के बीच हो रहे पत्राचार के लिए हिन्दी अपनाने की जिज्ञासा बनेगी।
2. विदेशी कंपनियों तथा स्वदेशी बड़ी बड़ी कंपनियों से कार्य प्रकृति को देखते हुए अंग्रेजी में पत्राचार किए जा सकते हैं।
3. राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से अनिवार्य रूप से हिन्दी में पत्राचार किए जाए।
4. सामग्री प्रबंध विभाग से मांग जाने वाले कोटेशन भी हिन्दी में होने चाहिए। छोटे-छोटे कोटेशन तो अनिवार्य रूप से हिन्दी में मंगाए जाने चाहिएं।
5. अनुबंध फार्म के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उपलब्ध फार्म के आधार पर एक मानक फार्म बना लिया जाए तथा उसे लागू किया जाए।

6. वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए पुरानी टंकण मशीन की कुंजी-पटल को देवनागरी में परिवर्तित करा दिया जाए।

7. अंग्रेजी टंकण मशीन तब तक न खरीदी जाए जब तक 50% प्रतिशत टंकण मशीन हिन्दी की न हो जाएं।

8. आशुलिपिकों की भर्ती के संबंध में कार्या. ज्ञापन सं. 14012/7/87-रा.भा. (ग) दिनांक 20-8-87 दृष्टव्य है।

"(1) 'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 25 प्रतिशत पदों पर हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिएं।

(2) 'क' क्षेत्र में स्थित बाकी कार्यालयों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 50 प्रतिशत पदों पर हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिएं।

हिन्दी आशुलिपि जानें वाले आशुलिपिकों का उपरोक्त अनुपात, आशुलिपिकों की नई भर्ती में हिन्दी आशुलिपि जानने वाले उम्मीदवारों की भर्ती करके और अंग्रेजी जानने वाले आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाकर 31 मार्च 1990 तक पूरा कर लिया जाए। जब तक हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक किसी कार्यालय में उपरोक्त निर्धारित अनुपात के अनुसार नहीं हो जाते तबतक नई भर्ती में, यदि हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक उपलब्ध हों तो, हिन्दी आशुलिपि के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को ही आशुलिपिक के पद पर नियुक्त किया जाए। यदि किसी कार्यालय में इनसे ज्यादा हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की आवश्यकता हो तो उपरोक्त अनुपात से ज्यादा भी हिन्दी आशुलिपि जानने वाले उम्मीदवारों को सीधी भर्ती द्वारा लिया जा सकता है। उपरोक्त निर्धारित अनुपातों के पूरा हो जाने के बाद भी अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण तब तक दिया जाता रहना चाहिए जबतक सभी आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते।"

9. हिन्दी आशुलिपिकों की अनुपलब्धता के संबंध में उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कर्मचारी चयन समिति में चुने गए कर्मचारियों की सूची उपलब्ध है और उस समिति से सम्पर्क कर हिन्दी आशुलिपिक मंगाए जा सकते हैं।

10. द्विभाषी टेलेक्स की व्यवस्था अविलम्ब की जाए।

11. राजभाषा नीति के अन्तर्गत यह सिफारिश की गई कि अंग्रेजी आशुलिपिकों की नई भर्ती तबतक न की जाए जबतक हिन्दी आशुलिपिकों की व्यवस्था निर्धारित अनुपात में न हो जाए।

12. ड्राइंगों इत्यादि पर लिखे जाने वाले विषय अनिवार्य रूप से द्विभाषी हों।

4. राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण, नई दिल्ली

26-12-88 को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री वाई. डी. पेंडसे, महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई निम्नलिखित है, इसका विवरण समिति द्वारा नोट किया गया।

(क) हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक महीने के अन्त में प्रेषण रजिस्टर से नियमित जांच की जाती है।

(ख) द्विभाषी प्रपत्र हिंदी में भर जा रहे हैं।

(ग) मुख्यालय/कार्यालय के बावन कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् (कें. स. हि. प.) के सदस्य बन गए हैं। इस शाखा के चुनाव जन., 89 के प्रथम सप्ताह में कराए जाएंगे।

(घ) पुस्तकों का अनुमोदन महानिदेशक द्वारा किया गया है तथा यथा समय 500/- रुपय के भीतर पुस्तकें क्रय कर ली जाएंगी।

(ङ) हिंदी टंकण का कार्य बारी-बारी से सभी हिंदी जानने वाले टंककों को दिया जा रहा है।

(च) इस तिमाही में बारह घंटों की कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में प्रशिक्षणार्थियों को टिप्पण तथा प्रारूपण के व्यावहारिक अभ्यास करवाए गए।

3. हिंदी पत्राचार में और अधिक प्रगति तथा कार्यालयीन काम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिय निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(क) हिंदी जानने वाले आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग।

सभी हिंदी जानने वाले आशुलिपिक अपने अधिकारियों से हिंदी आशुलिपि में श्रुतलेख लेंगे जिससे उनका हिंदी आशुलिपि का अभ्यास जारी रहे।

(ख) द्विभाषी मोहरें

सभी अंग्रेज़ी की रबड़ मोहरों को नष्ट कर दिया जाए। जहां द्विभाषी रबड़ मोहर का उपयोग कठिन हो, वहां चैक में हिंदी की रबड़ मोहरों का प्रयोग किया जाए ।

5. लोक निर्माण विभाग (दि० प्र०)

अधीक्षक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, विद्युत् परिमंडल—1 (दिल्ली प्रशासन) नई दिल्ली के कार्यालय कक्ष में दिनांक 23-12-88 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक हुई ।

चर्चा के विषयों में सबसे पहले परिमंडल एवं अन्य मंडलों में माह 9/88 को समाप्त हुई तिमाही में हुई हिन्दी की प्रगति पर विचार किया गया ।

मंडल/परिमंडल	6/88 को समाप्त तिमाही के दौरान प्रतिशत	9/88 को समाप्त तिमाही के दौरान प्रतिशत	प्रगति घटी या बढ़ी
परिमंडल कार्यालय	55%	52%	3% घटी
विद्युत् मंडल-1	76%	76%	न बढ़ी न घटी
विद्युत् मंडल-2	95%	96%	1% बढ़ी
विद्युत् मंडल	86%	89%	3% बढ़ी
विद्युत् मंडल-7	83%	87%	4% बढ़ी
समेकित प्रगति	77%	78%	1— बढ़ी

अध्यक्ष महोदय ने परिमंडल कार्यालय एवं इसके अन्तर्गत मंडलों की प्रगति पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया :—

परिमंडल कार्यालय	75%
विद्युत् मंडल-1	80%
विद्युत् मंडल-2	95%
विद्युत् मंडल-5	90%
विद्युत् मंडल-7	85%

परिमंडल कार्यालय के लिए हिन्दी की प्रगति का लक्ष्य पिछली तिमाही बैठक में 75 प्रतिशत रखा गया था परन्तु पिछली बैठक की तुलना में भी परिमंडल कार्यालय की प्रगति में कमी पाई गई । इस पर अध्यक्ष महोदय ने असन्तोष व्यक्त किया तथा प्रगति में सुधार हेतु कुछ सुझाव रखे गए। हिन्दी अनुवादिका को निर्देश जारी किए गए कि प्रत्येक सप्ताह परिमंडल की प्रगति का जायजा लेने हेतु हर सीट पर हुए कार्य का लेखा-जोखा देखकर यह जांच करें कि हिन्दी की प्रगति किस सीट पर कम है तथा यदि कोई कठिनाई है तो उसे दूर करके प्रगति बढ़ाने के प्रयास किए जाए ।

परिमंडल में हिन्दी की प्रगति पर चर्चा करते हुए यह सुझाव भी दिया गया कि स्मरण पत्र जिन्हें यदा-कदा भेजने की आवश्यकता पड़ती ही रहती है उसे हिन्दी में साइक्लोस्टाइल करा लिया जाए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रयोग में लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा हिन्दी अनुवादिका को यह भी निर्देश दिए गए कि छोटे-छोटे पत्र जिनका कि अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद सरलता से किया जा सकता है अनुवाद करें जिस से हिन्दी की प्रगति में सुधार लाया जा सकता है।

परिमंडल के अन्तर्गत कार्यरत सहायक निर्माण सर्वेक्षकों को भी निर्देश दिए गए कि अनुमान/कार्य आदेश तथा पूर्ति आदेश तैयार करते समय यह प्रयास करे कि उन्हें हिन्दी में ही तैयार किया जाए।

सभी सम्बन्धित सदस्यों ने अनुपालन का आश्वासन दिया।

मंडलों में हिन्दी की प्रगति का जायजा लेने का पर यह देखा गया कि पिछली तिमाही की तुलना में प्रायः सभी मंडलों में हिन्दी की प्रगति में वृद्धि हुई है । अध्यक्ष ने इस पर सन्तोष व्यक्त किया। विद्युत मंडल-2 में हिन्दी को हुई प्रगति के लिए कार्यपालक इजीनियर (वि.) विद्युत मंडल-2 की प्रशंसा की गई । अध्यक्ष महोदय ने सभी कार्यपालक इंजीनियरों से अनुरोध किया कि वह प्रगति को बढ़ाने की ओर चेष्टा करें तथा इसमें सुधार हेतु हर सम्भव प्रयास करें । अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी अनुवादिका को भी निर्देश जारी किए कि वह समय-समय पर मंडलों में निरीक्षण हेतु जाती रहें एवं पाई गई कमियों से अवगत कराए तथा इन्हें दूर करने का प्रयास करें ।

करार, प्रारम्भिक अनुमान, विस्तृत अनुमान, ठेकेदारों के बिल, कार्य आदेश/पूर्ति आदेश के संबंध में हिन्दी की प्रगति का जायजा लेते हुए इसकी प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया गया तथा सभी कार्यपालक इजींनियरो को निर्धारित लक्ष्य 30% को पाने एंव इसमें और सुधार लाने के लिए प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया । सभी कार्यपालक इजींनियरी को निर्देश दिए गए कि जो भी सूचना परिमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराए वह पूर्ण तथा सही होनी चाहिए एवं इसे कार्यपालक इंजींनियर के हस्ताक्षर के पश्चात ही परिमंडल कार्यालय को भेजा जाए ।

हिन्दी टाइप/आशुलिपि प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कार्यपालक इंजींनियर विद्युत मंडल-1 को निर्देश दिए कि वह अपने अधीन कार्यरत उन चार अवर श्रेणी लिपिकों में से दो को अवश्य अगले सत्र में प्रशिक्षण हेतु नामित करें जिन्होंने अभी प्रशिक्षण प्राप्त करना है । परिमंडल कार्यालय से भी एक अवर श्रेणी लिपिक को हिन्दी टाइप के प्रशिक्षण हेतु नामित करने के लिए निर्देश जारी किए गए । अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिए कि परिमंडल में दो हिन्दी टाइपराइटर हमेशा चालू हालत में रहने चाहिए ताकि हिन्दी को टाइप करने के कार्य में कोई विलम्ब न आए/कथिनाई न हो ।

कानपुर में विधि साहित्य संगोष्ठी तथा प्रदर्शनी

□ चन्द्र भूषण देवगम

केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के विधि साहित्य प्रकाशन ने कानपुर बार एसोसिएशन के सक्रिय सहयोग से गत वर्ष कानपुर बार एसोसिएशन हाल में विधि साहित्य प्रदर्शनी और विधि साहित्य संगोष्ठी का अत्यंत जीवंत और सफल आयोजन किया गया।

कानपुर नगर के जिला और सेशन न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश ने दीप प्रज्वलित करके विधि साहित्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उपस्थित न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं ने भी प्रदर्शनी का हार्दिक स्वागत करते हुए बड़ी माला में हिन्दी पुस्तक खरीदीं। कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के संचालन तथा श्री ओम प्रकाश, जिला और सेशन न्यायाधीश, कानपुर (नगर) की अध्यक्षता में विधि साहित्य संगोष्ठी का समारंभ हुआ। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री, सा. नि. वि., उत्तर प्रदेश थे। सरस्वती वंदना के पश्चात् मंच पर विराजमान संगोष्ठी के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदि को माल्यार्पण किए गए।

सर्वप्रथम विधि साहित्य प्रकाशन के प्रधान संपादक श्री जगत नारायण ने विधि मंत्रालय के विधि साहित्य प्रकाशन तथा राजभाषा खंड के विभिन्न क्रिया कलापों, उद्देश्यों, उपलब्धियों आदि का संक्षिप्त परिचय दिया। तत्पश्चात् संगोष्ठी के विषय "न्यायालय में हिन्दी प्रयोग की समस्याएं और उनका समाधान" पर परिचयात्मक विचार कानपुर (देहात) के जिला और सेशन न्यायाधीश श्री गिरीशचंद्र ने प्रस्तुत किए।

संगोष्ठी के संचालक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने डा. प्रेम नारायण शुक्ल का परिचय देते हुए अपने विचार व्यक्त करने के लिए निवेदन किया। डा. शुक्ल ने सभा को बताया कि सन् 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था तब पूरे देश की यही भावना थी कि हिंदी ही सारे देश की भाषा होनी चाहिए। किंतु स्वराज्य के बाद भाषा के मामले में हिंदी के साथ अंग्रेजी का विकल्प भी जुड़ गया और इस प्रकार संकल्प के साथ जहां विकल्प जुड़ा वहां कमजोरी ने जन्म ले लिया और हिंदी अपने ही घर पर पराई हो गई।

बार के ज्येष्ठ सदस्य पंडित रामबालक मिश्र ने संगोष्ठी और विधि साहित्य प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के प्रति साधुवाद व्यक्त किया और कहा कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य पवित्र है और पुण्य का कार्य है क्योंकि इसके पीछे निहित है यह भावना कि जनगण की भाषा में जन-जन तक न्याय का प्रकाश पहुंच सके। न्याय और विधि के क्षेत्र में अंग्रेजी का माध्यम शोषण का माध्यम है।

प्रो. गिरिराज किशोर के भावपूर्ण भावाभिव्यक्ति के बाद श्री पी. एन. चर्तुवेदी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने स्वतंत्रतापूर्व समस्त भारत में हिंदी के प्रति प्रचलित जनभावना का उल्लेख किया और स्वतंत्रता के पश्चात् कुछ स्वार्थी तथा संकीर्ण विचाराधारा के लोगों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने की नीति के प्रति खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित निर्णय पत्रिकाएं वास्तव में सराहनीय हैं और न्यायालयों में हिंदी में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए बहुत उपयोगी हैं। हिंदी को उसका यथोचित स्थान प्राप्त होकर रहेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैण्ड में सोलहवीं शताब्दी में अंग्रेजी को देहाती भाषा समझा जाता था। अंग्रेजी भाषा की यात्रा भी बहुत ही संघर्षमय थी। इंगलैण्ड में 1650 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अधीन यह उपबंध किया गया कि अंग्रेजी भाषा में निर्णय न देने पर पचास पाउंड का अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकेगा। इस प्रकार यदि भाषा नीति के साथ दृढ़ संकल्प भी हो तो हिंदी भाषा के प्रयोग में कोई समस्या उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

संगोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, राज्य-मंत्री, सा. नि. वि., उत्तर प्रदेश ने विधि साहित्य पर इतनी उपयोगी संगोष्ठी आयोजित करने के लिए कानपुर बार एसोसिएशन तथा विधि और न्याय मंत्रालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाषा नीति पर मेरे विचार स्पष्ट हैं। केवल विधि के क्षेत्र में ही हिंदी का प्रयोग क्यों? जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनभाषा का प्रयोग होना चाहिए। अब रही भाषा प्रयोग की समस्या की बात, तो जनजीवन में जनभाषा के प्रयोग में समस्या क्या हो सकती है? समस्या कोई है तो वह हमारे बीमार चिंतन और मानसिकता की समस्या है। अंग्रेजी की वजह से सामान्यजनों के प्रतिभाशाली बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। स्वाधीनता के चार दशक बाद भी जब एक साधारण ग्रामीण को उसकी भाषा में न्याय नहीं मिल पाता तो वह अवाक् रह जाता है। हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए।

जिला और सत्र न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाकर सरकारी कामकाज की भाषा के लिए हिंदी का प्रयोग आवश्यक कर दिया गया है। इसी पृष्ठभूमि में न्यायालयों में भी हिंदी का प्रयोग आरंभ हो चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न परिपत्रों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुंसिफ और मजिस्ट्रेटों के लिए यह आवश्यक कर दिया है कि व अपने निर्णय और आदेश हिंदी में दें। यह हर्ष का विषय है कि आज हमारी इस गोष्ठी में भारत सरकार के विधि साहित्य प्रकाशन के प्रधान संपादक, श्री जगत नारायण भी उपस्थित हैं। उन्होंने इस गोष्ठी में उपस्थित होकर हमें अपने विचारों से लाभान्वित होने का अवसर दिया है। विधि साहित्य में हिंदी के प्रयोग का आरंभ हो चुका है और मुझ विश्वास है कि कुछ समय बाद न्यायालयों में हिंदी प्रयोग बढ़ेगा।

मैंने सेठ गोविंददास जी की प्रेरणा से हिंदी में कार्य करने का संकल्प किया था और मैं अब भी हिंदी में कार्य कर रहा हूं और मुझे हिंदी का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अपनी भाषा में कार्य करने में कठिनाई का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार निर्बल का शोषण बलवान करता है और अज्ञानी का शोषण ज्ञानी करता है ठीक उसी प्रकार आज अंग्रजी का जानकार अंग्रेजी न जानने वालों का शोषण करता है। अंग्रेजी शोषण की भाषा है। कुछ एक स्वार्थपरायण व्यक्तियों की थोपी हुई भाषा है। हमारे न्यायाधीशगण बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं। अंग्रेजी में विधि साहित्य बहुत महंगा है जिसे हमारे युवा साथी खरीद नहीं सकते। विधि साहित्य प्रकाशन हिंदी में विधि साहित्य उपलब्ध करके बहुत महत्व-पूर्ण कार्य कर रहा है; इससे हिंदी में कार्य करने वालों को बहुत सहायता मिल रही है।

हिंदी के कथाकार प्रोफेसर गिरिराज किशोर ने, कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं अपितु भाषा के माध्यम से ही चिंतन किया जाता है और भाषा ही अभि-व्यक्ति का माध्यम भी है। इसीलिए इस सब प्रयोजनों के लिए माध्यम मातृभाषा या जनभाषा ही होनी चाहिए। वकील का व्यवसाय सामान्य जन से जुड़ा होता है इसलिए वकील, न्याय और विधि की परस्पर सम्पर्क भाषा या संवाद की भाषा जनभाषा ही हो सकती है। अन्यथा सब व्यर्थ है। यदि सामान्य व्यक्ति तक विधि नहीं पहुंच सकती तो विधि का उद्देश्य विफल हो जाता है। हिंदी में विधि को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता विद्यमान है।

कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त ने यह कामना व्यक्त की कि न केवल विधि के क्षेत्र में बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग पूरे विश्वास और गर्व से किया जाना चाहिए।

अंत में विधि साहित्य प्रकाशन के प्रधान संपादक ने उपस्थित विद्वानों को विश्वास दिलाया कि न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अधिक सुगम और सरल बनाने की दिशा में जो कुछ भी करना संभव है उसे अपना पावन कर्त्तव्य मानते हुए वे निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। उन्होंने माननीय मंत्री महोदय न्यायाधीशों तथा बार के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। कानपुर बार एसो-सिएशन के महामंत्री ने भी गोष्ठी को सफल बनाने के लिए सबके प्रति आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान रजत जयन्ती वर्ष समारोह

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्त संस्था—केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के रजत जयंती वर्ष का उद्घाटन 13 फरवरी 1989 को विज्ञान-भवन में माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने किया। समारोह की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी. शिव शंकर ने की।

समारोह का शुभारम्भ भारतीय पारंपरिक रीति से शंख ध्वनि के बीच विदेशी छात्र-छात्राओं ने श्री राजीव गांधी को तिलक लगाकर तथा माल्यार्पण करके किया। शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमंत्री एवं केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल के अध्यक्ष श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही ने सभी अतिथियों, विद्वानों और सम्मानित हिंदी सेवियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर संस्थान की तरफ से 24 हिन्दी सेवियों साहित्यकारों, पत्रकारों, तकनीकी और वैज्ञानिक लेखकों को क्रमशः गंगाशरण सिंह पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, आत्माराम पुरस्कार एवं सुब्रह्मण्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कृत व्यक्तियों को दस दस हजार रुपए की राशि, एक शाल और ताम्रपत्र प्रदान किए गए।

गंगाशरण सिंह पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वान हैं—श्री मोटूरि सत्यनारायण, श्री गो.पे. नेने, श्री रजनीकांत चक्रवर्ती, श्री एम.के. वेलायुधन नायर, श्री शंकरराव लोढ़े श्रीमती मुत्तूबाई माने, श्री एस. शारंगपाणि, श्री दत्तात्रेय मिश्र, श्री नरसिंह नन्द शर्मा, श्री नरेन्द्र अंजारिया, श्री हजारिमयूम गोकुलानंद शर्मा और श्री गिरिराज किशोर।

गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार "चन्दामामा" के संपादक बालशौरि रेड्डी, "केरल ज्योति" के संपादक के.एस. बालकृष्ण पिल्लै और "धर्मयुग" के संपादक श्री धर्मवीर भारती को दिए गए।

आत्माराम पुरस्कार श्री रामचरण मेहरोत्रा डा. ब्रजमोहन, डा. ओम विकास और श्री गुणाकर मुले को दिए गए।

सुब्रह्मण्य भारती पुरस्कार डा. प्रभाकर माचवे, डा ब्रजेश्वर वर्मा, डा. हरदेव बाहरी डा. ना. नागप्पा और डा. रामसिंह तोमर को प्रदान किए गए।

उद्घाटन भाषण में श्री गांधी ने कहा कि खादी और हिन्दी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक थे। हिन्दी भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। हिन्दी का प्रचार-प्रसार जोर-जबरदस्ती से नहीं अपितु हिन्दी को ज्ञान-विज्ञान से समृद्ध करके ही हो सकता है।

इस अवसर पर एक पुस्तक और हिन्दी प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण था—प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग। हिन्दी से संबंधित विविध पक्षों को कम्प्यूटर के द्वारा किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है इसका विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया।

अपराह्न में संस्थान के विदेशी और हिंदी से इतर मातृ-भाषा वाले छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया यह कार्यक्रम एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को अपने में समेटे हुए था। एक तरफ जहां मिजो नागा तथा अन्य विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न प्रांतों की झांकियां प्रस्तुत कीं वहीं दूसरी ओर दिल्ली केन्द्र के विदेशी छात्रों ने अपने-अपने देशों की झलक के साथ-साथ भारतीय संस्कृति को विश्वजनीन रूप को प्रस्तुत किया था।

भाषा शिक्षण में नया कदम

कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी भाषा शिक्षण एवं सर्जनात्मक लेखन--शिक्षण

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शंभु दयाल की अध्यक्षता में 14-5-89 को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के दिल्ली केन्द्र में हिन्दी भाषा शिक्षण एवं सर्जनात्मक लेखन शिक्षण सम्बन्धी परियोजना का समापन समारोह सम्पन्न हुआ। भारत सरकार के इलैक्ट्रानिकी विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त यह परियोजना केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के दिल्ली केन्द्र में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस परियोजना के अंतर्गत विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण एवं सर्जनात्मक लेखन शिक्षण सम्बन्धी आदर्श आलेख विकसित किए गए। इस कार्य में इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, कोटा मुक्त विश्वविद्याल, दक्षिण भारत हिन्दी, प्रचार सभा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (वाराणसी), अमरीकन इन्स्टीच्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज (वाराणसी) तथा कम्प्यूटर कन्सल्टेन्सी की कुछ निजी संस्थाओं के सदस्यों ने सहयोग दिया। समारोह में परियोजना में सहयोग देने वाले सदस्यों के अतिरिक्त कम्प्यूटर विज्ञान एवं भाषा शिक्षण में रुचि रखने वाले अनेक विद्वानों एवं भारत सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

हिन्दी भाषा शिक्षण एवं सर्जनात्मक लेखन शिक्षण दोनों दिशाओं में यह प्रथम प्रयास था, जिसकी सराहना की गई। अध्यक्षता करते हुए श्री शंभुदयाल ने कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इस परियोजना कार्य की सराहना की और कहा कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए चल रहे हिन्दी शिक्षण पाठ्यक्रमों को भी कम्प्यूटर संसाधित बनाया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों की विभागीय परीक्षा के लिए उपयोगी "मैनुअल" सम्बन्धी जानकारी के लिए भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जा सकता है।

यह परियोजना कार्य प्रमुख अनुसंधानकर्ता प्रो. माणिक गोविन्द चतुर्वेदी एवं अनुसंधान कर्ता तथा परियोजना संयोजक डा० शारदा भसीन की देखरेख में हुआ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, तुश्शूर (केरल) में हिन्दी संगोष्ठी

राजभाषा हिन्दी प्रगति योजना के लघु उद्योग सेवा संस्थान, के तत्वावधान में 7-3-1989 को एक दिवसीय हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक श्री के. नरेन्द्र नाथ ने इस की अध्यक्षता की। केरल हिन्दी प्रचार सभा के मंत्री एवं केन्द्रीय हिन्दी समिति और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के सलाहकार समिति के सदस्य श्री एम. के. वेलायुधन नायर समारोह के मुख्य अतिथि थे। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों और निगमों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।

उप निदेशक श्री के.ए. मात्यु ने संगोष्ठी में पधारे सज्जनों का स्वागत किया।

उद्घाटन, स्मारिका का विमोचन एवं हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण, श्री एम. के. वेलायुधन नायर ने किया। श्री नायर ने हिन्दी के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

अध्यक्षीय भाषण में लघु उद्योग सेवा संस्थान के निदेशक श्री के. नरेन्द्र नाथ ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए इस संस्थान, द्वारा किये गये विविध कार्यकलापों—जैसे राजभाषा विभाग से प्राप्त अनुदेशों और आदेशों को स्थानीय केन्द्र सरकार के कार्यालयों में प्रचलित करना, नगर राजभाषा की बैठकें आयोजित करना एवं हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देना आदि पर प्रकाश डाला।

भूतपूर्व प्राचार्य, श्रीमती लक्ष्मी कुट्टि अम्मा, ने हिन्दी भाषा के उद्भव और साहित्य के विकास पर विस्तृत एवं मनोरंजक भाषण दिया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हिंदी अधिकारी, श्री हर्ष पचौरी ने राजभाषा नीति और उनके कार्यान्वयन में हो रही समस्याओं पर प्रकाश डाला और कहा कि राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी जो नीतियां बनाई गई ये भारत के सभी क्षेत्रों पर लागू होनी है, किसी क्षेत्र को इससे छूट नहीं देनी चाहिए। टिप्पणी-लेखन अधिकारी स्तर पर शुरू करना बहुत सुविधाजनक होगा क्योंकि ये कुछ पदों पर सीमित रहते हैं जैसे "देख लिया", "फाइल कर दें।"

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रतिनिधि श्री के.के. राघवन ने अपने भाषण में जोर दिया कि हिन्दी बहुत आसानी से सीख सकते है।

हिन्दी शिक्षण योजना की अध्यापिका श्रीमती के.के. शारदा ने भारत के औद्योगिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका पर एक लेख प्रस्तुत किया।

श्री के. विश्वनाथन, द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के वाद समारोह समाप्त हुआ।

इस्को, कुल्टी वर्क्स (सेल) में

तकनीकी लेखन पर विचारगोष्ठी

14 फरवरी, 1989 को कुल्टी वर्कस में "हिन्दी मे वैज्ञानिक व तकनीकी लेखन" पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया। इस में इस्को कुल्टी, इस्को वर्नपुर, ईसी एल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता के रूप में उप-निर्देशक (कार्या.) पूर्व क्षेत्र श्री सिद्धिनाथ झा भी उपस्थित थे।

विचारगोष्ठी का आयोजन पंडित जहवाहर लाल नेहरू जन्मशती के उपलक्ष में किया गया था। पं. नेहरु के चित्र पर माल्यार्पण करके मुख्य अतिथि श्री कैलाश शंकर लाल, वर्कस महा प्रबंधक ने विचारगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया।

श्री लाल ने इंजीनियरों एव डाक्टरों व तकनीकी कार्यो से जुड़े लोगों से अपील की कि व तकनीकी विषयों पर अपने लेख हिन्दी में लिखें। उन्होंने कहा कि यह कार्य कठिन नहीं हैं, सिर्फ अपने मन से झिझक एवं हीन भावना को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मुख्य कार्मिक प्रबंधक श्री पी. आर. भट्टाचार्य ने अपने भाषण में कहा कि कुल्टी वर्कस के इंजीनियरों ने हिन्दी में तकनीकी लेखन कार्य के प्रति जो उत्साह दिखाया है वह प्रशंसनीय है।

इस तकनीकी विचारगोष्ठी में कुल तीन आलेख हिन्दी में प्रस्तुत किये गये। पहला आलेख श्री श्यामल राय, अधीक्षक (फा.) का "उर्जा संरक्षण की संभावनाए" तथा दूसरा बर्नपुर के परियोजना विभाग के श्री पी. सी. जैन ने "अवरोध हरण" पर आलेख प्रस्तुत किया। तीसरा आलेख श्री बीरेश्वर मुखर्जी, उप प्रबंधक का था। इनके आलेख का विषय "फार्म्ड कोक" था। हर आलेख पाठ के बाद उस पर चर्चा हुई। जिसमें उपस्थित कर्मियों ने पूरी सक्रियता से भाग लिया। अपने समीक्षात्मक भाषणों में उप-निदशक (कार्या.) (पूर्व क्षत्र) श्री सिद्धिनाथ झा ने इस पूरे प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इन लेखों तथा इस विचारगोष्ठी में हुई चर्चा से यही सिद्ध हो रहा है कि थोड़े से प्रयास और प्रोत्साहन से कठिन से कठिन

चित्र समाचार

मंच पर (बाएं से) श्री महेन्द्र पाल कुसुम, श्री देवकीनंदन भार्गव महानियंत्रक, खान ब्यूरो (अध्यक्ष), मुख्य अतिथि पूर्व सांसद् श्री सुधाकर पांडे, खान नियंत्रक श्री सुरेश चन्द्र तथा अवकाश प्राप्त महानिदेशक खान सुरक्षा, एच. एस. आहूजा।

'बालको समाचार' पत्रिका के राजभाषा विशेषांक का विमोचन करते हुए पूर्व सांसद श्री सुधाकर पांडे। उनकी बाईं ओर हैं अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री पी एस राव।

विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री सिद्धिनाथ झा।

मंगलूर : मार्गदर्शन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बाई०एस०हेगड़े तथा साथ में (बाएं से) श्री पी० के० आल्वा, उ० म० प्र०, श्री के० आर० मल्या, म० प्र० (प्रशा०) श्री रामचन्द्र मिश्र, उ० नि० (का०) राजभाषा विभाग, श्री के० आर० मूर्ति तथा श्री नरसिंह प्रसाद यादव

दीप जलाकर उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ज० स्व० भटनागर। उनके दाईं ओर हैं श्री जगदीश सेठ, उपनिदेशक (रा०भा०)

बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री आर० के० मल्होत्रा, आयकर आयुक्त तथा अन्य अधिकारीगण ।

भारतीय कपास निगम लि०, बम्बई में अधिकारियों को संबोधित करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभुदयाल (मध्य में)। उनके बाएं हैं—श्री म० वि० लाल, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक तथा दाएं श्री मो० ना० जोशी, निदेशक

संबोधित करते हुए—वैज्ञानिक डॉ० आर० के० वार्ष्णेय तथा मंचासीन हैं (बाएं से) डॉ० एस०के० भट्टाचार्य, डॉ० असकेत सिंह (अध्यक्ष) तथा श्री सिद्धिनाथ झा (मुख्य अतिथि)।

वायुदूत (मुख्यालय), नई दिल्ली में हिंदी कार्यशाला का दीप जलाकर उद्घाटन करते हुए श्री पी० सी० सेन, संयुक्त सचिव, नागर विमानन।

पंजाब नेशनल बैंक, अहमदाबाद में हिंदी प्रश्न मंच प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह की झलक।

हैदराबाद : अंशकालिक स्नातकोत्तर शब्द संसाधन डिप्लोमा प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कुल सचिव श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा

उद्घाटन भाषण देते हुए अधीक्षक अभियंता श्री जी० एल० रावल। मंचासीन (बाएं से)—श्री एम० के० मस्ताना तथा श्री एस० सी० शर्मा

अंडमान निकोबार प्रशासन सचिवालय में राजभाषा पुरस्कार वितरित करते हुए पार्षद श्री आर० शांतिकृष्ण

तकनीकी विषय को भी बड़ी सरलता से हिन्दी में व्यक्त किया जा सकता है।

विचारगोष्ठी के अन्त में वर्ष 1988 का सर्वश्रेष्ठ तकनीकी निबंध पुरस्कार प्रदान किया गया। यह नकद पुरस्कार डा. वि. भूषण गुप्ता ने मुख्य अतिथि से प्राप्त किया।

श्री पौहारी शरण सिन्हा उप-प्रबंधक (हिन्दी) ने विचार-गोष्ठी का संचालन किया। सहायक प्रबंधक (हिन्दी) श्री नन्द कुमार मिश्र द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद विचार-गोष्ठी समाप्त हुई।

भारतीय खान ब्यूरो में राजभाषा तकनीकी सेमिनार

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी, 1989 को "खनिज गवषण और खनन" विषय पर राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुधाकर पाण्डेय (पूर्व सांसद), प्रधानमंत्री नागरी प्रचारिणी सभा तथा खान विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के मानद सदस्य ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवकी नन्दन भार्गव, महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो ने की। श्री महेन्द्र पाल, कुसुम, राजभाषा अधिकारी ने भारतीय खान ब्यूरो में हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट तथा सेमिनार की रूपरेखा प्रस्तुत की।

सेमिनार में "गवेषण" और "खनन" दो सत्र रखे गए। जिनमें भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, भारतीय एल्युमिनियम कं., हिन्दुस्तान कापर लि. आदि के वैज्ञानिको ने "खनिज गवेषण और खनन" विषय पर 13 लेख प्रस्तुत किए। प्रथम तकनीकी सत्र "गवेषण" के अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र, खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के साथ प्रतिवेदक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार से सम्मानित डा. एस. टी. राजूरकर और डा. के. के. वर्मा, निर्देशक द्वय ने सहयोग प्रदान किया। द्वितीय तकनीकी सत्र "खनन" के अध्यक्ष श्री एच. एस. आहूजा, अवकाश प्राप्त महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, के साथ श्री सुधीर कुमार मुख्य खनन अभियन्ता, मैगनीज ओर इण्डिया लि. तथा श्री के. कुमार क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो ने प्रतिवेदकों की भूमिका निभाई।

खनन एवं भूविज्ञान से संबंधित विभिन्न संगठनों के लगभग 200 प्रतियोगियों ने सेमिनार में हिस्सा लिया। लेखों के संकलन को 120 पृष्ठों की पुस्तिका के रुप में प्रकाशित किया गया। पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर इस्पात और खान मंत्री श्री माखन लाल फोतेदार, श्री बी. के. राव, सचिव, खान विभाग के और प्रतीप लहिरी, अपर सचिव, खान विभाग के संदेश प्रकाशित किए गए।

भारतीय एल्युमिनियम कं० में राजभाषा तकनीकी सेमिनार

बालको ने दो दिवसीय राजभाषा सेमिनार का भव्य आयोजन 25 तथा 26 नवम्बर को बालकोनगर, कोरबा में हुआ। अध्यक्ष व प्रबंन्ध निदेशक श्री पी. एस. राव ने 25 नवम्बर को प्रबंधक एवं तकनीकी संस्थान के सभागार में दीप प्रज्जवलित करके उदघाटन किया। समारोह के मुख्य अतिथि नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के प्रधानमंत्री श्री सुधारकर पाण्डेय ने "बालको समाचार" के "राजभाषा विशेषांक" का विमोचन किया।

"धातु उद्योग —समस्याएं और चुनौतियां" विषय पर हिन्दी में चर्चा के लिए सेमिनार खान विभाग की पहल पर आयोजित किया। खान विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के तीन सदस्य डा. अबरार अहमद, खान, सांसद (राज्य सभा), श्री सुधाकर पाण्डेय, पूर्व सांसद तथा डा. लक्ष्मी नारायण दुबे, प्रोफेसर–सागर विश्वविद्यालय (म. प्र.) ने भाग लिया। खान विभाग की ओर से श्री बी. दासगुप्ता निदेशक तथा श्री जयवीर सिह चौहान, उप निदशक ने भाग लिया। खान विभाग के छहों उपक्रमों और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं खान ब्यूरो के भूविज्ञानी, धातुविद एवं राजभाषा अधिकारी इस सेमिनार में अपने-अपने शोधपत्र पढ़ने के लिए सम्मिलित हुए।

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक श्री बी. एस. राव ने कहा कि जनमानस में एक भ्रांत धारणा है कि तकनीकी विषय हिन्दी में नहीं लिखे जा सकते। इस भ्रांत धारणा को दूर करना ही सेमिनर का मुख्य उद्देश्य है।

कम्पनी में हिन्दी का प्रयोग कार्यालयों के कामकाज के अलावा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों में भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। बालको ने हिन्दी की प्रगति और उसके-विकास को उतना ही महत्व दिया है जितना वह एल्यू-मिनियम के उत्पादन तथा विपणन को देता है।

मुख्य अतिथि श्री सुधाकर पाण्डेय ने बालको समाचार के राजभाषा विशेषांक का विमोचन करते हुए कहा कि भारत में हिन्दी भाषा का स्वर्णिम इतिहास है। हमारे देश में वेद और संस्कृति की परंपरा रही है। तुलसी, सूर, मीरा

तथा भक्त कबीर के साथ-साथ अन्य कई विशिष्ट विभूतियों ने इसी भाषा के माध्यम से ज्ञानरूपी अमृतरस को सफलता-पूर्वक जन-जन तक पहुंचाया है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा की अवरोधात्मक स्थितियों से संघर्ष करना है। इस देश में जनतंत्र को कायम रखने के लिए हिन्दी को बढ़ावा देना नितांत आवश्यक है।

सागर विश्वविद्यालय से पधारे हिन्दी के विद्वान एवं हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य डा. लक्ष्मी नारायण दुबे ने बताया कि संसार में लगभग 2800 भाषाएं बोली जा रही हैं। हिन्दी में संसार की सभी समृद्ध भाषाओं से टक्कर लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हिन्दी में बहुआयामी अभिव्यक्ति की पूर्ण सक्षमता है। बालको प्रबंधतंत्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राजभाषा के क्षेत्र में कार्य हेतु दो वर्षों के दौरान तीन राजभाषा शील्ड प्राप्त करना बालकों के लिए निश्चय ही गौरव की बात है।

बालको के निदेशक (कार्मिक) श्री रघुवीर प्रसाद लाठ ने कहा कि हिन्दी एक समृद्ध भाषा है जिसकी जननी संस्कृत है। इसका शब्द भण्डार विशाल है।

खान विभाग के निदेशक श्री वी. दासगुप्ता ने कहा कि बालको ने इस सम्मेलन के माध्यम से हिन्दी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर जो प्रकाश डाला है उससे खान विभाग के सभी उपक्रमों और संगठनों को प्रेरणा मिलेगी।

संसद सदस्य डा. अवरार अहमद खान ने प्रथम दिवस के तृतीय सत्र में तकनीकी शब्दावली का विमोचन किया। अन्य कार्य सत्रों में "धातु उद्योग—समस्याएं और चुनौतियां", शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न आलेखों का वाचन किया गया। इस अवसर पर डा. अहमद ने राजभाषा हिन्दी के विषय में बहुत ही ओजस्वी विचार व्यक्त किए।

सेमिनार के प्रारंभिक दौर में महाप्रबन्धक श्री रामकृष्ण सिंह ने स्वागत किया। अंत में उप महाप्रबन्धक (संरचना) श्री एस. के. मेहरोत्रा ने आभार व्यक्त किया।

सम्मेलन के प्रथम सोपान के अंत में मुख्यालय के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री महावीर प्रसाद खाण्डल ने गणमान्य अतिथियों और विभिन्न उपक्रमों और संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

सेमिनार की दूसरी कड़ी के रूप में 25 नवम्बर की रात को एल्यूमिनियम हाउस प्रांगण में राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन के प्रारंभ होने से पहले सांसद डा. अवरार अहमद खान ने पुरस्कृत आलेखों के विजेताओं सर्वश्री एस. एम. जोशी, खनिज अर्थशास्त्री (भारतीय खान ब्यूरो), श्री पाल सिंह, औद्योगिक अभियंता (बालको) तथा रामकुमार चतुर्वेदी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके अतिरिक्त श्री विजयेन्द्र प्रबन्धक (अनुसंधान एवं विकास), भारत गोल्ड माईन्स लि., उरगांव (कर्णाटक), श्रीमती जयश्री स्वर्णकार, सहायक, बालको (कोरबा), श्री माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग', वरिष्ठ विश्लेषक, बालको (कोरबा), श्री लोकनाथ साहू, राजभाषा सहायक, बालको (कोरबा) को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। सेमिनार के अंतिम चरण में 26 नवम्बर की रात्रि एल्यूमिनियम हाउस के प्रांगण में ही एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इंजीनियर्स इंडिया लि० नई दिल्ली में राजभाषा संगोष्ठी

19 दिसम्बर, 1988 को ईआई एल. भवन में निदेशक मंडल कक्ष में कंपनी अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक श्री ललित के० चण्डोक की अध्यक्षता में निदेशकों और महा-प्रबन्धकों के लिए विशेष राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 30 उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। संक्षेप में संगोष्ठी में जिन बातों पर चर्चा की गई, वे नीचे दी जा रही हैं:

1. भविष्य में यह ध्यान रखा जाए कि देवनागरी टाइप-राइटरों की संख्या अंग्रेजी की टाइपराइटरों से कम न खरीदी जाए क्योंकि 1990 तक कुल टाइपराइटर के 50 प्रतिशत हिन्दी टाइपराइटर होने चाहिएं।
2. कंपनी ने अनेक देवनागरी टाइपराइटर और द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक टाइप राइटर मंगाए हैं। हिन्दी आशुलिपि/टंकण सीखने की व्यवस्था की हुई है, इन सब का उपयोग करना। जिन लोगों को पहले ही हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग सिखा दी गई है, उनका पूरा-पूरा उपयोग करना। कंपनी ने द्विभाषी वर्ड प्रोसेसर लगाए हैं, उन पर टाइपिस्टों को सीखने के लिए भेजना।
4. फार्मों को हिन्दी में भरना, रजिस्टर के शीर्षक हिन्दी में रखना और हिन्दी में ही प्रविष्टि करना।
5. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही देना अनिवार्य।
6. कार्मिक, मानव संसाधन, प्रशासन, वित्त, लेखा और अधिप्राप्ति विभाग अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए चुने गए हैं उनमें विशेषकर राजभाषा नियमों का पालन देखना और उनको मार्गदर्शन देना।

7. कंपनी में चलाई जा रही हिन्दी का यंशाल और हिन्दी कक्षाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाना ।

8. कंपनी में हिन्दी की पुस्तकों की खरीद कम है, यह देखना कि हिन्दी में उपयोगी तकनीकी पुस्तकें और अधिक मात्रा में खरीदी जाएं ।

9. कोड, मैनुअल, स्टैण्डर्ड फार्म तथा अन्य प्रयोग में लाये जाने वाले कागजात दोनों भाषाओं में प्रकाशित कराए जाएं ।

10. चार्ट, नक्शे, लोगो, मोनोग्राम, ड्राइंगें, कंपनी की सील, लैटरहैड आदि भी दोनों भाषाओं में बनाने ।

11. प्रशिक्षण केन्द्र में चलाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग । प्रशिक्षण में आने वालों को सामग्री हिन्दी में मिले ।

12. कंपनी में भर्ती करने के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवार को हिन्दी के प्रश्न पत्र दिए जाएं । हिन्दी में उत्तर देने की छूट तथा इंटरव्यू भी हिन्दी में लिया जाए ।

13. कंपनी में प्राप्त होने वाले हिन्दी पत्रों की संख्या और कंपनी से जाने वाले हिन्दी पत्रों की संख्या के आंकड़े हरेक विभाग अपने-अपने यहां रखे और हर तीन महीने हिन्दी प्रगति की तिमाही रिपोर्ट में भरकर हिन्दी विभाग को भिजवाएं ।

14. कंपनी में कर्मियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अनेक प्रोत्साहन योजनाएं हैं जो व्यक्ति हिन्दी में मूल रूप से कार्य करे उसके लिए कई आकर्षक नकद पुरस्कार हैं और अंग्रेजी आशु-लिपिक/टाइपिस्ट यदि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी पत्र टाइप करें, उन्हें रु. 60/– और 40 रु. प्रति माह अतिरिक्त वेतन दिया जाता है ।

पंजाब नैशनल बैंक में राजभाषा अधिकारी सम्मेलन

बैंक में राजभाषा नीति के अनुपालन की समीक्षा करने तथा हिन्दी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए कार्य-योजना बनाने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष समस्त राजभाषा अधिकारियों का एक सम्मेलन तथा समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष के पूर्वार्ध में सभी अधिकारियों का सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जब कि उत्तरार्ध में अंचलवार समीक्षा बैठकें की जाती हैं। जिनमें प्रत्येक अंचल तथा उसके अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को एक-एक दिन के लिए प्रधान कार्यालय में बुलाकर उनकी प्रगति की मदवार विस्तारपूर्वक समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में दिनांक 8 व 9 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में राजभाषा अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बैंक में राजभाषा के कार्य से सम्बद्ध सभी अधिकारियों ने भाग लिया ।

सम्मेलन का शुभारम्भ श्री इन्द्रभान बंसल, महा-प्रबन्धक द्वारा किए गए उद्घाटन व श्री आर.वी. शास्त्री, उप महाप्रबन्धक द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों के स्वागत से हुआ । सम्मेलन में श्री शंभु दयाल, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर, उप सचिव, संसदीय राजभाषा समिति तथा श्री जगदीश सेठ, उप निदेशक, बैंकिंग प्रभाग ने अतिथि वक्ताओं के रूप में राजभाषा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर राजभाषा अधिकारियों को सम्बोधित किया तथा उनका मार्गदर्शन किया ।

श्री इन्द्रभान बंसल, महाप्रबन्धक ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि वर्ष 1988 बैंक के लिए बड़ा उल्लेखनीय वर्ष रहा है। जमाराशियों, अग्रिमों तथा शाखाओं की संख्या की दृष्टि से हमारा बैंक प्रथम रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता तथा इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ट प्रतियोगिता में बैंक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने के साथ-साथ कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन में हमारे बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ । उन्होंने प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधान कार्यालय में खोले गए टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र का उल्लेख करते हुए इसे एक सफल प्रयोग बताया । इन सब उपलब्धियों के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को बधाई दी तथा इस वर्ष राजभाषा के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उनका आह्वान किया ।

इससे पूर्व उप महाप्रबन्धक श्री आर.वी. शास्त्री ने महाप्रबन्धक तथा सभी उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए कि इस वर्ष का सामूहिक राजभाषा अधिकारी सम्मेलन एक महीना पहले ही आयोजित किया जा रहा है ताकि अगली छमाहीं में समीक्षा बैठकें आयोजित किए जाने तक निर्णयों पर कार्रवाई के लिए अधिक समय मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों की तुलना करने पर इस दिशा में निरन्तर काफी प्रगति दिखाई देती है जिसके लिए राजभाषा कार्य से सम्बद्ध सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आशा प्रकट की कि प्रगति की इस गति में और

तेजी आएगी और बैंक इस दिशा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा ।

दिनांक 9-3-89 को श्री शंभु दयाल, संयुक्त सचिव, राजभाषा, विभाग, गृह मंत्रालय ने वार्षिक कार्य क्रम की चर्चा करते हुए कहा कि गत वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। बहरहाल, इसमें बैंकों के लिए वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत पत्राचार के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके बारे में बैंक के आग्रह पर बैंक को पहले ही सूचित कर दिया गया है। श्री शंभु दयाल ने राजभाषा अधिकारियों की समस्याओं व शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि—

—हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत सीमित टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र हैं और उनमें स्थान भी सीमित होते हैं। अत: बैंकों को अपनी आन्तरिम व्यवस्था करके इस समस्या को सुलझाना होगा:

—हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत बैंक कर्मचारियों की सुविधा के लिए परीक्षाएं छुट्टी के दिन लेना संभव नहीं हैं ।

—बम्बई में सान्ताक्रुज में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर विचार किया जा रहा है, अन्य स्थानों पर केन्द्र खोलना संभव नहीं होगा ।

—केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश न मिलने तथा आवेदन-पत्र लौटा दिए जाने की समस्या से राजभाषा विभाग अवगत है । इस बारे में राजभाषा विभाग कार्रवाई कर रहा है।

–हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा लेने के लिए कुछ निजी संस्थानों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री के. के. ग्रोवर, उप सचिव, संसदीय राजभाषा समिति ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए बैंक के राजभाषा सम्बन्धी कार्यों की सराहना की । उन्होंने समिति की निरीक्षण संबंधी प्रश्नावली के विषय में विशेष रूप से कहा कि—

—प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक भरा जाए व उसमें सही व स्पष्ट जानकारी दी जाए ।

—पूर्व निरीक्षण के समय दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी जाए।

—संसदीय समिति प्रगति का अनुमान मुख्यत: पत्राचार, धारा 3(3) के अनुपालन से लगाती है तथा कार्यालयों में प्रयुक्त रजिस्टरों, फार्मों व मैनुअलों आदि में हिन्दी के प्रयोग तथा हिन्दी टाइप-राइटरों व हिन्दी टाइपिस्टों पर विशेष बल देती है।

श्री जगदीश सेठ, उप निदेशक (हिन्दी) बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक की शाखाओं में हिन्दी में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए दिल्ली क्षेत्र की त्रिलोकपुरी शाखा का विशेष रूप से उल्लेख किया। तत्पश्चात उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में संशोधित मानदंडों की चर्चा करते हुए सभी मदों पर निर्धारित अंकों के आधार पर विस्तृत चर्चा की । उन्होंने सूचित किया कि—

—रिपोर्टिंग की समूची प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है तथा इस प्रतियोगिता में ग्रेडिंग के आधार पर अंक दिए जाते हैं । उन्होंने मुख्य, राजभाषा द्वारा दिए गए इस सुझाव से सहमति प्रकट की कि हिन्दी कार्यशालाओं, नियम, 10(4) व 8(4) के सम्बन्ध में दिए जा रहे अंकों का निर्धारण कार्यालयों की संख्या के प्रतिशत के आधार पर रखना चाहिए।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया—

—पिछले सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।

—वर्ष 1988 की प्रगति की पूर्ण रूपेण समीक्षा (अन्य बैंकों के साथ तुलनात्मक समीक्षा सहित)

—वर्ष 1989-90 का संशोधित वार्षिक कार्यक्रम

—वर्ष 1989 की बैंक की कार्य योजना

—रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता, संशोधित मानदंड एवं मूल्यांकन

सम्मेलन के समापन के अवसर पर उप महाप्रबन्धक श्री आर वी. शास्त्री ने सम्मेलन के दौरान अधिकारियों द्वारा रखी गई समस्याओं तथा दिए गए सुझावों पर विस्तार से विचार किया। उन्होंने "ख" क्षेत्र के अधिकारियों का इस बात के लिए विशेष आह्वान किया कि वहां पर राजभाषा नीति के सम्बन्ध में स्थिति और ज्यादा सुदृढ़ की जाए।

उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष टाइपिंग व आशुलिपि के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान देने पर बल दिया ।

बैंक आंफ इंडिया में वरिष्ठ अधिकारियों का राजभाषा सेमिनार

बैंक आफ इंडिया, गुजरात अंचल से राजभाषा कक्ष में दिनांक 16 व 17 मार्च, 1989 को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो दिवसीय राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया । इस सेमिनार में 21 मुख्य

अधिकारियों, बड़ी शाखाओं के प्रबन्धकों आदि ने बड़ी रुचि के साथ भाग लिया ।

सेमिनार का उदघाटन करते हुए बैंक के गुजरात अंचल के आंचलिक प्रबन्धक एवं उप महा प्रबन्धक श्री बी. वी. शिक्रे ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को न केवल राजभाषा संबंधी विविध अपेक्षाओं का पालन ही करना है, बल्कि उन्हें अपने से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों से इनका पालन भी करवाना है। अतः उन्हें इनकी बेहतरीन जानकारी होनी ही चाहिए। सेमिनार के समापन में संयुक्त आंचलिक प्रबन्धक श्री एम. एल. शाह साहिब ने यह अपेक्षा की कि शाखाओं एवं विभागों में हिन्दी का कार्यान्वयन अब काफी सघन एवं व्यापक होगा तथा राजभाषा संबंधी अपेक्षाओं का भी पूर्णरूपेण पालन होगा ।

सेमिनार में वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा संबंधी भारत सरकार की नीति, राजभाषा नियमों आदि की विशद जानकारी दी गई एवं उन्हें वार्षिक कार्यक्रम, बैंक में हिन्दी के कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन नीतियों तथा महत्वपूर्ण निदेशों आदि के बारे में भी बताया गया । शब्दावली एवं पत्रलेखन आदि का भी इस सेमिनार में अभ्यास करवाया गया एवं यह बताया गया कि हिन्दी संबंधी तिमाही विवरणी किस तरह भरी जानी है।

सेमिनार का आयोजन राजभाषा कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री एस. पी. गर्ग 'सुमन' ने किया । अंचल में अपनी तरह का यह प्रथम आयोजन था तथापि सह-भागियों ने इसकी सराहना की ।

कार्पोरेशन बैंक

छठा राजभाषा अधिकारी सम्मेलन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में की गयी प्रगति और उसमें आनेवाली कठिनाईयों की समीक्षा करने के लिए हमारे बैंक में प्रति वर्ष राजभाषा अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है । बैंक के राजभाषा अधिकारियों का छठा सम्मेलन दिनांक 10-12-1988 को प्रधान कार्यालय, मंगलूर में आयोजित किया गया। राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री रामचन्द्र मिश्र मुख्य अतिथि थे। उपमहाप्रबंधक श्री पी. के. आल्वा ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वाइ. एस. हेरडे ने भारत सरकार के राजभाषा नीति की विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सभी राजभाषा अधिकारियों को एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी ताकि राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में बैंक का नाम प्रगति की ऊंचाई तक जा सके। उन्होंने प्रबंधक-वर्ग की ओर से राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

श्री रामचन्द्र मिश्र ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम की विस्तारपूर्वक चर्चा की । उन्होंने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के हिन्दी के प्रति अगाध प्रेम एवं हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव मदद देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी कार्पोरेशन बैंक हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयों के निष्पादन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई और राजभाषा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का मदवार विश्लेषण किया गया।

यूनियन बैंक के राजभाषा अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के समस्त भारत में तैनात राजभाषा अधिकारियों की वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 25-26 नवम्बर, 1988 को जयपुर में किया गया। उद्घाटन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ज. स्व. भटनागर ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि श्री जगदीश सेठ, उपनिदेशक (हिन्दी) वित्त मंत्रालय थे। समीक्षा का मुख्य कार्य श्री ब. प्र. अग्रवाल, उपमहा-प्रबंधक एवं श्री जगजीवन सिंह पंवार, प्रबंधक (रा. भा.) केन्द्रीय कार्यालय द्वारा किया गया। चर्चा में सरकार को भेजी जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट के परिवर्तित प्रोफार्मा में उत्पन्न भ्रांतियों पर भी विचार हुआ। श्री सेठ ने उन्हें दूर करवाने का आश्वासन दिया।

संयोजन का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के राजभाषा अधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

'नेहरू स्मृति स्मारिका' विमोचन समारोह

दिनांक 5-4-89 को कार्पोरेशन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में "नेहरु स्मृति स्मारिका विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। पंडित जवाहर लाल नेहरु शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के राज-भाषा कक्ष ने उपर्युक्त स्मारिका हिन्दी में प्रकाशित की है। समारोह का शुभारम्भ क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री वी. एस. कामत के स्वागत भाषण से हुआ। इसके पश्चात् राजभाषा अधिकारी श्रीमती मधुलिका राव ने उपर्युक्त स्मारिका निकालने के उद्देश्य पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री वाई. एस. हेरडे ने समारोह का उद्घाटन किया तथा नेहरु स्मृति स्मारिका का विमोचन किया और प्रसन्नता व्यक्त की कि पंडित नेहरु की जन्मशती के अवसर पर हिन्दी में "नेहरु स्मृति स्मारिका" हिन्दी में निकाला गया । वैंकिंग के संदर्भ में

शेष पृष्ट 93 पर

हिंदी के बढ़ते चरण

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली में हिन्दी-प्रयोग की स्थिति

ब्यूरो में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की जानकारी हेतु ब्यूरो के महानिदेशक श्री विनोद कृष्ण कौल से 'राजभाषा भारती' के संपादक एवं निदेशक (अनुसंधान) डॉ. महेशचंद्र गुप्त तथा उपसंपादक डॉ. गुरुदयाल बजाज ने बातचीत की। इस वार्ता में ब्यूरो के निदेशक (अनु./विकास) श्री किशन लाल, उप निदेशक श्री आर. एस. सहाय तथा श्री जी. पी. जोशी भी उपस्थित थे।

ब्यूरो में मुख्यतः पुलिस अनुसंधान तथा पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य होता है। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित श्री कौल ब्यूरो में सितम्बर, 1985 में निदेशक (प्रशिक्षण) बने तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्यों की देख-रेख करते रहे। प्रोन्नति के बाद दिसम्बर, 1988 से श्री कौल ब्यूरो के महानिदेशक पद पर आसीन हैं। सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री कौल पुलिस में अति महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। राजस्थान, दिल्ली में लम्बी अवधि तक तैनाती के कारण इन्हें हिंदी में काम करने में विशेष कठिनाई नहीं होती।

प्रस्तुति : डॉ. गुरुदयाल बजाज

ब्यूरो में समूह 'घ' कर्मचारियों को छोड़कर 24 राजपत्रित तथा 53 अराजपत्रित कर्मचारी हैं। केवल दो कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। इनमें से 6 अधिकारी तथा 15 कर्मचारी अपना 25% से अधिक सरकारी काम हिंदी में कर रहे हैं। ब्यूरो में 18 टाइपिस्ट तथा 19 आशुलिपिक कार्यरत हैं। इनमें से 15 टाइपपिस्ट तथा 14 आशुलिपिक हिंदी में प्रशिक्षित हैं।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत लगभग 65-70% कागज़ात द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर शत-प्रतिशत हिंदी में दिए गए हैं किंतु हिंदी में मूल पत्राचार वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं।

श्री विनोद कृष्ण कौल

श्री कौल तथा अन्य अधिकारियों से "राजभाषा भारती" के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश निम्नवत हैं:

कौल सहाब, क्या आप महसूस करते हैं कि ब्यूरो में हिंदी में काम ठीक प्रकार से हो रहा है ?

ब्यूरो का वास्ता देश के सभी राज्यों से पड़ता है, अतः वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई पेश आती है।

क्या आप हिंदी में कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं ?

मुझे तथा मेरे सहयोगी अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। हम लोग काफी काम हिंदी में करते हैं, किंतु हिंदी टाइपिस्ट/आशुलिपिक उतनी तीव्र गति से कार्य नहीं निपटा पाते, संभवतः हिंदी टाइपराइटर पर

गति से कार्य नहीं हो पाता। फिर भी हम लोग हिंदी राज्यों को भेजे जाने वाले पत्रों का डिक्टेशन हिंदी में देने की कोशिश करते हैं।

हिंदी में डिक्टेशन देने में क्या सुविधा रहती है ?

पूरे सेवाकाल में अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में डिक्टेशन देता रहा हूं। हिंदी में डिक्टेशन देते समय जो भी बात मन में आती है, उसे सीधे-सीधे कह दिया जाता है, किंतु अंग्रेजी की तकनीकी शब्दावली कई बार आड़े आ जाती है।

तब आप क्या शब्द कोश का सहारा लेते हैं ?

बिल्कुल नहीं, सीधे-सीधे उस शब्द को ज्यों का त्यों बोल देता हूं। मैं आम-फहम हिंदी में डिक्टेशन देता हूं। मेरी मान्यता है कि सरकारी कामकाज की भाषा आम व्यक्ति की भाषा होनी चाहिए।

बेशक, सरकार की भाषा नीति भी यही है। सूचना के मुताबिक ब्यूरो द्वारा आयोजित संगोष्ठियों सेमिनारों में शोध लेख केवल अंग्रेजी में ही पढ़े जाते हैं।

डॉ. गुप्त, आप सही कह रहे हैं, किंतु हमारी मजबूरी यह है कि ऐसे कार्यक्रमों में सभी राज्यों में कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी भाग लेते हैं। इसलिए हिंदी में शोधपत्र नहीं पढ़े जा रहे हैं।

कौल साहब, अगले सेमिनार में हिंदी में शोधलेख पढ़ने वालों को प्रोत्साहित किया जाए, जैसे कि सरकारी आदेश है।

अगली बार इस दिशा में कोशिश की जाएगी।

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 'पुलिस विज्ञान' पत्रिका में बहुत उपयोगी सूचनाएं रहती है यह पत्रिका जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

अगले अंक से 'पुलिस विज्ञान' पत्रिका की मुद्रण संख्या 4500 से बढ़ाकर 5500 कर दी जाएगी।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद में राजभाषा की प्रगति

वर्ष 1988 के दौरान लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद में शासकीय कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को संक्षिप्त ब्यौरा :—

(1) मूल पत्राचार:—

यह संस्थान अहिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की प्रांतीय भाषा गुजराती होने के कारण हिन्दी पत्राचार में विकास लाना निःसंदेह एक कठिन कार्य है। फिर भी यह संस्थान समय-समय पर औद्योगिक इकाईयों को भेजे जाने वाले समस्त पत्रों को द्विभाषी रूप में भेज रहा है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को निगमों और बैंकों, राज्य सरकार के कार्यालयों के साथ भी पत्राचार हिन्दी में शुरू कर दिया है। इस प्रकार यह संस्थान मूल पत्राचार को बढ़ाने में विकास की ओर है। वर्ष 1988 के दौरान हिन्दी के मूल पत्राचार में हुई वृद्धि निम्न प्रकार है :—

जारी किए गए मूल पत्र	कुल पत्र	हिन्दी में	अंग्रेजी में	हिन्दी का %
31-3-88 से				
31-12-88	23,421	7,902	15,519	34%

(2) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी किए गए कागजात

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार इसके अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किये गये है। इसकी प्रगति निम्न प्रकार है :—

	कुल	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में
31-3-88 से 31-12-88	39	34	5

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

हिन्दी में प्राप्त समस्त पत्रों का जवाब केवल हिन्दी में ही दिया है। अपवाद स्वरूप कुछ पत्रों को छोड़कर बाकी समस्त हिन्दी पत्रों का जवाब हिन्दी में ही दिया गया है। इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	हिन्दी में प्राप्त कुल पत्र	दिए गए उत्तर हिन्दी में	दिए गए उत्तर अंग्रेजी में	फाइल किए गए पत्र
31-3-88	222	47	6	169
30-6-88	167	33	शून्य	134
30-9-88	298	75	शून्य	223
31-12-88	438	141	शून्य	297
कुल	1,125	296	6	823

(4) महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण

उद्यमिता विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से हिन्दी का पर्याप्त प्रयोग किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी पत्र केवल हिन्दी में ही जारी किए गए हैं । प्रशिक्षण के दौरान हिन्दी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया । इससे प्रशिक्षणार्थी भी लाभांन्वित हुए है । वर्ष 1988 के दौरान 24 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा 1274 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया ।

(5) संस्थान में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए :—

(क) हिन्दी पुस्तकों की खरीद :—वर्ष 1988 के दौरान हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय द्वारा रु. 2000/- की स्वीकृति दी गई थी । इसमें से रु. 1000/- केवल लघु उद्योग सेवा संस्थान, जामनगर के लिए निर्धारित था। बाकी धनराशि 1000/- में से मुख्यालय अहमदाबाद के लिए, रु. 300/- राजकोट के लिए रु. 200/- सिलवासा के लिए रु. 200/- उधना के लिए रु. 200/- तथा भावनगर के लिए रु. 100/- आवंटित किए गए । आवंटित धनराशि में से सभी कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकें खरीदी गई । हिन्दी पुस्तकें तथा पत्रपत्रिकाओं की प्रचलन से अधिकारियों तथा कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि बढ़ रही है ।

(ख) देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद : वर्ष के दौरान विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा इस संस्थान एवं विस्तार केन्द्र, जामनगर के लिए एक-एक देवनागरी टाइपराइटर खरीदने के लिए धनराशि आबंटन किया गया । जिससे दो देवनागरी टाइपराइटर खरीद लिये गये ह ।

(ग) हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन :—मुख्यालय के मार्गदर्शन में संस्थान में इस वर्ष भी हिन्दी वाद-विवाद, निबन्ध एवं व्यवहार प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । इन प्रतियोगिताओं के विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्च 1988 में आयोजित हिन्दी-संगोष्ठी के दौरान प्रोफेसर रामलाल परीख, वाईस चान्सलर, गुजरात—विद्यापीठ के करकमलों द्वारा पुरस्कार दिए गए ।

(6) हिन्दी प्रगति निरीक्षण :

दिनांक 17 जून, 1988 को श्री बद्रसिंह, उप-निदेशक, (राजभाषा,) उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली तथा श्री सुरेन्द्र मोहन नैयर, वरिष्ठ हिन्दी-अनुवादक, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली दोनों के द्वारा संयुक्त रूप में अहमदावाद कार्यालय में हिन्दी प्रगति का निरीक्षण किया गया । शाखा, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राजकोट का निरीक्षण निदेशक महोदय तथा नामित राजभाषा अधिकारी के द्वारा किया गया तथा समुचित मार्गदर्शन दिया गया ।

(7) संसदीय राजभाषा समिशि द्वारा निरीक्षण :

दिनांक 15 जून, 1988 को लघु उद्योग सेवा संस्थान, विस्तार केन्द्र, जामनगर का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा किया गया । माननीय सांसद श्री तुलसीराम इसके संयोजक थे । अन्य सांसदों में श्री बालकवि बैरागी, श्री चोक्काराव, डॉ. रत्नाकर पाण्डेय, श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर उपस्थित थे ।

निरीक्षण के दौरान रबड़ की मोहरें द्विभाषी रूप में न होने तथा देवनागरी टाइपराइटर की अनुपलब्धता पर आपत्ति उठाई गई । समिति के द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर करते हुए तत्काल एकल भाषा की रबड़ की मोहरों को नष्ट कर दिया गया तथा 3 महीनों के बाद एक देवनागरी टाइपराइटर भी उपलब्ध करा दिया गया है ।

निरीक्षण के दौरान विकास आयुक्त कार्यालय से श्री गंजवाल, निदेशक (प्रशासन) लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद कार्यालय के निदेशक श्री रामसेवक गुप्ता एवं उद्योग मंत्रालय से भी श्री बद्री सिंह, उप निदेशक, राजभाषा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे ।

(8) हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन :

संस्थान की संवर्द्धनात्मक गतिविधियों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय के मार्गदर्शन पर दिनांक 8 मार्च, 1988 को एक दिवसीय "हिन्दी संगोष्ठी" का आयोजन किया गया । संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफसर रामलाल परीख, उप-कुलपति, गुजरात विद्यापीठ को आमंत्रित किया गया था । अन्य वक्ताओं में डॉ. अंम्बाशंकर नागर, निदेशक, गांधी—हिन्दुस्तानी शोध संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, डॉ. भगवतशरण अग्रवाल, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, एल. डी. आर्टस् कालेज, अहमदाबाद तथा डॉ. रामकुमार गुप्ता, रीडर, भाषा विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया गया । संगोष्ठी के तकनीकी सत्र में राजभाषा के रूप में "हिन्दी—हिन्दुस्तानी का विकास" पर डॉ. अम्बाशंकर नागर, "राष्ट्र भाषा हिन्दी : समस्याएं एवं समाधान "पर डॉ. भगवतशरण अग्रवाल, "हिन्दी की महत्ता तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग" पर डॉ. रामकुमार गुप्ता, "अगली सदी में जाने के लिए हिन्दी को ही कमर कसनी है" पर श्रीहरि गोविंद सोहोनी, "क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत की निरन्तरता की जमानत पर राजभाषा के विकास की निर्भरता" पर श्री प्रेमदयाल गुप्ता तथा संस्थान के विभिन्न गतिविधियों में हिन्दी का प्रयोग" विषय पर श्री एन. नारायण रेड्डी ने अपने आलेख प्रस्तुत किए ।

पृष्ट 89 का शेष

हिन्दी की भूमिका की ओर इंगित करता है। यदि बैंकिंग व्यवस्था को आम आदमी से जोड़ना है तो बैंकिंग का दैनिक कामकाज एक ऐसी भाषा में करना ही होगा जिसे देश की अधिकांश जनता समझती है। इस दृष्टि से यह स्मारिका ऐसा मंच प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक सार्थक प्रयास हो सकता है जो सबको इस बात के लिए प्रेरित करे कि हमें हिन्दी में काम करना है और हम हिन्दी में काम कर सकते हैं। उन्होंने इस स्मारिका को मूर्तरूप देने से संबंधित सभी लोगों को बधाई दी तथा स्मारिका की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभ-कामनाएं व्यक्त कीं।

समारोह का समापन वरिष्ठ प्रबन्धक श्री एन. राज-गोपालन् के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

केनरा बैंक में राजभाषा समारोह

27 मार्च, 89 को केनरा बैंक की दिल्ली अंचल कार्यालय में राजभाषा अधिनियम के पारित होने के पच्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयन्ती समारोह मनाया गया जिसमें माननीय संसद सदस्य डा. रत्नाकर पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने इस अवसर पर हिन्दी भाषियों से आग्रह किया कि वे अहिन्दी भाषियों को हिन्दी व्याकरण संबंधी त्रुटियों की ओर अधिक ध्यान न दें। इससे यह भाषा आगे बढ़ेगी। उन्होंने बैंक द्वारा हिन्दी को आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की तथा बैंकों में कम्प्यूटरों के क्षेत्र में हिन्दी प्रयोग बढ़ाने का अनुरोध किया। इससे पूर्व विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित राजभाषा विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री आर. के. शर्मा तथा संसदीय राजभाषा समिति के उप सचिव श्री के. के. ग्रोवर ने राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। श्रीमतीं मंजु तिवारी के मंगलाचरण के उपरान्त बैंक के मंडल प्रबंधक श्री आर. एस. एल. प्रभु ने बताया कि केनरा बैंक गत 2 वर्षों से इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड जीतता चला आ रहा है और हिन्दी प्रयोग को सदैव बढ़ावा देता है।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें सर्वश्री वी. पी. दुबे, ममता बधवार, सुधीर गुलाटी तथा मधु वेदी ने कविता पाठ किया और सुनील जैन तथा अशोक चावला ने देश भक्ति से ओत-प्रोत गीतों से दर्शकों को मुग्ध किया। कार्यक्रम का संचालन श्री अशोक सेठी ने किया। एक ओर जहां स्वागत भाषण श्री वी. आर. नायक ने अपनी विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के सूत्रधार का निर्वाह करते हुए श्रीमती जीवन लता जैन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। सभा की अध्यक्षता बैंक के उप महा प्रबंधक श्री एन. आर. चिदम्बरम द्वारा की गई।

हिंदी दिवस समारोह

नाभिकीय ईंधन संमिश्र, हैदराबाद

परमाणु ऊर्जा विभाग के नाभिकीय ईंधन संमिश्र में हिन्दी समारोह 19 दिसम्बर, 1988 से 24 दिसम्बर, 1988 तक मनाया गया। इस दौरान सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने के विशेष प्रयत्न किए गए। दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 को राजभाषा सप्ताह का उद्घाटन करते हुए मुख्य कार्यपालक कंभंपाटि बलराम मूर्ति ने हिन्दी में तेजी के साथ तथा और भी अच्छी तरह से सरकारी कामकाज किए जाने पर बल दिया। प्रशासन के उप मुख्य कार्यपालक श्री एम. नारायण राव ने अपने आलेख में भारत सरकार की राजभाषा नीति की चर्चा की। उनका आलेख कार्मिक व प्रशासन प्रबन्धक श्री गोपाल सिंह ने पढ़ा।

कर्मचारियों के लिए दिनांक 2 दिसम्बर, 1988 को गति के साथ हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें 23 कर्मचारियों ने भाग लिया। "सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सुझाव" विषय पर दिनांक 21 दिसम्बर, 1988 को एक प्रतियोगिता की गई। दिनांक 22 दिसम्बर, 1988 को प्रशासनिक टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया।

दिनांक 23 दिसबम्र, 1988 को "विशेष महत्व के उद्योगों में गुणता-सुनिश्चय की महत्ता" पर हिन्दी में तकनीकी संगोष्ठी की गई। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए गुणता-नियंत्रण एवं सुनिश्चयन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति -प्राप्त मुख्य कार्यपालक श्री बलराम मूर्ति ने कहा कि "विशेष महत्व के उद्योगों में गुणता-सुनिश्चयन" की अत्यधिक महत्ता है। इसके द्वारा विभिन्न संगठनों के वैज्ञानिकों के विचारों से हम सभी लाभान्वित हो सकते हैं।

मुख्य अतिथि मिधानि के प्रबन्ध निदेशक श्री कृष्ण कुमार सिन्हा ने कहा कि गुणता-सुनिश्चयन का महत्व एवं आदर्श से प्रत्येक कर्मचारी को भली-भांति अवगत करवाना होगा तथा इस महायज्ञ में उसे भी प्रतिभागी बनाना होगा। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री उमेशचन्द्र गुप्त ने उपस्थित व्यक्तियों का स्वागत किया।

इस संगोष्ठी में संमिश्र के प्रबन्धक श्री एम. सूर्यप्रकाश तथा वैज्ञानिक अधिकारियों सर्वश्री वी. लक्ष्मीनारायण एवं ए. सरइयम के अतिरिक्त ई सी आई एल तकनीकी प्रबन्धक श्री बद्री विशाल बजाज, हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के मुख्य प्रबन्धक श्री ए. रामचन्द्र, हिन्दुस्तान केबल्स लि. के. गुणता प्रबन्धक श्री राम कृष्णा राव, मिधानि के गुणता नियंत्रण के प्रबन्धक डॉ. एम. कृष्णमूर्ति ने भाग लिया।

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया, लि० हैदराबाद

हर वर्ष की भांति 26 सितम्बर, 1988 से 1 अक्तूबर, 1988 तक "हिन्दी सप्ताह" मनाया गया। उद्घाटन समारोह के दिन "विज्ञान संबंधी भाषण" का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ईसीआईएल एवम् एन एफ सी के अधिकारियों ने हिन्दी में विज्ञान संबंधी विचार व्यक्त किए। सप्ताह के दौरान निगम के कर्मचारियों के लिए हिन्दी में वाक, निबन्ध, तकनीक एवम् प्रशासनिक शब्दावली, हिन्दी टाइपराइटिंग तथा कविता पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के स्कूलों के छात्रों के लिए भी निबन्ध, वाक्, कवितापाठ एवम् कहानी वाचन की प्रतियोगिताएं रखी गई।

सप्ताह के दौरान 30 सितम्बर, 1988 को "सार्वजनिक उपक्रमों में हिन्दी का प्रयोग" विषय पर एक-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के अध्यक्ष सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवम् हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. विजेन्द्र नारायण सिन्हा थे। संगोष्ठी में नगरद्वय के विभिन्न हिन्दी अधिकारियों, शिक्षा संस्थानों के हिन्दी विद्वानों एवम् गणमान्य व्यक्तियों एवम् हिन्दी प्रचार सभा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

1 अक्तूबर, 1988 को समापन हुआ। इस अवसर पर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा एंवम् शोध संस्थान के प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग करने पर बल दिया। ईसीआईएल के कर्मकारी निदेशक (अनुसंधान एवम् विकास) श्री एस. वी कामरगोड ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। निगम के वरिष्ठ प्रबन्धक एवम् राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री जी. सी. सक्सेना ने

उपस्थित जनों का स्वागत किया तथा ईसीआईएल में हिन्दी के संबंध में हुए प्रगामी प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। डॉ० गोस्वामी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मचारियों एवम् परमाणु ऊर्जा विभाग के सभी स्कूलों के विजेता छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए।

समापन समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अन्त में कम्पनी के विधि प्रबन्धक एवं हिन्दी अनुभाग के प्रभारी श्री ए. महादेव ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, अकोला

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय अकोला में दिनांक 10 सितम्बर, 1988 को श्री रा.भा. तलेकर, क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें अकोला क्षेत्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया।

प्रमुख अतिथि एवं पर्यवेक्षक के रूप में सर्वश्री नंदकिशोरजी तोष्णीवाल, शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कृषि वित्त विकास शाखा, श्री श्रीकांतजी शर्मा, प्राध्यापक, ल.रा. तोष्णीवाल वाणिज्य महाविद्यालय, और डा.श्री रामप्रकाश वर्मा, शिक्षक, न.वा.वा. स्वावलंबी विद्यालय, को आमंत्रित किया गया। अध्यक्ष श्री रा. भा. तलेकर ने सभी अतिथियों एवं पर्यवेक्षकों का पुष्पहार द्वारा स्वागत किया। अध्यक्ष का स्वागत राजभाषा अधिकारी श्री कमलकिशोर तिवारी ने किया।

हिन्दी दिवस के उपलक्ष में हिन्दी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं हिन्दी काव्य गीत पठन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिन्दी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कुल 38 प्रतियोगियों ने भाग लिया जिनमें से निम्नलिखित प्रतियोगियों को विजयी घोषित किया गया।–

1. प्रथम पुरस्कार: श्री गोपालकृष्ण जोग, उपलेखाकार,
2. द्वितीय पुरस्कार: श्री अरुण सांगलोदकर लिपिक अडगांव (यु) शाखा और
3. तृतीय पुरस्कार: श्री सुरेश कारंजकर लिपिक क्षेत्रीय कार्यालय

द्वितीय चरण का श्रोतेय भाषण प्रतियोगिता से हुआ जिसका विषय था "बैंकों के दैनिक कामकाज में हिन्दी की उपयोगिता"। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री अविनाश उखलकर लिपिक, द्वितीय पुरस्कार श्री विजय के-हालकर उपलेखाकार और तृतीय पुरस्कार श्री डि. पी. मोहोड को प्राप्त हुआ।

हिन्दी दिवस कार्यक्रम की अंतिम प्रतियोगिता हिन्दी काव्यपठन प्रतियोगिता की थी जिसमें प्रथम पुरस्कार श्री डि पाठक लिपिक, वाशिम शाखा, द्वितीय पुरस्कार, श्री गोपालकृष्ण जोग, उपलेखाकार, और तृतीय पुरस्कार श्री डि. डब्ल्यू. पांडे, प्रधान खजांची, को प्राप्त हुआ। हिन्दी काव्यगीत पठन प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने कविता पाठ द्वारा "कवि सम्मेलन" का वातावरण निर्मित कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया।

क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री रा.भा. तलेकर ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अकोला क्षेत्र में हुए हिन्दी की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी दी। भाषण प्रतियोगिता एवं हिन्दी काव्यगीत पठन प्रतियोगिता में विजयी प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि एवं पर्यवेक्षकों सर्वश्री नंदकिशोर तोष्णीवाल, श्रीकांत शर्मा एवं डा. रामप्रकाश वर्मा ने पुरस्कार दिए।

प्रागा टूल्स लिमिटेड में हिन्दी समारोह सम्पन्न

सिकन्दराबाद में स्थित उद्योग मंत्रालय के उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड में बुधवार 26 अप्रैल, 1989 को हिन्दी सप्ताह समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री ए.वी. रेड्डी ने की। केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान के निदेशक डॉ. शिवेन्द्र किशोर वर्मा, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। अतिथि वक्ता उस्मानिया विश्वविद्यालय के भूतपूर्व रीडर, हिन्दी विभाग, डॉ. विद्यासागर, स्थानीय उपक्रमों एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के हिन्दी अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी भारी संख्या में उपस्थित थे। उपक्रम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं महाप्रबन्धक श्री पी. साम्बशिव राव ने अतिथियों एवं अधिकारियों का स्वागत किया।

हिन्दी राष्ट्रभाषा सम्पर्क भाषा और राजभाषा है
—डॉ. शिवेन्द्र किशोर वर्मा

डा. वर्मा ने अपने ओजस्वी एवं प्रभावोत्पादक भाषण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि भाषा एवं संस्कृति मानव जीवन पर बहुत महत्व रखती है। भारत में विभिन्न प्रांतों की भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि में भिन्नता होते हुए भी उस अनेकता में भी एकता है। उन सब में हमें भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। प्रत्येक प्रांत या राज्य की राजभाषा उस राज्य की अपनी भाषा होती है। किन्तु केन्द्र की और सारे देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी है। राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा और राजभाषा होने के कारण हिन्दी सीखना, हिन्दी में काम करना और इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना हमारा कर्त्तव्य है। हिन्दी का प्रयोग करते समय हमें अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश करने में कोई झिझक या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

अतिथि वक्ता डॉ. विद्यासागर ने बताया कि विश्व के अनेक देशों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन होता है। हिन्दी का प्रचार-प्रसार अपेक्षित मात्रा में न होने के लिये जिम्मेवार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम हीनभावना से ग्रस्त होकर शिक्षा, रोजगार, घर-बाहर, हिन्दी का प्रयोग न करके हर जगह अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं।

भारतीय होने के नाते हिन्दी सीखना और हिन्दी में काम करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य और दायित्व है।--डॉ. विद्यासागर

अध्यक्षीय भाषण में उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.वी. रेड्डी ने राजभाषा नियमों व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों एवं अनुदेशों के अनुपालन के लिए हिन्दी एकक द्वारा किए गए कार्य पर संतोष प्रकट किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रबन्धक वर्ग हमेशा प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि डॉ. वर्मा एवं डॉ. विद्यासागर के ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद भाषण से लाभान्वित होकर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करेंगे।

इसके उपरांत प्रबन्ध निदेशक श्री ए. वी. रेड्डी ने हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एवं हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारियों में प्रमाण-पत्र एवं साहित्य वितरण किया तथा नवम्बर, 1988 में हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित प्रबोध परीक्षा में विशिष्ट अंकों से उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में गढ़ाई व ढलाई प्रभाग के दो कनिष्ठ प्रबन्धकों श्री एम. शंकरय्या एवं श्री स्टीफेन फिलिप को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया।

श्री पी. साम्बशिव राव, महा प्रबन्धक ने हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित हिन्दी टिप्पण-आलेखन, हिन्दी निबन्ध आदि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये।

कार्यक्रम का सुचारु संचालन और धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती एस. लक्ष्मी कुमारी, हिन्दी अधिकारी ने किया।

रेल मंडल, सिकंदराबाद

दि. 21-2-1989 को सिकन्दराबाद के संचालन भवन के प्राँगण में सिकन्दराबाद (कला) मंडल पर हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन समारोह मंडल रेल प्रबंधक श्री एम. राजाराव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने समारोह का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि डा. गोस्वामी ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी के संबंध में अनेक कानूनी व्यवस्थाएं की गयीं। फिर भी, सरकारी कर्मचारी इस बात की ओर अधिक ध्यान दें कि राजभाषा अधिनियम और नियमों की गहराइयों में न जाते हुए वे अपने सरकारी काम-काज में सरल हिंदी का उपयोग करें। इस अवसर पर सिकन्दराबाद मंडल के काजीपेट केन्द्र से प्रकाशित "संदेश" नामक त्रैमासिक हिंदी पत्रिका के पहले अंक का मुख्य अतिथि के कर कमलों से विमोचन किया गया।

समारोह के उद्घाटन से पहले मुख्य अतिथि द्वारा राजभाषा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शित सामग्री का अवलोकन करते हुए मुख्य अतिथि ने राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं में मंडल में हुई प्रगति की सराहना की।

श्री सुदर्शन खन्ना, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/प्र.का. विशेष आमंत्रित ने अपने भाषण में दक्षिण क्षेत्र में हिंदी के सराहनीय प्रयोग के लिए सिकन्दराबाद मंडल को गृह मंत्रालय (राजभाषा) विभाग की ओर से प्राप्त शील्ड के लिए बधाई दी।

अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने दैनिक कार्य में छोटी मोटी टिप्पणी और पत्र हिंदी में लिखें और प्राप्त शील्ड को सार्थकता प्रदान करें।

इस समारोह में सात दिन तक विभिन्न कार्यक्रम किए गये। 22-2-89 को सिकंदराबाद और काजीपेट केन्द्रों में हिंदी स्मृति प्रतियोगिता आयोजित की गई। 23-3-89 को काजीपेट में सप्ताह का एक दिन का कार्यक्रम रखा गया जिसमें पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि शामिल थे।

दिनांक 28-2-89 को सिकन्दराबाद के रेल निलयम आडिटोरियम में समापन समारोह मनाया गया। जिसके मुख्य अतिथि श्री रा. बालसुब्रामणियम, मुख्य राजभाषा अधिकारी /अपर महा प्रबंधक ने श्री बाल सुब्रमणियम ने कहा कि हिंदी कार्यान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर दक्षिण मध्य रेलवे का नाम काफी ऊंचा है और राजभाषा अधिनियम, नियम और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का पूर्ण अनुपालन करें, हिंदी के प्रगति पथ पर रेलवे को आगे ले जाएं।

समारोह में सौ से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नकद पुरस्कार, स्मृति पदक आदि वितरित किये गये।

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की 56 शाखाओं में हिन्दी दिवस आयोजन

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के प्रधान कार्यालय तथा गनफाऊंड्री शाखा ने दिनांक 14 सितम्बर, 1988 को हिन्दी दिवस मनाया। श्री रमेश मिश्र, मुख्य महाप्रबंधक ने समारोह की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि थे डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, उच्च शिक्षा और शोध

संस्थान, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री मिश्र ने राजभाषा हिन्दी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग पर बल दिया। मुख्य अतिथि ने बैंक के कामकाज में हिन्दी के कार्यान्वयन में किए गये प्रशंसनीय कार्य हेतु बैंक प्राधिकारियों का अभिनन्दन करते हुए कहा कि हिन्दी आत्मा की भाषा है, इसे अपनाएं तथा भाषा का मुख्य उद्देश्य सम्प्रेषण है। हिन्दी दिवस के संदर्भ में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। अपने कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग करने वाली शाखाओं/कार्यालयों को स्टेट बैंक राजभाषा शील्ड--1987 प्रदान की गई। हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए। स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम के बाद समारोह संपन्न हुआ।

बैंक के सभी अंचल कार्यालय, दिल्ली स्थित 6 शाखाओं ने, हैदराबाद अंचल की 12 शाखाओं ने, औरंगाबाद अंचल की 11 शाखाओं ने, गुलबर्गा अंचल की 10 शाखाओं ने, वारंगल अंचल की 10 शाखाओं ने तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद, नरीमन पाईंट बंबई शाखा ने सितंबर महीने के दौरान हिन्दी दिवस/सप्ताह मनाया। कर्मचारियों का हिन्दी ज्ञान बढ़ाने और उनको हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिताएं भी चलाई गई और हिन्दी दिवस समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए उनको प्रोत्साहित किया गया। इस वर्ष की प्रतियोगिताओं में स्टाफ सदस्यों ने अधिक संख्या में भाग लेकर, हिन्दी के प्रति आस्था प्रकट की, साथ ही, बहुत सी शाखाओं ने दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति दर्शाई है। क्षेत्र "ग" स्थित शाखाओं के कर्मचारियों ने भी इसमें अधिक रुचि दर्शाई और समारोह तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सोत्साह भाग लिया।

० ० ० ० ०

मंडल रेल कार्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे, हुबली (कर्णाटक)

हिन्दी के अधिकाधिक प्रचार हेतु तथा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली मंडल ने हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी दि. 20-2-89 से 22-2-89 तक राजभाषा सप्ताह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस बार भी रेल कर्मियों के लिए हिंदी निबंध, वाक्, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभाषा प्रदर्शनी लगाई गई, हिंदी फीचर फिल्म "तवायफ" दिखाई गई। समापन समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :--

सप्ताह का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। श्री एस.ए. मल्लिक, मंडल रेल प्रबंधक ने दीप प्रज्ज्वलित करके सप्ताह का उद्घाटन किया।

श्री वसप्पा, उप-मुख्य राजभाषा अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों, तथा कर्मचारियों का स्वागत करते हुए सप्ताह के बार में विस्तृत जानकारी दी।

तत्पश्चात् इस समारोह के अध्यक्ष तथा मंडल रेल प्रबंधक श्री एस.ए. मल्लिक ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिंदी की उत्तरोत्तर बढ़ती महत्ता को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने इस बात पर पूरा जोर दिया कि हिंदी प्रशिक्षण को भी निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर लेना चाहिए।

श्री सुंदरराजन, अपर मंडल रेल प्रबंधक, हुबली ने सबसे आग्रह किया कि वे हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य में अपना पूरा-पूरा तरह सहयोग दें।

इसके बाद अध्यक्ष ने "राजभाषा प्रदर्शनी" का उद्घाटन किया। इसमें इस मंडल पर धारा 3(3) के अनुपालन की स्थिति, कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य के के नमूनों, हिंदी प्रशिक्षण की स्थिति, हिंदी पत्र-पत्रिकाएं, दर्शनीय स्थलों के चित्र आदि को बड़े ही सुन्दर एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया था। काफी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इसका अवलोकन करके प्रशंसा की। इस प्रदर्शनी को 3 दिन तक रखा गया था।

दि. 22-2-89 को राजभाषा सप्ताह का समापन समारोह मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री शिवपूजन सिंह समारोह के मुख्य अतिथि थे तथा मुख्य वक्ता के रूप में प्रधान कार्यालय से आये हुए श्री रेड्डी, व. हिंदी अधिकारी उपस्थित थे।

स्वागत भाषण के बाद उप-मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री वसप्पाजी ने हुबली मंडल पर हुई हिंदी की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों के लिए हिंदी में आरक्षण चार्ट प्रदर्शित करना, पास लिखना, अधिकारियों द्वारा दौरा कार्यक्रम हिंदी में प्रस्तुत किया जाना, इत्यादि मदों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित श्री रेड्डी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि राजभाषा नियमों का पालन करना हरेक कर्मचारी का कर्तव्य है, भारतीय संविधान में हिंदी का अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार द्वारा हिंदी के लिए किए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के बारे में बताकर उन्होंने सबसे हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने की अपील की।

श्री शिवपूजन सिंह जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, हुए थे उन्होंने राजभाषा सप्ताह समारोह के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि समूचे देश को एक-सूत्रता में पिरोने वाले हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर किया गया प्रयास है। यह राष्ट्र की भलाई

में एक योगदान है । देश के कोने कोने में समझी जाने वाली हिंदी में एक प्रकार की मधुरता भी है । उन्होंने कहा पूरे संसार भर में बोली जाने वाली भाषाओं में चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी का ही स्थान है ।

मंडल रेल प्रबंधक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि देश में हिंदी का प्रचार सरकार की तरफ से अधिक मात्रा में हो रहा है । इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्मों, रेल यात्रा आदि के माध्यम द्वारा भी हिंदी फैलती चली जा रही है । उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि हिंदी जानने वाले व्यक्ति की कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे देश का भ्रमण वह आसानी से कर लेगा । अतः भाषा को किसी सीमा का बंधन नहीं होता ।

राजभाषा सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के से सफल विजेताओं, विभागीय हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अधिकारियों/कर्मचारियों , हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये गए ।

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें "दफ्तर ओ दफ्तर" नाटक का मंचन भी किया गया । जिसकी दर्शकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

अंत में श्री एस. नरसिम्हा, राजभाषा अधिकारी ने इस समारोह को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य साथियों को धन्यवाद दिया ।

धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर

पश्चिम बंगाल के 24-परगना (उ.) जिला में स्थित धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर, जहां देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषा-भाषी लगभग साढ़े सात हजार अधिकारी, कर्मचारी, एकजुट होकर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निरन्तर कार्यरत हैं, जिसके फलस्वरूप यह निर्माणी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका निभा रही है, वहीं पर यह गौरव की बात है कि क्षेत्र "ग" में स्थित होते हुए भी यह निर्माणी सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में भी पीछे नहीं हैं।

आयुध निर्माणी बोर्ड के आदेश के अनुपालन हेतु निर्माणी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में दिनांक 20-2-1989 से 24-2-1989 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया था। हिन्दी सप्ताह समारोह दिनांक 24-2-1989 को निर्माणी के प्रांगण में पूर्ण गरिमा एवं भव्यता सहित सम्पन्न हुआ। समापन समारोह में इस निर्माणी के तथा अन्य सहयोगी निर्माणियों एवं सम्बद्ध संस्थानों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीवृन्द ने अत्याधिक संख्या में उपस्थित होकर समारोह में भाग लिया ।

इस अवसर पर निम्नांकित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था ।

हिन्दी टिप्पण लेखन प्रतियोगिता	दिनांक : 20-2-1989
हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता	दिनांक : 21-2-1989
हिन्दी काव्य-पाठ प्रतियोगिता	दिनांक : 22-2-1989

हिन्दी सप्ताह समापन समारोह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री के. के. मलिक, महाप्रबन्धक, धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर की अध्यक्षता में दिनांक 24-2-1989 को आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऋषि बंकिमचन्द्र कॉलिज के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल गांगुली आमंत्रित थे। उद्घाटन के तत्पश्चात निर्माणी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रकाशित "राजभाषा पत्रिका" के द्वितीय प्रसून का विमोचन महाप्रबन्धक श्री के. के. मलिक द्वारा हुआ तथा साथ ही साथ उक्त प्रतियोगिताओं के उत्कृष्ट प्रतियोगियों को यथोचित पुरस्कार, प्रमाण-पत्र, नकद पुरस्कार प्रदान किऐ गए।

प्रो० अनिल गांगूली ने अपने धाराप्रवाह एवं ओजस्वी भाषण में राजभाषा हिन्दी का महत्व तथा कर्मचारियों को इसे अपने कार्यालयीन कार्य में प्रयोग में लाने पर प्रकाश डाला तथा साथ ही साथ कर्मचारियों एवं राजभाषा से सम्बन्धित कर्मचारियों को सरल सुबोध हिन्दी का प्रयोग करने के सुझाव दिए ।

अध्यक्षीय भाषण में महाप्रबन्धक श्री के. के. मलिक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन कार्यक्रम को निर्माणी में प्रभावशालीरूप देने तथा दैनिक सरकारी कामकाज में अधिकाधिक हिन्दी के प्रयोग के लिए सुझाव दिए। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी से संबंधित इस प्रकार के कार्यक्रम में निर्माणी के सभी कर्मचारी खुले मन से भाग लेते हैं। आज के हिन्दी सप्ताह समापन समारोह कार्यक्रम में भी सभी कर्मचारी बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हुए हैं, यह बड़ा शुभ लक्षण है। इस तरह का सद्भाव और अनुकूल वातावरण निर्मित करने में निर्माणी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं राजभाषा अनुभाग ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है जिसके लिए वे प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री बी. के. शर्मा, संयुक्त महा प्रबन्धक श्री एन. पी. विश्वास, उप महा प्रबन्धक, प्रशासन, तथा राजभाषा अधिकारी तथा श्री एम. देव शर्मा, वरिष्ठ श्रम अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन से समारोह का आयोजन किया गया था।

श्री जी. झा, सहायक कार्यशाला प्रबन्धक ने सभी उपस्थित अतिथियों, अधिकारियों को समारोह में उपस्थित होने तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने के

लिए सभी संबंधित व्यक्तियों, कर्मचारियों, यूनियनों, एसोसिएशनों कार्य समिति तथा जे. सी. एम. सदस्यों के के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किए।

समारोह का संचालन श्री जे. सी. साहा, श्रम अधिकारी तथा श्री राम कंवल, हिन्दी अनुवादक, धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर, ने सफलतापूर्वक किया।

बोकारो में राजभाषा-पक्ष का आयोजन

देश के समग्र हित में किसी भी महान कार्य को स्वस्थ दिशा देने के लिए जन-मानस के अंदर जागृति पैदा करने की महती आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए दिवस, पखवारे महीनों और वर्षों का सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर सक्रिय प्रयास, साधना और अभियान की लहर जीवन्त रखने की जरूरत होती है। जन-जागरण के ऐसे अगणित उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। इसी तथ्य को अक्षुण्ण रखते हुए बोकारो स्टील प्लान्ट में दिनांक 10 जनवरी से 25 जनवरी, 89 तक राजभाषा-पक्ष का समारोह आयोजित किया गया। कारखाने के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित जागरण अभियान को सम्पूर्ण बोकारो-परिवार ने एक महान पर्व की तरह मनाया। हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस पर्व के आयोजन ने निश्चय ही एक प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण हुआ है, जो कालखण्ड को पार करते हुए हिन्दी-प्रयोग को किसी दिन समग्रता के सोपान तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।

राजभाषा-पक्ष 1989 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। दिनांक 10 जनवरी 1989 को बड़े ही भव्य एवं आकर्षक समारोह के साथ बोकारो स्टील प्लान्ट के अधिशासी निदेशक एवं कार्यकारी प्रबन्ध निदेशक श्री सुब्रत राय ने राजभाषा पक्ष के उद्घाटन का समारंभ किया। इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य डा. पी. के. बाल सुब्रमणियन मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान थे। प्रमुख (संपर्क एवं प्रशासन) तथा हिन्दी के सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी श्री वेद मित्र बुद्धिराजा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बोकारो स्टील प्लान्ट में हुई हिन्दी की प्रगति का सार-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। डा. सुब्रमणियन ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि हिन्दी-प्रयोग के लिए मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी का प्रयोग केवल चश्मे की तरह करें, ज्ञानवर्द्धन के लिए करें किन्तु वर्चस्व हिन्दी का हो। उन्होंने बताया कि हिन्दी प्रदेश में जब तक हिन्दी को वांछित अहमियत नहीं दी जाएगी तब तक अहिन्दी प्रदेशों से ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा प्यार करने से लेकर विज्ञान एवं तकनीकी विषयों की सफलतापूर्वक संप्रेषित करने तथा चलचित्र पटल से लेकर दफ्तर में कामकाज करने में पूर्ण सक्षम भाषा होने का सौभाग्य केवल हिन्दी को ही प्राप्त है।

चलचित्र पटल से लेकर दफ्तर में कामकाज करने में पूर्ण सक्षम भाषा होने का सौभाग्य केवल हिंदी को ही प्राप्त है—डा. पी. के बालसुब्रमणियन

बोकारो में हुई हिन्दी की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का सन्देश दिया। राजसूय यज्ञ के प्रथम पुरुष श्री कृष्ण की भांति बोकारो में हो रही हिन्दी की प्रगति में श्री एस. आर. रामकृष्णन, प्रबन्ध निदेशक की भूमिका को उन्होंने अहम् बतलाया।

अधिशासी निदेशक श्री सुब्रत राय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन क्रम में कर्मचारियों का आह्वान किया कि हिंदी में काम करें—उससे देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस तरह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में बोकारो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है उसी तरह हिंदी प्रयोग के क्षेत्र में भी अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करेगा।

समारोह का संचालन किया कनिष्ठ प्रबंधक (हिन्दी) श्री देवता प्रसाद सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन की रस्म पूरी की श्री दिनेश चन्द्र झा, कनिष्ठ प्रबंधक (हिन्दी) ने।

राजभाषा प्रदर्शनी

प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र स्थित प्रेक्षागृह के मुख्य द्वार पर दिनांक 10 जनवरी, 89 को 4.00 बजे दिन में एक रंगारंग राजभाषा-प्रदर्शनी आयोजित की गई। बोकारो स्टील प्लान्ट के मुख्यालय तथा कलकत्ता कार्यालय सहित इसके विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग के क्षेत्र में हो रही प्रगति से सम्बन्धित प्रतिदर्श, चार्ट, नमूने, पुस्तकें, अनूदित एवं मूल सामग्री, व्यवहार में लाए जा रहे यंत्र आदि का प्रदर्शन बड़ा ही मनोहारी रहा। खास तौर से तकनीकी क्षेत्र में हो रहे हिन्दी के प्रयोग संबंधी नमूने दर्शनीय थे। धारा 3 (3) के अन्तर्गत आने वाले कागजातों के द्विभाषिक प्रयोग के प्रतिदर्श बड़े ही अनुप्रेरक सिद्ध हुए। कुल मिलाकर प्रदर्शनी की समस्त प्रविष्टियों को दर्शकों की भरपूर सराहना मिली।

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन :

कारखाने के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण-आलेखन, प्रारूप-लेखन तथा राजभाषा नियम, अधिनियम एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति विषयक जानकारी कराने के उद्देश्य से राजभाषा पक्ष के अवसर पर

हिन्दी कार्यशालाओं के गहन आयोजन का कार्यक्रम रखा गया। अलग-अलग विभागों के मनोनीत हिन्दी अधिकारियों को ऐसी कार्यशालाएं लगाने के लिए राजभाषा विभाग के बजट से नकद राशि मुहैया करायी गई। इसके अलावा उन्हें राजभाषा के प्रयोग संबंधी उत्प्रेरक सामग्री एवं हैण्ड-आऊट भी उपलब्ध कराया गया। जगह-जगह कार्यशालाओं के संचालन में सहयोग के लिए राजभाषा विभाग के पदाधिकारियों एवं हिन्दी के सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी ने भी हिस्सा लेकर कर्मचारियों का उत्साहवर्द्धन किया।

तकनीकी लेखन संगोष्ठी

दिनांक 23-1-89 को मुख्य प्रशासनिक भवन स्थित समिति कक्ष में तकनीकी लेखन से संबंधित एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की महाप्रबंधक (अनुरक्षण एवं सेवायें) श्री एस. पी. प्रोथिया ने तथा इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद को सुशोभित किया राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक (अनुसंधान) डा. महेश चन्द्र गुप्त ने। आरंभ में प्रमुख (संपर्क एवं प्रशासन) ने स्वागत भाषण एवं संगोष्ठी-परिचय प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि द्वारा उद्घाटन के उपरान्त विभिन्न तकनीकी विषयों पर कारखाने के तीन अधिकारियों श्री महेश त्रिपाठी, श्री फूलचन्द्र दुबे, श्री रामनन्दन प्रसाद ने तकनीकी लेखों का वाचन किया। इस अवसर पर डा. गुप्त ने तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के ही रहे निर्बाध प्रयोग के बारे में बतलाया कि हिन्दी में लगभग साढ़े पांच लाख तकनीकी शब्दों का प्रणयन कर दैनंदिन प्रयोग के लिए जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता केवल इस बात की है कि मूलरूप से चिंतन हिंदी में किया जाए फिर चाहे विज्ञान हो, तकनीकी हो अथवा अन्तरिक्ष का क्षेत्र, हिन्दी के माध्यम से विषय वस्तु को अभिव्यक्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अब तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी में काम करना समय की मांग है।

समापन समारोह :

दिनांक 25 जनवरी, 1989 को राजभाषा पक्ष का समापन समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रबन्ध निदेशक श्री एस. आर. रामकृष्णन ने मुख्य अतिथि तथा अधिशासी निदेशक श्री सुव्रत राय ने अध्यक्षता का गुरुतर दायित्व निर्वाह किया। प्रमुख (संपर्क एवं प्रशासन) श्री वेद मित्र बुद्धिराजा ने सम्पूर्ण पखवारे के दौरान सम्पन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं एवं संगोष्ठियों के सम्बन्ध में समीक्षात्मक सार प्रस्तुत किया। पक्ष के अन्तर्गत आयोजित हिन्दी निबन्ध वाक्, टिप्पण-प्रारूपण एवं श्रुतिलेख प्रतियोगिताओं के सफल, प्रतियोगियों को नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र के साथ प्रबन्ध निदेशक ने पुरस्कृत किया। इस सिलसिले में कुल 100 कर्मचारियों को पुरस्कार से सम्मानित होने का सुअवसर मिला। विद्यालय के बच्चों में कुल 12 सफल छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया जिन्होंने वाक् प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की थी। पुरस्कार विजेताओं को प्रोत्साहित करते हुए प्रबंध निदेशक श्री रामकृष्णन ने अधिकाधिक कामकाज हिन्दी में निष्पादित करने के लिए कर्मचारियों का आह्वान किया।

मंडल रेल कार्यालय, कोटा

सांस्कृतिक एवं लोककलाओं के भंडार केन्द्र कोटा मंडल में अधिकारी क्लब में हिंदी सप्ताह समारोह 5 मई, 1989 को मनाया गया। अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री अवतारसिंह लेहन तथा मुख्य अतिथि श्री बशीर अहमद मयूख, सदस्य—रेलवे हिंदी सलाहकार समिति को माल्यार्पण उपरांत विषय प्रवर्तन करते हुए राजभाषा अधिकारी श्री ताराचन्द ने कहा कि इस सांस्कृतिक एवं लोक कला की नगरी में हिंदीमय वातावरण को और हिंदीमय बनाने के लिये यह आयोजन इस बात का द्योतक है कि कोटा मंडल दिन-प्रति-दिन हिंदी में नये आयाम स्थापित कर रहा है।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि श्री बशीर अहमद मयूख ने कोटा मंडल पर हिंदी प्रचार-प्रसार की भूरि-भूरि प्रशंसा की। मान्यताप्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी इस प्रकार के आयोजन को सराहा।

अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री अवतारसिंह लेहन ने कहा कि यह कैसी विडम्बना है कि हमें अपनी भाषा बोलने एवं लिखने के लिये पुरस्कार देना पड़ रहा है जिसका विश्व में कहीं भी उदाहरण नहीं है। उन्होंने मुख्य अतिथि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए आशा प्रकट की कि उनके विचारों से हिंदी प्रगति को बल एवं प्रेरणा मिलेगी। तत्पश्चात् श्री अवतारसिंह लेहन ने हिंदी टिप्पण, आलेखन के लिये गृह मंत्रालय की नकद पुरस्कार योजना के तहत 93 कर्मचारियों/अधिकारियों को 17200/- रुपयों के पुरस्कार बांटे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं के 15 विजेताओं को 1125/- रुपयों के पुरस्कार प्रदान किए, 10 कर्मचारियों को 500/- रुपयों के ग्रुप अवार्ड दिए गए तथा 20 कर्मचारियों को 500/- रुपयों के व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिये। इसके अतिरिक्त 54 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए।

कोटा मंडल पश्चिम रेलवे का महत्वपूर्ण मंडल है जो महाराष्ट्र, गुजरात मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों तक फैला हुआ है एवं समीपवर्ती हरियाणा, दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है। यह मंडल हिंदी भाषी क्षेत्र में होने के कारण एक अग्रणी एवं जागरूक मंडल रहा है। यह राजभाषा नियम 1976 की धारा 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है, तथा इसके अंतर्गत 377 कार्यालय अधिसूचित कर दिए गए हैं तथा 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विषयों में इस कार्यालय के अधिकांश कर्मचारी सभी काम हिंदी में करते हैं।

(शेष पृ० पर)

हिंदी कार्यशालाएं

दूरसंचार विभाग, मद्रास

महाप्रबंधक (परियोजना) और महाप्रबंधक (अनुरक्षण) के मद्रास स्थित कार्यालयों के लिए संयुक्त रूप से हिंदी कार्यशाला दिनांक 21-12-88 से 27-12-88 तक पांच कार्यदिवसों में चलाई गई। इसमें 18 कर्मचारियों और एक राजपत्रित अधिकारी ने भाग लिया।

21-12-88 को श्री प. कामेश्वर राव, महाप्रबंधक परियोजना ने उद्घाटन किया। श्री डी. बालचंद्रन, मंडल अभियंता (प्रशासन) ने, आमंत्रित अधिकारियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। **महाप्रबंधक ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रतिभागी अपने हिंदी ज्ञान और हिंदी में कार्य करने की क्षमता को वृद्धि के लिए कार्यशाला का खूब लाभ उठाएं। श्री एस. सुब्रमण्यम, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, दक्षिण रेलवे, ने, जो इस सभा के मुख्य अतिथि थे, सरकार की राजभाषा नीति और कार्यशाला के व्यावहारिक पक्ष पर एक प्रभावकारी भाषण दिया।**

कार्यशाला के 28 घंटों के पाठ्यक्रम में एक प्रशासनिक कार्यालय के सभी सामान्य विषयों के अलावा हिंदी की सांविधिक और संवैधानिक स्थिति, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, दूरसंचार विभाग में प्रयुक्त तकनीकी शब्द और हिंदी भाषा के व्याकरण की विशेषताएं भी शामिल थीं।

कार्यशाला के पाठों की एक पुस्तिका, तकनीकी, प्रशासनिक और लेखा शब्दों तथा पदबंधों की एक शब्दावली और कुछ मानक पत्रों के द्विभाषी नमूने प्रतिभागियों को संदर्भ, साहित्य के रूप में दिए गए।

मद्रास टेलीफोन जिला

मद्रास टेलीफोन के हिंदी के जानकार कर्मचारियों के लिए 9 तथा 10 मार्च 1989 को हिंदी के प्रारूप एवं आलेखन पर दो दिन की कार्यशाला आयोजित की गई।

9 मार्च 1989 को हिंदी कार्यशाला का श्री रंगाचारी, निदेशक (सतर्कता) एवं उप महाप्रबंधक (प्रशासन) ने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि हिन्दी, केन्द्रीय सरकार की कामकाज की भाषा है और उसे काम में लाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए।

प्रशिक्षण के दौरान उनको पाठों पर एकाग्रता, प्रशिक्षक के साथ सहयोग तथा जवाबदेही पर छह प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार दिए गए।

पुरस्कृत कर्मचारियों का वितरण

1. श्रीमती पद्मावती हरिकृष्णन्, आशुलिपिक, रु० पहला पुरस्कार 40-00
2. श्रीमती सावित्री देवी, क.इ. पहला पुरस्कार 40-00
3. श्रीमती राजेश्वरी, अ.श्रे. लि. द्वितीय पुरस्कार 35-00
4. श्रीमती शोभना मन्मतन, उ.श्रे.लि. द्वितीय पुरस्कार 35-00
5. कुमारी एस. उषा, अ.श्रे.लि. तृतीय पुरस्कार 30-00
6. श्री आर. वी. मुरलीकृष्णन, आशुलिपिक तृतीय पुरस्कार 30-00

इसके अलावा, प्रति प्रशिक्षार्थी को निदेशालय द्वारा दिए गए पत्राचार के नमूने (14 पन्ने), दूरसंचार विभाग को, अंग्रेजी-हिंदी तकनीक शब्दावली (32 पन्ने) टिप्पणियों के नमूने और एक कार्यालय सहायिका (मूल्य 18 रुपये) प्रशासन की ओर से मुफ्त में उनके भविष्य के लाभार्थ दिया जाए।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु०कं०लि०, उटकमण्ड

मार्च 1989 के अंतिम सप्ताह में हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों के लिए कार्यशाला चलायी गई, जिस में 26 कर्मचारी/अधिकारियों बड़े उत्साह से भाग लिया। श्री मुरली, गुण नियंत्रण विभाग की प्रार्थना के बाद श्री आई. वर्गीस, मु.प्र.मा.सं.वि. ने कार्यशाला का उदघाटन किया। श्री एस. बी. कृष्णन्, कार्मिक प्रबंधक ने सब का स्वागत किया तथा कार्यशाला का संक्षिप्त विवरण तथा उद्देश्य बताया। श्रीमती पी.एस. चांदनी ने धन्यवाद समर्पित किया। इस कार्यशाला के उद्घाटन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य उपस्थित थे। आलेखन और टिप्पण के अलावा बोलचाल की हिंदी भी सिखाई गई और कर्मचारियों को हिंदी में बोलने में जो संकोच होता है उसे दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश की गई। कार्यशाला को रुचिकर बनाने के लिए एक हिंदी क्विज भी चलाया गया। राजभाषा संबंधी सरकारी नीति की भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में हिंदी अधिकारी

श्रीमती पी.एम. चांदनी के अलावा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, डा. एन. गोपालकृष्णन, डां अजीत वालिया, और सी. एस. राघवेंद्र राव भी संकाय सदस्य रहे।

आवास तथा नगर विकास निगम, बेंगलूर

मुख्यालय के हिंदी विभाग द्वारा पहली बार मुख्यालय से बाहर बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय में 1 तथा 2 मार्च, 1989 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित हुडको के बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रायः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख सहित चार अधिकारियों/कर्मचारियों तथा हैदराबाद एवं तिरुअनंतपुरम विकास कार्यालयों के भी अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। हिंदी विभाग एवं बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त प्रयासों से कार्यशाला का आयोजन अत्यंत सफल रहा। सर्वप्रथम सहायक प्रमुख (ओ एंड एम) हिन्दी विभाग के प्रभारी श्री एस पी सेठी ने कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट किया। क्षेत्रीय प्रमुख बेंगलूर श्री के. टी. वी. आचार ने कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए श्री अनूप अग्रवाल, प्रमुख विधि से कार्यशाला का उद्घाटन करने का अनुरोध किया।

श्री अनूप अग्रवाल, विधि प्रमुख ने उद्घाटन करते हुए बताया कि ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन अब तक मुख्यालय में ही होता रहा है किन्तु मुख्यालय के बाहर विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित हुडको के क्षेत्रीय व विकास कार्यालयों के अहिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बेंगलूर में हिंदी कार्यशाला के आयोजन का यह पहला प्रयास है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि व्याख्यानों व जानकारियों का लाभ उठाते हुए कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। श्री ए. डी. आर. स्वामी, ने धन्यवाद दिया।

प्रतिभागियों के लिए हिन्दी विभाग द्वारा तैयार एवं एकत्र की गई कुछ पाठ्य एवं सहायक सामग्री जैसे कार्यालय सहायिका, समेकित प्रशासन शब्दावली, वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा पुष्पमाला राजभाषा नियम 1976 हुडको पदाधिकारियों के पदनामों की सूची, आवास भारती, केवल हिन्दी में तथा द्विभाषी रूप में किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण आदि का वितरण किया गया।

बेंगलूर कार्यशाला के दौरान दूसरे दिन के सत्र संकाय (फैकल्टी) के रूप में राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र ने हिन्दी शिक्षण योजना एवं उसके अन्तर्गत दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी दी।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हिन्दी टाइप/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित

"हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और सरकार की हिदायतें हैं कि इस भाषा का प्रयोग हमें अपने बैंक के दैनिक कामकाज में करना है। इसको कार्यरूप देने के लिए हमें अपने प्रधान कार्यालय के उन अंग्रेजी टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफरों को हिन्दी टाइप/शार्टहैंड का प्रशिक्षण देना है, जिन्हें हिन्दी टाइप/शार्टहैंड नहीं आती है।" यह बात पंजाब नैशनल बैंक के महाप्रबंधक श्री जी. डी. गोलानी ने भीकाएजी कामा प्लेस स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में हिन्दी टाइप/शार्टहैंड के प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने बताया कि हालांकि सरकार की तरफ से इस प्रशिक्षण से संबंधित अनेक केन्द्र खोले गए हैं, परन्तु उन केन्द्रों में बैंक के वर्षभर में औसतन 5 कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण मिल पाता है इसलिए अपना एक प्रशिक्षण केन्द्र खोल रहे हैं ताकि बैंक के अधिक से अधिक कर्मचारियों को जल्दी-जल्दी से हिन्दी टाइप/शार्टहैंड में प्रशिक्षित किया जा सके।

उपमहाप्रबन्धक श्री आर. वी. शास्त्री ने सूचित किया कि पंजाब नैशनल बैंक का हिन्दी टाइप/शार्टहैंड के लिए देश में यह पहला निजी प्रशिक्षण केन्द्र है तथा ऐसे ही अन्य प्रशिक्षण केन्द्र देश के अन्य भागों में भी खोलने की योजना है। साथ-साथ हिन्दी टाइप/शार्टहैंड के निजी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के अलावा बैंक की बेंगलूर, कलकत्ता तथा मद्रास में हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की भी योजना है।

पंजाब नैशनल बैंक में राजभाषा नीति के प्रयोग की स्थिति का वर्णन करते हुए उपमहाप्रबन्धक के बताया कि हमारे बैंक को गत वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक, राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अन्तर्गत "क" क्षेत्र में द्वितीय "ख" क्षेत्र में तृतीय तथा "ग" क्षेत्र में चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री शास्त्री ने बताया कि हमारा बैंक अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी इस योग्य बनाना चाहता है कि वे राजभाषा में काम करने में सक्षम हो सकें।

मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए बैंक के सहायक महाप्रबन्धक (कार्मिक) श्री वी. एस. वासन ने बताया कि पंजाब नैशनल बैंक का प्रधान कार्यालय हिन्दी भाषी क्षेत्र में है इस लिए हमें अपना मूल पत्राचार हिन्दी में करना है।

श्री वासन ने यह भी बताया कि इस प्रशिक्षण केन्द्र पर इस समय 20 नए टाइपराइटर मंगवाकर 20 कर्मचारियों एक साथ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भारत सरकार की हिन्दी टाइप परीक्षा निर्धारित गति से उत्तीर्ण करने के पश्चात् बैंक नियमानुसार उनको प्रोत्साहन राशि और हिन्दी में टाइप/शार्टहैंड का काम करने पर उन कर्मचारियों को विशेष मासिक भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है।

कार्यक्रम के अन्त में आमंत्रित अतिथियों को धन्यवाद देते हुए मुख्य, राजभाषा विभाग श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था एवं संचालन करने के लिए कार्मिक प्रभाग (राजभाषा कक्ष) का आभार व्यक्त किया एवं प्रशिणार्थियों को शुभकामनाएं दी।

आकाशवाणी, हैदराबाद

फरवरी, 22 से 24 तारीख के दौरान एक कार्यशाला चलाई गई। इस कार्यशाला में हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 24 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्र निदेशक श्री टी. एन. गणेशन ने किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान तो है लेकिन वे हिन्दी में कार्य करने के लिए संकोच करते हैं। इस झिझक को दूर करने के लिए इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन उपयोगी साबित होता है। उन्होंने आशा प्रकट की कि कार्यशाला से कर्मचारी प्रेरित होकर हिन्दी में कार्य कर सकेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार जो सुविधा और लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए वह उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर अधीक्षक अभियंता श्री ए. जे. राव और सहायक केन्द्र निदेशक श्री एन. रघुनाथ भी उपस्थित थे। पहले दिन के अतिथि वक्ता थे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के आचार्य श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी। उन्होंने सरकार की राजभाषा नीति के बारे में व्याख्यान दिया।

श्री वी. सुब्बाराव ने टिप्पण और मसौदा लेखन, श्री सी. आर. रामचन्द्रन ने टिप्पण लेखन के प्रकार और भाषा के व्याकरण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती मीरा पाहुजा कार्यशाला सफल होने में विशेष योगदान देने वाले केन्द्र निदेशक श्री टी. एन. गणेशन, सहायक निदेशक श्री एम. रघुनाथ, प्रधान लिपिक श्री डी. दामोदर राव का आभार व्यक्त किया।

भारत डायनामिक्स लि०, हैदराबाद

हैदराबाद स्थित रक्षा मंत्रालयाधीन प्रक्षेपास्त्र उत्पादन इकाई भारत डायनामिक्स लिमिटेड में दो राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन 27 मार्च से 30 मार्च, 1989 तक किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन बी. डी. एल. के प्रबन्ध निदेशक तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एअर कमाडोर आर. गोपालस्वामी, अ. वि. से. मे., वि०से०मे० (निवृत्त) द्वारा किया गया।

श्री एन. सांबमूर्ती, अपर महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) एवं राजभाषा अधिकारी ने मुख्य अतिथि का तथा चौथे व पांचवें बेच के प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। श्री नरहर देव ने मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति, श्री गोपाल राव एकबोटे जी का परिचय देते हुए कहा कि श्री एकबोटे जी भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के शिक्षा मंत्री तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और वे हिन्दी-अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक भी हैं। उनकी पुस्तक "राष्ट्रभाषाविहीन राष्ट्र" उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हो चुकी है।

एअर कमाडोर आर. गोपालस्वामी जी ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि "राजभाषा हिन्दी का प्रयोग दैनिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से किया जाए।" उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि "वाणिज्यिक स्तर पर भी हिन्दी का प्रयोग किया किया जाए"।

न्यायमूर्ति एकबोटे जी ने संविधान के अध्याय 17 में निहित व उसके अन्तर्गत बनाए गए प्रावधानों को विशद किया। राष्ट्रभाषा व राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति व इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर भी उन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला। श्री एकबोटे जी ने बताया कि "आधुनिक भाषाओं की दृष्टि से सभी भारतीय भाषाएं अत्यधिक क्षमता से युक्त हैं और हिन्दी ही संपर्क भाषा के रूप में सफल सिद्ध हो सकती है।" भाषण समाप्त होने के बाद बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का सत्र लगभग एक घण्टे तक चला जिसमें प्रतिभागियों की ओर से प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर एकबोटे जी ने दिए।

श्री रामचंदर, प्रबंधक (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत आभार-प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सत्र का समापन 30-3-89 को श्री एन. सांबमूर्ती, अपर महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) की अध्यक्षता में हुआ। श्री मूर्ती जी ने प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना करते हुए अपेक्षा की कि "वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन प्रत्यक्ष कार्य करते हुए दें"। उन्होंने यह भी परामर्श दिया कि, "सप्ताह में कम से कम एक पत्र हिन्दी में अवश्य लिखें।"

प्रतिभागियों की ओर से श्री भास्कर जॉन उप प्रबन्धक (वित्त) और श्री के. वी. आर. कृष्ण राव अवर प्रबन्धक (पी पी सी) ने अपने विचार रखे।

भारतीय जीवन बीमा निगम, हैदराबाद

मंडल कार्यालय, हैदराबाद में 13 मार्च 1989 को, हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर शाखाओं तथा मंडल कार्यालय के 25 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

श्री सु. रामचन्द्रन, मंडल प्रबंधक (का. तथा औ. सं.) ने सभी का स्वागत किया तथा उन्होंने सभी को इस कार्यशाला में रुचि लेकर व्यवहारिक प्रशिक्षण से लाभान्वित होकर अपने विभागों/कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को अग्रसर करने की सलाह दी।

श्री न. मो. गोवर्धन, वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, 4 मार्च 1989 को पं. जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह के अन्तर्गत सारे देश में आयोजित की गई दौड़ की ओर ध्यान आकर्षित कराया जिसमें सभी वर्ग और आयु के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह दौड़ देश की एकता की प्रतीक थी।

उसी प्रकार से हिन्दी भाषा भी देश की एकता का प्रतीक है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को यह बात याद दिलाई कि उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान पहले से ही प्राप्त है। आवश्यकता है तो केवल उस ज्ञान को प्रयोग में लाने की और संकोच और झिझक को दूर करने की।

श्री विनोद कुमार, स. प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा. का.) ने दोनों ही सत्रों के व्याख्याताओं को धन्यवाद दिया।

संयुक्त हिंदी कार्यशाला, मैसूर

तीन सहायक कम्पनियों के सहयोग से हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 27-12-88 से 28-12-88 तक मैसूर में किया गया।

इस कार्यशाल में सभी चार कम्पनियों :

(1) ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(2) यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(3) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, तथा

(4) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

से 27 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री राम अधार सिंह, अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय भाषा संस्थान, मसूर ने किया और इस में डा. देवी प्रसन्न पट्टनायक, निदेशक, केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर ने मुख्य अतिथि के रूप में थे। क्षेत्रीय प्रबन्धक, बेंगलूर श्री टी.एस. वालसुब्रामणियन ने समारोह की अध्यक्षता की।

मण्डलीय प्रबन्धक श्री एस. बी. देशपाण्डे ने अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में सब को अवगत कराया।

अपने उद्घाटनचर भाषण में डा. राम अधार सिंह ने कार्यशाला के आयोजन पर बीमा कम्पनियों की सराहना की और क्षेत्रीय भाषा संस्थान की ओर से ऐसी योजनाओं में पूरे सहयोग देने का आश्वासन दिया।

मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देते हुए डा. पटनायक ने हिन्दी को कार्यालयीन भाषा के रूप में प्रथम स्थान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तभी हिन्दी समुचे देश की राष्ट्र भाषा मानी जाएगी। कार्यशाला में उपस्थित सभी शिक्षणार्थियों से उन्होंने आग्रह किया कि अपने दैनंदिन कार्य में हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग करें।

अपने अध्यक्षीय भाषण में क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री बालसुब्रमणियन ने कहा कि हिन्दी के प्रयोग में सामन्य बीमा निगम की चारों कम्पनियां लगातार कार्य कर रही हैं और बेंगलूर क्षेत्र में इस विषय में सराहनीय प्रगति हुई है। उन्होंने आशा की कि मैसूर स्थित कार्यालय इसी तरह की कार्यशालाओं का आयोजन आगे भी करते रहेंगे।

समापन समारोह 28-12-1988 को श्री एस.जी. तोमस, उप प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बेंगलूर की अध्यक्षता में किया गया तथा श्री आर. सी. मिश्र, उप निर्देशक, राजभाषा कार्यालय, बेंगलूर इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।

श्री तोमस तथा श्री मिश्र ने प्रतिभागियों को धित किया तथा आशा व्यक्त की वह अपने-अपने कार्यालयों में जाकर धीरे-धीरे हिन्दी का इस्तेमाल शुरू करेंगे। चारों सहायक स्थानीय कम्पनियों के मण्डलीय प्रबन्धकों ने समापन समारोह में भाग लिया। श्री मिश्रा, ने संतोष प्रकट किया कि इस तरह की संयुक्त कार्यशाला पूरे क्षेत्र में पहली बार आयोजित की गयी और इसके लिए मैसूर स्थित कार्यालयों की सराहना की।

मण्डलीय प्रबन्धक श्री एस.बी. देशपाण्डे ने अतिथियों, वक्ताओं तथा प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया तथा कार्यशाला के सुचारू रूप से संपन्न होने पर सभी लोगों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिये।

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. बेंगलूर

क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर के तत्वावधान में त्रिदिवसीय हिन्दी कार्यशाला 27 से 29 अक्तूबर, 1988 तक आयोजित की गई।

श्री के० एस० मेनन, मंडल प्रबंधक, ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री मेनन ने क्षेत्रीय कार्यालय, में हुई हिन्दी प्रयोग की प्रगति की सराहना की। साथ ही उन्होंने पिछले वर्ष हुई कार्यशाला का उल्लेख करते हुए राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन की दिशा में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हिन्दी कार्यशालाओं के महत्व को भी उजागर किया।

तत्पश्चात् श्री तावाचार् हिन्दी प्राध्यापक, ने हिन्दी को सरल भाषा बताते हुए उसके संबंध में व्याप्त झिझक एवं गलत धारणाओं को दूर करने की सलाह दी। अंत में उन्होंने एकता, राष्ट्रीयता एवं भाईचारे की भावना से हिन्दी को अपनाने; व हिन्दी में कार्य करने का संकल्प कर उस पर अमल करने की प्रार्थना की।

इसी दौरान श्री वी० गुरूराज, उप-प्रबंधक ने हिन्दी कार्यशाला की सफलता की कामना की।

व्याख्यानमाला के दौरान श्री अमजद अली खां प्रबंधक (हिन्दी) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलूर ने व्याख्यान दिया।

समापन समारोह में श्री एम० जी० तोमस, उप-प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर ने आशीर्वचन सुनाए व कार्यशालाओं की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कामना की

कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन में क्षेत्रीय कार्यालय सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। कुमारी वीणा, प्राध्यापिका ने कार्यशाला प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए।

कु० विनीता मित्रा, हिन्दी अनुवादिका क्षेत्रीस कार्यालय बेंगलूर ने विभिन्न कार्यालयों से पधारे अतिथि वक्ताओं, अधिकारियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यदि प्रशिक्षित कर्मचारी अपने हिन्दी के अर्जित ज्ञान का प्रकाश पूरे देश में फैला सकें तभी कार्यशाला का उद्देश्य सार्थक होगा।

भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टणम्

27 और 28 फरवरी, 1989 को विशेष रूप से कार्यपालकों के लिए दो दिन की कार्यशाला आयोजित की गई

श्री वी० आर० सुब्रह्मण्यम, उप महाप्रबंधक (मा० सं०) ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए हिन्दी कार्यशलाओं के महत्व के बारे में बताया।

मुख्य अतिथि श्री० एम० गौरंग राव राजभाषा के रूप में हिन्दी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया।

कार्यशाला में 20 वरिष्ठ कार्यपालकों ने भाग लिया। श्री सी० आल्रेय, उप प्रबंधक (प्रशासन) ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सभी प्रतिभागियों को उप महा प्रबंधक (मा० सं०) ने प्रमाण पत्र दिए और श्रीमती डा० जी० पद्मजा देवी, राजभाषा अधिकारी ने धन्यवाद किया।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापट्टणम

21-3-1989 को विशाखापट्टणम इकाई में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें तीन सत्रों में ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के हिन्दी अधिकारी श्री जी० रामनारायण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, विशाखापट्टणम के हिन्दी अधिकारी डा० बशीर अहमद तथा भारत हैवी प्लेटस एवं वेसल्स, विशाखापट्टणम के राजभाषा अधिकारी डा० जी पद्मजा देवी ने राजभाषा हिन्दी की महत्ता, उसकी आवश्यकता, हिन्दी टिप्पण आलेखन, हिन्दी के व्याकरण नियमों तथा तेलुगु हिन्दी शब्दों की समानता पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में 28 प्रतिभागियों ने भाग लेकर विभागीय कार्य हिन्दी में करने का मानस बनाया

श्री जी० रामनारायण, सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा श्री यदुनाथ सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यशाला सत्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण में वरिष्ठ प्रबंधक (का० एवं प्रशा०) ने राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने हेतु प्रतिभागियों से हिन्दी सीखने व हिन्दी में काम करने की अपील की। श्री दीनदयाल गुप्ता राजभाषा अधिकारी ने कार्यशाला का संचालन किया तथा राजभाषा हिन्दी की सांविधिक स्थिति तथा उसकी महत्ता पर व्यापक प्रकाश डाला।

नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा उपक्रमों में वर्ष 1987–88 में अधिक व प्रशंसनीय हिन्दी का कार्यान्वयन करने के परिणाम स्वरूप भारत सरकार (गृह मंत्रालय) राजभाषा विभाग के अनुमोदन से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, को राजभाषा शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

आकाशवाणी , धारवाड़

हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले, आकाशवाणी धारवाड़ केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पहली बार 20 से 25 फरवरी, 1989 तक छह दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन, केन्द्र/कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन अधीक्षक अभियंता श्री के० तौंडप्पायी ने सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर किया।

दिनांक 25-2-89 को कार्यशाला का समापन हुआ हिन्दी अनुवादक श्री हर्ष मोहन सिंह ने, कार्यशाला के सफल आयोजन पर सभी प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षण अधिकारियों एवं कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बधाई दी एवं उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। केन्द्र निदेशक श्री सी० राजगोपाल ने भाग लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दिए।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, कलकता

दिनांक 1 फरवरी, 1989 को न्यू अलीपुर परिसर सभागार में कार्यशाला का उदघाटन समारोह राजभाषा विभाग हुआ। मुख्य अतिथि श्री सिद्धिनाथ झा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कलकत्ता थे और अध्यक्षता डा. आसकेत सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक एस. एफ. ने की। समारोह का शुभारंभ, श्री एन. आर. शर्मा, हिन्दी अधिकारी के वंदना और स्वागत भाषण के साथ हुआ। डा. आर. के. वार्ष्णेय, वैज्ञानिक एस०एफ. ने, सभा को कार्यशाला के उद्देश्य से संबंधित जानकारी दी। श्री झा ने कार्यशाला के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया।

दिनांक 1 से 3 फरवरी तक आयोजित कार्यशाला में 3 अधिकारियों व 27 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिदिन दो दो घंटे के अंतराल से व्याख्यानदाताओं द्वारा कुल 6

व्याख्यान दिए गए। दिनांक 3 फरवरी, 1989 को कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए और कार्यशाला के सफल संचालन हेतु हिन्दी अधिकारी और डा. वार्ष्णेय सहित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी।

आकाशवाणी, राजकोट

केन्द्र में दिनांक 12 से 22-12-88 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन उच्च शक्ति प्रेषित आकाशवाणी (एच. पी. टी) राजकोट द्वारा किया गया।

केन्द्र अभियन्ता श्री के. ए. शेख ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया तथा राजकोट के पुलिस कमिशनर श्री पी. के. दत्त को उदघाटन के लिए आमंत्रित किया। श्री शेख ने अतिथि का परिचय दिया, बाद में आकाशवाणी राजकोट के केन्द्र निदेशक कु. मिनल दीक्षित ने हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के बारे में बताया तथा पुलिस कमिशनर श्री दत्त ने राजभाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने तथा हिन्दी के प्रगामी प्रचार और प्रसार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अन्त में दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक श्री पी. एम. वैष्णव ने आभार प्रदर्शन किया।

सभी कर्मचारियों ने उत्साह तथा लगन के साथ भाग लिया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

बम्बई महानगरीय अंचल कार्यालय

बम्बई महानगरीय अंचल ने कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, माटुंगा में दिनांक 2 मार्च से 4 मार्च, 1989 तक लिपिकों के लिए हिन्दी कार्यशाला चलाई। इसमें बम्बई शहर के 12 लिपिकों ने कार्यशाला में भाग लिया।

इस कार्यशाला का उदघाटन बांद्रा (पूर्व) शाखा के मुख्य प्रबंधक श्री कु. म. चिटणीस ने किया।

श्री चिटणीस ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दी का प्रयोग हमें अपने दैनिक कामकाज में ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। यह केवल सरकारी नीति है, इसी लिए नहीं बल्कि ग्राहक सेवा की दृष्टि से भी अत्यावश्यक है।

कार्यशाला के अंतिम दिन एक समूह चर्चा आयोजित की गई जिसका विषय "अंग्रेजी ने भारत का लाभ/नुकसान पहुंचाया है" था। समूह चर्चा के लिए दो समूह बनाये गये थे। एक समूह ने पक्ष में और दूसरे ने विपक्ष में अपनी बातें रखीं। समूह चर्चा का संचालन ठाणे अंचल के राजभाषा अधिकारी श्री गोविल ने किया। निर्णायक के रूप में कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशिक्षिका श्रीमती रजनी गाडगील तथा प्रशिक्षक श्री दिलीप जोशी उपस्थित थे। निर्णायकों ने विषय के पक्ष में बोलने वाले दल समूह को विजयी घोषित किया। विजयी समूह के सदस्य इस प्रकार हैं—श्री राजेश तिकु श्री औदुम्बर कोरगांकर, श्री राजन आचरेकर श्री वासुदेव विपट श्री रामचन्द्र गोगट तथा सुश्री अरूणा जैक।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बंबई शहर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अनंत भूमकर उपस्थित थे। श्री भूमकर ने कहा कि यदि आप अपना कामकाज हिन्दी में करना शुरू करते हैं तो हम इस कार्यशाला को सफल समझ सकते हैं। हिन्दी का प्रयोग मुख्यतः शाखा स्तर पर कार्य करने वाले लिपिकों पर ही निर्भर करता है। हमारा प्रयास है कि सभी अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जा सके।

दिनांक 27 फरवरी, 1989 से कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र माटुंगा में लिपिकों के लिए तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। बम्बई उपनगर क्षेत्र, अति-विस्तृत/विस्तृत शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों के कुल 24 लिपिक इसमें उपस्थित थे। उदघाटन बम्बई महानगरीय अंचल के निरीक्षण विभाग के मुख्य प्रबंधक श्री रमेश वैद्य ने किया। उदघाटन सत्र में सर्वप्रथम अंचल के राजभाषा अधिकारी श्री चारूहास कुलकर्णी ने सभी का हार्दिक स्वागत किया। ठाणे अंचल के राजभाषा अधिकारी श्री प्रबोध कुमार गोयल ने कार्यशाला के उद्देश्य तथा सहभागियों से की जाने वाली अपेक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

भारतीय कपास निगम लि० बम्बई

मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला दि. 20-1-89 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उदघाटन श्री शंभु दयाल, संयक्त सचिव राजभाषा विभाग ने किया। निगम की ओर से श्री मा. वि. लाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने उनका स्वागत किया। इस कार्यशाला में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकगण, महा प्रबंधक (वित्त) आदि सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उद्घाटन भाषण में श्री दयाल ने राजभाषा अधिनियम के अनुपालन पक्ष की ओर ध्यान दिलाते हुए हिन्दी के सरल और व्यावहारिक रूप का प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने अधिकारियों की हिन्दी के प्रयोग में आने वाले वैयक्तिक दिक्कतों का भी समाधान किया।

विदेश प्रसारण प्रभाग आकाशवाणी नई दिल्ली

5 मई, 1989 को विदेश प्रसारण प्रभाग में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। संसद सदस्य श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यालय के लगभग 80 कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आकाशवाणी महानिदेशालय में उपमहानिदेशक श्री टी.आर. मालाकार तथा श्री प्रेम नारायण रोहतगी भी उपस्थित थे।

गृह मंत्रालय की पुरस्कार योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को नकद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र दिए गये। मार्च माह में आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।

डा. मधुकर गंगाधर ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यालय में हिंदी के प्रयोग में हुई वृद्धि तथा कार्यान्वयन के बारे में बताया।

संसद सदस्य श्री चतुर्वेदी ने हिंदी के प्रचार-प्रसार को और तेज करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि आकाशवाणी की विभिन्न सेवाएं हिंदी को देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न में पूरी तनमयता से लगी है।

विदेश प्रसारण प्रभाग के निदेशक श्री उमेश दीक्षित ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद देते हुए कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों की हिंदी के प्रति बढ़ती हुई रूचि के बारे में बताया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि कार्यालय में इस ओर निरन्तर प्रगति होती रहे—इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

देना बैंक, वलसाड़ क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्र के कर्मचारियों को हिन्दी में काम-काज करने का प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी झिझक को दूर करने के उद्देश्य से 01 और 02 फरवरी, 1989 को वलसाड़ क्षेत्रीय कार्यालय में द्वि-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इसमें क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के 28 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन स्थानीय जे.पी. श्रॉफ आर्टस कॉलेज के हिन्दी विभागाध्यक्ष, प्रो. वच्चूभाई आचार्य ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री के.वी. शानभाग ने की। प्रो. आचार्य ने कहा कि हिन्दी भाषा विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का कार्य कर रही है। उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे निष्ठापूर्वक हिन्दी में कार्य करने का संकल्प करें।

कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर प्रधान कार्यालय, बम्बई के प्रबन्धक (राजभाषा) श्री वसु नायक द्विवेदी, अंचल कार्यालय, बड़ोदरा के प्रबंधक (राजभाषा) श्री भोज कुमार मुखी और सूरत क्षेत्र के राजभाषा अधिकारी श्री शिवराज सिंह ने हिंदी में लिखने का अभ्यास कराया।

प्रशिक्षार्थियों ने कार्यशाला को उपयोगी बताया और कहा कि उन्हें बहुत-कुछ जानने एवं सीखने का अवसर मिला। मापन समारोह की अध्यक्षता सोनीवाड़ लिलीमोरा शाखा के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री तरुण ई. वरीअत ने की।

हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कारपोरेशन लि० बरौनी

दिनांक 28 से 30 मार्च 89 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उद्घाटन करते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री ध्रुवनारायण सिंह ने कर्मचारियों से हिन्दी में कार्य करने की आवश्यकता बतलाई और राजभाषा के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी हमारी गुलाम मानसिकता की सूचक है, जबकि हिन्दी हमारी सम्पन्नता का। इसके पूर्व श्री केशव प्र. सिन्हा, हिन्दी अधिकारी ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए अपनी इकाई को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की जानकारी दी।

कार्यशाला में कुल 14 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। तीन दिनों की कार्यशाला में कर्मचारियों को राजभाषा के विभिन्न व्यावहारिक प्रयोगों पर प्रकाश डाला गया और टिप्पणी-प्रालेखन आदि के अभ्यास कराए गए। टिप्पण-प्रारूपण, आलेखन, अनुवाद, सहित हिन्दी वर्तनी की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया।

हिन्दी अधिकारी श्री के.पी. सिन्हा के अतिरिक्त डा. एच.के. पालीवाल, हिन्दी अधिकारी, भारतीय तेल निगम, बरौनी, श्री दे. ना. कुलश्रेष्ठ, सहायक निदेशक हि.शि.यो. पटना सहित श्री जे.पी. युगल, अवकाशप्राप्त स० निदेशक, हि.शि.यो.-पटना ने व्याख्यान दिए। अंतिम दिन पूर्वी क्षेत्र के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) कलकत्ता, श्री सिद्धिनाथ झा ने इकाई की कार्यशाला और हिन्दी कार्यों का निरीक्षण किया।

30-3-89 को कार्यशाला के समापन सत्र में श्री योगेन्द्र नारायण सिंह, प्रशिक्षण अधीक्षक ने राजभाषा में काम करने का अनुरोध किया।

मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी श्री मधुसूदन शुक्ल के समापन भाषण के बाद कार्यशाला समाप्त हुई। वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी श्री गंगासागर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पश्चिमोत्तर सर्कल, चण्डीगढ़

वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा नियमों/आदेशों आदि का ज्ञान करने के लिए वर्ग "क" एवं "ख" अधिकारियों के लिए दिनांक 21-22 फरवरी 1939 को विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

श्रीमती सरोज डोगरा, हिन्दी अनुवादक ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पश्चिमोत्तर सर्कल में आयोजित होने वाली सातवीं कार्यशाला में निदेशक (उपस) और अन्य अधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि प्रथम कार्यशाला वर्ग "क"

और "ख" अधिकारियों के लिए विशेष तौर से आयोजित की गई है क्योंकि राजभाषा नीति अनुपालन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कार्यालय अध्यक्षों ने ही लेने होते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य को मद्दे नजर कार्यशाला के पाठों की सामग्री तैयार की गई है।

इसके उपरान्त ले. कर्नल बलदेव सिंह राजल ने दीप जला कर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब उसकी कोई अपनी भाषा हो। हिन्दी हमारी राजभाषा है, उसका प्रयोग यदि साहित्यिक लेखक, सरकारी कर्मचारी/अधिकारी, राजनेता अर्थात राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति करे तभी हम कह सकते हैं कि हमारी राजभाषा और हमारा राष्ट्र विकासशील है। हिन्दी का प्रयोग हिन्दी भाषी तो करें ही, साथ ही साथ यदि अन्य भाषा भाषी भी अपना कर्तव्य समझकर इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अवश्य पूरा हो सकेगा।

सर्वप्रथम श्रीमती सरोज डोगरा ने "देवनागरी लिपि के मानक अक्षरों का परिचय वर्तनी, व अन्य कठिनाइयों" संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया और श्रीमती नीलम बजाज, हिन्दी प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना ने हिन्दी में पत्र-लेखन की विविध विधाओं के बारे में जानकारी दी।

ले. कर्नल राजल ने "वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट" के संबंध में व्याख्यान दिया कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट किस प्रकार से हिन्दी में भरी जानी चाहिए। कार्यशाला में लिए गए विषयों के पाठ-सार भी तैयार किए गए थे जिसकी एक एक प्रति सभी अधिकारियों को दी गई ताकि वे इनकी सहायता से कार्यालय में हिन्दी में कार्य कर सक।

समापन समारोह में निदेशक ने भाग लेने वाले सभी अधिकारियों को प्रमाण-पत्र दिए और आग्रह किया कि वे अपने विचार हिन्दी में ही व्यक्त करें। निदेशक का कहना था कि हिन्दी का काम अधीनस्थ स्तर पर काफी मात्रा में किया जा रहा है तथा अधिकारी फाइलों पर छोटी बड़ी टिप्पणियां हिन्दी में लिखकर अपना सहयोग दे सकते हैं, खासकर हिन्दी में हस्ताक्षर करके तथा हिन्दी में छोटे बड़े आर्डर पास कर। इस थोड़े से प्रयास से अन्य श्रेणियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा

तोपगाड़ी फैक्टरी, जबलपुर

"यदि अधिकारीगण दैनिक सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने की पहल करें तो उनके मातहत काम करने वाला स्टाफ अपने आप हिन्दी में कार्य करने लग जायेगा।" उपरोक्त उद्गार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं तोपगाड़ी फैक्टरी जबलपुर के महाप्रबंधक श्री बी.एल. खुराना ने अधिकारियों की हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किया। श्री खुराना ने कहा कि यह निर्विवाद सत्य है कि उच्च अधिकारी प्रेरणा के स्रोत होते हैं और उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों में असीम कार्यक्षमता विद्यमान होती है। यदि समय-समय पर स्टाफ को प्रोत्साहित किया जाए तो उनमें छिपी शक्ति निर्झर की भांति फूट कर अपने आसपास के प्रतिकूल वातावरण को भी अनुकूल बना देगी। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने का अनुरोध किया।

उद्घाटन समारोह के प्रथम चरण में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव एवं तोपगाड़ी फैक्टरी के उप प्रबन्धक (प्रशासन) श्री शशिधर डिमरी, ने प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए कहा कि तोपगाड़ी फैक्टरी में अब तक कार्यशाला के 10 सत्र हुए हैं और इन सत्रों में 180 अराजपत्रित एवं अनौद्योगिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति तोपगाड़ी फैक्टरी के अध्यक्ष एवं संयुक्त महाप्रबन्धक (प्रशासन) श्री वि.कुं सिंह, ने कहा कि सरकार की नीति यह है कि जनता का कार्य जनता की भाषा में हो अतः प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा करने के लिए नियमों के तहत आवश्यक व्यवस्था/उपाय करे।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर

दिनांक 6 से 10 मार्च, 89 तक एक सप्ताह की "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया जिस में इंदौर नगर के विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

इंदौर से प्रकाशित दैनिक "नवभारत" के संपादक श्री कमल दीक्षित ने समापन करते हुए कहा कि जर्मन, रूस, चीन आदि देशों ने अपना वैज्ञानिक और तकनीकी विकास अपनी भाषा में किया है, इसके बावजूद हम अंग्रेजी का मोह पाले हुए हैं, जिसका मुख्य कारण हिन्दी के प्रति हमारा आग्रह नहीं होना है अन्यथा जब देश के संविधान में हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है तब क्या कारण है कि हिन्दी को उसका यथोचित स्थान नहीं मिल पा रहा है?

प्रारम्भ में संस्थान के निदेशक श्री रा० व० पाण्डे ने स्वागत भाषण में कहा कि हम अधिकांश कामकाज हिन्दी में करने के लिए कृतसंकल्प हैं। संस्थान की हिन्दी गतिविधियों की जानकारी श्री अनंत श्रीमाली, आशुलिपिक (हिन्दी) ने दी। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री प्रदीप कुमार ने किया। प्रशिक्षण में 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

केनरा बैंक (लखनऊ मंडल) देहरादून

दिनांक 1 मार्च से 2 मार्च 1989 तक दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन बैंक की सहारनपुर रोड शाखा में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज के प्राध्यापक श्री वी० एन० एस० भटनागर ने किया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग कार्य हिन्दी में करना बहुत सरल है, बस थोड़े प्रयास की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए लखनऊ के श्री उपेन्द्र नारायण सेवक पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी ने बताया कि केनरा बैंक वर्ष 1987 में भारत सरकार द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड गत दो वर्षों से जीतता चला आ रहा है और "ख" और "ग" क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक की शील्ड गत चार और पांच वर्षों से जीतता चला आ रहा है। ये सब पुरस्कार बैंक की राजभाषा संबंधी नीति के पालन के द्योतक हैं। दिल्ली के राजभाषा अधिकारी श्री अशोक कुमार सेठी ने बताया कि बैंक ने अब इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और देहरादून जैसे नगरों में हिन्दी प्रयोग बढ़ाने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं और शाखाओं में विशेष राजभाषा बैठकों का आयोजन किया है। इस अवसर पर स्थानीय शाखा प्रबंधकों सर्वश्री के० आर० प्रभु, श्री एन० सुन्दररामन, श्री मोहन चिटगुप्पी उपस्थित थे। कार्यशाला भारत सरकार की राजभाषा नीति, बैंकिंग शब्दावली की जानकारी के साथ बैंकिंग कार्य हिन्दी में करने का अभ्यास कराया गया। समापन समारोह में मंडल प्रबंधक श्री बी० पी० कामत ने कर्मचारियों को प्रमाण पत्र बांटे और बैंकिंग कार्य हिन्दी में करने का अनुरोध किया।

केनरा बैंक, मेरठ

दिनांक 23-2-89 से 25-2-89 तक तथा 27-2-89 से 28-2-89 तक क्रमशः अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग के लिए दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों ने भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी एवं कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रथम हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर प्रबंधक श्री वी० एन प्रभु ने कहा कि हिन्दी सीखने में दक्षिण भारतीय बहुत रुचि लेते हैं। आयकर आयुक्त कार्यालय के सहायक निदेशक श्री हरिशंकर सिंह ने बताया कि हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है अतः हमें बैंकिंग कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। समापन समारोह में बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री रतन लाल शर्मा ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देते हुए कहा कि हिन्दी कार्यान्वयन के संबंध में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर राजभाषा शील्ड तथा इंदिरागांधी राजभाषा शील्ड जीती है अतः इन्हें बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से अपील की कि वे हिन्दी कार्यान्वयन में और तेजी लाएं।

दूसरी हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री नाहर सिंह वर्मा ने किया। श्री वर्मा ने बताया कि केनरा बैंक की छवि बहुत अच्छी है। यह बैंक हिन्दी के कार्यान्वयन में बहुत रुचि ले रहा है। उन्होंने बताया कि हिन्दी भारत को एकता के सूत्र में बांधती है।

समापन समारोह में श्री ए० एस० रेगे प्रबन्धक ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए। राजभाषा अधिकारी श्री खेमराज ने उक्त दोनों हिन्दी कार्यशालाओं में स्वागत भाषण दिए, कार्यशालाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा मंच का संचालन किया।

आयकर आयुक्त कार्यालय, आगरा

अधिकारी स्तर की त्रिदिवसीय हिन्दी कार्यशाला दिनांक 20-2-89 से 22-2-89 तक आयकर आयुक्त श्री सुरेश कपूर के निर्देशन में सम्पन्न हुई। कार्यशाला का उद्घाटन प्रोफेसर श्री एन० वी० राजगोपालन ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते तथा दीप प्रज्जवलित करके किया। श्री राजगोपालन ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे हिन्दी की मानसिकता बनाएं।

संभाषण करते हुए आयकर आयुक्त (अपील) श्री एम० के० सिंह ने इस बात पर बल दिया कि प्रजातंत्र के प्रशासन को जनता में विश्वास पैदा करने के लिए जनता की भाषा में जनसाधारण की सेवा करनी चाहिए। यदि आयकर विभाग के अधिकारी जनता की भाषा को अपनाएं तो कर वसूली तो अधिक होगी ही साथ ही करदाताओं की कठिनाइयां और परेशानियां भी काफी हद तक दूर होंगी और इस तरह राजभाषा का उत्तरोत्तर विकास होगा।

कार्यशाला के अन्त में सहायक आयकर (मु० प्रशासन) श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए विभाग की ओर से अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि उन्होंने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं उन्हें हम कार्य रूप में परिणित करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

दिनांक 10 मार्च व 13 मार्च, 1989 को किया गया कार्यशाला में पर्यवेक्षक, प्रधानलिपिक, व कर सहायक स्तर के 19 कर्मचारियों ने भाग लिया।

उद्घाटन, सेन्ट्रलबैंक आफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक श्री विद्याशंकर चौबे ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित करके किया।

समापन करते हुए सहायक आयकर आयुक्त (मु०) प्रशासन एवं सहायक आयुक्त विशेष अन्वेषण वृत्त श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु बल दिया तथा कहा कि वे अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

वायुदूत, नई दिल्ली

29 अप्रैल, 1989 को वायुदूत ने अपने प्रबन्धकों के लिए पहली एक-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। श्री पी.सी. सेन, संयुक्त सचिव, नागर विमानन ने उद्घाटन किया। प्रबन्ध निदेशक श्री हर्ष वर्धन ने अध्यक्षता की व श्री आर.पी. अग्रवाल, मुख्य प्रबन्धक, कार्मिक व प्रशासन ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में श्री महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक राजभाषा विभाग की उपस्थिति विशेष महत्वपूर्ण रही। कार्यशाला में 22 अधिकारियों ने भाग लिया।

संयुक्त सचिव श्री सेन ने उद्घाटन भाषण में कहा कि वायुदूत अनेक क्षेत्रों में सदैव अग्रणी रहा है और अब हिन्दी के प्रयोग में भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन से वायुदूत में हिन्दी का प्रयोग और बढ़ेगा। इस कार्यशाला में जो अधिकारी भाग ले रहे हैं वे कार्यशाला की समाप्ति पर अपने-अपने विभागों में जाकर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयास करें।

प्रबन्ध निदेशक श्री हर्षवर्धन ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वायुदूत में भारतीयता और परम्परा के प्रति गहरी आस्था है और हिन्दी इसका महत्वपूर्ण अंग है। वायुदूत का हर प्रबन्धक इस ओर बहुत गहरे तरीके से सोचता है। हिन्दी की दिशा में हमने बहुत प्रयास किए और वह भी केवल आंकड़े दिखाने के लिए नहीं है। कुछ समय पहले उत्तरी क्षेत्र में इस ओर बहुत बड़ा प्रयास किया गया। एक सप्ताह तक न केवल टिकटें हिन्दी में जारी की गई बल्कि यात्रा सम्बन्धी सभी प्रलेखों को भी भी हिन्दी में तैयार किया गया। मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रयास सारे हिन्दुस्तान में किया जाए और प्रशिक्षण के बाद हम इस स्तर तक पहुंच जाएं कि सारा कार्य हिन्दी में करें। हम हिन्दी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं।

इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक ने सबसे अधिक कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारी को जिसकी मातृभाषा हिन्दी न हो, 500 रु. प्रतिमास की वृतिका एक वर्ष तक प्रदान करने की घोषणा भी की।

श्री महेशचन्द्र गुप्त ने प्रबन्ध निदेशक की भावना की और भारतीयता के प्रति उनकी गहरी आस्था की प्रशंसा की। उन्होंने वायुदूत के उत्तरी क्षेत्र द्वारा एक सप्ताह तक 99.9 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने को विशेष महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति काम करने की ठान लेता है तो तकनीकी और गैर तकनीकी कुछ नहीं रहता, उसे पूरा कर लिया जाता है। उन्होंने सरकार की राजभाषा नीति और उससे जुड़े अधिकारियों के दायित्व विषय पर अधिकारियों को बहुत गहराई से जानकारी दी।

इस कार्यशाला में आमंत्रित अन्य वक्ताओं में श्री विजय कुमार मल्होत्रा, निदेशक रेलवे बोर्ड, जिन्होंने हिन्दी में टिप्पण और प्रारूपण स्वयं कैसे करें व दूसरों को कैसे प्रोत्साहित करें" विषय पर जानकारी दी। इसके अतिरिक्त श्री जीवन प्रकाश पन्त, उप निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना ने हिन्दी शिक्षण योजना व उससे जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से अधिकारियों को अवगत कराया।

अन्त में वायुदूत की हिन्दी अधिकारी श्रीमती नीलम शर्मा ने अधिकारियों को राजभाषा कार्यान्वयन के महत्व के बारे में बताया तथा हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में आने वाली अधिकारियों की कठिनाईयों को सुना और उनका समाधान किया।

श्री बालसुब्रमणि, मुख्य प्रबन्धक सामग्री एवं व्यवस्था ने इस कार्यशाला का समापन किया। उन्होंने इस कार्यशाला को बहुत महत्त्वपूर्ण बताया और हिन्दी के प्रयोग के प्रति विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि यदि हम प्रयास करके सीखें तो हिन्दी में कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं है।

आयकर विभाग, कानपुर

कार्यशालाओं की श्रंखला में 9 मार्च 1989 को वित्तीय वर्ष 1988-89 की चतुर्थ एवं अन्तिम हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) श्री वी०पी० गुप्त ने उद्घाटन किया तथा आयकर आयुक्त श्री जी० सी अग्रवाल ने समापन किया। समापन के अवसर पर भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में आयकर आयुक्त श्री जी.सी. अग्रवाल ने कहा कि सरकारी आदेशों के बाद जबरदस्ती हिन्दी सिखाने से कोई फायदा नहीं है, हिन्दी सीखने के लिए तथा उसका प्रयोग करने के लिए इच्छाशक्ति का होना और मनोभावना का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गलत अंग्रेजी में लिखने से अच्छा है, शुद्ध हिन्दी लिखी जाय, किन्तु हीन भावना से ग्रसित मानसिकता के कारण लोग अंग्रेजी की ओर अधिक ध्यान देते है, यह उनकी गुलामी का परिचायक है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आहवान किया, कि वे अपने को अंग्रेजी के प्रति क्षुद्र मानसिकता से मुक्त करें, और सच्चे मन से हिन्दी का प्रयोग करें, तभी हमारी इन हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन सार्थक होगा।

आयकर विभाग, कानपुर द्वारा इस वर्ष चलाई गई चार हिन्दी कार्यशालाओं में पहली कार्यशाला आयकर अधिकारियों के लिए तथा दूसरी हिन्दी कार्यशाला आयकर सहायक आयुक्तों एवं आयकर सहायक निदेशकों के लिए आयोजित की गई जिनमें 20 आयकर अधिकारियों एवं 22 आयकर सहायक आयुक्तों एवं आयकर सहायक निदेशकों ने हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

जोधपुर

दो दिवसीय विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 10 व 11 मार्च, 89 को किया गया जिसमें विभिन्न शाखाओं के 15 कर्मचारियों ने भाग लिया। उद्घाटन श्रीमती कृष्णा

मनोत, व्याख्याता, हिन्दी विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय ने किया। उन्होंने बताया कि आज के समय में बैंकों में भी हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा कार्य करना आवश्यक हो गया है। संयोजक श्री हस्तीमल जैन, प्रभारी अधिकारी, राजभाषा कक्ष, जोधपुर अंचल ने दो दिन के अन्दर बैंकों में हिन्दी में कार्य अधिकाधिक रूप से कैसे किया जाता है तथा रोजमर्रा के कार्य में आने वाले शब्दों संबंधी कठिनाइयों का निराकरण करते हुए शाखाओं में अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु बल दिया।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली

प्रधान कार्यालय में अधीनस्थ यूनिट दिल्ली फैक्टरी से मिलकर दिनांक 5-12-1988 से 19-12-1988 तक प्रशासनिक एवं तकनीकी विषयों से संबंधित लगातार दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डा. एस. पी. धुआ ने कहा कि हिन्दी कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली व्यावहारिक हिन्दी का अभ्यास करवाना है। जिससे कर्मचारी मूल रूप से हिन्दी में मसौदे एवं टिप्पणियां लिख सकें। इस कार्यशाला में केवल उन्हीं कर्मचारियों को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है या हिन्दी में कार्य करने में समर्थ हैं। ऐसे कमचारी सरकारी कामकाज में हिन्दी का स्वैच्छिक प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि वे झिझक महसूस करते हैं। इन हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से उनकी ये झिझक दूर हो जाएगी। ऐसा करने से उनमें आत्म विश्वास पैदा हो जाएगा। कार्यालय में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू कर रखी हैं

संचार मंत्रालय के निदेशक (राजभाषा) श्री ओम प्रकाश वर्मा ने सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963 एवं उसके अन्तर्गत बने नियम 1976 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

कार्यशाला में 32 कर्मचारियों ने हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया।

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग की सामान्य और प्रशासन शाखा के लिए 16 से 20 जनवरी, 1989 तक एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन आयोग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) श्री राजेश्वर लाल हांडा ने किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति पर पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए। इस दिशा में कार्यशाला का आयोजन बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। बाद में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भा.भा.) श्री जगन्नाथ सिंह त्यागी ने सभी शिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ प्रतीक होते हैं जैसे एक झण्डा, एक गीत, एक संविधान आदि। उसी तरह हर राष्ट्र की एक भाषा होती है। उसी भाषा में उस राष्ट्र की जनता और सरकार अपना कामकाज निपटाती है। भाषा राष्ट्र में प्रादेशिक और भावात्मक एकता को जोड़ती है और उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक परम्पराओं से जुड़ी होती है।

हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमें सरकार की राजभाषा नीति पर भी उतनी ही निष्ठा से अमल करना चाहिए जितनी निष्ठा से हम सरकार के अन्य नियमों, विनियमों और आदेशों पर अमल करते हैं।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में संयुक्त सचिव (भर्ती) श्री सुबोध बिहारी लाल ने आयोग की प्रशासन शाखा के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की सीमा और संभावनाओं पर अपने विचार प्रकट किए।

कार्यशाला के दूसरे दिन पहले सत्र में उपसचिव डा. क्यू.जी. अली ने बताया कि हिन्दी में प्रारूप लिखना अंग्रेजी की अपेक्षा कहीं अधिक सहज और सरल है। उन्होंने कहा कि हिन्दी में पत्र, परिपत्र, अ.शा. पत्र, ज्ञापन कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना के प्रारूप मूल रूप में तैयार किए जाने चाहिए।

दूसरे सत्र में राजभाषा के भूतपूर्व निदेशक डा. परमानन्द पांचाल ने कार्यशाला के दौरान अर्जित ज्ञान के संबंध में विचार विमर्श किया और शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि हिन्दी एक जनभाषा है। उसको देश की अधिकांश जनता समझती, बोलती और प्रयोग करती है। सरकारी कामकाज हिन्दी में बहुत आसानी से हो सकता है। हमें अपने मन से इस बारे में संकोच और झिझक दूर कर देनी चाहिए और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग शुरू कर दिया जाना चाहिए।

अंत में संयुक्त सचिव (प्रशा.) श्री राजेश्वर लाल हांडा ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए और सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपना सरकारी काम काज हिन्दी में करना शुरू करें।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली

लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली में (क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली सहित) 21 फरवरी से 24 फरवरी, 1989 तक 4 दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली और क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के 23 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। 21 फरवरी, 1989 को कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री प्रेमप्रकाश, निदेशक, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने कहा कि हिन्दी हमारी अपनी भाषा है, इसके प्रचार-प्रसार का दायित्व हम सब पर है। हम सबका यह फर्ज बनता है कि अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करें और अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी पर गर्व महसूस करें।

इससे पूर्व श्रीमती कैलाश दत्ता, सहायक निदेशक (राजभाषा) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय ने "सीडो में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन" विषय पर भाषण दिया। कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागियों को केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम की प्रमुख बातों से परिचित करवाया गया और टिप्पणियां और मसौदे लिखने का अभ्यास कराया गया।

हिन्दी कार्यशाला समापन समारोह में श्री प्रेमप्रकाश, निदेशक ने वर्ष 1988-89 के दौरान संस्थान में आयोजित हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कारों और प्रमाण-पत्रों से सम्मानित किया है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

I हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता	स्थान
1. श्री सुशील कुमार अग्रवाल, लघु उद्योग संवर्धन अधिकारी, क्षे. प. केन्द्र	प्रथम
2. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा लघु उद्योग संवर्धन अधिकारी, क्षे. प. केन्द्र	द्वितीय
3. श्री अमर सिंह मशीन आप्रेटर, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र	तृतीय

II हिंदी वाद्-प्रतियोगिता

1. श्री एस. पी. पाण्डे, उ.श्रे. लिपिक	प्रथम
2. श्री अमिताभ भौमिक, सहायक औद्योगिक रुपकार	द्वितीय
3. श्री गिरीश चन्द्र चन्दौला, अन्वेषक क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	तृतीय

III हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता

1. श्री परसराम, अवर श्रेणी लिपिक	प्रथम
2. श्रीमती कमला देवी, उच्च श्रेणी लिपिक	द्वितीय

सांत्वना पुरस्कार

वर्ष 1988 के दौरान "क" क्षेत्र में एक अहिन्दी भाषी कर्मचारी को हिन्दी में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए श्री राजेश सुकुमारन, अवर श्रेणी लिपिक को 50/- रु. का सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

राजभाषा विभाग
केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान
नई दिल्ली

संस्थान द्वारा पिछली तिमाही में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया । विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या उनके नाम के सामने दिखाई गई है :—

क्रम सं.	पाठ्यक्रम/अवधि	कार्यदिवस	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4
मार्च 1989			
1.	गहन हिन्दी प्राज्ञ पाठ्यक्रम (21-3-89 से 12-4-89 तक)	15	19
2.	गहन हिन्दी पाठ्यक्रम हिन्दी कार्यशाला (27 से 31-3-89 तक)	05	62
3.	गहन हिन्दी प्रवीण पाठ्यक्रम (21-2-89 से 20-3-89 तक)	20	17
4.	हिन्दीटाइपलेखन पाठ्यक्रम रामकृष्ण पुरम केन्द्र (8-3-89 से 8-5-89 तक)		
5.	हिन्दी टाइपलेखन प्रशिक्षण पृथ्वीराज रोड केन्द्र (8-3-89 से 8-5-89)	दो कक्षाएँ 40	64
6.	हिन्दी आशुलिपि पाठ्यक्रम (8-3-89 से 3-7-89 तक)	80	36
अप्रैल 1989			
1.	गहन हिन्दी प्राज्ञ पाठ्यक्रम सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान नई दिल्ली के सहायक (सीधी भर्ती के प्रतिभागियों के लिए) (19-4-89 से 9-5-89 तक)	15	04
2.	गहन हिन्दी प्राज्ञ पाठ्यक्रम (26-4-89 से 16-5-89 तक)	15	10
3.	गहन हिन्दी पाठ्यक्रम (हिन्दी कार्यशाला) (24 से 28-4-89 तक)	05	35
4.	केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, उप संस्थानों तथा कार्यान्वयन के सहायक निदेशकों और उच्च श्रेणी लिपिकों की प्रशासनिक/वित्तीय मामलों की कार्यशाला (10-4-89 से 14-4-89 तक)	05	36
5.	गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिन्दी कार्यशाला (के. हि. प्र. सं., कलकत्ता) ता. 3-4-89 से 7-4-89 तक	05	40
मई 1989			
1.	गहन हिन्दी प्रबोध पाठ्यक्रम (17-5-89 से 20-6-89 तक)	25	09
2.	गहन हिन्दी पाठ्यक्रम (हिन्दी कार्यशाला) (22 से 26-5-89 तक)	05	38

राजभाषा पुरस्कार/प्रोत्साहन

भारत सरकार
योजना आयोग

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1989

कौटिल्य पुरस्कार योजना

इस योजना का नाम "कौटिल्य पुरस्कार विनियम 1989" है।

इस योजना का उद्देश्य योजना आयोग, भारत सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले तकनीकी विषयों पर उच्च स्तर के मौलिक हिन्दी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देना है।

विनियम के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे :—

प्रथम पुरस्कार—एक	—10,000 रु. (केवल दस हजार रु.)
द्वितीय पुरस्कार—एक	— 7,000 रु. (केवल सात हजार रु.)
तृतीय पुरस्कार—एक	— 5,000 रु. (केवल पांच हजार रु.)

यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांटी जाएगी।

विनियम के अंतर्गत कौटिल्य पुरस्कार हर वर्ष के लिए दिए जाएंगे, परन्तु वर्ष 1988 के लिए 1-1-1988 से 31-3-1989 तक प्रकाशित या लिखी गई पुस्तकों पर और वर्ष 1989 के लिए 1-4-1989 से 31-12-1989 तक प्रकाशित या लिखी गई पुस्तकों पर पुरस्कार दिए जाएंगे।

पुरस्कार के लिए पात्रता :

(1) कौटिल्य पुरस्कार के लिए केवल भारतीय नागरिक पात्र होंगे।

(2) पुस्तक का लेखक ही कौटिल्य पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।

(3) पुस्तक योजना आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले तकनीकी विषय से संबंधित होनी चाहिए। इन विषयों में योजना के सामान्य पहलू और विभिन्न आर्थिक, सामाजिक या तकनीकी विकास के लिए बनने वाली योजनाएं शामिल हैं।

(4) पुस्तक, विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषण-युक्त होनी चाहिए। उपन्यास, कहानी, नाटक, आदि के रूप में लिखी गई रचना पुरस्कार की पात्र नहीं होगी।

(5) योजना आयोग में कार्यरत व्यक्ति इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(6) शासकीय हैसियत से और सरकारी कामकाज के भाग के रूप में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा लिखित पुस्तक पुरस्कार का पात्र नहीं होगी।

(7) भारत सरकार, किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, या केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सम्बद्ध किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्तशासी संस्था द्वारा लिखवाई गई पुस्तक पुरस्कार का पात्र नहीं होगी।

प्रविष्टि भेजने की विधि :

(1) प्रविष्टि विनियम के अन्त में दिए गए प्रपत्र में भेजी जाएगी।

(2) कौटिल्य पुरस्कार के लिए प्रविष्टि की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की पांच प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, जो वापिस नहीं की जाएंगी।

(3) एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकता है।

(4) प्रविष्टियां पहुंचने की अंतिम तारीख, जिस वर्ष के लिए प्रविष्टि भेजी जा रही है उसके अगले वर्ष की 31 मार्च होगी। 31 मार्च को सरकारी छुट्टी होने की दशा में इसके अगले कार्य दिवस में प्राप्त प्रविष्टियां स्वीकार्य होंगी।

परन्तु वर्ष 1988 के लिए प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख 30-6-1989 होगी।

(5) प्रविष्टियां निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं तथा विस्तृत जानकारी के लिए कृपया, सम्पर्क करें :—

सलाहकार (प्रशासन)
योजना आयोग
योजना भवन
संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य

अखिल भारतीय वानिकी साहित्य पुरस्कारों की घोषणा

देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान द्वारा अखिल भारतीय वानिकी साहित्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत 1988 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है।

ग्रंथ पुरस्कारों के अंतर्गत 5000/- रुपये का श्रेष्ठ लेखन पुरस्कार श्री अर्जुन प्रसाद द्विवेदी, भा. व. से. के ग्रंथ "भू-प्रबंध एवं भू संरक्षण" को प्रदान किया गया है। 3000/- रुपये का उत्तम लेखन पुरस्कार खंडवा म.प्र. के डा. मुंशी सिंह राणा, भा. व. से. के ग्रंथ "वन विस्तार के सिद्धांत" को दिया गया है तथा 1000/- रुपये का सराहनीय लेखन पुरस्कार नई दिल्ली के सुपरिचित लेखक श्री रामेश बेदी के ग्रंथ "जंगल की दुनिया" को दिया गया है।

लेख पुरस्कारों के अंतर्गत 500/- रुपये का श्रेष्ठ लेखन पुरस्कार श्री विजयराज सिंह रावत एवं श्रीमती लक्ष्मी रावत, देहरादून के लेख" वन विनाश भंयकर दुष्परिणाम एवं समाधान" को दिया गया है।

अन्य पुरस्कार विजेता लेख और उनके लेखक इस प्रकार हैं :—

350/- रुपये का उत्तम लेखन पुरस्कार लेख "भवनों में दीमक नियंत्रण" ने प्राप्त किया है जिसके लेखक डा. युद्धवीर सिंह, रूड़की हैं। 200 रुपये के सराहनीय लेखन पुरस्कार का विजेता लेख है—"लाख के लाखों उपयोग"। इसके लेखक रांची बिहार के श्री रामचन्द्र मौर्य एवं देहरादून के डा. राकेश कृष्ण सूरी हैं। 100/- रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार श्री बाबू राम वर्मा, देहरादून के लेख "मां रोटियां कैसे पकेगी" को को दिया गया है।

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून वानिकी विषयों मूलतः हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 1978 से अखिल भारतीय वानिकी साहित्य पुरस्कार योजना का संचालन कर रहा है। वर्तमान पुरस्कारों को मिला कर वन संस्थान ने अब तक 14 विभिन्न वानिकी ग्रंथों और 40 लेखों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया है।

हिन्दी अकादमी दिल्ली द्वारा हिन्दी विषय के 31 छात्र पुरस्कृत

दिल्ली के कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) श्री कुलानन्द भारतीय द्वारा हिन्दी अकादमी की ओर से आयोजित आज एक समारोह में 31 छात्रों को पुरस्कार भेंट किए गए। ये पुरस्कार 10वीं, 12वीं; बी.ए. (आनर्स) हिन्दी अंक प्राप्त करने के लिए भेंट किए गए। श्री भारतीय ने पुरस्कृत छात्रों को बधाई दी।

समारोह में दैनिक हिन्दुस्तान के सलाहकार संपादक श्री विनोद कुमार मिश्र विशिष्ट अतिथि थे। पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा—राष्ट्रभाषा हिन्दी का विकास हमारे देश, समाज, सभ्यता के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे छात्र जो हिन्दी में विशेष योग्यता और रुचि रखते हैं अभिनन्दनीय और बधाई के अधिकारी हैं। ऐसे छात्रों पर हिन्दी के प्रचार और प्रसार का एक विशेष दायित्व भी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की हिन्दी विभाग की अध्यक्ष प्रो. माजदा असद ने अपने विशिष्ट संबोधन में सभी छात्रों, उनके अध्यापकों और अभिभावकों को इस गौरवपूर्ण सम्मान के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे इसी प्रकार पूरी निष्ठा और लगन से हिन्दी की सेवा करते रहेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षाविद और समालोचक प्रो० विजयेन्द्र स्नातक तथा श्रीमती आशारानी व्होरा ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन अकदामी के सचिव डॉ. नारायण दत्त पालीवल ने किया। डॉ. पालीवाल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अकादमी की योजनाओं में बहुत बड़ी संख्या में छात्र और युवा भाग लेते हैं, जो हिन्दी के प्रति उनकी लगन और रुचि का द्योतक है।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन सचिवालय

राजभाषा शील्ड/पुरस्कार वितरण समारोह

कोई भी प्रशासन तब तक आम जनता की सेवा सही मायने में नहीं कर सकता, जब तक कि वह उसकी अपनी भाषा को व्यवहार में नहीं लाता। अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में हिन्दी सम्पर्क भाषा है। और साथ ही राजभाषा भी। प्रशासन में राजभाषा को प्रभावी ढंग से लागू करने में जो कठिनाइयां हो रही हैं, उसे प्रशासन का राजभाषा कक्ष दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए उक्त सचिवालय के सभाकक्ष में 22 फरवरी, 1989 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उन पुरस्कृत कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए जिन्होंने हिन्दी सप्ताह के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ाने में मदद की थी। राजभाषा पार्षद श्री आर. शान्तिकृष्ण समारोह के मुख्य अतिथि थे जिन्होंने सबसे अधिक काम हिन्दी में करने के लिए सचिवालय के विकास अनुभाग को राजभाषा शील्ड प्रदान की और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए। उन्होंने कहा कि हिन्दी देश की सम्पर्क भाषा है, जिसका राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है।

राजभाषा सचिव श्री ए.सी. खरे ने समारोह की अध्यक्षता की और कहा कि इस तरह के आयोजन से अन्य कर्मचारियों को भी इस दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा मिलेगी।

सचिवालय के हिन्दी अधिकारी श्री पुरुषोत्तम लाल वाशिष्ठ ने प्रशासन के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का जिक्र किया और बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जा रहा है।

समारोह में सचिवालय के विकास अनुभाग-एक को चल वैजयन्ती से सम्मानित किया गया। वर्ष 1987 और 1988 के लिए 12 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। खुशी की बात यह है कि इन 12 कर्मचारियों में से अधिकांश कमचारियों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है। पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों में विकास अनुभाग की श्रीमती शीला, वित्त अनुभाग के श्री अहमद, परिवहन अनुभाग की कुमारी नीति सुन्दरी और कुमारी स्वाति सेनगुप्ता, सतर्कता एकक के श्री काशीनाथ, सांख्यिकीय कक्ष के श्री अलवी, मुख्य सचिव की निजी शाखा की श्रीमती ऊषा रवि और श्री सी. सुरेन्द्रन, श्रीमती दानम्मा, श्रीमती शीला रानी और स्वर्गीय श्रीमती विजय लक्ष्मी शामिल हैं।

कार्यक्रम के आरम्भ में सहायक हिन्दी अधिकारी कु० विश्ववाणी बनर्जी ने सभी का स्वागत किया और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री पी. टी. चाको के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह समाप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन श्री आनन्द बल्लभ शर्मा 'सरोज' वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने किया।

भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद

चल वैजयन्ती शील्ड प्रतियोगिता

अहमदाबाद में हिन्दी परिषद भारतीय रिजर्व बैंक कार्य कर रही है। उक्त संस्थान अहमदाबाद में स्थित विभिन्न बैंकों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर अलग अलग बैंकों के संयोजन में हिन्दी से संबंधित विविध कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उक्त संस्थान ने वर्ष 1989 में अंतर बैंक हिन्दी प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन करने हेतु हमें प्रस्ताव किया था। उक्त संस्थान द्वारा "हिन्दी परिषद भारतीय रिजर्व बैंक चल वैजयन्ती शील्ड" भी स्थापित की गई है जिसे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता बैंक को प्रदान की जाती है जबकि प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को पुरस्कार के रूप में प्रमाणपत्र नगद राशि आयोजक बैंक द्वारा दी जाती है।

पंजाब नेशनल बैंक के संयोजन में आयोजित अंतर बैंक हिन्दी प्रश्नमंच प्रतियोगिता में कुल 13 बैंकों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी जिसमें से 12 टीमों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में कुल 4 वर्ग में प्रश्न रखे गए थे अर्थात् हिन्दी शब्दों के (1) समानार्थी हिन्दी शब्द (2) अंग्रेजी शब्दों के समानार्थी हिन्दी शब्द, (3) अंग्रेजी वाक्यांशों के हिन्दी रूपांतर और (4) सामान्य ज्ञान के प्रश्न। प्रश्न दो दौर में पूछे गए थे।

अन्य बैंकों की टीमों को मिले अंकों की तुलना में कहीं ज्यादा अंक पंजाब नेशनल बैंक की टीम अर्जित कर प्रथम स्थान पर रही। द्वितीय स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक और तृतीय स्थान पर यूनियन बैंक आफ इंडिया रही। मुख्य अतिथि एवं प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद कु. आई.टी. वाज ने हिन्दी परिषद भारतीय रिजर्व बैंक चल वैजयन्ती शील्ड प्रदान कर दल के सदस्यों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में अध्यक्ष एवं सहायक महाप्रबंधक श्री के.एन. पृथ्वीराज ने उपस्थित समस्त बैंक कर्मियों/वरिष्ठ अधिकारियों/राजभाषा अधिकारियों का स्वागत करते हुए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हिन्दी के प्रयोग के बारे में उठाए जा रहे कदमों और मिली सफलताओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि कु. आई.टी. वाज ने बैंक द्वारा हिन्दी के प्रभावी प्रयोग के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अन्य बैंकों के लिए भी इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर हिन्दी के प्रयोग के लिए अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करने की सीख दी। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त दर्शकों ने इसकी मुक्तकंठ से सराहना की। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्र के राजभाषा अधिकारी श्री सी.एम. वणकर ने किया जबकि प्रश्नमंच संचालन सर्वश्री सूरज प्रकाश सहायक राजभाषा अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक अहमदाबाद श्री नानकराम टेकवाणी प्रभारी अधिकारी रा.क. कैन्टोनमेन्ट अहमदाबाद और श्री रामलाल गौड़ मानदमंत्री हिन्दी परिषद भारतीय रिजर्व बैंक ने संयुक्त रूप से किया।

भारत हैवी प्लेट वेसल्स लि., विशाखापट्टणम्, को राजभाषा शील्ड

भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड विशाखापटनम में हिन्दी का प्रयोग प्रगति पथ पर है, बी.एच.पी.वी. को अपनी कंपनी में हिन्दी भाषा के प्रयोग की प्रगति के लिए सफल प्रयास के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने प्रशंसा करते हुए पुरस्कार के रूप में 'राजभाषा शील्ड प्रदान की।" श्री रामचन्द्र मिश्र, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय बेंगलूर ने श्री वी. आर. सुब्रह्मण्यम, उप महा प्रबन्धक (मा.सं.) को राजभाषा शील्ड तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किया। मंडल रेल प्रबन्धक

की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने विशाखापटनम के विभिन्न सरकारी उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कार्य का मूल्यांकन किया। बी एच पी.वी में कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण का आयोजन कंपनी की ओर से ही सक्षम रूप से किया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों तथा कर्मचारियों के हिन्दी में पत्राचार करने का प्रशिक्षण देने में काफी प्रगति हुई है। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रबोध प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को रु. 150 से रुपये 400 तक नकद पुरस्कार दिए गए।

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए हिन्दी में विभिन्न प्रतियोगिताएं चलाई। हिन्दी सप्ताह/हिन्दी दिवस, राजभाषा प्रदर्शनियां आयोजित की। "क" एवं "ख" क्षेत्रों से 10 प्रतिशत से बढ़कर मौलिक हिन्दी पत्राचार परिपत्र सामान्य आदेश आदि हिन्दी में जारी करना आदि कार्य वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार बी एच पी वी ने सफलतापूर्वक निपटाया है। गृह पत्रिका एवं बी.एच.पी.वी. वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी में छपवाई गई। प्रबन्ध निदेशक के मासिक सूचना पत्र हिन्दी में छपवाए जाते हैं। कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयय समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से होती हैं। श्री रामचन्द्र मिश्र ने कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा की उन्नति के लिए वी एच पी वी, विशाखापटनम द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। डा. जी. पद्मजा देवी, राजभाषा अधिकारी ने वी एच पी वी में हिन्दी के कार्यान्वयन में हुई प्रउति की निपोर्ट पढ़ी और धन्यवाद ज्ञापित किया।

भारतीय कपास निगम लि. बम्बई में राजभाषा शील्ड पुरस्कार वितरण

भारतीय कपास निगम के बम्बई स्थित मुख्यालय के विभिन्न विभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1986 से "राजभाषा चल शील्ड" पुरस्कार देने की योजना शुरू की है।

यह शील्ड दो तिमाहियों से सर्वाधिक कार्य हिन्दी में करने वाले विभाग को दी जाती है। गत छः माह की अवधि के कार्य के लिए मुख्यालय के लेखा विभाग से केन्द्रीय लेखा अनुभाग को शील्ड पुरस्कार के लिए चुना गया। दिनांक 20-1-89 को आयोजित समारोह में श्री शंभु दयाल, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग उपस्थित थे। विभाग की ओर से यह शील्ड श्री सु० प० पाठक, उप प्रबन्धक (लेखा) ने श्री शभु दयाल, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग से "राजभाषा शील्ड" प्राप्त की।

मुख्यालय की भांति निगम की शाखाओं की भी "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में बांटते हुए राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता रखी गई थी। गत छः माह की अवधि में हिन्दी में सर्वाधिक कार्य के लिए "क" क्षेत्र में सिरसा, "ख" क्षेत्र में अहमदाबाद तथा "क" क्षेत्र में गुंतुर को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई है।

भारतीय कपास निगम लि. इंदौर

शाखा कार्यालय, इंदौर (म० प्र०) में दिनांक 1 मार्च, 1989 को "हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह" का आयोजन किया गया। इस की अध्यक्षता श्री दिगेन्द्र सिंह, महा प्रबंधक (मध्य क्षेत्र), समारोह का संचालन श्री वीरेन्द्र चन्द्र शुक्ल, हिन्दी अनुवादक ने किया।

प्रारम्भ में महाप्रबंधक ने राजभाषा हिन्दी के महत्व को समझाते हुए सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अधिकांश कार्य हिन्दी में करने को प्रेरित किया। तत्पश्चात् निम्नलिखित कर्मचारियों को हिन्दी कार्य के लिए पुरस्कार वितरित किए गए।

हिन्दी टिप्पण/आलेखन

1. श्री राजेन्द्र कुमार जैन, क० स० (लेखा)—प्रथम	450 रुपये नकद
2. श्री रविन्द्र तिवारी, क० स० (लेखा)—द्वितीय	250 रुपये नकद.
3. श्री राजेन्द्र कुमार जैन, क० स० (लेखा)—प्रथम	251 रुपये नकद.
4. श्री रविन्द्र तिवारी, क० स० (लेखा)—द्वितीय	175 रुपये नकद.
5. श्री रामप्रताप, व० स० (सामान्य)—तृतीय	71 रुपये नकद.

हिंदी भाषण प्रतियोगिता

1. श्रीमती ललिता सेंगर, हिन्दी आशु टंकक—प्रथम	51 रु० का उपहार
2. श्री प्रकाश देशमुख, व० स० (लेखा)—द्वितीय	31 रु० का उपहार
3. श्री श्यामबाबू चौहान, सहा० (लेखा)—तृतीय	21 रु० का उपहार
4. श्री रामप्रताप, व० सहा० (सा०) सांत्वना	11 रु० का उपहार

वर्ष 1988 में हिंदी टिप्पण/आलेखन में सराहनीय कार्य हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार :—

1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल, सहायक (लेखा)	11 रुपये का उपहार
2. श्री मुकेश कुमार आंचलिया, सहायक (लेखा)	11 रुपये का उपहार
3. श्री राजेन्द्र कुमार सिंघल, सहायक (लेखा)	11 रुपये का उपहार
4. श्री पारसमल जैन, कनिष्ठ सहायक (लेखा)	11 रुपये का उपहार

आयकर विभाग, कानपुर में हिंदी पुरस्कार समारोह

26 जनवरी, 1989 को गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात् आयकर भवन के विशाल प्रांगण में हिन्दी टिप्पणन एवं आलेखन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत सफल घोषित प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार आयकर आयुक्त श्री जी० सी० अग्रवाल द्वारा प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत रु० 400/– के दो प्रथम पुरूस्कार श्री उदय नारायण शुक्ला, कर सहायक एवं श्री गोबिन्द सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक को, रू० 200/– के तीन द्वितीय पुरस्कार श्री धनी राम, पर्यवेक्षक श्री जहीर उद्दीन सिद्दीकी, प्रवर श्रेणी लिपिके तथा श्री देवी शंकर शर्मा, प्रवर श्रेणी लिपिक को तथा रू० 150/–– के दो तृतीय पुरूस्कार श्री सुरेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव एवं श्री के० एन० श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। इस अवसर पर आयकर आयुक्त श्री जी० सी० अग्रवाल ने सभी अधिकारियों एवं कमचारियों का आहवान किया कि वे गणतन्त्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर यह संकल्प लें कि हम अपनी राष्ट्रीय गरिमा एवं गौरव को बढ़ाने वाली अपनी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ायेंगे तथा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करेंगे। इस अवसर पर आयकर आयुक्त (अपील) श्री एन० के० जैन द्वारा आयकर आयुक्त श्री अग्रवाल साहब को वर्तमान वर्ष 1988–89 में हिन्दी समारोहों में लिए गए चित्रों की एक एलबम भी भेंट की गयी। समारोह में उन 22 आयकर सहायक आयुक्तों को प्रमाणपत्र भी दिए गए जिन्होंने वर्ष की दूसरी हिन्दी कार्यशाला में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988–89 में आयकर कानपुर द्वारा 3 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। समारोह का संचालन श्री जय प्रकाश हिलोरी, आयकर उप आयुक्त (अपील) तथा धन्य वाद श्री विश्वनाथ प्रसाद कैलपुरी, हिन्दी अनुवादक द्वारा किया गया

पर्यटन विभाग

पुस्तक लेखन पुरस्कार वितरण समारोह

पर्यटन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की छठी बैठक दिनांक 30-3-1989 को पर्यटन राज्य मंत्री श्री शिवराज पाटील की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस में संसद सदस्यों तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। हिन्दी के कामकाज में हुई प्रगति के बारे में महानिदेशक (पर्यटन) श्री बसंत कुमार गोस्वामी ने बताया कि पर्यटन विभाग ने पिछली बैठकों में "क" और "ख" क्षेत्र को भेजे जाने वाले मूल पत्रों संबंधी 50% का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह लगभग प्राप्त कर लिया गया है। इस विभाग द्वारा "राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार" योजना के नाम से पुरस्कार योजना चालू की गई थी। इस योजना में वर्ष 1988–89 के लिए पर्यटन संबंधी पुस्तक पर दो पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। प्रथम पुरस्कार के लिए किसी भी पुस्तक को उपयुक्त नहीं पाया गया किन्तु द्वितीय पुरस्कार (8000 रु.) "तपोवन से स्वर्गारोहण तक" पुस्तक पर श्री प्रेम लाल भट्ट निदेशक, डाक तार विभाग को तथा तृतीय पुरस्कार (5000रु.) श्री शशिभूषण सिन्हा कों उनकी पांडुलिपि "भारतीय वन्य जीवन पर्यटन के आईने से" को मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। बैठक में पर्यटन विभाग द्वारा हिन्दी में तैयार की गई एक लघु फिल्म "दक्षिण भारत में वन्य जीवन' भी सदस्यों को दिखाई गई इस बैठक में राजभाषा सचिव श्री आर. के. शर्मा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

हिंदी के लेखक-कवि-सम्मानित एवं पुरस्कृत

हिन्दी आकादमी, दिल्ली द्वारा आयोजित एक समारोह में वर्ष 86–87 के लिए हिन्दी के 14 लेखकों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत लेखकों को बधाई देते हुए श्री जगप्रवेश चन्द्र मुख्य कार्यकारी पार्षद ने कहा "देश और समाज में लेखक का गोरवपूर्ण स्थान है। वह अपने चिन्तन-मनन और सृजन से देश और समाज का मार्ग निर्देश करताहै। एसे लेखकों को पुरस्कृत कर वास्तव में हम उनकी सेवाओं का सम्मान करते हैं।" समारोह में विशिष्ट अतिथि कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) श्री कुलानन्द भारतीय ने लेखकों के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए कहा लेखक कलम और संकल्प का धनी होता है। वह अपने संकल्प के द्वारा सदैव औरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इस दृष्टि से लेखक का कार्य स्तुल्य और अभिनन्दनीय है। यह समारोह हिन्दी के वरिष्ठ लेखक और पत्रकार श्री अक्ष्य कुमार जैन के सान्निध्य में आयोजित हुआ। श्री अक्षय कुमार जैन ने लेखक को एक साधक की संज्ञा दी। कार्यक्रम की

अध्यक्षता हिन्दी के सुप्रसिद्ध समालोचनक प्रो. विजयेन्द्र स्नातक ने की। श्री स्नातक ने लेखक के कर्तव्य और दायित्व की ओर इशारा करते हुए कहा–लेखक नव जागरण और नव चेतना का संदेशवाहक होता है। युग परिवर्तन में लेखक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए हिन्दी अकादमी के सचिव डा. नारायणदत्त पालीवाल ने सभी पुरस्कृत लेखकों, अतिथियों और अन्य के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। अकादमी द्वारा पुरस्कृत लेखकों के परिचय की प्रकाशित स्मारिका में डॉ. पालीवाल ने लेखकों के प्रति अभिनन्दन भी पढ़ा। डॉ. पालीवाल ने कहा कि अकादमी का पुरस्कार स्वीकार करके सभी लेखकों और महानुभावों ने अकादमी को ही गौरवान्वित किया है।

इन पुरस्कृत लेखकों में कहानी संग्रह के लिए श्रीमती चित्रा मुद्गल (इस हमाम में) श्री राजकुमार गौतम (आधी छुट्टी का इतिहास) श्री रमेश गुप्त (बैसाखियों पर टिका ईमान) श्री धर्मेन्द्र गुप्त (कोमी तमाचा) कविता संग्रह के लिए डॉ. श्रीमती स्नेहमयी चौधरी (चौतरफा लड़ाई) श्री सुखबीर सिंह (अनन्तर), उपन्यास के लिए श्री हंसराज रहबर (दिशाहीन), श्री प्रेम लाल भट्ट (द्रोणाचार्य की पराजय) श्री विद्याभूषण, श्री रश्मि (दिव्यधाम) तथा अन्य विविध विषय में श्री भगवान सिंह (हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य) श्री रामफल सिंह (हिन्दू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का इतिहास) डा. कृष्णदत्त पालीवाल (मैथिलीशरण गुप्त : प्रासंगिकता के अन्तः सूत्र) डॉ. बलदेव वंशी (समकालीन कविता : वैचारिक आयाम) डा. मनोहर लाल (हिमाचल प्रदेश के ब्रज कवि) सम्मिलित हैं। लेखकों को पुरस्कार स्वरूप 7000/– रुपये की राशि का चैक तथा अकादमी का एक प्रतीक चिह्न भेंट किया गया।

हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा आयोजित आज एक समारोह में वर्ष 86-87 के लिए हिन्दी के 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया।

सम्मानित साहित्यकारों में शलाका सम्मान डॉ. रामविलाश शर्मा, हिन्दी साहित्य सेवा सम्मान डॉ. दशरथ ओझा, श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा 'भिक्षु', श्री मनोहर श्याम जोशी व श्रीमती राजी सेठ, राष्ट्रभाषा सेवा एवं प्रचार-प्रसार सम्मान प्रो. महेन्द्र चतुर्वेदी व श्री नवी नूर अब्बासी, हिन्दी पत्रकारिता सेवा सम्मान श्री शोभा लाल गुप्त व श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी को मिला। शलाका सम्मान की राशि 51,000/- रुपये है जब कि अन्य सम्मानों की राशि 15,000/- रुपये है। राशि के अतिरिक्त सम्मान स्वरूप साहित्यकारों को शाल, प्रशस्ति-पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। डॉ. रामविलाश शर्मा द्वारा शलाका सम्मान की राशि साक्षरता प्रसार समिति गठित करके उसे देने का सुझाव और परामर्श दिया गया है।

51 युवा लेखक और कवि पुरस्कृत

हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा आयोजित दिनांक 30 मार्च, 1989 को एक समारोह में 51 युवा लेखकों और कवियों को पुरस्कार भेंट किए गए।

यह प्रतियोगिता दो वर्गों में विभाजित थी। वर्ग एक 1–20 आयु वर्ग तक के लेखकों और कवियों के लिए तथा वर्ग दो 21–30 आयु वर्ग तक के लेखकों और कवियों के लिए था। वर्ग एक में पुरस्कार पाने वाले सर्व श्री विरेन्द्र पाल सिंह राणा, राजेश डबराल, सुमन लता, आभा अग्निहोत्री, कृष्ण मोहन झा, देवकरण, प्रतिभा कथूरिया, नीरज चौहान, चन्द्रकला पंत, वीरेन्द्र कुमार, अनीस रॉयल, संजीव गुप्ता, सत्येन्द्र कुमार गुप्त, अर्चना, मनीषा कथूरिया, मोनिका जोशी, नीलू कुमार पाठक, राकेश रावत 'पथिक', मनोज कुमार पाण्डेय को पुरस्कार मिला जब कि वर्ग दो में सुश्री कुलदीप कौर, प्रज्ञा वाशिष्ठ, सरिता सक्सेना, अपर्णा वशिष्ठ, धर्मवीर सिंह, शिवदत्त तिवारी, संध्या मजूमदार, हरजीत कौर, उमेश कुमार, शंकर लाल मेहरा, सुनील कुमार, जगदीश कुमार, अनिल कुमार शर्मा, ओम निश्चल, अनुभूति, रजनी मल्होत्रा 'राही', रवीन्द्र कुमार, अवनीश त्रिवेदी, भुवन चन्द्र तिवारी, रचना सक्सेना, अनिल प्रियदर्शी, अनीताशाही मानकटाला, बेद प्रकाश, भूषण कुमार, नीना 'सहर', सुधा शर्मा, जितेन 'कोही', परविन्दर कौर, कलाधर कौशिक, उर्मिला त्यागी, मुकेश जैन 'नीर', व राकेश वार्ष्णेय को पुरस्कार मिला। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 2100/- रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1500/- रुपये और प्रोत्साहन पुरस्कार 500/- रुपये का है। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त पुरस्कृत लेखकों और कवियों को प्रशस्ति-पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। यह उल्लेखनीय है कि अकादमी द्वारा पुरस्कृत लेखकों और कवियों की संकलन पुस्तक 'उगती किरणें' नाम से प्रकाशित की जाती हैं। कार्यक्रम के प्रारम्भ और अन्त में श्री आर.डी. सक्सेना के निर्देशन में 'संगीतायन' की ओर से वृन्दगान कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

(पृष्ठ 100 का शेष)

समस्त 89 स्टेशनों के स्टेशन संचालन नियम भी द्विभाषा में जारी कर दिये गये हैं। पास, पीटोओ आदि हिंदी में बन रहे हैं, सर्विसशीटों में व अधिकांश रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही हैं। बैठकों का कार्यवृत्त हिंदी में बन रहा है और समस्त विभागीय प्रश्न-पत्र द्विभाषा में बनाये जा रहे हैं और हिंदी माध्यम के विकल्प का उल्लेख भी किया जा रहा है।

अधिकांश स्टेशन मास्टर अपनी चार्ज रिपोर्ट हिंदी में भर रहे हैं तथा पार्सल कार्यालय एवं मालगोदाम में पार्सल रसीदें, मनी रसीदें, माल रसीदें एवं ई.एफ.टी. आदि में भी हिंदी का प्रयोग काफी बढ़ा है, इसको और बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं? मंडल रेल प्रबंधक/अपर मंडल रेल प्रबंधक तथा अन्य विभागीय अधिकारीगण भी निरीक्षण कर रहे हैं।

प्रेरणा पुंज

श्री कुरूप का राजभाषा प्रेम

श्री जी.बी. कुरुप, इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली में प्रबंधक (कार्मिक) के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनकी मातृ-भाषा मलयालम है। इन्होंने मैट्रिक स्तर तक हिन्दी पढ़ी है। इनका हिन्दी के प्रति लगाव शुरू से ही रहा है। वह स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज में भी हिन्दी के प्रति आकर्षित रहे। उन्होंने नौकरी की शुरुआत आशुलिपिक के पद पर 1969 में शुरू की थी और बहुमुखी प्रतिभा की वजह से आज प्रबंधक के पद पर आसीन हैं। श्री कुरुप व्याकरण की पेचीदगियों की परवाह न करते हुए, आम-फहम बोलचाल की भाषा में काफी कुछ टिप्पणियां हिन्दी में लिखते हैं। इनकी टिप्पणियां तीन-तीन पृष्ठों की होती हैं और बेझिझक नदी की बहती हुई स्वच्छ धारा की तरह बिना किसी रुकावट के इनकी हिन्दी में टिप्पणियां आगे बढ़ती जा हैं। दरअसल इनके मन में राजभाषा हिन्दी के प्रति हृदय से लगाव है और हिन्दी की महत्ता को समझते हुए वह अपने कर्त्तव्य का निर्वाह भली भांति कर रहे हैं। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणियों के अलावा उनके विभाग से काफी पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। श्री कुरुप कम्पनी में आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और लगभग सभी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हुए हैं। हिन्दी सप्ताह के दौरान सबसे अधिक हिन्दी में काम करने के लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, राजभाषा हिन्दी में प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें कम्पनी के मैनेजमेंट से प्रशंसापत्र भी मिला है। सच में श्री कुरुप एक कर्मठ व्यक्ति हैं।

तमिल और मलयालम मातृभाषी अधिकारियों द्वारा हिंदी में प्रशिक्षण

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली द्वारा जनवरी 1988 में आयोजित विभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न अधिकारियों ने सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग संबंधी विषयों पर व्याख्यान दिए। इसी क्रम में निम्नलिखित दो अधिकारियों ने हिंदी में व्याख्यान देकर एक मिसाल प्रस्तुत की।

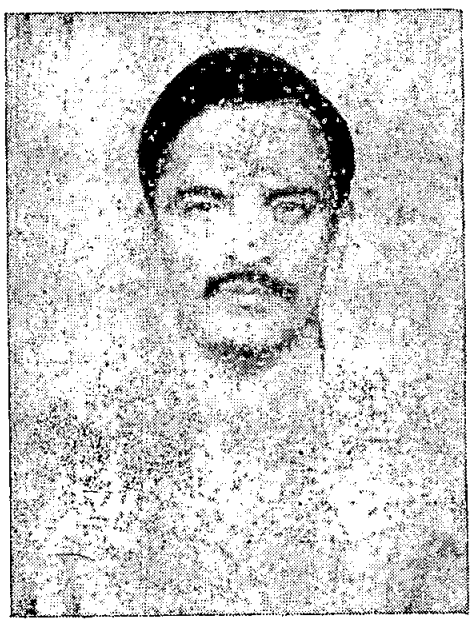

	व्याख्यान का विषय
श्री एम.एम. नायर स. भविष्य निधि आयुक्त (मातृभाषा मलयालम)	1. यात्रा भत्ता नियम 2. बजट, योजना तैयार करना तथा नियंत्रण 3. आंतरिक/पूर्व एवं वैधानिक लेखा परीक्षा

श्री बी. राजा
स. भविष्य निधि आयुक्त
(मातृभाषा तमिल)

1. अभियोजन पद्धति
2. क्षतिपूर्ति

इन दोनों अधिकारियों को स्तुत्य प्रयास के लिए हार्दिक बधाई।

अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र, बेंगलूर

बेंगलूर में स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र के 13वें सत्र का समापन समारोह दिनांक 30-12-88 को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभा कक्ष में हुआ। इस अवसर पर जनगणना निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्री नरसिंह मूर्ति मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। श्री मूर्ति ने कहा कि हिन्दी के विकास में यह एक अमूल्य योगदान है।

इस सत्र में 23 प्रशिक्षणार्थियों ने अनुवाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस सत्र में उत्कृष्ट श्रेणी में 13, बहुत अच्छा की श्रेणी में 5 और अच्छा की श्रेणी में 5 प्रशिक्षणार्थी आए। लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदरावाद के श्री नरेश कुमार श्रीवास्तव को परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के कारण रजत पदक प्रदान किया गया और राष्ट्रीय केडिट कोर, मद्रास के श्री शांतिकुमार को कांस्य पदक प्रदान किया गया।

अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र के (प्रभारी) संयुक्त निदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र ने अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रशिक्षणार्थियों को सलाह दी कि वे अनुवाद के साथ-साथ हिन्दी के कार्यान्वियन को भी देखें और अपने प्रयास से कार्यालय में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाएं।

श्री जैकब थामस ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए और ऐसे प्रशिक्षण का सदुपयोग अपने कार्यालयों में करें।

समाचार दर्शन

नेहरू शताब्दी विशेषांक प्रधानमंत्री जी को भेंट

वाराणसी—पं. जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत वाराणसी से प्रकाशित 'नेहरू एवं प्रियदर्शनी' (नेहरू शताब्दी विशेषांक) का विमोचन महामहिम उपराष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के कर कमलों द्वारा 15 अप्रैल, 1989 को वाराणसी में सम्पन्न हुआ।

उस की विशेष प्रति प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को संपादक श्री हरिहरलाल श्रीवास्तव ने 20 अप्रैल, को नई दिल्ली में उनके आवास पर एक समूह के साथ मिलकर भेंट की, साथ ही श्री श्रीवास्तव की लिखी पुस्तकें क्रमशः "कर्मवीर: लाल बहादुर शास्त्री" एवं "विश्व की अनुकरणीय नारी: श्रीमती इन्दिरा गांधी" की प्रति भी लेखक ने प्रधानमंत्री को समर्पित की ?

इस अवसर पर सांसद एवं प्रधान सम्पादक श्रीमती वीणा वर्मा भी उपस्थित थीं।

□

अंग्रेजी स्कूलों को अब अनुदान नहीं मिलेगा

बम्बई—कक्षा पहली से चौथी तक के अंग्रेजी भाषा में चलने वाली स्कूलों को आगे अनुदान नहीं दिया जाएगा। ऐसा निर्णय महाराष्ट्र शासन ने लिया है। भविष्य में खुलने वाली अंग्रेजी माध्यम की नई शालाओं को अनुदान नहीं दिया जाएगा परन्तु विद्यमान शालाओं का अनुदान शुरु ही रहेगा।

(नागपुर पत्रिका 10-4-89)

हिन्दी और संस्कृत को विश्व में स्थान दिलाऊंगा

संस्कृत के प्रकांड विद्वान तथा गीता सन्देश पत्रिका के सम्पादक महामण्डलेश्वर स्वामी वेदव्यासानन्द सरस्वती का कहना है कि संस्कृत और हिन्दी सरल और मृदुल भाषा है। इसे सीखो और संसार में जन-जन को सिखाओ यही मेरा मिशन है। मैं हिन्दी और संस्कृत को विश्व में स्थान दिलाकर ही रहूंगा। स्वामीजी ने अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस तथा अरब देश में जाकर हिन्दी और संस्कृत का प्रचार किया है।

(ब्लिट्ज---20-4-88)

□

हिन्दी में तार भेजना कम खर्चीला है।

बम्बई व उपनगरों में स्थित सभी तार कार्यालयों में देवनागरी तार सेवा उपलब्ध है। अतः जिस भी व्यक्ति को हिन्दी में तार देने में असुविधा हो या तारघर के कर्मचारी निरुत्साहित करते हों या हिन्दी में तार स्वीकार न करते हों शिकायत मिलने पर उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिन्दी में तार देने पर अंग्रेजी तार की अपेक्षा कम खर्च होता है और राष्ट्रभाषा हिन्दी को उचित सम्मान मिलता है

हैं (नवभारत टाइम्स---15 4-89)

□

हिन्दी विद्यापीठ

विदेशियों द्वारा हिन्दी के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व हिन्दी विद्यापीठ स्थापित करने सम्बन्धी विधेयक के मसौदे का अध्ययय किया जा रहा है। शिक्षा राज्य-मन्त्री श्री ललितेश्वर प्रसाद साही ने राज्यसभा में लालकृष्ण आडवानी को एक लिखित उत्तर में बताया कि विद्यापीठ की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है।

(नवभारत टाइम्स---30-3-89)

□

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास

भारतीय भाषाओं में कंप्यूटरों द्वारा शब्द संसाधन करें।

उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद के कुलसचिव श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुझाया कि वे अपने काम में स्फूर्ति और सुंदरता लाने के लिए कम्प्यूटरों की सहायता से भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन (wrod) (processing) करें। वे संस्थान के कम्प्यूटर केन्द्र में चलाए जाने वाले अंशकालीन स्नातकोत्तर कम्प्यूटर विज्ञान और शब्द संसाधन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम दल के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे।

यह सर्वविदित है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास एक सुप्रसिद्ध स्वैच्छिक हिन्दी संस्था है जिसकी स्थापना हिन्दीतर-भाषी प्रांतों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सन् 1918 में हुई थी। सभा सन् 1964 के संसदीय अधिनियम 14-द्वारा "राष्ट्रीय महत्व की संस्था" घोषित की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालयों के ही समान कोई भी पाठ्यक्रम चलाने और उस संबंध में सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा के प्रबंध के अंतर्गत "स्नातकोत्तर और शोध संस्थान" की स्थापना सन् 1964 में मद्रास में और सन् 1978 में हैदराबाद में की गयी थी। इन दोनों संस्थानों में हिन्दी में एम. ए., एम. फिल., पी. एच. डी. और डी. लिट् पाठ्यक्रमों के लिए प्रावधान है।

देश में विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण की बढ़ती आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए सभा के स्नातकोत्तर और शोध संस्थान के तत्त्वाधान में शैक्षिक वर्ष 1985-86 के दौरान दो कम्प्यूटर केन्द्र हैदराबाद और मद्रास नगरों में स्थापित किए गए। **इन दोनों केन्द्रों में कम्प्यूटर विज्ञान और शब्द संसाधन में पूर्णकालीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा कम्प्यूटर प्रोग्रामन: अवधारणा और अनुप्रयोग** COMPUTER PROGRAMME : CONCEPT AND APPLICATION **बेसिक भाषा, बहुभाषिक शब्द संसाधन** (MULTILINGUAL WORD PROCESSING) **एवं डाटा प्रविष्टि हेतु आपरेशन** DATA ENTERY OPERATION **में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये। ये सभी पाठ्यक्रम हिंदी के माध्यम से चलाए जाते हैं। इन में से डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के कार्य में लगे अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।**

हैदराबाद और सिकन्दराबाद के नगरद्वय में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्यूटर शिक्षित बनने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त, 1987 से कम्प्यूटर केन्द्र, हैदराबाद में कम्प्यूटर विज्ञान और शब्द संसाधन में अंशकालीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह पाठ्यक्रम डेढ़ वर्ष का है, जोकि तीन सत्रों में विभाजित है। इस पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित अन्य विषयों के साथ-साथ तीन कम्प्यूटर भाषाओं, अर्थात् बेसिक, पास्कल और कोबाल तथा तीन भारतीय भाषाओं, अर्थात् प्रांतीय भाषा (तेलुगु), हिन्दी और अंग्रेजी में शब्द संसाधन शामिल हैं।

कार्यक्रम के संयोजक डा. वाई. एन. राव ने अतिथियों, संकाय सदस्यों तथा आमंत्रितों का स्वागत किया। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (आंध्रा) की सचिव कुमारी एस. टी. वसंता ने समारोह की अध्यक्षता की। डा. वाई० एन. राव ने अपने भाषण में कहा कि संस्थान में चालू शैक्षिक वर्ष से कंप्यूटर विज्ञान में एम. सी. ए. उपाधि पाठ्यक्रम के शुभारंभ का स्वागत करते हुए उन्होंने कुल सचिव से अनुरोध किया कि वे इस पाठ्यक्रम को अंशकालीन पाठ्यक्रम के रूप में भी चलाने की व्यवस्था कर दिन में विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पक्ष के सफल मार्गदर्शन का श्रेय प्राध्यापक श्री रवींद्र शर्मा को ही जाता है, तो प्रयोगिक पक्ष के दिशा-दिग्दर्शन का श्रेय श्री जी. दयानंद को। पाठ्यक्रम के अन्य प्रशिक्षणार्थी सर्वश्री यू. मल्लेश्वर राव, पी. शंकर राव, के. जी. गोविंद सिंग और के. डी. वी. प्रसाद ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए।

मुख्य अतिथि और संस्थान के कुलसचिव श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा ने कहा कि अंशकालीय एम. सी. ए. पाठ्यक्रम चलाने के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों के सुझाव पर हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बाद में संकाय सदस्यों तथा प्रशिक्षणार्थियों को स्मृति चिह्न प्रदान किए। कार्यक्रम की अध्यक्षा कुमारी एस. टी. वसंता ने प्रशिक्षणार्थियों को सुझाया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में उपयोग के लिए उपयुक्त कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का प्रयास करें। डा. वाई. एन. राव के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समारोह समाप्त हुआ। □

अन्तःबैंक हिन्दी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन

पंजाब नैशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में दिनांक 28 जनवरी, 1989 को अन्त बैंक हिन्दी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में अहमदाबाद में स्थित समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी टंकण का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

उक्त कार्यक्रम को दो वर्गों में रखा गया था अर्थात् "क" वर्ग और "ख" वर्ग। क वर्ग में ऐसे टंकक थे जो विभिन्न बैंकों में स्थापित राजभाषा कक्षों में नियमित रूप से हिन्दी टंकक के रूप में कार्यरत थे जबकि "ख" वर्ग में उन टंककों को रखा गया था जो राजभाषा कक्ष के अलावा अन्य स्थानों/कार्यक्रमों में तैनात थे। कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ग में 15-15 कर्मचारियों ने भाग लिया।

उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र के सहायक महाप्रबंधक श्री प्रेमशंकर अस्थाना ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देना बैंक, गुजरात सर्कल, अहमदाबाद के उपमहाप्रबंधक श्री चन्द्रकान्त तिलवे थे। कार्यक्रम में क्षेत्र के सहायक महाप्रबंधक श्री के. एन. पृथ्वीराज भी आमंत्रित थे।

इसके पश्चात् बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री प्रेमशंकर अस्थाना ने बताया कि बैंकिंग उद्योग में आये परिवर्तन को देखते हुए हमें अब हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। गुजरात जैसे प्रान्त में हिन्दी प्रयोग का अच्छा वातावरण बन रहा है। हमें इस कार्य में अर्घ्य देकर इसे और आगे बढ़ाना है। इन्होंने अपेक्षा की कि इस कार्यक्रम से आगे चलकर अन्य बैंकों में भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर नूतन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नई प्रणाली बनेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक बैंक—देना बैंक के गुजरात सर्कल के उपमहाप्रबंधक श्री चन्द्रकान्त तिलवे ने अपने संबोधन भाषण में इस कार्यक्रम के आयोजन से विभिन्न बैंकों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिलने की आशा व्यक्त की। उन्होंने इस अवसर पर पंजाब नैशनल बैंक द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के प्रभाव क्रियान्वयन कार्यों की सराहना की।

उक्त प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, हिन्दी शिक्षण योजना, अहमदाबाद के सहायक निदेशक श्री सोनेलाल कोल की सेवाएं सहर्ष प्राप्त हुई। □

कार्यक्रम का संचालन/संयोजन क्षेत्र के राजभाषा अधिकारी श्री सी. एम. वणकर ने किया।

स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी

नई दिल्ली 30 जनवरी, 89। हमारा देश विभिन्न जातियों, बोलियों, धर्मों और सम्प्रदायों का देश है। किन्तु इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी हम सदियों से एक रहे हैं। देश की परतंत्रता के समय पूरे देश ने कन्धे से कन्धा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्र के स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिन्दी ने सारे देश को एकता के सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय स्वाभिमान की चेतना दी। स्वतंत्रता आन्दोलन में सभी नेताओं, समाजसुधारकों, सन्तों फकीरों, कवियों, लेखकों और साहित्यकारों ने हिन्दी को देश की जन-मानस की भाषा बनाकर अपना सन्देश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल आदि सभी नेताओं ने अपने विचार हिन्दी के माध्यम से व्यक्त किये। आज भी जब देश के सामने कई चुनौतियां है, हिन्दी को वही भूमिका निभानी है। हमारी राष्ट्र के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही

...जारी पृ० 140

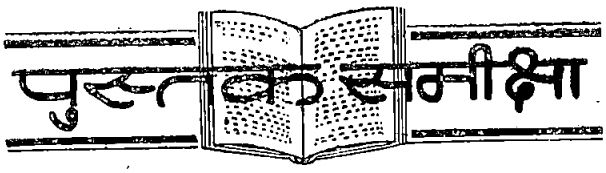

पुस्तक समीक्षा

तेलुगु संस्कृति

लेखक : डॉ. पी. वी. नरसारेड्डी

प्रकाशक : सृजन प्रकाशन, एल. आई जी 29,
एम. वी. पी. कालोनी, विशाखापट्टणम् (आंध्र)

मूल्य : 45/-रु. पृष्ठ 104 + 10

तेलुगु या आंध्र प्रदेश की संस्कृति पर हिंदी में पुस्तकों का काफी अभाव रहा है। काफी समय पहले सुखराम प्रताप रेड्डी द्वारा रचित आंध्र के सामाजिक इतिहास के हिंदी अनुवाद के उपरांत इस विषय पर कदाचित पुस्तकें कम ही आई हैं। इस दृष्टिकोण से डॉ. नरसा रेड्डी के निबंधों का संकलन "तेलुगु संस्कृति" उस अभाव को पूर्ण करने का सराहनीय प्रयास है। आंध्र प्रदेशीय या तेलुगु प्रदेशीय लोकमानस का राजनीतिक व सामाजिक इतिहास ईसा से 263 वर्ष पूर्व से 163 ईस्वी तक सातवाहन राज्य से आमतौर पर आंका जाता है जिसके उपरांत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आंध्र प्रदेश उत्तरी व दक्षिणी भारत का संगम स्थल बन गया। यही तत्व आंध्र प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक व साहित्यिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस संगम स्थल के सांस्कृतिक परिवेश से परिचित कराने में डॉ. रेड्डी की पुस्तक एक काफी महत्वपूर्ण प्रयास है।

पुस्तक मूलतः डॉ. रेड्डी द्वारा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लिखे हुए 14 निबंधों का संकलन है जिनमें से पांच निबंध आंध्र प्रदेश के पांच महान पुत्रों के जीवन से संबंध रखते हैं। इन पांच व्यक्तियों में से साहित्यकार, एक क्रांतिकारी, एक दार्शनिक व एक राजनीतिज्ञ है। क्या इन व्यक्तियों को तेलुगु प्रदेश का प्रतिनिधि कहा जा सकता है ? इस प्रश्न पर अवश्य काफी मतभेद होगा। जबकि पांचों महापुरुषों की महानता निर्विवाद है। ग्याहरवीं शताब्दी के महान सन्त नन्नय-भट्टु, जिनका ग्रंथ "महाभारतमु" तेलगु भाषा का आदिग्रंथ कहा जा सकता है, ऐसे किसी भी संकलन में विस्तृत विवेचन के अधिक हकदार थे। कदाचित यही अन्याय महान् संस्कृत विद्वान् श्रीनाथ (1365-1440) के साथ भी हुआ है। शेष भारत के पाठक कदाचित तेलुगु भाषा की लिपि के बारे में जानने के उपरांत तेलुगु साहित्य के इतिहास के बारे में भी जानने की उत्कंठा अवश्य रखेंगे। परन्तु इस पुस्तक में संकलित निबंधों से आभास यही मिलता है कि तेलुगु साहित्य की अभिव्यक्ति केवल फिल्मों व बाल साहित्य के माध्यम से हुई है अन्यथा वहीं की संस्कृति का प्रतिमान केवल आदिवासियों व आदिम जाति के लोगों का जीवन संघर्ष ही है। जो भी व्यक्ति तेलुगु साहित्य से जरा भी परिचित है वह इस बात को निर्विवाद तौर पर कह सकता है कि तेलुगु भाषा का साहित्य न केवल भारतीय संस्कृति की एक महान धरोहर है बल्कि यह आंध्र प्रदेश या तेलुगु प्रदेश की सामाजिक उत्कृष्टता का अदम्य प्रतिमान भी है। यह अभाव अवश्य खटकता है।

इस पुस्तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है "राष्ट्रीय भावनात्मक एकता जिसमें राष्ट्रीय भावात्मक एकता को साधने में लिपि की एकरूपता का जिक्र हुआ है। डॉ. रेड्डी का मत है कि "स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व सारे भारतीय भाषाओं के लिए एक ही लिपि "देवनागरी" को अपनाने की दिशा में कुछ विद्वानों ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। उन पत्रों में लिपि "देवनागरी" होती थी और रचनाएं भिन्न भाषाओं की होती थी। पुनः इस परिकल्पना के बारे में यदि भाषा वैज्ञानिक, साहित्यकार., राजनीतिज्ञ एवं साधारण जनता खुले दिल से विचार करेंगे तो कुछ परिणाम अवश्य निकलेंगे।

कुल मिलाकर यह पुस्तक एक सराहनीय प्रयास है जिसके लिए लेखक साधुवाद के पात्र हैं। पुस्तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से पुरस्कृत भी है

—श्रीमती माला प्रकाश

जे-68, साकेत,

नई दिल्ली-110017

व्यतिरेकी भाषा विज्ञान

लेखक : डॉ. विजय राघव रेड्डी
प्रकाशक : विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा,
मूल्य : 65 रुपये (छात्र संस्करण : 40 रुपए)

व्यतिरेकी भाषा विज्ञान दो भाषाओं या दो भाषायी रूपों की विभिन्न स्तरों पर तुलना करके उनके समान तत्वों और परस्पर विरोधी या असमान या व्यतिरेकी पक्षों का पता लगाता है। इस संबंध में काफी काम भी हुआ है। सैद्धांतिक चर्चा के साथ-साथ अंग्रेजी-फ्रांसीसी, अंग्रेजी-स्पेनिश, अंग्रेजी-जर्मन, अंग्रेजी-इतालवी, अंग्रेजी-रूसी, अंग्रेजी-हिंदी आदि भाषाओं की समानताओं तथा असमनाताओं को लेकर कार्य हुआ है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में भी बहुत से व्यतिरेकी अध्ययन हुए लेकिन इस पर कोई सैद्धांतिक पुस्तक हिंदी में नहीं आई। डॉ. भोलानाथ तिवारी द्वारा संपादित पुस्तक "व्यतिरेकी भाषा विज्ञान" 1983 में प्रकाशित हुई थी जो विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित शोधपत्रों का एक संकलन है। इस संकलन से व्यतिरेकी भाषाविज्ञान का कोई निश्चित सैद्धांतिक पक्ष उभरकर नहीं आ पाया। इस विषय पर हिन्दी में एक ही लेखक द्वारा लिखित गंभीर पुस्तक व्यतिरेकी भाषा विज्ञान" के नाम से आई है। इस पुस्तक के लेखक डॉ. विजय राघव रेड्डी है।

विवेच्य पुस्तक में पांच अध्याय हैं। इसके साथ ही संदर्भ ग्रंथ, पारिभाषिक शब्दावली तथा शब्दानुक्रमाणिका देकर पुस्तक की उपयोगिता बढ़ी है।

इस पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि इसमें हिन्दी भाषा को लक्ष्य भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं को (विशेषकर तेलुगु) स्रोत भाषा के रूप में देखते हुए भाषा के विभिन्न स्तरों पर चर्चा कर भाषा शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है।

इस पुस्तक में कई कमियां भी पाई गई हैं जिनमें कुछ के बारे में बताया जा रहा है। पुस्तक में कहीं-कहीं अनावश्यक विस्तार किया गया है। जैसे–द्विभाषिकता पर विवेचन काफी विस्तृत है किन्तु व्यतिरेकी विश्लेषण के संदर्भ में नहीं दिया गया। कुछ पारिभाषिक शब्द भ्रामक और अटपटे लगते हैं, जैसे–प्रियोक्ति (इयूफेमिज्म)। इसी कारण कहीं-कहीं भाषा जटिल हो गई जिसको सामान्य पाठक के लिए समझना कठिन है। इसके साथ ही पुस्तक के प्रारम्भ में व्यतिरेकी विश्लेषण का एतिहासिक महत्व स्पष्ट किया जाता तो व्यतिरेकी विश्लेषण की संकल्पना और अधिक स्पष्ट होती। भाषाविज्ञान कार्यक्षेत्र का जो तीन आयामीय वर्गीकरण किया गया है उसमें स्पष्टता नहीं है (पृ. 5–7)। पृष्ठ 18-19 में लेखक ने पादटिप्पणी में रजिस्टर या प्रयुक्ति की जो संकल्पना प्रस्तुत की है वह नितांत भ्रामक है। इसी संदर्भ में आयुर्वेद, यूनानी और एलोपेथी के जो तीन उदाहरण दिए गए हैं वे सही नहीं हैं। वास्तव में ये तीनों हिन्दी की भाषिक शैलियां हैं– एक संस्कृतनिष्ठ, दूसरी अरबी-फ़ारसी मिश्रित और तीसरी अंग्रेजी मिश्रित शैली। इसके साथ ही पृष्ठ 19 में जो सात सामाजिक शैलियां बताई गई हैं वे भी भ्रामक हैं (भावशून्य, औपचारिक, परामर्शक, अप्रासंगिक, अनौपचारिक, अंतरंग और गंवारू)। भाव शून्य शैली तो होती नहीं। शैली कभी प्रसंग रहित भी नहीं रहती नहीं और गंवारू शैली का निर्धारण गलत है क्योंकि भाषा कभी भावशून्य अप्रासंगिक और गंवारू नहीं होती। उसका रूढ़िगत रूप अवश्य मिलता है। परामर्श तो सभी शैलियों में होता ही है। लगता है लेखक ने शैलियों की संख्या वृद्धि करना उचित समझा जो सटीक नहीं बैठता।

कुल मिलाकर पुस्तक उपयोगी है और व्यतिरेकी विश्लेषण भाषा शिक्षण तथा अनुवाद में रुचि रखने वाले विद्वानों तथा छात्रों के लिए कारगर है।

—डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी

'हाइकु' लघु किन्तु विशिष्ट पत्रिका

संपर्क : सत्य भूषण वर्मा
जापानी भाषा विभाग
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-11005

सहयोग राशि: वार्षिक 51 रुपए

जापानी छंद में हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं में काव्य रचन को प्रोत्साहित करने वाली एक आकर्षक लघु पत्रिका 'हाइकू' देखने को मिली। 'हाइकु' छंद में केवल छः शब्दों का प्रयोग होता है और कवि को अपनी बात इस सीमित शब्द संख्या में कहनी होती है। वास्तव में 'हाइकु' गागर में सागर भरने वाली बात है। पत्रिका के मार्च 1983 अंक में प्रकाशित कविताओं की बानगी देखिए—

हिंदी

बासंती शाम
पियराई सरसों
बौराये आम

—सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय

धूप के हाथों
लुटती रही गंध
खिले फूल की

—रामकृष्ण 'विकलेश'

गुजराती

शोधशो नहीं
मृग जव्ठ नुं रूप
प्यासा रणमां
ढूंढता मन
मृगजल का रूप
प्यासे रण में

—एस.एस. राही

पंजाबी

नईं थकदे
जद तैनूं तकदे
नैय असाडे
नहीं थकते
जब तुझे देखते हैं
मेरे नयन

* *

ढोलक वज्जी
कुड़ियां पाया गिद्दा
खिड़ी जवानी

ढोलक बजी
किशोरियों ने गिद्दा नाचा
जवानी खिल उठी।

—सत्यनन्द जावा

इस लघु छंदीय काव्य रचना में पाठक की सहज ही रसानुभूति हो जाती है। हिन्दी में कविता, नई कविता, अकविता गद्य कविता आदि के बाद 'हाइकु' छंदीय कविता एक नया आयाम है।

—डॉ० गुरुदयाल बजाज
उप सम्पादक

□

राजभाषा कोश प्रथम भाग

(संक्षेप एवं मानक अभिव्यक्ति)

लेखक : डा. नरेश कुमार

प्रकाशक : इण्डो विजन प्रा. लि., II-ए 220, नेहरूनगर, गाजियाबाद ।

पृष्ठ सं. 250 मूल्य : 80 रुपए

प्रस्तुत पुस्तक रोमन संक्षेपों के हिन्दी पर्याय तथा मानक अभिव्यक्तियों का संकलन है। इस संक्षेप कोश में विषय सामग्री चार कालमों में प्रस्तुत की गई है, जैसे पहले में अंग्रेजी का संक्षिप्त रूप, दूसरे में अंग्रेजी शब्द, तीसरे में हिन्दी का संक्षेप और चौथे में हिन्दी पर्याय।

आधुनिक व्यस्तता के युग में संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में इसका व्यापक प्रचलन पहले से ही है। हिन्दी में इस दिशा में अधिक कार्य नहीं हुआ है। इस दृष्टि से डा. नरेश कुमार का यह प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है परन्तु लेखक का यह कथन कि उसने प्रचलित विदेशी नामों को व्यावहारिकता की दृष्टि से ज्यों का त्यों ले लिया है सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि अनेक स्थलों पर विभिन्न पंजीकृत नामों का हिन्दीकरण करके उस हिन्दी रूप का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है जो भ्रामक है और उनकी लोकप्रियता भी संदिग्ध है। कुछ स्थलों पर तथ्यात्मक एवं प्रूफ की अशुद्धियां भी देखने में आई। आशा है आगामी संस्करण में इन त्रुटियों को दूर कर दिया जाएगा।

पुस्तक में कुछ मानक अभिव्यक्तियों का भी संकलन है जो कार्यालयीन काम-काज में संदर्भ का काम देंगे। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य में भी इन अभिव्यक्तियों से काफी सहायता मिल सकेगी। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग और प्रचलन को बढ़ाने में निश्चय ही यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी और इस दृष्टि से यह संग्रहणीय भीहै।

पुस्तक की छपाई-बंधाई संतोषजनक है परन्तु अपेक्षाकृत छोटे कलेवर की इस पुस्तक का 80/- रु. मूल्य इसके व्यापक प्रचार-प्रसार में बाधक बन सकता है।

—र. कु. सेन
अनुसंधान अधिकारी

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 5-4-89 के का. ज्ञा. सं. 13035/3/88-रा.स. (ग) की प्रतिलिपि

विषय :— केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिन्दी पदों के मानक पुनः निर्धारित करना।

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से 6 अगस्त, 1973 के अ. शा. पत्र सं. ई–11015/17/73–रा. भा. (एकक) द्वारा हिन्दी के न्यूनतम पदों के सृजन संबंधी मार्गदर्शी, सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। 27 अप्रैल, 1981 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13035/3/80–रा. भा. (ग) द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पुनः परिचालित करते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि अपने तथा अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध पदों की समीक्षा कर ली जाए और जहां न्यूनतम पद उपलब्ध न हों वहां तत्काल उनके सृजन के लिए कार्रवाई की जाए।

2. हिन्दी के न्यूनतम पदो के मानक पर पुनः विचार किया गया है ताकि राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अपेक्षित न्यूनतम पदों के मानकों को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सके जिससे कि अनावश्यक पदों की रचना न की जाए पर साथ ही राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और आवश्यक पदों का सृजन भी आसानी से किया जा सके। इस मामले पर विचार करने के लिए सचिव राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) सांख्यिकी विभाग, रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग, रेल मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद वित्त मंत्रालय की सहमति से अब यह निर्णय लिया गया है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पदों की न्यूनतम संख्या के बारे 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किए जाएं :—

(i) मंत्रालयों/विभागों के लिए

(1) प्रत्येक मंत्रालय तथा स्वतंत्र विभाग में, जिसका पूर्णकालिक सचिव हो, एक सहायक निदेशक (राजभाषा)।

(2) प्रत्येक ऐसे मंत्रालय या विभाग में जहां 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी है, या जिसके अंतर्गत 4 या 4 से अधिक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या उपक्रम ऐसे हैं जिनमें हर एक में 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी अर्थात उप-निदेशक (राजभाषा)। राजभाषा विभाग के 13-4-1987 के का. ज्ञा. सं. 13017/1/81–रा. भा. (ग) में निर्धारित नार्मस को ध्यान में रखते हुए यह पद सहायक निदेशक के पद के बदले या उसके अतिरिक्त हो सकता है। मंत्रालय/विभाग में कार्य के स्वरूप और कार्य की मात्रा के आधार पर निदेशक का पद बनाया जा सकता है।

(3) 50 से कम अनुसचिवीय कर्मचारियों पर एक अनुवादक, 50 से 100 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 2 अनुवादक, 101 से 150 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 3 अनुवादक, 151 या इससे अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी होने पर 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।

(ii) संबंद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के लिए

(1) 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिन्दी अधिकारी (सहायक निदेशक, राजभाषा)

(2) (क) "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए (रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के कार्यालयों को छोड़कर)

25 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक।

126 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक

(ख) "ख" तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए

(1) 25 से 75 तक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालयों में एक कनिष्ठ अनुवादक, 76 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक

126 से 175 अनुसचिवीय कमचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक

175 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक

(2) रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों पर भी, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांरित होते रहते हैं, यही मानक लागू हों ।

(3) "ख" व "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे सभी कार्यालयों में जहां कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों एक हिन्दी टाइपिस्ट का पद दिया जाए । "क" क्षेत्र में नए खोले जाने वाले कार्यालयों में भी यदि कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों तो एक हिन्दी टाइपिस्ट पद दिया जाए । "क" क्षेत्र में स्थित रक्षा सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के कार्यालयों, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, में भी यही मानक लागू हों ।

3. पैरा 2 में प्रयोग किए गए "अनुसचिवीय कर्मचारियों शब्दों के अंतर्गत वे सभी कर्मचारी तथा अधिकारी शामिल हैं जिनके पद अनुसचिवीय कार्यों के लिए सृजित किये गये हैं चाहे वे तकनीकी या वैज्ञानिक कर्मचारी या अधिकारी हों । इसके अतिरिक्त यदि तकनीकी और वैज्ञानिक पद इस तरह के काम के लिए स्वीकृत हों परन्तु पदधारियों को अनुसचिवीय कार्य भी सौंपा गया हो तो आंतरिक कार्य अध्ययन एकक द्वारा इस तरह के कर्मचारियों के कार्य के स्वरूप की पड़ताल करने के बाद उन्हें हिन्दी पदों के सृजन के लिए गिना जा सकता है ।

4. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों म पदों की जो संख्या निर्धारित की गई है वह न्यूनतम है ताकि इनकी व्यवस्था बिना कार्य अध्ययन के केवल कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या और कार्यालय किस क्षेत्र में स्थित हैं, के आधार पर की जाए ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वियन पर प्रतिकूल असर न पड़े । काम की मात्रा और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यालय में इससे अधिक पदों का यदि औचित्य हो तो उनका सृजन कार्य अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है ।

5. कार्य अध्ययन करते समय उसी कार्य को ही ध्यान में न लिया जाए जो इस समय किया जा रहा है बल्कि वे कार्य की वे सारी मदें हिसाब में ली जायें जो राजभाषा अधिनियम, नियम, वार्षिक कार्यक्रम आदि की अपेक्षाओं के अनुसार हिन्दी में या हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए जाने जरूरी हैं । कहना न होगा कि कार्य अध्ययन कार्यभार की मात्रा का अध्ययनपूर्वक मूल्यांकन करके ही किया जाना चाहिए न कि तदर्थ आधार पर ।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर लिखित 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर जिन कार्यालयों में अनुवादक आदि के पद पहले से सृजित किए जा चुके हैं उन्हें इस आधार पर समाप्त नहीं किया जाएगा कि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित संख्या से वे अधिक हैं । तथापि कोई भी अतिरिक्त मांग मंत्रालयो/विभाग तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय में समग्र रूप से दी कोई पद फालतू पाये जायें तो उनमें समायोजित की जाऐं ।

7. अनुवाद के अलावा अन्य कई प्रकार का कार्य ऐसा है जो राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जैसे आदेशों का परिचालन करना, प्रगति रिपोर्ट बनाना, हिन्दी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकों की कार्यसूची व कार्यवृत्त तैयार करना, कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिए नामित करना, कार्यशालाओं का आयोजन करना, आदि । हिन्दी अनुवादकों के पदों का आकलन करते समय इन मदों के कार्यभार को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए । यह कार्य लिपिक कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनकी व्यवस्था कार्यभार/वर्तमान मानकों के आधार पर की जाये । तथा जहां पहिले से ही यह काम अनुवादक कर रहे हैं और इस आधार पर उनके पदों में कमी आती हो तो वे इस काम को करते रहेगें । जहां कहीं इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित पदों की न्यूनतम संख्या के आधार पर स्वीकृत कर्मचारियों के पास पूरा काम न हो वहां भी वे इस प्रकार के कार्य को करते रहेंगे ।

8. केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद करनै के लिए अनुवाद कार्य की मात्रा के आधार पर आवश्यक पदों का सृजन किया जाना चाहिए और इसके लिए न्यूनतम पदों का कोई मानदण्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

9. राजभाषा नीति के कार्यान्वयय के लिए अपेक्षित पदों के सृजन के संबंध में इस का. ज्ञापन में निर्धारित मानक और राजभाषा विभाग के दिनांक 13 अप्रैल, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/1/81-रा.भा.(ग) में पहले से निर्धारित अनुवाद संबंधी कार्यभार के मानक मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे ।

10. पांच वर्ष बाद इन मानकों का पुनरीक्षण किया जाएगा । □

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 20-3-89 के का. ज्ञा. संख्या 12024/11/88-रा.भा. (ख-2) की प्रतिलिपि

विषय :—मन्त्रालयों/विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा नियमों/आदेशों से अवगत कराने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन ।

———

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 29-11-88 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन, जिसमें मन्त्रालयों/विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा नियमों/आदेशों से अवगत कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था, के सम्बन्ध में कई मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा कार्यशालाओं के पाठ्यक्रम रूपरेखा, अवधि, मानदेय एवं प्रशिक्षकों इत्यादि के बारे में राजभाषा विभाग से जानकारी मांगी गई है ।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के लिए पृथक रूप से कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई । मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपनी आवश्यकतानुसार कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं । इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा नियमों/आदेशों से अवगत कराना ही है । इसके लिए अलग से किसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है।

इन कार्यशालाओं में राजभाषा नियमों/आदेशों की जानकारी देने के लिए मन्त्रालय/विभाग अपने हिन्दी अधिकारियों की सेवाएं ले सकते हैं । यदि चाहें तो इस कार्य के लिए राजभाषा विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है । कार्यशालाओं की अवधि और मानदेय के बारे में मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं ।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 6-3-1989 का का.ज्ञा. संख्या-II/12013 1/89-रा.भा. (क-2)

विषय:—अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन : मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

अधिकारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 सितम्बर, 1988 को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.-II/20015/62/88-रा. भा. (क-2) के अन्तर्गत सभी मंत्रालय/विभागों को सलाह दी गई थी कि वे अपने-अपने कार्यालयों में प्रति वर्ष एक ऐसे अधिकारी को भी पुरस्कार के लिए चुनें जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिन्दी में दे । यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि संभव हो तो हिन्दी भाषी और गैर हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार रखे जाएं । कई मंत्रालयों/विभागों ने अनुरोध किया है कि ऐसी योजना शुरू करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए । अतः नीचे कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए जा रहे हैं जिनके आधार पर संबंधित मंत्रालय/विभाग इस योजना को लागू कर सकते हैं:—

(1) ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यतः डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं ।

(2) योजना की अवधि वित्तीय वर्ष रखी जाए । वित्तीय वर्ष 1989-90 के शुरू होने से पहले इस योजना के बारे में सभी अधिकारियों को जानकारी दे दी जाए ।

(3) योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिन्दी में दिए गए डिक्टेशन के बारे में रिकार्ड रखेंगे । यह रिकार्ड उनके स्टेनो/निजी सहायक भी रख सकते हैं लेकिन उसके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा । यह रिकार्ड संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्धारित किए गए प्रोफार्म (नमूना संलग्न है) में रखा जा सकता है अथवा संबंधित अधिकारी द्वारा एक फोल्डर रखा जा सकता है जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित हो तथा दिए गए डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी गई हों ।

(4) पुरस्कार योजना के अन्तर्गत लगभग 500/- रुपए का पुरस्कार रखा जा सकता है । पुरस्कार दो भी रखे जा सकते हैं । एक पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान "क" तथा "ख" क्षेत्र के अंतर्गत हो, और दूसरा पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान "ग" क्षेत्र में हो ।

(5) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय इस योजना को स्वयं चला सकते हैं और पुरस्कार के लिए आवश्यक हिन्दी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं "कार्यालय" से तात्पर्य सामान्यतः उस कार्यालय से होगा जिसका स्थानीय मुख्य अधिकारी विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया हो ।

(6) पुरस्कार निर्धारित करने के लिए किसी उच्च अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी नामित किया जा सकता है, अथवा इस हेतु एक समिति गठित की जा सकती है ।

2. क्योंकि यह योजना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर लागू की जा सकती है, वे ही इस संबंध में विस्तृत व्यवस्था करने के लिए सक्षम होंगे, जैसे कि यह तय करना कि योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय किस शीर्ष के अंतर्गत आहरित किया जाए । अतएव मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 सितम्बर, 1988 के तारतम्य में आगे की कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी कर लें । इस योजना को कृपया सरकारी उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में भी लाया जाए, ताकि वे भी उपर्युक्त आधार पर पुरस्कार योजनाएं प्रारम्भ करने पर विचार कर सकें ।

प्रोफार्मा (नमूना)

हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन से संबंधित पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रखे जाने वाले रिकार्ड का प्रोफार्मा (नमूना)

क्रम संख्या	डिक्टेशन से लिखे गए शब्दों की संख्या	फाइल संख्या दिनांक	टिप्पणी

□

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 10-1-89 का का. ज्ञा. संख्या 11016/16/88-रा.भा.(घ)-8 की

विषय:—सरकारी उपक्रमों, निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के परीक्षार्थियों द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षा-शुल्क का भुगतान ।

संदर्भ:— 1. का. ज्ञा. सं. 12047/49/73—हिन्दी-I दिनांक 17-9-1974

2. का. ज्ञा. सं. 11017/3/79—रा. भा. (घ) दिनांक 10-7-79

3. का. ज्ञा. सं. 11017/1/87—रा. भा. (घ) दिनांक 24-4-87

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग समय-समय पर ऊपर लिखित विषय पर संदर्भित आदेश जारी करता रहा है । इन आदेशों का समेकित आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नलिखित है :—

सरकारी उपक्रमों/निगमों/कंपनियों/बैंकों आदि के प्रति परीक्षार्थी को नीचे लिखी दरों के अनुसार परीक्षा शुल्क देना होता है —

परीक्षा का नाम	परीक्षा शुल्क
प्रबोध	रुपए 40/–
प्रवीण	रुपए 40/–
प्राज्ञ	रुपए 50/–
टंकण	रुपए 40/–
आशुलिपि	रुपए 50/–

2. परीक्षा शुल्क एक मुश्त राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट या चैक द्वारा लिया जाएगा । वह राशि रसीद हैड 007 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अन्य सेवाएं-अन्य प्राप्तियों के अधीन जमा की जाएगी ।

□

गृह मंत्रायल, राजभाषा विभाग के दिनांक 30-12-88 को जारी संकल्प सं. 1 20012/1/87-रा.भा.(क-1) की प्रतिलिपि

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। धारा 4(2) के अधीन इस समिति में बीस सदस्य लोक सभा से और दस सदस्य राज्य सभा से नियुक्त किए गए। समिति ने अपने प्रतिवेदन की प्रथम खण्ड राष्ट्रपति को जनवरी, 1987 में प्रस्तुत किया, जिसमें समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद, प्रशिक्षण, संदर्भ और संपूरक साहित्य के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। प्रतिवेदन का प्रथम खण्ड अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार तारीख 8 मई, 1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया तथा इसकी प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई। चूंकि सिफारिशों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में होने वाले कामकाज से था, अतः इस संबंध में उनसे भी राय ली गई।

2. राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रुप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है।

(क) शेष अनुवाद कार्य को पूरा करना

(1) फार्मों का अनुवाद, मुद्रण और प्रयोग

समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की उपधारा 3(3)(iii) के अन्तर्गत आने वाले संविदाओं और करारों तथा लाइसेंसों परमिटों नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिन्दी में अनूदित कराने तथा द्विभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जा सकें या भरे जा सकें।

सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करे।

(2) कोडों और मैनुअलों आदि के अनुवाद के लिए समय-सीमा का निर्धारण

समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन कोडों, मैनुअलों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है, उनके अनुवाद की व्यवस्था तत्काल की जाए जिससे यह कार्य 1987 के अंत तक पूरा हो जाए।

समिति द्वारा निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। शेष अनुवाद कार्य की मात्रा को देखते हुए रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक व महा-लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा अनुवाद के लिए शेष अपने कोडों मैनुअलों आदि का तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों आदि के अनूदित न हुए कोडों और मेनु-अलों के अनुवाद का कार्य अगले तीन वर्षों में अर्थात् 1991 के अन्त तक पूरा किया जाए।

रक्षा मंत्रालय में चूंकि अनुवाद के लिए शेष कोडों और मैनुअलों की संख्या बहुत अधिक है, अतः रक्षा मंत्रालय इस कार्य को वर्ष 1994–95 के अन्त तक पूरा करे।

(3) विधि पुस्तकों और निर्णयों के अनुवाद का कार्य

(1) समिति ने यह सिफारिश की है कि विधि/निर्णय पुस्तकों, प्रिवी काऊंसिल (1837-50) फेडरल-कोर्ट और उच्चतम न्यायालय (1950-1968) द्वारा किए गए निर्णयों के अनुवाद का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए तथा इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए।

इस सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि जो निर्णय अब प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, जिनका सार देने से काम चल सकता है, उनका सार मात्र तैयार किया जाए और शेष का अनुवाद किया जाए।

अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खंड करे।

(ii) संसदीय विधियों का हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के पैरा-ii के अनुसरण में संसदीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कार्य के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खंड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

संसदीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का कार्य विधायी विभाग के राजभाषा खंड में पहले ही किया जा रहा है। जहां तक विधेयकों का संबंध है, सरकारी विधेयकों के अनुवाद का कार्य विधायी विभाग का राजभाषा खंड करेगा। प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के हिन्दी अनुवाद का कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोकसभा या राज्य सभा सचिवालय करेगा। प्रारम्भ में अन्य भारतीय भाषाओं में प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के अनुवाद का कार्य भी विधायक विभाग का राजभाषा खंड करे। बाद में इसे लोकसभा और राज्य सभा सचिवालय को सौंपे जाने पर विचार किया जा सकता है।

(iii) राज्यों के अधिनियमों का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 के अनुसरण में राज्यों के अधिनियमो के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खंड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

राज्यों के अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने का काम राज्य सरकारों का है। इस सिफारिश को आवयक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाए।

(4) प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद

समिति ने प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के संबंध में यह सिफारिश की है कि मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों तथा अन्य स्वायत संगठनों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जा रही प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी में अनुवाद करने के के लिए अग्रता के आधार पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए तथा इस कार्य को समयबद्ध योजना बनाकर अगले तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अनुवाद व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

(5) प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद के लिए व्यवस्था

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार के निर्धारित कोडों/मैनुअलों/फार्मों और प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद की वर्तमान व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाए। यह काम इस समय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय के डाक विभाग तथा दूर संचार विभाग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में किया जा रहा है। समिति ने सिफारिश की है कि वहीं पर यह कार्य किया जाता रहे तथा उन्हें इसके लिए उपयुक्त स्तर के अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सुविधाएं तुरन्त उपलब्ध कराई जाएं।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

संबंधित मंत्रालय/विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें।

(6) द्विभाषिकता की नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद व्यवस्था

समिति ने यह सिफारिश की है कि दैनिक तथा सतत् रूप से चलने वाले सामान्य कार्यों में भी सरकार की द्विभाषिकता की नीति के सफल संचालन के लिए लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ करना होगा ताकि राजभाषा नीति संबंधी कार्यान्वयन का कार्य भी पिछड़ने न पाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(7) राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए अनुवाद व्यवस्था ।

समिति ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए अपेक्षित अनुवाद व्यवस्था के बारे में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, अन्य संस्थानों आदि के देश-विदेश स्थित ऐसे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में जहां इस समय एक भी अनुवादक नहीं है, वहां भी राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जो-जो काय द्विभाषिक रूप में किए जाने हैं उन्हें द्विभाषिक रूप में ही किया जाये इसके लिए समुचित अनुवाद व्यवस्था की जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(8) उपक्रमों के विधि साहित्य का अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है कि विधायी विभाग के राजभाषा खंड को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाए कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के सांविधिक साहित्य के अनुवाद कार्य का दायित्व भी भली भांति वहन कर सके।

इस सिफारिश पर विचार किया गया। विधायी विभाग का राजभाषा खंड केवल सरकारी विभागों और कार्यालयों के विधिक अनुवाद कार्य के लिए है। बैंकों, बीमा कम्पनियों और बड़े उपक्रमों को अपने विधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। विधायी विभाग का राजभाषा खंड उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ मानक प्रारूप तैयार कर देगा और विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। छोटे उपक्रमों, जिनके लिए यह व्यवस्था स्वयं करना व्यावहारिक न हो, के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध उद्योग मंत्रालय का लोक उद्यम ब्यूरो स्टेंडिंग कांफ्रेंस आन पब्लिक ऐंटरप्राइज़िज़ (स्कोप) के माध्यम से या किसी और प्रकार करने का प्रयत्न करे।

(9) अनुवाद संबंधी पदों का सृजन

समिति ने सिफारिश की है कि अनुवाद संबंधी पदों के सृजन की नीति व्यावहारिक और उदार हो और मंत्रालयों, विभागों आदि को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जहां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करना अनिवार्य और अपेक्षित है वहां इसके लिए अनुवादक आदि की नियुक्ति करें । इसके लिए किसी प्रकार की रोक न हो तथा जिन कार्यालयों म 25 से कम अनुसूचित कर्नचारी काम करते हों उनमें भी समुचित अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों, विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे। जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हैं उनमें भी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानदेय के आधार पर अनुवाद का प्रबंध करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(10) अनुवादकों के भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करना

विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री के अनुवाद के स्तर में सुधार के लिए, समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुवादकों के भर्ती नियमों में विशेष प्रकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुभव एवं योग्यता वाले अभ्यार्थियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाए। इसके अतिरिक्त भर्ती नियमों की पुनरीक्षा इस प्रकार की जानी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, विधि, तकनीकी, इंजीनियरी आदि की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी अंग्रेजी तथा हिन्दी में उच्च प्रवीणता होने पर, विभिन्न राज सेवाओं में उच्च पदों पर भर्ती के लिए आकृष्ट किए जा सकें।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों, विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(11) अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद संबंधी पदों पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के अलग-अलग संवर्ग गठित करना

समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों को अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का भी अलग-अलग संवर्ग गठित करना चाहिए।

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संवर्ग का गठन संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए, जहां यह सम्भव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाए। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

(ग) कोडों, मैनुअलों तथा फार्मों का द्विभाषिक निर्माण तथा संशोधन, मुद्रण तथा प्रकाशन और वितरण

समिति ने कोडों, मैनुअलों और फार्मों के द्विभाषिक निर्माण, मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(12) द्विभाषिक रूप में निर्माण तथा संशोधन

(1) कोड, मैनुअल फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य के हिन्दी और अंग्रेजी पाठ साथ-साथ तैयार कराए जाएं तथा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों का अनुवाद भी साथ-साथ हो।

(ii) द्विभाषिक रूप में मुद्रण तथा प्रकाशन

अब तक अनूदित अथवा अनुवाद के लिए बाकी कोड; मैनुअल और फार्म, हिन्दी अनुवाद उपलब्ध होने पर, द्विभाषी रूप में तुरन्त मुद्रित/प्रकाशित किए जाएं। मुद्रण कार्य में विलम्ब न हो, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों से करा लिया जाए। यदि इनके द्विभाषिक रूप में मुद्रण/साइक्लोस्टाइल, प्रकाशन अथवा प्रयोग के इस नियम का किसी भी स्थान अथवा स्तर पर उल्लंघन हो तो उसे गम्भीरता से लिया जाए।

(iii) द्विभाषिक रूप में वितरण

कोड, मैनुअल अन्य प्रक्रिया साहित्य तथा फार्म आदि और उनमें समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन मंत्रालयों, विभागों आदि के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों और संस्थानों आदि में जहां भी उनका प्रयोग अपेक्षित हो, केवल द्विभाषी रूप में ही उपलब्ध करवाए जाएं।

(iv) समन्वय अधिकारी को नियुक्ति

मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित सांविधिक और असांविधिक प्रकार के कोडों/मैनुअलों, फार्मों और अनेक कार्यविधि साहित्य के अनुवाद द्विभाषी रूप में मुद्रण और मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी कार्यालयों आदि में उनकी उपलब्धता के बारे में समन्वय की जिम्मेदारी मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए।

उपर्युक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(घ) अनुवाद प्रशिक्षण

(13) असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण

समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनुवाद कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि सभी अनुवाद कार्मिकों को एक समयबद्ध योजना बनाकर अनुवाद प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाया जाए। इसके लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ करनी होगी। जिन अनुवादकों ने अभी तक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें 1988 के अंत तक यह प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करा दिया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और गौहाटी जैसे बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र तदर्थ आधार पर तुरन्त खोला जाना चाहिए।

जहां तक प्रशिक्षण के लिए शेष सभी अनुवादकों को 1988 के अंत तक प्रशिक्षण दिलाने का प्रश्न है, यह इस अल्पावधि में संभव नहीं है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को वर्ष 1991 के अंत तक अनुवाद प्रशिक्षण देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे। अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय आवश्यकता और वित्तीय साधनों को देखकर किया जाए।

(14) विधिक सामग्री के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण

समिति ने विधिक अनुवाद प्रशिक्षण के संबंध में यह सिफारिश की है कि विधिक प्रकार का अनुवाद कार्य करने वाले अनुवादकों का स्तर सुधारने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो अथवा स्वयं विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा इस संबंध में अपेक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तथा उनके लिए पुनश्चर्या की भी व्यवस्था की जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग विधिक सामग्री का अनुवाद करने वाले अनुवादकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करे।

(15) अनुवाद पुनश्चर्या प्रशिक्षक

समिति ने अनुवादकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण के संबंध में सिफारिश की है कि प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त अनुवादकों का ज्ञान तथा अनुवाद स्तर बनाए रखने के लिए अनुवाद कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को प्रथम प्रशिक्षण के पांच साल बाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिलाया जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे।

(16) हिन्दी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

समिति ने यह सिफारिश की है कि हिन्दी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए उच्च कोटि के अनुवाद तथा अनुवाद की पुनरीक्षा के प्रशिक्षण की यथोचित एवं यथावश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सभी मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, कार्यालयों आदि में सभी स्तरों पर एक अत्यंत कुशल, सुचारू एवं फुर्तीली अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे।

(17) एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण होने पर विभागीय प्रशिक्षण

समिति के विचार में अनुवाद कार्मियों के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किए जाने पर नए विभाग में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उसने यह सिफारिश की है कि अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो तो उन्हें नए विभाग में वहां की विशेष परिस्थिति और शब्दावली आदि समझने और अपनाने के लिए उस विभाग द्वारा लगभग एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को यह प्रशिक्षण विभागीय रूप से प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(ङ) मानक शब्दावली का निर्माण

(18) समिति ने शब्दावली निर्माण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

(1) नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना

शब्दावली आयोग 1970 के बाद विभिन्न विषयों में प्रचलन में आए हजारों नए शब्दों के मानक पर्याप्त निश्चित करने का काम तत्काल अपने हाथ में लें और अपने शब्द ग्रंथों को अद्यतन बनाने की दिशा में कदम उठाए।

(ii) शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा

समय-समय पर इन शब्दावलियों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन बनाने के लिए इनमें विज्ञान की नई खोजों तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार नई अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त नए शब्द जोड़े जाने चाहिए।

(iii) निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाना

विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि यह कार्य 1988 तक पूरा कर लिया जाये।

(iv) उच्चस्तरीय समिति का गठन

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्यों के रिक्त स्थान तत्काल भर लिए जांए तथा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन करें।

ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

इनके संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग अपेक्षित कार्यवाई करे।

विधि शब्दावली की पुनरीक्षा के संबंध में विधि और न्यास मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड अपेक्षित कार्यवाई करे।

(च) मानक शब्दावली का प्रयोग प्रचार-प्रसार और वितरण

(19) समिति ने मानक शब्दावली के प्रयोग तथा उसके प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए निम्नलिखित सिफारिशों की हैं :—

(i) मानक हिन्दी पर्यायों के प्रयोग सुनिश्चित करना

मानक शब्दावलियों में विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के लिए जो हिन्दी पर्याय दिए गए हैं अथवा दिए जाएंगे, उनका ही प्रयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे राजभाषा का मानक रूप उभर कर आए।

(ii) प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन

विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग में उनके ज्ञान का विस्तार हो और उनकी भाषायी क्षमता बढ़ सके।

(iii) अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान

अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान की जाए और सभी आधारभूत शब्दों की सूचियां तैयार कर अहिन्दी भाषी राज्यों में राज्य पुस्तक मंडलों को भेजी जाएं और इन राज्यों में स्थित विद्वानों के सहयोग से शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

(iv) शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों के अनुकूलन

शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों के अनुकूलन के लिए सभी राज्यों में उपयुक्त एजेंसियां स्थापित की जाएं ताकि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में रचित विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य में शब्दावली की अभीष्ट एकरूपता स्थापित हो सके।

(v) अध्ययन-अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग

शब्दावली निर्माण में लगे अभिकरण विषयवार सूचियां विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा प्राध्यापकों को भेजें और राज्यों में जाकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं आदि का आयोजन करें, जिससे वे नवनिर्मित शब्दों से परिचित हो सकें और अध्ययन-अध्यापन के दौरान उनका प्रयोग कर सकें। ग्रंथ अकादमियों तथा सरकारी प्रकाशन संस्थानों को भी इस ओर अधिकाधिक ध्यान देना होगा।

(vi) कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली का जानकारी देना

हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी अवश्य कराई जाए ताकि वे अपने रोजमर्रा के काम में उसका प्रयोग कर सकें।

(vii) वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी पुस्तक लेखन

सरकारी स्तर पर हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर अधिकाधिक पुस्तकें लिखी जाएं। इस क्षेत्र में निजी प्रकाशकों को भी प्रोत्साहित किया जाए। इन पुस्तकों में प्रकाशन की एक पूर्व शर्त हो कि इनमें प्रामाणिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए।

(viii) केन्द्रीय सरकार के कामकाज में मानक शब्दावली का प्रयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्मित विधि, विज्ञान और तकनीकी शब्दावलियों का केन्द्रीय सरकार के कामकाज में, जिसमें कि आकाशवाणी व दूरदर्शन का प्रसारण भी शामिल है, समुचित प्रयोग किया जाए।

(ix) शब्दावलियों का पर्याप्त संख्या में वितरण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा निर्धारित और प्रकाशित शब्दावलियां सभी कार्यालयों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाएं।

(x) शिक्षा से-संबंधित संस्थानों को शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना देना।

शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों आदि को भी वर्तमान और भविष्य में निर्मित की जाने वाली शब्दावलियों के बारे में विस्तार सूचना दी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वे विभिन्न विषयों के लिए हिन्दी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री में उसका यथा संभव व्यवहार सुनिचित करें। इसी प्रकार का अनुरोध ग्रंथ अकादमियों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा निजी-प्रकाशकों से भी किया जा सकता है कि वे विभिन्न विषयों पर अपने प्रकाशनों में इन शब्दावलियों का ही यथासंभव प्रयोग करें।

(xi) शब्दावली बैंक की स्थापना

विधि, विज्ञान, तकनीकी और मानविकी के क्षेत्र में निर्मित शब्दावली के भविष्य में कम्प्यूटर द्वारा इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए शब्दावली बैंक का निर्माण तुरन्त किया जाए। यह कार्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा जा सकता है।

(xii) विधि शब्दावली का न्यायालयों में वितरण

विधायी विभाग द्वारा निर्मित विधि शब्दावली का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रतियां देशभर में फैले ऐसे न्यायालयों में भी, जहां हिन्दी का प्रयोग किए जाने की संभावना हो, निशुल्क अथवा कम मूल्य पर उपलब्ध रहनी चाहिए।

(xiii) विधि की पाठ्यपुस्तकों में विधि शब्दावली का प्रयोग

हिन्दी माध्यम से विधि की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए पाठ्य पुस्तकों में भी, चाहे वे विधि पुस्तकों का अनुवाद हो अथवा हिन्दी में मूलतः लिखी जाएं, प्राधिकृत विधि शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित है।

(xiv) विधि शब्दावली का वितरण

विधायी विभाग विधि शब्दावली की अनेकानेक प्रतियां छपवाकर इसके वितरण की व्यवस्था करे, जिससे कि उसका प्रयोग तथा भाषा में एकरुपता सुनिश्चित की जा सके।

उपर्युक्त सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

मानक शब्दावली का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग ने पहले से ही आदेश जारी किए हुए हैं, जिसका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त (5) बारे भी निदेश राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाएं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मानक शब्दावली के प्रचार-प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र तथा पुस्तक प्रकाशन में उसके प्रयोग, शब्दावली बैंक की स्थापना के लिए सिफारिशों में उल्लिखित कार्यवाई शिक्षा विभाग करे।

इसी प्रकार विधि शब्दावली के संबंध में अपेक्षित कार्यवाई विधि और न्याय मंत्रालय का राजभाषा खण्ड करे।

मूल प्रारुपण

(20) समिति का यह विचार है कि हिन्दी में मूल प्रारूपण किया जाना चाहिए। इस संबंध में समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

(1) विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाए ताकि हिन्दी में बनी विधियों का निर्वचन कर निर्णय हिन्दी में लिखे जाएं।

(2) भविष्य में नए कोड, मैनुअलों आदि का सृजन मूल रूप से हिन्दी में किया जाए।

ये सिफारिशें सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। यद्यपि अभी इन पर पूर तरह अमल करना संभव नहीं होगा, फिर भी इसके लिए यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण बारे विधायी विभाग आवश्यक कार्यवाई करे।

जहां तक कोडों, मैनुअलों का सृजन मूल रूप से हिन्दी में किए जाने का संबंध है, राजभाषा विभाग इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी करे।

(ज) शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित अन्य सिफारिशें

(21) समिति ने विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान के हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता पर बल देते हुए यह सिफारिश की है कि देश के अद्यतन विकास के लिए उन्नत देशों की भाषा में प्रकाशित होने वाले ज्ञान-विज्ञान का आवश्यकतानुसार हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में सीधे और अविलम्ब अनुवाद होना चाहिए, जिसके लिए एक नया संगठन स्थापित किया जाए।

सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्य अपने अधीन वर्तमान संगठनों के माध्यम से उन्हें आवश्यकतानुसार सुदृढ़ बनाकर कराया जाए।

तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कायवाई करे।

(22) ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए संदर्भ ग्रंथों और संपूरक साहित्य का सजन

समिति ने ज्ञान-विज्ञान के श्रेष्ठतम साहित्य को छात्र-वर्ग और आम आदमी तक पहुंचाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शब्दावली, परिभाषा को, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ और संपूरक साहित्य का सृजन किया जाए तथा हिन्दी में उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यों में किया जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

(23) हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार

समिति ने हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के बारे में यह सिफारिश की है कि हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार किया जाए और इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(24) उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम

समिति ने यह सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी बना दिया जाए।

सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।

(25) संदर्भ और सहायक साहित्य का निर्माण

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शब्दावलियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संदर्भ तथा सहायक साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे साहित्य का समुचित रूप से वितरण एवं कार्यालयों द्वारा प्रयोग भी होना चाहिए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग इस बारे में अपेक्षित अनुदेश जारी करे।

(झ) विधि के क्षेत्र से संबंधित अन्य सिफारिशें

(26) कानून के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को कानून के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने के लिए एक समन्वित योजना बनाएं।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विधायी विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही करे।

(27) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के हिन्दी पाठ

समिति ने कहा है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिन्दी पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खंड में व्यवस्था नहीं की गई है और सिफारिश की है कि इसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए।

यह दायित्व दिल्ली प्रशासन का है। आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को भेज दिया जाए।

(ञ) अनुवाद की भाषा का स्वरूप

(28) समिति ने अनुवाद की भाषा के स्वरूप के संबंध में यह सिफारिश की है कि अनुवाद व्यवस्था में निश्चित रूप से भाषा के उसी स्वरूप को अपनाया जाना भारत की अखण्डता तथा एकता के हित में है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(ट) राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम का अनुपालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई

(29) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का ही दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें। अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।

यह सिफारिश इस संशोधित रूप में स्वीकार की गई है कि राजभाषा का कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्साहन से किया जाए, पर साथ ही नियमों और आदेशों आदि के अनुपालन में दृढ़ता बरती जाए। राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(ठ) समिति की उपेक्षा के लिए प्रताड़ना

(30) कुछ मंत्रालयों/विभागों ने जिनका उल्लेख प्रतिवेदन के पैरा 11-1-2 में किया गया है, समिति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जिस पर समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने निर्धारित तारीख तक अपेक्षित सूचना न भेजकर समिति की उपेक्षा की है। इसके लिए उन्हें प्रताडित किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में समिति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

राजभाषा विभाग समिति की सिफारिश के अनुसार यथोचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को निदेश जारी करें।

(ड) राज्य सरकारों से संबंधित सिफारिशें

(31) न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण

समिति ने सिफारिश की है कि न्यायायिक अधिकारियों के पद के लिए जिन लोगों का चयन किया जाता है उन्हें राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे निर्णय आदि अपने राज्य की राजभाषा में दे सकें। विधि शब्दावली का उन्हें ज्ञान कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं तथा अपर जिला न्यायाधिश और जिला न्यायाधीश जैसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में काम करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना काम राज्य की भाषा में कर सकें।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(32) अधिवक्ताओं द्वारा न्यायलयों में राज्य की राजभाषा में काम करना

समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों को चाहिए कि वे अपने विधि अधिकारियों और आवश्यकताओं को ये निर्देश दें कि वे न्यायालयों में जहां तक हो सके केवल राज्य की राजभाषा में ही बहस करें ताकि बाद में चलकर सरकारी काम राज्य की राजभाषा में हो सके। ये भी अनिवार्य कर दिया जाए कि याचिकाओं आदि में विधि शब्दावली का ही प्रयोग हो तथा राज्य सरकारें शपथ पत्र, वैध पत्र और लिखित कथन केवल अपने राज्य की राजभाषा में ही प्रस्तुत करें जिससे अन्तोगत्वा ये कार्य पूरा पूरा राज्य की राजभाषा में हो सके।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(33) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय आदि राज्य की भाषा में पारित करना।

समिति ने सिफारिश की है कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपने निर्णय, डिक्री और आदेश अपने राज्य की भाषा में पारित करें।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(34) समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं। उन पर निर्णय बाद में सूचित किया जाएगा :—

(1) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.4 में की गई राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव।

(2) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.7 में उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए हिन्दी के विकल्प की व्यवस्था के बारे सिफारिश।

शम्भू दयाल
संयुक्त सचिव -भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 21-12-89 के का. ज्ञा. सं. 20034/10/85-अ. वि. एकक की प्रति-लिपि

विषयः—राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले वृत्त-चित्र (डाक्यूमेंट्री फिल्में)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (फिल्म प्रभाग) द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार से संबंधित निम्नलिखित वृत्त-चित्रों के कैसेट तथा प्रिंट तैयार करवाए गए हैं जिसका विवरण इस प्रकार है :—

1. उदयांजलि (प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर विषयक)

	रु.
(1) 16 मि. मी. प्रिंट	5138/-
(2) सुपर 8 मि.मी. प्रिंट	2002/-
(3) पहली बी. एच. एस. कैसेट	1377/-
(4) प्रति अतिरिक्त बी. एच. एस. कैसेट	70/-

2. एकता का पर्व (द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, मारीशस विषयक)

(1) 16 मि.मी. प्रिंट	2974/-
(2) सुपर 8 मि.मी. प्रिंट	1603/-
(3) बी. एच. एस. कैसेट (पहला प्रिंट)	रु 933/-
(4) प्रति अतिरिक्त बी. एच. एस कैसेट	70/-

3. हिन्दी सब संसार (तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, दिल्ली विषयक)

(1) 16 मि.मी. प्रिंट	5408/-
(2) सुपर 8 मि.मी. प्रिंट	2002/-
(3) प्रथम बी. एच. एस. कैसेट	1460/-
(4) प्रति अतिरिक्त बी. एच. एस. कैसेट	70/-
उक्त तीनों फिल्मों की पहली बी. एच. एस. कैसेट की कुल कीमत	3560/-
प्रति अतिरिक्त बी. एच. एस. कैसेट की कुल कीमत	70/-

4. हिन्द (देश) की वाणी) (वृहतसंस्करण)

(1) 530 मीटर, 16 मि.मी. का प्रिंट	12,108/
(2) प्रथम बी एच एस कैसेट	1,318
(3) प्रति अतिरिक्त बी० एच. एस कैसेट	56/

5. देश की वाणी (लघु संस्करण)

(1) 239 मीटर, 16 मि.मी. का प्रिंट	रु. 5408/-
(2) प्रथम बी एच एस कैसेट	,, 974/-
(3) प्रति अतिरिक्त बी एच एस कैसेट	,, 56/

उपर्युक्त फिल्में उपयोगी और सूचनाप्रद होने के साथ-साथ रोचक और मनोरंजक भी हैं जिनमें सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को भी दिखाया गया है।

आशा है कि विभिन्न कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं उपक्रमों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर इन. फिल्मों के प्रदर्शन से दर्शकों को निश्चय ही राजभाषा हिन्दी को अपनाने की प्रेरणा मिलगी ।

मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि कृपया अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि को इन फिल्मों आदि को खरीदने के लिए प्रेरित करें । खरीदने के लिए निम्नलित पते पर संपर्क किया जा सकता है :—

प्रभारी अधिकारी (वितरण')
फिल्म प्रभाग,
24-पैडर रोड़,
बम्बई-400026

□

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 29-11-88 के का. ज्ञापन संख्या 12024/11/88-रा. भा. (ख-2) की प्रतिलिपि

विषय:—मन्त्रालयों/विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा नियमों/आदेशों से अवगत कराने के लिए कार्य- शालाओं का आयोजन ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16-9-88 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित गोष्ठी-"सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग"—में विचार-विमर्श के दौरान इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा नियमों/आदेशों आदि का ज्ञान कराने के लिए विशेष रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिएं । आशा है, इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन से वरिष्ठ अधिकारियों को अद्यतन राजभाषा नियमों/आदेशों से सुपरिचित कराया जा सकेगा तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में प्रगति आएगी ।

अतः भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने यहां इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन अवश्य करें तथा अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि को भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करने का सुझाव दें । इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उपसचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से सम्पर्क किया जा सकता है।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 6-4-88 का का. ज्ञा. संख्या 17/5/88-रा. भा. (सेवा) की प्रतिलिपि

विषय:—प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 12-12-1987 को हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त—मद संख्या 5.5(2) पर कार्यवाही ।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 2-12-87 को हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की 21वीं बैठक में "हिन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति की सुविधा" विषय पर विचार किया गया था । इस संबंध में बैठक के कार्यवृत्त के संबंधित उद्धरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं:—

"श्री वे. राधा कृष्णमूर्ति ने हिन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर बाकी कर्मचारियों/अधिकारियों की अपेक्षा कम होने का जिक्र किया । इस बारे में उन्होंने रेल मंत्रालय का उदाहरण दिया जिसमें हिन्दी अधिकारी को बाकी अधिकारियों की अपेक्षा उन्नति के बहुत कम अवसर हैं । डा. सरगुकृष्णमूर्ति ने भी विभिन्न विभागों में हिन्दी अधिकारियों की पदोन्नति के बहुत कम अवसर की बात कही, जिससे उनका कार्य में मनोबल गिरता है । सचिव, राजभाषा ने बताया कि कुछ मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर जो इस सेवा में शामिल नहीं हुए हैं, सभी मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के पदों के लिए केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा बना दी गई है । जिसमें अधिकारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर हैं और उनके अनुसार पदोन्नतियां भी दी गई हैं। सदस्यों ने सुझाव प्रकट किया कि जो विभाग इस सेवा में शामिल नहीं हुए और सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का काम पूरी दिलचस्पी से कर सकें।"

2. कुछ मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के हिन्दीपद शामिल है। सेवा में शामिल हिन्दी पद निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुवादक तथा कनिष्ठ अनुवादक के श्रेणियों

में वर्गीकृत हैं । प्रत्येक श्रेणी के पदों की पर्याप्त संख्या होने के कारण सेवा के सदस्यों के लिए पदोन्नति में समुचित अवसर उपलब्ध हैं । राजभाषा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि ऐसी स्थिति अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के कार्य से संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी पदों के लिए केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा के समान सेवा बनाना संचालन संबंधी कारणों से संभव नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ कार्यालय भारत के प्रत्येक राज्य में दूर-दूर जगहों पर फैले हुए हैं । किसी ऐसे संवर्ग का गठन प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं हैं ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों के बारे में जांच करें और यदि ये अवसर अपर्याप्त हैं तो उन्हें बढ़ाने के उपाय करें जिससे हिन्दी पदों पर कार्यरत व्यक्ति राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का काम पूरी लगन व निष्ठा से कर सकें जो विभाग/मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल नहीं है वे भी इस प्रकार की जांच अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में कर लें ।

4. वित्त मंत्रालय आदि से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त पैरा-3 में दिए गए सुझाव के संबंध में की गई कार्यवाही से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराया जाए।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 28-3-88 का का ज्ञा. सं.-12015/9/88-रा.भा.(त.क.)

विषय :—केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उसके अधीनस्थ व सम्बद्ध कार्यालयों, उपक्रमों आदि में केवल द्विभाषी इलैक्ट्रानिकी टेलीप्रिंटर/टैलेक्स लगाना।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/12/84-रा.भा. (त.क.) दिनांक 31 अगस्त, 1987 द्वारा ये अनुदेश दिए गए थे कि सभी मंत्रालय/विभाग एवं उनके अधीनस्थ व सम्बद्ध कार्यालय, सरकारी उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी प्रकार के इलैक्ट्रानिकी उपकरण केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) ही प्रयोग में लाएं। उस समय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर उपलब्ध नहीं थे इसलिए ये कहा गया था कि इनके खरीद के बारे में निदेश बाद में इनके उपलब्ध होने पर दिए जाएंगे ।

2. दूरसंचार विभाग ने अब ये सूचित किया है कि मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा अब द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनाने आरम्भ कर दिए गए हैं। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स को अब इनके खरीद के आर्डर दिए जा सकते हैं और दूरसंचार विभाग से इन्हें लीज़ पर भी लिया जा सकता है।

3. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों से ये अनुरोध है कि वह भविष्य में अब केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) टेलीप्रिंटर्स/टैलेक्स ही खरीदें या लीज़ पर लें। जिन कार्यालयों में इस समय रोमन टेलीप्रिंटर/टेलेक्स लीज़ पर लिए हुए हैं वे दूरसंचार विभाग को तुरन्त इनके बदले द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर/टेलेक्स लगाने के लिए अनुरोध करें।

4. जिन कार्यालयों में केवल देवनागरी इलैक्ट्रो मैकेनिकल टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं, वो इन द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों के साथ संदेशों के आदान-प्रदान का काम नहीं कर सकेंगे। यदि इन टेलीप्रिंटरों द्वारा द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों को संदेश दिए जाते हैं या उनसे संदेश प्राप्त किए जाते हैं तो इन देवनागरी इलैक्ट्रो मैकेनिकल टेलीप्रिंटरों का भी, यदि ये लीज़ पर लिए गए हैं, तो, द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों से बदलने के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया जाए।

5. जहां तक पहले से खरीदे गए रोमन टेलीप्रिंटर या देवनागरी इलैक्ट्रा-मैकेनिकल टेलीप्रिंटर का संबंध है, इनके बदले में द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर उपलब्ध कराने के मामले पर मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा विचार किया जा रहा है। इसलिए उन्हें द्विभाषा इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों से बदलने के बारे में अनुदेश बाद में दिए जाएंगे ।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुराध है कि वह ये अनुदेश अपने सभी सम्बद्ध एवं अधनिस्थ कार्यालयों और अपने स्वामित्व या नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लाएं और इनका पालन सुनिश्चित करें।

□

.....123 का शेष

होगी कि हम पूरे देश की भाषाओं, धर्मों आदि का सम्मान करते हुए हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान दें। "ये विचार आज दिल्ली के कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) श्री कुलानन्द भारतीय द्वारा हिन्दी अकादमी, दिल्ली की ओर से शहीदी दिवस के उपलक्ष में आयोजित 'स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी' नामक गोष्ठी में व्यक्त किये गये। संगोष्ठी की अध्यक्षता हिन्दी के वरिष्ठ कवि और साहित्यकार आचार्य श्री क्षेमचन्द्र "सुमन" ने की। उन्होंने इस अवसर पर हिन्दी के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा "हिन्दी इस देश की माटी, संस्कृति, सभ्यता और जनमानस की भाषा है। हिन्दी का विकास सभी भारतीय भाषाओं के सहयोग और विकास से सम्भव हुआ है। यदि हिन्दी का विकास होता है तो अन्य भारतीय भाषाएं भी उन्नत होंगी।" इस अवसर के लिए श्री सुधाकर पांडे, पत्रकार श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, डा. नारायणदत्त पालीवाल आदि ने स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी की भूमिका और राष्ट्रभाषा के रुप में इसके महत्व पर बल दिया।

अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभुदयाल (बीच में)

मुख्य अतिथि डॉ. महेशचन्द्र गुप्त, निदेशक, राजभाषा विभाग का स्वागत करते हुए श्री वेद मित्र बुद्धिराजा

उद्घाटन भाषण देते हुए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी (बीच में) साथ में (दाएं) श्री पी. शिवशंकर, मानव संसाधन विकास मंत्री तथा बाएं शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमंत्री श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही

हिन्दी सलाहकार—समिति की बैठक में बाएं से विशेष सचिव श्री शुक्ल, राज्य मंत्री कु. सरोज खापर्डे, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा (अध्यक्ष), सचिव (स्वास्थ्य) श्री आर. श्रीनिवासन, राजभाषा विभाग के सचिव श्री आर. के. शर्मा तथा अन्य

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग भारत सरकार के लिए डा० गुरुदयाल बजाज द्वारा नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित । 1989